ब्रिटिशकालीन
छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर

भाग-2

दुर्ग दर्पण

सन् 1921

गोकुलप्रसाद

बिलासपुर वैभव

सन् 1923

प्यारेलाल गुप्त

रायपुर रश्मि

सन् 1925

गोकुलप्रसाद

छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी

ब्रिटिशकालीन
छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर
भाग-2

दुर्ग दर्पण
अर्थात्
(तत्कालीन दुर्ग जिले का वर्णन)

गोकुलप्रसाद, सन् 1921
इन्कम टैक्स कलेक्टर, अमरावती

बिलासपुर वैभव
अर्थात्
(तत्कालीन बिलासपुर जिले का वर्णन)

प्यारेलाल गुप्त, सन् 1923
बिलासपुर

रायपुर रश्मि
अर्थात्
(तत्कालीन रायपुर जिले का वर्णन)

गोकुलप्रसाद, सन् 1925
असिस्टंट टैक्स कमिश्नर, मध्यप्रदेश

छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी

छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्त्वावधान में जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की आर्थिक सहायता से प्रकाशित।

संस्करण	:	2017
पुस्तक का नाम	:	ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर, भाग-2, दुर्ग दर्पण, बिलासपुर वैभव, रायपुर रश्मि
मूल्य	:	320/- (अक्षरी रुपए तीन सौ बीस मात्र)
सर्वाधिकार	:	प्रकाशक के अधीन
आई.एस.बी.एन.	:	978-93-82313-31-1
प्रकाशक	:	छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, सामुदायिक भवन के सामने, रायपुर-492010 (छत्तीसगढ़)
आवरण/पृष्ठ सज्जा/मुद्रक	:	1659, ग्रंथ अकादमी, पुराना दरियागंज, नई दिल्ली-110002

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री

Dr. Raman Singh
Chief Minister

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर भाग-1 (बस्तर भूषण, अष्टराज, अंबोज, झारखंड झंकार) और छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर भाग-2 (दुर्ग दर्पण, बिलासपुर वैभव, रायपुर रश्मि) के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा समग्र, ठाकुर प्यारेलाल सिंह समग्र, अथ खूब तमाशा, विष्णु महायज्ञ स्मारक ग्रंथ, छत्तीसगढ़ (सूबा या प्रांत, सरगुजा रियासत रिपोर्ट, मध्ययुगीन राजपूत कालीन छत्तीसगढ़) शीर्षक से पुस्तकों का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के इतिहास, साहित्य, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से सँजोने और सहेजने का प्रशंसनीय कार्य छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा लगातार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि अकादमी द्वारा प्रकाशित किए जा रहे ग्रंथ, पांडुलिपियाँ और पुस्तकें हमारी आनेवाली पीढ़ियों के लिए गौरवशाली विरासत साबित होंगी। पुस्तकों के पुनर्प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।

भवदीय

(डॉ. रमन सिंह)

प्रति,
श्री शशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी
पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर,
सामुदायिक भवन के सामने
रायपुर (छत्तीसगढ़), पिन-492010

महानदी भवन, मंत्रालय
नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492002
Mahanadi Bhawan, Mantralaya
Naya Raipur, Chhattisgarh-492002
Ph. : (0) 0771-2221000, 2221001
Ph. : (R) 0771-2443399, 2331001
Fax : (O) 0771-2221306 (R) 2331000
e-mail : cmcg@nic.in

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रेम प्रकाश पाण्डेय
मंत्री
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन,
पुनर्वास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं
जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी, छत्तीसगढ़

फोन (मंत्रालय) : 0771-2510321, 2221321
निवास : बी-1, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन (नि.) : 0771-2446440
निवास : सेक्टर-9, सड़क नं.-11
बंगला नंबर - 1, भिलाई
फोन : 0788-2242590

प्राक्कथन

भारत राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र है। यहाँ राज्यों की अपनी-अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विविधता के बीच उनकी बोलियाँ, उपभाषाएँ, भाषाएँ विद्यमान और प्रचलित हैं। इन सब में हिंदी देश की सर्वमान्य संपर्क भाषा है। यह भारत की राज-काज की भाषा अर्थात् राजभाषा भी है। किसी भी भाषा की सर्वमान्यता का कारण केवल संवैधानिक बंधन नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, साहित्यिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि की एक लंबी यात्रा भी होती है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसके भाषायी परिदृश्य में 'हिंदी' और 'छत्तीसगढ़ी' साथ-साथ कदम बढ़ाते हुए एक समृद्ध भाषा-समाज गढ़ती हैं। विविध उपसंस्कृतियों और भाषा-बोलियों के साथ छत्तीसगढ़ का समन्वय अद्भुत है।

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य ज्यों-ज्यों प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रहा है, देश-दुनिया अब इस क्षेत्र को समझने-बूझने के लिए उत्सुक हो रही है। पाठ्य-पुस्तकों के साथ-साथ प्रदेश के समृद्ध ऐतिहासिक-सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासतों को प्रकाशित करने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी ने लिया है। ब्रिटिशकालीन प्रकाशित हिंदी गजेटियरों के पुन: प्रकाशन से अपने अतीत को जानने का मार्ग प्रशस्त होगा। सत्रहवीं शताब्दी में श्री गोपाल मिश्र रचित 'अथ खूब तमाशा' से हिंदी साहित्य में छत्तीसगढ़ के अवदान से पाठक परिचित होंगे। प्रदेश के रत्न पं. सुंदरलाल शर्मा व ठाकुर प्यारेलाल सिंह की रचनाओं और विचारों का संकलन भी प्रकाशित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का सतत प्रयास है कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में अच्छी पाठ्य-पुस्तकें और पाठ्यक्रम आधारित संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करा सके। विषय-विशेषज्ञों के सहयोग से हिंदी में मानक पुस्तकों का सृजन हो, यह प्रयास अकादमी का रहा है।

प्रत्येक पुस्तक का प्रकाशित होना राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ाया गया एक नया कदम होता है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रयास राज्य और देश के शैक्षणिक विकास को समृद्ध करना है। उच्च शिक्षा संस्थाओं से जुड़े प्राध्यापकों और विद्वानों का मार्गदर्शन अकादमी को मिलता रहेगा, इस आशा के साथ।

(प्रेम प्रकाश पाण्डेय)
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी

प्रकाशकीय

छत्तीसगढ़ क्षेत्र की ऐतिहासिक-भौगोलिक, सांस्कृतिक भिन्नताएँ एक पृथक् राज्य निर्माण का आधार बनीं। ऐसा माना जाता रहा है कि इस क्षेत्र का विशेष ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है, जबकि पुरापाषाण काल से स्वतंत्रता के आंदोलन तक के ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं। यह प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक ससाधनों से परिपूर्ण मात्र भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपदा भी प्रचुर मात्रा में है। रामायण काल में भगवान् श्रीराम के वनगमन मार्ग की चर्चा सौ वर्ष से अधिक समय से हो रही है। प्रदेश का बड़ा भू-भाग बौद्ध, जैन व सनातन ब्राह्मण धर्म के अनेक पथों के पुरातात्त्विक स्रोतों से आच्छादित है। ब्रिटिशकाल में इस क्षेत्र की विशेषताओं को लिपिबद्ध करने का महती कार्य हुआ। यह विषय अवश्य है कि छत्तीसगढ़ की इन विशेषताओं को देश-दुनिया के समक्ष व्यवस्थित एवं सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से गजेटियर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, 'रायपुर रश्मि', 'बिलासपुर वैभव', 'दुर्ग दर्पण', 'बस्तर भूषण', 'अष्टराज्य अम्भोज' एवं 'झारखंड झंकार' के रूप में प्रकाशित हुए। इन छह गजेटियरों में संपूर्ण छत्तीसगढ़ समाहित है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भले ही राजनैतिक आंदोलन का प्रतिफल न हो, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से छत्तीसगढ़ प्रांत शब्द प्रचलन में आ चुका था। इतिहासविद् डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र के शब्दों में कहें तो वर्तमान छत्तीसगढ़ का नक्शा 1906 में अपने स्वरूप में आ चुका था। पं. सुंदरलाल शर्मा पृथक् छत्तीसगढ़ की कल्पना कर चर्चा प्रारंभ कर चुके थे। तत्कालीन लिखे गए गजेटियरों से भी अंचल की तथ्यात्मक जानकारियाँ एकत्र हुईं। इन गजेटियरों का हिंदी अनुवाद अब पाठकों की पहुँच में नहीं है, क्योंकि प्रकाशित प्रतियाँ चिह्नित ग्रंथालयों तक सीमित हैं। स्व. प्यारेलाल गुप्त लिखित 'बिलासपुर वैभव' की प्रति उनके परिजनों से प्राप्त होने के बाद उनके पुनर्प्रकाशन की चर्चा प्रारंभ हुई। भारतीय सांस्कृतिक निधि (इन्टैक), रायपुर अध्याय द्वारा पुनर्प्रकाशित झारखंड झंकार एवं अष्टराज अंभोज की प्रतियाँ मी मिल गईं। शेष गजेटियरों की खोज हुई, तब डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र ने अपने संकलनों

को सहृदय छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी को सौंप दिया, जिससे संपूर्ण ग्रंथ के रूप में गजेटियरों का प्रकाशन संभव हो सका।

छत्तीसगढ़ के इन गजेटियरों के पुनर्प्रकाशन से वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को अपने इतिहास, भूगोल, राजनीति व संस्कृति को समझने में आसानी होगी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि इनका अध्ययन करने से आनेवाली पीढ़ियों को अपने इतिहास-संस्कृति पर गर्व होगा। उन लोगों के श्रम दूर होंगे, जो छत्तीसगढ़ को सदियों से पिछड़ा मात्र भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं। इस संबंध में श्री गोपाल मिश्र लिखित 1915 में प्रकाशित 'अथ खूब तमाशा' पुस्तक की भूमिका में लाला धरिणधर ने अपने विचार व्यक्ति किए थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं—

''प्राय: लोग कहा करते हैं कि छत्तीसगढ़ निपट जंगली मुल्क (वनप्रांत) है और वहाँ के रहवासी महामूर्ख और असभ्य हैं। क्या ऐसे समझ के लोगों से देश भाइयों के प्रति प्रीति एवं सहानुभूति की आशा की जा सकती है? जिनकी ऐसी धारणा है, वे बड़ी भूल व भ्रम में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को उचित है कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक कवियों और भूतकालीन व्युत्पन्नमति कवि गोपालदास प्रभूति की कृतियों का निरीक्षण कर अपना श्रम निवारण करे। छत्तीसगढ़ केवल मात्र वनचरों का निवासस्थान नहीं है। पराक्रमी, बलशाली, वीर योद्धा, अच्छे-अच्छे विद्वान् लेखक, सुकवि और वदान्य धर्मात्मा तथा पुराण प्रसिद्ध राजे-महाराजे इस छत्तीसगढ़ में हुए हैं।''

छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी छत्तीसगढ़ प्रदेश की दुर्लभ ऐतिहासिक पांडुलिपियों का पुनर्प्रकाशन कर उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। इस कार्य की पहली कड़ी ऐतिहासिक हिंदी गजेटियरों का दो खंडों में प्रकाशन है। एक खंड में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत खालसा जिलों—रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग के गजेटियर शामिल किए गए हैं तथा दूसरे खंड में स्वतंत्र रियासतों के गजेटियरों का संकलन है। यह संकलन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों-शोधार्थियों के लिए संदर्भ-ग्रंथ स्वरूप उपयोगी साबित होगा। इस कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था जनसंपर्क विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंहजी ने सहजता से कर दी। प्रदेश की धरोहरों को सहेजने की उनकी उत्कंठा का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम उनके प्रति आभारी हैं।

(शशांक शर्मा)
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी

ब्रिटिशकालीन
छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर
भाग-2
दुर्ग दर्पण (सन् 1908)
बिलासपुर वैभव (सन् 1925)
रायपुर रश्मि (सन् 1930)

प्रस्तावना

हिंदुस्तान में गजेटियर लिखने की परंपरा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। इस युग का पुनर्जागरण काल विश्व इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है। राजनीतिक, समाजार्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समसामयिक यूरोप का पूर्वी देशों से परस्पर प्रभाव पड़ा। प्राचीन ग्रंथों, स्रोतों का अन्वेषण अनुशीलन हुआ। नई-नई जानकारियाँ एवं विचार व्याख्यायित हुए। देश-प्रदेश और अंचल को समझने की चेष्टाएँ हुईं। भूगोल, इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य किसी भी अंचल को बूझने का आधार है। गजेटियर में किसी जिले या प्रांत के विषय में इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में जानकारीयुक्त वर्णन होता है। साथ ही वहाँ के प्रशासन तथा इसकी इकाइयों का जैसे पुलिस, वन, सार्वजनिक कल्याण, शिक्षा, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का ज्ञान होता है। भूमि, फसलें, जानवर एवं सामाजिक संरचना, संप्रदाय, भाषा-बोली आदि ज्ञात होती हैं। व्यापार, मेले, अकाल, सिंचाई व्यवस्था, नदी, तालाब, भू-राजस्व व्यवस्था, दर्शनीय स्थल, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आदि वर्णित होते हैं। ये बातें प्रायः इन सभी गजेटियरों के अंतर्गत की गई हैं। वस्तुतः गजेटियर किसी अंचल के दर्पण की तरह हैं।

वेद, पुराण, उपनिषद्, महाकाव्यकालीन रचनाएँ, पुरावशेष ज्ञान के भंडार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, विद्यापति की रचनाएँ तथा कालांतरीय जीवनी, प्रशस्ति लेखन से भी बहुत सी बातें मालूम पड़ती हैं। पर वे एक पर केंद्रित होती रहीं।

भारत में अंग्रेजों का राज एक युगांतकारी घटना थी। व्यापार से साम्राज्य विस्तार तक अद्भुत समयानुकूल संयोग मिलता है, जिसके लिए काल एवं समयजन्य परिस्थितियाँ सहायक थीं। अंग्रेजों के जो अधिकारी प्रशासन के लिए जिस जिला, प्रांत या सूबा में गए, वहाँ की जानकारी के लिए तथ्य इकट्ठे किए गए स्थानीय

लोगों के सहयोग से, ताकि उनको प्रशासन चलाने में सुविधा हो सके। और यही गजेटियर का आधार बना, जो उनके लिए सुविधाजनक रहा। संयोगवश देश के मध्यांचल से इसका विकास बढ़ता गया। मध्य प्रांत एवं बरार तथा छत्तीसगढ़ अंचल का विशेष योगदान रहा।

1868 एवं 1870 में चार्ल्स ग्रांट ने सी.पी. गजेटियर प्रस्तुत कर गजेटियर लेखन परंपरा को गति प्रदान की। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार होते रहे, जो इस कार्य में सहायक बने।

छत्तीसगढ़ में 14 रजवाड़े (सामंती राज्य) थे। सरगुजा राज्य पर प्रथम प्रतिवेदन 1818 ई. में रफसेज ने लिखा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर प्रथम प्रतिवेदन मेजर पी. वास एग्यू ने 23 दिसंबर, 1820 को लिखा। फिर जेंकिस, प्लाउडन, इलियट, चिशम, हेविट, ग्लासफोर्ड आदि ने लिखकर 19वीं सदी के छत्तीसगढ़ की जानकारी को सामने रखा। 1909 में नेल्सन ने रायपुर जिला गजेटियर प्रस्तुत किया, फिर बिलासपुर, दुर्ग, संबलपुर गजेटियर सामने आते गए। ई. ब्रेट ने 'फ्यूडेटरी स्टेटस गजेटियर' लिखकर सामंती राज्यों के बारे में जानकारी दी।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी में गजेटियर लिखने की परंपरा बस्तर के अरण्यांचल से प्रारंभ हुई, जब वहाँ के राजगुरु परिवार के पं. केदारनाथ ठाकुर ने 'बस्तर भूषण' लिखा। देश में हिंदी समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने इसे काफी सराहा। तब नेल्सन का अंग्रेजी गजेटियर भी विभिन्न जिलों का नहीं आया था। 'बस्तर भूषण' को देश का प्रथम हिंदी गजेटियर कहा गया। यद्यपि पद्य में 'बिहार दर्पण' आदि कुछ पुस्तकें भारतेंदुयुगीन साहित्य संसार में दृष्टिगत हुईं।

'बस्तर भूषण' शब्द पं. केदारनाथ ठाकुर के नाम के पूर्व जुड़ गया। वे स्वयं भी लिखते थे 'बस्तर भूषण' पं. केदारनाथ ठाकुर। वे बस्तर अंचल के प्रथम साहित्यकार एवं इतिहास-लेखक थे। इनके द्वारा लिखित वन पर आधारित 'विपिन चंद्रिका' साहित्य विषयक 'बसंत विनोद' तथा 'सत्यनारायण कथा' हिंदी अनुवाद का विशिष्ट महत्त्व है।

मध्य प्रांत एवं बरार में हिंदी गजेटियर लेखन हेतु रायबहादुर डॉ. हीरालाल (कटनी) ने अथक परिश्रम किया। उनके भाई गोकुल प्रसाद एवं परिवार के अन्य लोगों तथा मित्र इस कार्य में सहभागी बने। तभी तो ये सभी रचनाएँ सामने आ सकीं। यथा—रायपुर रश्मि, बिलापुर वैभव, दुर्ग दर्पण, चांदा चंद्रिका, सिवनी सरोजनी, नरसिंह नयन, मंडला मयूरव, जबलपुर ज्योति, दमोह दीपक, सागर सरोज, होशंगाबाद हुंकार, छिंदवाड़ा छवि आदि जिला हिंदी गजेटियर लिखे गए। 'बिलासपुर वैभव'

बाबू प्यारेलाल गुप्त ने लिखा। रजवाड़ों से संबंधित हिंदी गजेटियर में धानूलाल श्रीवास्तव लिखित 'अष्टराज अंभोज' है, जिसमें आठ सामंती राज्यों का गजेटियर सम्मिलित है। रघुवीर प्रसाद ने 'झारखंड झंकार' लिखा, जिसमें सरगुजा समूह की पाँच रियासतों का हिंदी गजेटियर लिखा गया।

छत्तीसगढ़ में हिंदी गजेटियर लेखन का साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अनुवाद विधा में वृद्धि हुई और यहाँ के सार्वजनिक जीवन तथा भौगोलिक परिवेश एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक कार्य हुए।

पं. विश्वनाथ दुबे ने 'सिरपुर माहात्म्य' 1917 में तथा रायबहादुर हीरालाल ने 'मध्य प्रदेशीय भौगोलिक नामार्थ परिचय' लिखा। पं. सुंदरलाल शर्मा ने 'राजिम माहात्म्य' तथा पं. शंकर दत्त मिश्र, कुशल प्रसाद गुप्ता, रतनपुर ने संस्कृत व हिंदी में 'रतनपुर माहात्म्य' लिखा। आंचलिक इतिहास, संस्कृति एवं पुरातन की खोज उजागर हुई। 1939 में पं. श्यामाचरण दुबे ने 'छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय' लिखा, जिससे इतिहास उजागर हुआ। इन सभी कृतियों में तहसील, जिला, जमींदारियाँ, रजवाड़ों का इतिहास सामने आया।

ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ में 1857 ई. की क्रांति एवं मध्य प्रांत के निर्माण के बाद रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिला प्रत्यक्षत: अंग्रेजों के प्रशासनांतर्गत थे। शेष सामंती राज्य एवं जमींदारियाँ थी, जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था उनके शासकों द्वारा अंग्रेजों के मार्गदर्शन में चलती थीं। रीति-रिवाज, परंपरा, संस्कृति के कारण उनकी विशेषताएँ (खालसा) अंग्रेज शासित राज्यों से हटकर थीं। 1 जनवरी, 1906 को दुर्ग नया जिला बना तथा छत्तीसगढ़ से संबलपुर को अलग कर बंगाल प्रांत (उड़ीसा) में हस्तांतरित किया गया एवं झारखंड समूह की 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में सम्मिलित की गईं। दोनों जगह से 5-5 रियासतें इधर-उधर हुईं। उड़िया भाषी रियासतें क्षेत्र उड़ीसा (बंगाल प्रांत) में गया। इस प्रकार आज के छत्तीसगढ़ के मानचित्र की लगभग सीमांकन रेखा उस वर्ष बन गई।

रियासतें विषयक प्रथम हिंदी गजेटियर 1908 में 'बस्तर भूषण' लेखन के रूप में प्रकाशित हुआ। दुर्ग दर्पण (1921), बिलासपुर वैभव (1923), रायपुर रश्मि (1925) के पश्चात् अष्टराज अंभोज (1925), झारखंड झंकार (1930) का प्रकाशन हुआ। परिणामत: समग्र छत्तीसगढ़ अंचल का गजेटियर अध्येताओं के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इतिहास एवं साहित्य की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

दुर्ग दर्पण

'दुर्ग दर्पण' के लेखक गोकुल प्रसाद इस जिले के प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे। रायबहादुर हीरालाल इनके अग्रज थे, अत: उनके मार्गदर्शन में हिंदी गजेटियर लेखन के कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया। 'दुर्ग दर्पण' अध्यापक, अध्येता एवं दुर्ग अंचल की जनता के ज्ञान की दृष्टि से लिखा गया।

दुर्ग जिला के डिप्टी कमिश्नरों के कार्यों को इंगित करते हुए इस पुस्तक में दुर्ग अंचल के विस्तार, नदियाँ, जलवायु अर्थात् भूगोल था। इतिहास एवं लोगों के बारे में, भूमि के विषय में, व्यवसाय आदि का वर्णन तथा शासन की व्यवस्था का वर्णन प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत है। भू-व्यवस्था, अकाल, सहकारी सभा, दीवानी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के कार्यों का दिग्दर्शन किया गया है। दुर्ग-अंचल की जमींदारियों, यहाँ के पर्वत, नदियों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी है।

गढ़ा मंडल की रानी दुर्गावती के वंशजों ने भी इस अंचल के पश्चिम क्षेत्र में, विशेषकर बालोद, मोहला क्षेत्र को प्रभावित किया था। गोंडवाना राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भू-भाग प्रभावित हुआ था। खैरागढ़ राज्य की स्थापना में भी उनका योगदान था।

बिलासपुर वैभव

'बिलासपुर वैभव' हिंदी गजेटियर लेखन की परंपरा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, जिसे बाबू प्यारेलाल गुप्त ने तैयार किया था।

छत्तीसगढ़ गौरव ग्रंथमाला पुष्प-2 के रूप में प्रकाशित है। पं. लोचन प्रसाद पांडेय ने 1920 में 'छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली' की स्थापना की थी, जो महाकोसल इतिहास समिति एवं महाकोसल इतिहास परिषद् के रूप में प्रसिद्ध हुई। पांडेयजी एवं रायबहादुर हीरालाल में घनिष्ट संबंध थे। बिलासपुर हिंदी गजेटियर लेखन हेतु पं. पांडेयजी ने बाबू प्यारेलाल गुप्त को दायित्व सौंपा, जो प्रसिद्ध साहित्य एवं इतिहास लेखक रहे हैं।

पुस्तक में अध्याय 'विकास' नामांतरित है, जिसमें भूगोल, इतिहास, लोग (निवासी), भूमि, व्यवसाय, विपत्तियाँ, शासन, प्रमुख गैर तथा जमींदारियों के अंतर्गत वर्णन है। ऐतिहासिक स्थलों की जानकारियाँ भी हैं।

बिलासपुर के उत्तरांचल में 'सतगढ़ा' जमींदारियाँ थीं, जो गोंडवाना या गढ़ा

मंडल राज्य कलचुरि राज्य के मध्य में स्थित रहीं, जिनमें पेंड्रा, केंदा, लाफा, मातिन, उपरोड़ा, छुरी कोसगई, कोरबा आदि थे। छत्तीसगढ़ की कलचुरिकालीन राजधानी (रतनपुर के उत्तर में) घने जंगलों से युक्त यह क्षेत्र एक प्रकार से उत्तर बिलासपुर का सुरक्षा कवच था।

'बिलासपुर वैभव' अन्य हिंदी गजेटियर के सदृश है। पर विषय-वस्तु, शीर्षक आदि कुछ हटकर हैं। 'विकास क्रम' इसी का उदाहरण है।

रायपुर रश्मि

1923 में रायपुर 'रायपुर रश्मि' का प्रकाशन हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ अंचल से जुड़े हुई अधिकारी श्री गोकुल प्रसाद ने लिखा था। नेल्सन द्वारा अंग्रेजी में लिखित 1909 के गजेटियर को इसका एक आधार मान सकते हैं। पर हिंदी में लेखन की दृष्टि से 'रायपुर' पर यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें अध्याय का नाम 'झलक' के रूप में प्रस्तुत है। भूगोल, इतिहास, लोग, भूमि, व्यवसाय, शासन, दर्पणी अर्थात् दर्शनीय स्थलों का वर्णन एवं उसका ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्त्व उल्लेखित है। 1857 से 1924 ई. तक के डिप्टी कमिश्नरों के नाम दिए हुए हैं, जिनमें 51 लोगों के नाम हैं, 2 को छोड़कर शेष अंग्रेज अधिकारी हैं।

छत्तीसगढ़ में गजेटियर लेखन की परंपरा लगभग 132 वर्षों से चली आ रही है। चार्ल्स ग्रांट, नेल्सन, ई. ब्रेट ने यदि अंग्रेजी में इसे लिखा तो हिंदी में गजेटियर लेखन की परंपरा भी 109 वर्षों से जारी है। 'बस्तर भूषण' से लेकर बस्तर पर स्वातंत्र्योत्तर काल में लिखित बस्तर का गजेटियर सन् 2000 ई. शंभूदयाल गुरु, डॉ. एन.डी.पी. पांडे का प्रकाशित हुआ है। पं. सुंदरलाल त्रिपाठी को हिंदी में बस्तर गजेटियर लेखन का दायित्व दिया गया था।

'गजेटियर' समसामयिक संदर्भ में भी प्रासंगिक है, जिसके माध्यम से हम उस अंचल की पगडंडियों से लेकर राजपथ तक की बौद्धिक यात्रा कर सकते हैं। गजेटियर हमें कल, आज का ज्ञान करा आनेवाले कल के लिए एक रास्ता बताता है। यह अतीत का एक आईना है, वर्तमान का उसमें चेहरा देखा जा सकता है और भविष्य की मुसकराहट की आहट भी महसूस की जा सकती है। इसके आधार पर अध्येता, शोधार्थी एवं अध्यापक नवान्वेषण कर समाज को, राष्ट्र को दिशा दिग्दर्शन करा सकते हैं। गजेटियर न केवल भूगोल एवं इतिहास की धरोहर है, वरन् साहित्य, संस्कृति को दिशा देनेवाला एक पथ-प्रदर्शक भी है।

छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक अथक परिश्रम, पुनीत संकल्प का कार्य है, जिससे आनेवाली पीढ़ी लाभान्वित होगी। तथ्य के आधार पर सत्य की खोज कर भविष्य में प्रामाणिक पृष्ठ गजेटियर में जुड़ते जाएँगे, किसी भी जिला या अंचल पर समग्र जानकारी ज्ञात होगी। सामान्य ज्ञान, साहित्य एवं इतिहास की दृष्टि से हिदी गजेटियर विरासत में मिली हमारी एक अमूल्य धरोहर है।

(डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र)
इतिहासविद् एवं कार्यकारी अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी
छत्तीसगढ़ शासन

अनुक्रम

खण्ड 1

दुर्ग-दर्पण

छत्तीसगढ़ गौरव-ग्रंथमाला पुष्प-2

बिलासपुर-वैभव

रायपुर-रश्मि

खण्ड 1

दुर्ग-दर्पण

जैसी की तैसी अगर जानन चाहहु गाथ।
तो देखहु थिर चित्त सों लै दर्पण निज हाथ॥
—गोकुलप्रसाद

To

The memory of my dear nephew

Babu Kedar Nath Rai

PREFACE

My acquaintance of Chattisgarh for over a decade in the early years of my service has induced me to contribute this booklet to the aries of the Vernacular District Gazetteers, started by my brother Rai Bahadur Hira Lal, Deputy Commissioner, Wardha, who has assisted me in drawing up the Chapter on History, hich gives additional information to what is recorded in the English Gazetteer, from which I have drawn materials for other Chapters. I am grateful to Mr. Muhammad Abdus Sattar, B. A., Deputy Commissioner and Mr. Chhattar Singh Chauhan, Extra Assistant Commissioner, Durg District, for their kindness in going over the book in manuscript and for supplying some statistical and other information. As the English Gazetteer was composed more than a dozen years ago, I have tried to bring the book uptodate and to put the matter in as familiar a language to Chhattisgarhis as I could, and I shall regard myself amply rewarded if the book proves useful not only to School boys and Teachers, but to the general public of the District in imaparting a correct knowledge of their own home and surroundings.

Amraoti
23-8-1921

G.P.

जिला दुर्ग के डिपुटी कमिश्नर साहबान की सूची

नंबर	नाम	शासनकाल
1.	एच.एम.लारी साहब	1-1906 से 23-1-1906 ई. तक
2.	शंकर माधव बिटनवीस साहब	24-1-1906 से 30-4-1906 तक
3.	मनोहर दामोदर रतनपारखी साहब	1-5-1906 से 21-5-1906 तक
	शंकर माधव चिटनवीस साहब	22-5-1906 से 24-10-1907 तक
4.	मेहंदी हसन साहब	25-10-1907 से 10-9-1908 तक
	शंकर माधव चिटनवीस साहब	11-9-1908 से 10-5-1909 तक
	मनोहर दामोदर रतनपारखी साहब	1-5-1909 से 20-5-1909 तक
	मेहंदी हसन साहब	21-5-1909 से 7-12-1909 तक
	शंकर माधव चिटनवीस साहब	8-12-1909 से 10-01-1910 तक
	मेहंदी हसन साहब	12-1-1910 से 18-11-1911 तक
5.	एफ. एल क्राफर्ड साहब	19-11-1911 से 30-4-1913 तक
6.	सिराज अहमद साहब	1-5-1913 से 29-6-1913 तक
	एफ.एल क्राफर्ड साहब	30-6-1913 से 6-5-1914 तक
	सिराज अहमद साहब	7-5-1914 से 13-7-1914 तक
7.	मुईनुद्दीनखाँ साहब	14-7-1614 से 2-1-1915 तक

	सिराज अहमद साहब	3-1-1915 से 10-6-1915 तक
	मेहंदी हसन साहब	11-6-1915 से 17-5-1916 तक
	सिराज अहमद साहब	18-5-1916 से 20-6-1916 तक
	मेहंदी हसन साहब	21-6-1916 से 22-10-1916 तक
8.	ए. के. स्मिथ साहब	23-10-1916 से 28-5-1917 तक
9.	सी. एफ. वाटरफाल साहब	29-5-1917 से 12-6-1917 तक
	ए. के. स्मिथ साहब	13-6-1917 से 14-3-1918 तक
10.	एफ. जे. वुडवर्ड साहब	15-3-1918 से 8-10-1918 तक
11.	जे. ए. बाथर्स्ट साहब	9-10-1918 से 18-12-1919 तक
12.	के. ई. जे. संजाना साहब	19-12-1919 से 18-1-1920 तक
13.	एस. वाटर्स्टन साहब	19-1-1920 से 21-3-1920 तक
	के. ई. जे. संजाना साहब	22-3-1920 से 11-4-1920 तक
14.	मुहम्मद अब्दुस्सत्तार साहब	12-4-1920 से....................

प्रथम पट

रूप

दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ कमिश्नरी के तीनों जिलों में सब से छोटा है। उसका रूप डमरू के समान है। वह उत्तर-दक्षिण लंबा चला गया है, परंतु बीच में चौड़ाई बहुत कम हो गई है।

विस्तार

जिले की नितांत लंबाई प्राय: 115 मील है। चौड़ाई बीच में 17 मील से अधिक नहीं है, परंतु उत्तर के छोर में 34 मील और दक्षिण में 70 मील है। इन भागों में पश्चिम की ओर जमींदारियाँ हैं, जंगल, विशेष कर इन्हीं जमींदारियों में ही है, परंतु कुछ थोड़ा सा आग्नेय कोण में खालसा में भी है। शेष भाग कृषिपूर्ण समान मैदान है। जिले का उतार ईशान कोण को है। दुर्ग नवीन जिला है, वह सन् 1906 ई. में रायपुर जिले की पुरानी दुर्ग तहसील और धमतरी, सिमगा और मुंगेली तहसीलों के कुछ भाग लेकर बनाया गया है। सन् 1907 में चांदा जिले की चार जमींदारियाँ भी इसमें शामिल कर ली गई। इस जिले की उत्तरी सीमा में खैरागढ और कवर्धा रजवाड़े और बिलासपुर जिला है। पश्चिम में रायपुर जिला, दक्षिण में कांकेर रजवाड़े और चांदा और बालाघाट के जिले हैं। जिला की स्थिति 20°/23' और 22°/1' उत्तरीय अक्षांश और 80°/43' और 81°/58' पूर्वीय देशान्तरांश के बीच पड़ती है। क्षेत्रफल इसका 4,645 वर्ग मील है। यह तीन तहसीलों में विभक्त है, उत्तर में बेमेतरा (1,566 वर्गमील) मध्य में दुर्ग (1064 वर्गमील) और दक्षिण में संजारी (2015 वर्ग मील) है। मैदान की ऊँचाई समुद्र जल तह से कुछ कम 1000

फुट है, केवल जमींदारियों में कुछ ऊँची ठौरें हैं, जैसे सिलहटी जमींदारी में खनारी पहाड़ी समुद्र जल तह से 2463 फुट ऊँची है। यह मैकल पर्वत की श्रेणी की एक चोटी है। दक्षिण में आमागढ़ चौकी 1214 फुट की ऊँचाई पर स्थित है।

नदी

इस जिले की मुख्य नदी शिवनाथ है। यह पानाबारस जमींदारी के जंगल से निकलकर उत्तर को बहती है। और खुजी जमींदारी को नांदगाँव रियासत से अलग करती हुई पूर्व दिशा को ढुल कर दुर्ग तहसील में प्रवेश करती है और तांदुला नदी का जल लेती हुई दुर्ग और नंदकंठी से होती हुई बेमेतरा तहसील में चली गई है। इसमें खारून नदी सिमगा के दक्षिण में जमघट में आ मिली है। वहाँ से शिवनाथ जिले की पूर्व सीमा बनाती है। वह इस जिले के अंत तक उत्तरवाहिनी है। इस जिले में उसके सहायक नदी-नाले ये हैं—खरखरा, तांदुला, खारून, सोनपारसा, आमनेर, सोढ़ी, डोटू, कर्रा, दांफ। खरखरा, तांदुला औरा खारून, संजारी तहसील में बही हैं। ये सब उत्तर वाहिनी हैं, अन्य नदियाँ पूर्व वाहिनी हैं। दुर्ग तहसील में सोनबारसा, आमनेर और बेमेतरा तहसील में सीढ़ी, डोटू, कर्रा और हांफ बहती है। संजारी तहसील में तांदुला से एक बड़ी नहर निकाली गई है, जिसके बनाने में प्राय: एक करोड़ रुपया व्यय हुआ है।

जलवायु

इस जिले में मेह बहुधा 49 इंच प्रति वर्ष बरसता है। वायु-जल यहाँ का अच्छा है। गरमी तो विशेष पड़ती है, परन्तु वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है।

❑

द्वितीय पट
इतिहास

जैन राजा

दुर्ग जिला प्राचीन महाकोशल का भाग है। महाकोशल में किसी समय जैनियों का, कभी बौद्धों का और कभी हिंदुओं का राज्य रहा आया। उसके इतिहास का पता प्राय: दो सहस्त्र वर्षों तक का लगता है। सब से प्राचीन जैनियों की विजय का पता उदयगिरि के हाथीगुफा शिलालेख से लगता है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के निकट भुवनेश्वर नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। वहाँ का शिवमंदिर शिल्पकारी में अद्वितीय समझा जाता है। भुवनेश्वर से तीन मील खण्डगिरि नाम की पर्वत श्रेणी है। उसके उत्तरीय छोर को उदयगिरि कहते हैं। वहीं पर हाथी गुम्फा है, जिसकी छत पर पाली भाषा में एक बड़ा भारी लेख खुदा हुआ है। वह सन् ईस्वी से 160 वर्ष पूर्व खोदा गया था। उसमें जैन राजा खाग्वेल के किये हुए कामों का उल्लेख है। उससे ज्ञात होता है कि खारबेल ने पश्चिम की ओर चढ़ाई करके कन्हान और बैनगंगा के संग परे मूषिक देश तक जीत लिया था। इससे स्पष्ट है कि मध्यवर्ती दुर्ग जिला अवश्य ही उसके अधीन आ गया होगा। उसने और उसके वंश ने इस ओर का राज्य कितने दिन किया, इसका अभी तक पता नहीं लगा, परंतु यदि राजर्षिवंशकुल और राजर्षितुल्यकल एक ही है तो कहा जा सकता है कि खारवेल के वंशज महाकौशल में जमकर प्राय: साढ़े सात सौ वर्षों तक राज्य करते रहे। हाथीगुम्फा के लेख में* राजसि बस कुल विनिश्रितों महाविजयों

* यह संस्कृत में 'राजर्षिवंशकुल विनि:सृतो महाविजयो राजा ज्ञारवेल श्री:' के बराबर है।

राजा खारवेल सिरि का उल्लेख है और रायपुर जिलान्तर्गत आरंग ग्राम में मिले हुए ताम्रपट में 'पूर्वसद्राजर्षि तुल्य कुल प्रमाव कीर्तेः श्रीमहाराज शूरस्य प्रपौत्र...महाराज भीमसेनः लिखा है। यह लेख सन् 601 ईस्वी का है। आरंग जैनियों का मुख्य स्थान था, अब भी वहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर विद्यमान है, परंतु भीमसेन का ताम्र पट हिंदू राजा का जान पड़ता है। इतना होने पर भी यह असंभव नहीं है कि भीमसेन खारबेल का वंशज रहा हो। इस महाकौशल में कई क्षत्रिय राजा हो गए हैं, जो बौद्धधर्म का पालन करते रहे और उसके वंशज हिंदूधर्म का पालन करने लगे।

गुप्त राजा

जो कुछ हो, आरंभ वाले राजा पाटलिपुत्र के गुप्त राजाओं के अधीन थे, यह एक इसी बात से स्पष्ट है कि आरंग के लेख में गुप्तसम्वत् का उपयोग किया गया है। यदि वे उनके अधीन न होते तो कदाचित् कलचुरि या अन्य संवत् का उपयोग करते। प्रयाग की लाट में जो लेख खुदा है, उससे स्पष्ट है कि महाराज समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण कोशल पर आक्रमण किया था, तब वहाँ राजा महेन्द्र का राज्य था। उसको हरा कर उसने उसका राज्य फेर दिया था। यह खोष्ट्रीय चतुर्थ शताब्दी के मध्यकाल की बात है। अभी तक पता नहीं लगा कि महेन्द्र किस वंश का था। राजर्षि तुल्यकुल का आदि पुरुष शूर नाम का राजा बतलाया गया है। उससे छठवीं पीढ़ी में सन् 1901 ईस्वी में भीमसेन राज्य करता था। इससे जान पड़ता है कि शूर का राज्य लगभग पंचम शताब्दी के अंत में शुरू हुआ होगा, परंतु समुद्रगुप्त ने महाकौशल की विजय शूर के समय से कहीं डेढक सौ वर्ष पूर्व की थी। संभव है कि शूर महेन्द्र के वंश ही का रहा हो, उस वंश की शाखा शूर से किसी कारण बदल गई हो, या वह भिन्न वंश रहा हो जिसका अंत होकर राज्य नवीन वंश में चला गया हो। जो कुछ हुआ हो, इतनी बात तो स्थिर जान पड़ती है कि गुप्तों का प्रभाव सप्तम शताब्दी के आरंभ तक अवश्य बना रहा।

बौद्ध राजा

जान पड़ता है कि सप्तम शताब्दी में महाकौशल में एक ही राजा नहीं था। भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न राजा थे, परंतु मूल राजधानी भद्रपत्तन

या भद्रावती वर्तमान भांदक में थी। यह स्थान चांदा जिले में है। उस जमाने में वह प्रख्यात स्थान था। चीनी यात्री युवनच्वंग ने सन् 639 ईस्वी में इसको स्वयं आकर देखा था। अपनी यात्रा की पुस्तक में उसने लिखा है कि यहाँ का राजा क्षत्रिय है, परंतु बौद्धधर्म पालता है। उसने यह भी लिखा है कि यहाँ पर दस सहस्र बौद्ध पुजारी हैं, जिससे भांदक की उन्नति और गौरव का सरलता से अनुमान किया जा सकता है। युवनच्वंग के लेख से जान पड़ता है कि भांदक का राजा समस्त महाकौशल का अधिकारी था, तब तो दुर्ग अवश्य बौद्ध राज्यान्तर्गत रहा होगा, चाहे वहाँ स्थानीय छोटे राजा अन्य रहे हों। दुर्ग में पाली लेख व बौद्धधर्म संबंधी कई चिह्न मिले हैं, जिनसे बौद्ध आधिपत्य प्रगट होता है। दुर्ग के परे सिरपुर और तुरतुरिया में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ भी अभी तक वर्तमान हैं, जिनमें बौद्धधर्म का बीजमंत्र खुदा हुआ है।

शैव राजा

बौद्धों का लोप कब हुआ, इसका कहीं पूरा प्रमाण नहीं मिलता, परंतु जान पड़ता है कि जब तक भांदक का राजवंश भांदक को राजधानी बनाये रहा, तब तक बौद्ध धर्म की मान्यता करता रहा, यद्यपि उसने राजा उदयन के समय में शैवधर्म का ग्रहण कर लिया और थोड़े ही दिनों के अनन्तर राजधानी पलट दी और रायपुर जिले के श्रीपुर वर्तमान सिरपुर को श्रेय दिया। उदयन अपने को पांडुवंश का बताता है।

इसका पन्ती महाशिव तीवरदेव था, जिसके ताम्रपत्र राजिम में मिले हैं। इसका समय लगभग अष्टम शताब्दी निश्चित किया गया है। इन्हीं राजाओं के समय में दुर्ग बसाया गया और शिवदेव नामक राजा ने यहाँ पर एक किला बनवा कर उसका नाम शिवदुर्ग रखा, जिसका कालांतर में प्रथम भाग कटकर केवल दुर्ग रह गया और बिगड़ कर दुरुग या द्रुग हो गया।

हैहय वंशी

शिवदेव या सिरपुर के राजाओं का आधिपत्य कब चला गया, इसका भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परंतु इसमें सन्देह नहीं कि इनके पीछे हैहयवंशियों का अमल हुआ। राष्ट्रीय दसवीं शताब्दी में हैहयों ने पहले पहल बिलासपुर जिले में जड़ जमायी और क्रमशः सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ अपने अधीन कर लिया।

बारहवीं शताब्दी में उनका जगपाल नामी मांडलिक इस ओर राज्य करता था। वह गंगा दक्षिण के तटस्थ बड़हर से आया था और जाति का राजमाल था। राजिम के एक शिला लेख से जान पड़ता है कि जगपाल ने जगपालपुर नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी बनायी। दंतकथा के अनुसार जगपाल दुर्ग ही में राज्य करता था। कदाचित् दुर्ग का नाम बदल कर उसने जगपालपुर रखा है। जब उसका अधिकार चला गया तो राजधानी का नवीन नाम भी उसी के साथ लुप्त हो गया हो, क्योंकि मूल नाम बड़ी कठिनता से मिटते हैं, यथा दिल्ली के कितने बहुत से नाम बदले गये, परन्तु वे थोड़े दिन चले, फिर मिट गये और प्राचीन नाम का पूर्ववत् प्रचार बना ही चला गया।

रायपुरी हैहय

हैहय पहले तुम्माण में आकर बसे थे, परंतु राजा रत्नदेव ने वहाँ से 45 मील पर एक नवीन बस्ती अपने नाम पर बसायी और रतनपुर को राजधानी बनायी। कालान्तर में प्रबंध के लिये हैहयों के वंशज रायपुर में रहने लगे और उनकी अलग शाखा चलने लगी। इस शाखा ने रतनपुर से बिलकुल संबंध तो नहीं तोड़ दिया, परंतु राजकाज स्वतंत्रतापूर्वक ही चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दुर्ग जिले का शासन प्राय: चौदहवीं शताब्दी से रायपुर शाखा के द्वारा होने लगा और अठारहवीं शताब्दी तक स्थिर रहा।

हैहय शासन-पद्धति

जान पड़ता है कि हैहयों के आगमन से पूर्व इस ओर जो शासन प्रणाली प्रचलित थी, वही उन्होंने स्थिर रखी और अधिक अदल-बदल नहीं की। आदि में स्वभावत: विस्तार बढ़ाने का नशा चढ़ा रहता है। प्राचीन राजाओं को दिग्विजय का बड़ा शौक रहता था। हैहय इससे मुक्त नहीं थे, वे भी चारों ओर धावा करते रहे और जहाँ अवसर मिला, अन्य राजाओं को हरा कर अपने अधीन कर लिया, परंतु उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखा। राज्य की क्षमता के अनुसार उन्होंने कर स्थिर कर दिया, परंतु राज्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार जाजल्लदेव के समय में अर्थात् सौ वर्ष के भीतर दूर-दूर तक चारों ओर के राजा उनके अधीन हो गए। सन् 1114 ई. के एक शिलालेख से जान पड़ता है कि गोदावरी के उस पार खिमड़ी का राजा भी इनको कर

देता था। इसी प्रकार वैरागढ़, लांजो, भंडारा, तलहारी, दंडकपुर, नन्दावली, कुक्कुट और दक्षिण कौशल के अनेक मंडल कर दिया करते थे। पीछे से ये मंडलगढ़ कहलाने लगे। प्रत्येक गढ़ में बहुधा (84) चौरासी गाँव रहने के कारण कभी-कभी उनको चौरासी भी कहते थे। चौरासियों के भीतर बहुधा बाहर गाँव का जुट्ट रहता था, उनको बारहों या तालुका कहते थे। प्राचीनकाल में मंडल का अधिकारी माण्डलिक कहलाता था, परंतु छत्तीसगढ़ में उसे मण्डल ही कहने का प्रचार हो गया था। अब भी किसी को शिष्टतापूर्वक सम्मान दिखलाना हो तो उस व्यक्ति का मण्डल शब्द कहकर आदर किया जाता है। पीछे से मण्डलों के अधिकारियों की पदवी ठाकुर या दीवान रख दी गई। तालुकों के अधिकारी पट्टकिल या पटैल कहलाते थे। वे पीछे से बरौनिढा दाऊ या तालुकेदार कहलाने लगे। यह ध्यान में रखने योग्य है कि प्रत्येक चौरासी में केवल 84 ही गाँव नहीं होते थे, किसी में कम किसी में अधिक रहते थे। इसी प्रकार बारहों में बाहर प्रसंगानुसार न्यूनाधिक गाँव रहते थे। कभी-कभी गाँव भी दो-चार पट्टियों में बँट जाता था, परन्तु हर एक पट्टीदार गौंटिया बना रहता था। इसके विपरीत किसी गौंटिया के कई गाँव रहते थे। राजा, ठाकुर, दाऊ, इत्यादि उतनी ही भूमि खाम रखते थे जितनी उनके निस्तार के लिए आवश्यक होती थी। राजाओं के माण्डलिक नियमित कर तो दिया ही करते थे, परंतु जब कभी किसी से लड़ाई छिड़ जाती तो उन्हें सेना द्वारा और डीलन सहायता देनी पड़ती थी। इसी प्रकार जब कभी विशेष कार्य का प्रसंग आ पड़ता तो उसके लिए भी वे सहायता देने के लिए बाध्य थे यथा राजकुल में यदि कोई विवाह या उत्सव हुआ तो ठाकुरों इत्यादि का कर्तव्य था कि वे यथोचित सहायता दें।

हैहयमाण्डलिक

हैहयों के कई प्रतापी माण्डलिक थे। उनमें से एक कांकेर के राजा भी थे। प्राचीन समय में धमतरी कांकेरवालों ही की थी। गुरुर के खम्भ लेख से जान पड़ता है कि कि वह स्थान कांकेर के राजा बाघराज के अधीन था, जो बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी में राज्य करता था। प्रायः उसी काल में यशःकर्ण नाम का राजा जिले के उत्तर में सहसपुर में राज्य करता था। वह एक शिला

लेख छोड़ गया है, जिसको तिथि 1182 ई. है। बालोद में भी एक अलग राजा राज्य करता था। वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन सती चीरा है, जिसके

(यहाँ दो पृष्ठ उपलब्ध नहीं हो पाए)

देश का प्रबंध अपने हाथ में लिया। सब से पहले कप्तान एडमन्ड्स ने चार्ज लिया, परंतु उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाने के कारण कर्नल एग्न्यू ने आकर सन् 1825 ई. तक काम किया। आते ही कर्नल एग्न्यू को धमधा के गोंड़ राजा को शांत करना पड़ा। इसने बगावत मचा रखी थी। इस के पश्चात् उसने शासन प्रणाली का सुधार किया, जिससे लोगों में अमन चैन का संचार हो चला। जब सन् 1830 ई. में भोंसला राजा बालिग हुआ, तब फिर मरहटी अमल हो गया, परंतु सरकार ने जो प्रथा बाँध दी थी, वह स्थिर रही और शासन में कुछ विशेष गड़बड़ नहीं हुई।

ब्रिटिश राज

अंत में सन् 1854 ई. में जब भोंसलों का कोई वारिस न रहा, तब छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। छत्तीसगढ़ में पहले तीन तहसीलें थीं, अर्थात् धमतरी, रायपुर और बिलासपुर। दुर्ग सन् 1837 ई. से भंडारे जिले में शामिल कर दिया गया था, परंतु 1857 ई. में नवीन तहसील बना कर छत्तीसगढ़ में फिर ले लिया गया। चार वर्ष पश्चात् सन् 1861 ई. में मध्य प्रदेश में चीफ कमिश्नरी स्थापित की गई, तब बिलासपुर रायपुर से अलग कर दिया गया और सिमगा में नवीन तहसील स्थापित की गई। तब से रायपुर चार तहसीलों का अलग जिला हो गया। यह प्रबंध सन् 1906 ई. तक चला आया। उस साल सम्बलपुर उड़ीसा में चले जाने के कारण छत्तीसगढ़ कमिश्नरी के शेष भाग का पुन: संशोधन किया गया और दुर्ग को पृथक् जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस में पुरानी दुर्ग तहसील और कुछ भाग रायपुर, बिलासुपर और चांदा जिले से लेकर दो नवीन तहसीलें बेमेतरा और संजारों बनाकर शामिल की गयीं। नवीन दुर्ग में कोई ऐसा भाग नहीं आया, जिसमें सन् 1857 ई. के गदर के समय लोग बिगड़े रहे हों। यथार्थ में पुराने रायपुर जिले में सिवाय सोनाखान के उस समय कोई उपद्रव खड़ा ही नहीं हुआ। यहाँ की प्रज्ञा प्राय: सौ वर्ष से अमन-चैन से काल भोग करती आयी। आदि

में राज्य प्रबंध ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में था, परंतु सन् 1858 ई. में ब्रिटिश राजकुलाधीन कर लिया गया। उस समय श्रीमती विक्टोरिया सिंहासन पर थीं। पहले कुल प्रबंध सरकारी अफसरों के द्वारा होता था, परंतु सन् 18 61 ई. में लेजिस्लेटिव कौंसिल अर्थात् अच्छे कानून बनानेवाली सभाओं का प्रचार किसी प्रदेश में किया गया। मध्यप्रदेश को जंगली और पिछड़ा होने के कारण यह अधिकार बहुत पीछे मिला अर्थात् सन् 1914 ई. में। इस सभा में छत्तीसगढ़ के लोग भी सम्मिलित हैं। विद्या का प्रचारी दिन ब दिन बढ़ता जाता है, इसलिए लोग अपने हित और अनहित की बातें समझने लगे हैं। अब वह जमाना नहीं रहा, जिसका वर्णन हँसी के साथ किया जाता था। कि

"वह है छत्तीसगढ़ देश। जहाँ गोंड हैं नरेश।
नीचे गुरसी ऊपर खाट। लगा है चोंगी का ठाट॥"

स्मरण रखना चाहिए कि जब पहले पहल मध्यप्रदेश की कौंसिल बनी तो छत्तीसगढ़ के एक गोंड नरेश ही अपनी योग्यता के कारण सभासद बनाए गये। इन कौंसिलों ने सर्वत्र योग्यता दिखलायी, जिसके कारण हाल ही में अधिक अधिकार मिलने का अवसर मिला। विक्टोरिया के नाती वर्तमान सम्राट् पंचम जार्ज ने दिसम्बर सन् 1919 में जो स्वत्त्व की घोषणा की है उससे प्रजा को राजप्रबन्ध के नवीन अधिकार मिले हैं। प्राचीन प्रणाली के अनुसार कौंसिलों में सरकारी अफसरों की अधिकता रहती थी। अब प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की अधिकता है। मध्यप्रदेश की कौंसिल में 70 सभासदों में 53 प्रजा के चुने हुए हैं। इन्हीं चुने हुओं में से एक गवर्नर के सहाधिकारी और दो मंत्री बनाये गये हैं। गवर्नर के सलाहकार दो पंच हैं, जिनकी राय लेकर शासन किया जाता है। मंत्रियों के स्वाधीन कुछ शासन अंग रखे गये हैं, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, यथा शिक्षा-विभाग अस्पताल, बारीक मास्तरी, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल व म्युनिसिपालटी आदि का काम एक मंत्री को सौंपा गया है। उसकी मति के अनुकूल शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर, अस्पतालों का इन्स्पेक्टर जनरल और चीफ इंजीनियर आदि कार्रवाई करते हैं। इस नवीन अधिकार में प्रजा का स्वत्त्व भरा हुआ है। इसमें साधारण किसानों तक को सम्मिलित किया जाता है। सब लोग मिल कर कौंसिल के लिए प्रतिनिधि

चुनते हैं। चुनाई में ऊँचे-नीचे का भेदभाव नहीं है। वर्तमान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से एक प्रतिनिधि चुना गया है। कौंसिल में इस जिले से दो प्रतिनिधि चुने गए हैं, एक जमींदार व एक मालगुजार। नवीन प्रणाली की सफलता योग्य प्रतिनिधियों के चुनने पर निर्भर है। पक्षपातरहित कार्रवाई ही से देश का कल्याण होगा।

❑

तृतीय पट
लोग

जनसंख्या

सन् 1911 ई. की गणना के अनुसार दुर्ग जिले की जनसंख्या 775,668 है। इनमें 373,159 पुरुष और 402,529 स्त्रियाँ हैं। सन् 1921 की गणना के अनुसार 354,495 पुरुष और 388,918 स्त्रियाँ, कुल 743,413 जन निकले। इन्फ्लुऐंजा के कारण वृद्धि के बदले सैकड़ा पीछे चार की घटी हो गई है। तहसीलवार जनसंख्या यों हैं—दुर्ग तहसील 246691, संजारी तहसील 261,500, बेमेतरा तहसील 267,497। दुर्ग तहसील में 592 गाँव संजारी में 1096, बेमेतरा में 656 हैं जिसमें संजारी में 102 और बेमेतरा में 94 मसाहती है। दुर्ग तहसील बहुत घनी बसी है। सन् 1891 ई. में प्रदेश भर में कोई ऐसा स्थन नहीं था, जो इसकी अपेक्षा अधिक घना रहा हो। इस जिले में केवल एक कस्बा है अर्थात् खास दुर्ग, जिसकी जनसंख्या 7048 है। अन्य तहसीलों के सदर मुकामों की संख्या 5000 से कम है, अर्थात् बालोद की 2326 है और बेमेतरा की 1888। इन गाँवों से बड़े केवल तीन स्थान हैं अर्थात् धमदा (3059) नवागढ़ (2434) गोर लोहारा (डोंडी) (2355)।

विपत्तियाँ

इस जिले में न तो बाहिर के आये हुए लोग बहुत हैं, न यहाँ के लोग अन्य जिलों में बहुत पाये जाते हैं। आस-पास ही के जिलों में थोड़े-बहुत मिलते हैं। सन् 1891 से 1901 के बीच भयंकर अकाल पड़ने के कारण जनसंख्या में डेढ़ लाख लोगों की कमी हो गई थी। वह अभी तक पूरी नहीं

हुई। निस्संदेह मृत्यु की अपेक्षा जन्म अधिक हुआ करते हैं, परंतु एक अकाल ही से हानि नहीं होती, जनसंख्या की कमी अनेक आधि–व्याधि के कारण हो जाया करती है। दुर्ग जिले में मलेरिया अर्थात् जंगली बुखार से बहुधा अधिक हानि होती है। कभी–कभी दस–बीस हजार आदमी एक ही साल में मर जाते हैं। हैजा या मरही की बीमारी से भी बहुत लोग थोड़े ही समय में नष्ट हो जाया करते थे, परंतु अब इतनी हानि नहीं होती, जैसी पहले हुआ करती थी। सन् 1913 में साढ़े तीन हजार लोग हैजे से मरे थे। अब स्वच्छता की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, इससे मृत्यु में कुछ कमी हो चली है। हैजा, विशेष कर छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक हुआ करता था। इसका मुख्य कारण यह था कि लोग तालाबों में स्नान करते, कपड़े फींचते और ढोरों को नहलाते और फिर उसी का पानी पीते थे। जब से कुओं का उपयोग बढ़ चला है, तब से इन बीमारियों का कोप भी घट चला है, परंतु दो नये रोगों ने अब विध्वंस करना आरंभ कर दिया है। सन् 1907 से प्लेग आया, परंतु इससे इतनी हानि नहीं हुई, जैसी इन्फ्लुएंजा से हुई। पिछला रोग सन् 1918 में आया और दो महीना के भीतर 28 हजार जन उठा ले गया। इनके माता भी बड़ा घातक रोग है, वह बच्चों पर विशेष चोट करता है। सन् 1909 में इससे 1221 जन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भाग्यवश जो बच जाते हैं, वे बहुधा कुरूप हो जाते हैं। उससे बचने का सरल उपाय टीका है, जिसमें हर्र लगे न फिटकरी, क्योंकि सरकार टीका लगानेवाली को गाँव–गाँव भेज देती है। तिस पर भी लोग उसका गुण ग्रहण करने में आलस्य कर जाते हैं।

धर्म

हिंदू पौने सात लाख अर्थात् सैकड़ा पीछे 90 है। इनमें से 88 हजार कबीर पंथी और एक लाख सतनामी है। गोंड इत्यादि, जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, प्राय: 92,000 है। मुसलमान 7000 और क्रिस्तान हजार हैं।

कबीर पंथ

सन् 1911 ई. में कबीर पंथियों की संख्या सारे हिंदुस्थान में नौ लाख थी। वे विशेष कर मध्यप्रदेश, बिहार, संयुक्तप्रांत, गुजरात और काठियावाड़ में रहते हैं। मध्यप्रदेश में 6 लाख कबीर पंथी हैं। उनमें से आधे छत्तीसगढ़

में रहते हैं। कबीर पंथ का मूल प्रचारक कबीर थे, जिन्होंने सन् 1488 और 1512 ई. के बीच इसको विशेष रूप से फैलाया। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य अहिंसा, मूर्तिपूजानिषेध और सार्वजनिक समता है। कबीर के जन्म का पता नहीं लगता, पर इसमें संदेह नहीं है कि उनका पालन-पोषण एक जुलाहे के घर हुआ था। कहते हैं एक विधवा ब्राह्मणी के लड़का पैदा हुआ था। उसको वह लाज के मारे काशी के लहर तालाब किनारे डाल आयी। संयोग से नीरू जुलाहा अपनी नयी ब्याहता स्त्री नीमा के साथ वहाँ से निकला। नीमा को उस नवजात बालक पर दया आयी, उसे उठा लिया और घर ले आयी। कबीर ने जहाँ अपनी जाति का संकेत किया है, वहाँ जुलाहा ही लिखा है, जैसे—'ओछी मति मेरी जाति जुलाहा हरि का नाम लह्यौ मैं लाहा।' कबीर ने भजन, चुटकुले या साखियों द्वारा कट्टर से कट्टर हिंदू और मुसलमानों की खबर ली है। खरा कहने में वे कभी नहीं हिचकते थे। हजो करने में न्यून नहीं था। मूर्त्तिपूजा के विषय में आप कहते हैं—

"पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पुंजू पहार।
ताते यह चाकी भली, पीस खास संसार।"

ऐसे ही मुसलमानों से आप बोले, "सुनति कराय तुरुक जो होता, औरत को का कहिये।" फिर दोनों को समेट कर व्रत और रोजा आदि की हँसी यों कर डाली—

हिंदू बरत एकादसि साधै दूध सिंघाड़ा सेती।
अन को त्यागै मन नहिं हटकै पारन करै सगोती॥
रोजा तुरुक नमाज गुजारै बिसमिल बांग पुकारै।
उनकी भिस्त कहाँ ते होइहै सांझे मुरगी मारै॥

वह कबीर का उपदेश सुनकर अपनी लाखों की सम्पत्ति पुण्य करके साधु हो गया। इस त्यागी को कबीर ने वरदान दिया कि 42 पुश्त तक उसके वंशज इस पंथ की गद्दी पर आरूढ़ रहेंगे। यह गद्दी कवर्धा में है। बारहवीं पीढ़ी में देह महतों का झगड़ा होने के कारण दो शाखाएँ हो गयीं। दूसरी शाखा ने बिलासपुर जिले के कुदरमाल में अपना स्थान जमाया। कवर्धा की शाखा ने अब दामाखेड़े को सदर स्थान कर लिया है। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त इस पंथ

की बड़ी गद्दी बनारस में है। उसको कबीर चौरामठ कहते हैं। कबीर के कहे हुए भजन और साखियों के कई संग्रह पुस्तक रूप बन गए हैं। उनमें बीजक नाम ग्रंथ का कबीर-पंथियों में बड़ा आदर है।

सतनामी

छत्तीसगढ़ में सतनामी बहुत पाये जाते हैं। अन्यत्र कुछ थोड़े से लोग दूसरी जातों के सतनाम धर्मानुगामी हैं। यह पंथ भी कबीर पंथ के समान हिंसा और मूर्ति विरोधक व जनसमता प्रचारक है। इसके माननेवाले साढ़े चार लाख आदमी हैं, उनमें से एक लाख इस जिले में रहते हैं। सतनामी पंथ का मूल प्रचारक जगजीवनदास राजपूत था। वह संयुक्त प्रदेश में पैदा हुआ था और सन् 1761 ई. में अपना नवीन पंथ चलाया था। उसी का अनुकरण करके घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सन् 1820 ई. के लगभग प्रचार किया। घासीदास बलौदा बाजार तहसील के गिरौद नामक गाँव में पैदा हुआ था और हरवाही का काम करता था। वह एक बार जगन्नाथ के दर्शन हेतु यात्रा को चला, परंतु चौदह-पंद्रह मील जाकर सारंगगढ़ में रम रहा। जान पड़ता है कि वहाँ उसको जगजीवनदास का कोई चेला मिल गया और उसने घासीदास के मन में भर दिया कि यात्रा करने से कुछ लाभ नहीं, केवल सत्य नाम ही सार है।

घासीदास थोड़े दिनों के पश्चात सत्यनाम-सत्यनाम कहता हुआ घर लौट गया और सदैव घर में बैठकर यही रटने लगा। एक दिन उसकी स्त्री ने कहा कि तू तो सत्यनाम सत्यनाम ही में लगा रहता है, घर में लकड़ियाँ तक नहीं है, क्या तेरा शरीर जलाऊँ ? इस पर से घासीदास निराश होकर घर से चल दिया और निकटस्थ सोनाखान के जंगल में एक तेंदू के पेड़ के नीचे बैठ रहा। जब कई दिनों तक नहीं आया, तब खोज की गई और वह वहाँ सत्यनाम रटता हुआ पाया गया। लोग उसे लिवा लाये और उसको भक्त समझने लगे। उसके गाँव के किसी मनुष्य को साँप ने काट खाया। तब उसके संबंधी घासीदास के पास उसे इस आशा से ले गये कि कदाचित् भक्ति के प्रभाव से घासीदास उसे चंगा कर दें। स्वभावत: घासीदास ने उसके चंगा होने के लिए प्रार्थना की और वह अच्छा हो गया। इस पर से एकदम घासीदास का नाम छत्तीसगढ़ में फैल गया और अनेक स्थानों से लोग उसका आशीर्वाद

लेने के लिए आने लगे। घासीदास सबको यही शिक्षा देता था कि सत्यनाम को भजो, देवी-देवताओं के पूजने से कुछ लाभ नहीं। मनुष्य सब बराबर हैं, ऊँच-नीच कोई जाति नहीं। मूर्ति पूजने से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा परम धर्म है। इसलिए मांस तो अलग रहा, उसके वर्ण की चीजें, जैसे मिरची, बैंगन इत्यादि भी नहीं खानी चाहिए। घासीदास का उपदेश दूर के तुरन्त ग्रहण कर लिया। यद्यपि उसके वंशधर उसकी निंदा करते रहे और अब तक भी उसके पंथ में शामिल नहीं हुए। घासीदास को अपना गुरु मान लिया, तब से उसके वंशज गुरु की गद्दी में बराबर चले आते हैं। वे भंडार नामक ग्राम में रहते हैं। कबीर पंथियों की नाईं वे रामत को निकलते हैं और चढ़ोतरी में उनको बहुत रुपया मिलता है। ये लोग भी चौका कराते हैं। अशिक्षित हैं, इसलिए उनके पंथ में बहुत सी कुरीतियाँ शीघ्र ही प्रवेश करने लगीं। सतलोक की प्रथा प्रचलित हुई थी, अब इसका प्रचार बहुत घट गया है। सतनामियों में अब दो विभाग हो गए हैं जहरिया और चोंगिहा। जहरिया वे हैं, जो घासीदास के नियमों का पूर्ण रीति से पालन करते हैं ओर उसके निषेध किये हुए पदार्थों का बिलकुल उपयोग नहीं करते। घासीदास ने तम्बाकू को वर्ज्य बतलाया था, परंतु इसका इतना व्यसन है कि बहुत से चुंगी पीना बंद नहीं कर सके। ऐसे लोगों का अलग विभाग हो गया और वे चौंगिहा कहलाने लगे। ये लोग मूर्तियों की भी मानता करते हैं, परंतु जहरिया जहर हैं, वे अपने गुरु के उपदेश के विरुद्ध कुछ नहीं करते।

जातियाँ

दुर्ग जिले में 3 जातियों की अधिकता है अर्थात् तेली और गोंड। आधी मनुष्य संख्या इन तीन जातियों में समा जाती है। सब से अधिक तेली हैं। उनकी संख्या 1 लाख बत्तीस हजार है अर्थात् सैकड़ा पीछे 17। एक लाख इक्कीस हजार हैं, ये सैकड़ा पीछे सोलह पड़ते हैं। गोड़ों की संख्या 1 लाख 15 हजार है अर्थात् सैकड़ा पीछे 15। इनके पीछे आते हैं रावत (अहीर) 70 हजार, हलबा 49 हजार, कुरमी छत्तीस हजार, केवट तैंतीस हजार, माली 24 हजार, मेहरा 23 हजार, कलार 14 हजार और ब्राह्मण 13 हजार, फिर धोबी और लोधी बारह-बारह हजार, कोष्टी 11 हजार, नाई और लुहार आठ-आठ

हजार, राजपूत 7 हजार और बनियाँ केवल तीन हजार हैं। मिहतर 500 से अधिक नहीं हैं।

मुख्य घराने

इस जिले में प्रमुख वंश जमींदार लोगों के हैं। कुल 13 जमींदारियाँ हैं, जिनके अधिकारी गोंड़ हैं। केवल गुंडरदेही के जमींदार कवर और खुज्जी के मुसलमान हैं। अम्बागढ़ चौकी, पानाबारस, औंबी और कोराचा के जमींदारों ने चांदा के गोंड राजा से अपनी जायदादें पायी थीं और डोंडी लोहारा, सिलहटी, बरबसपुर, गंडई और ठाकुरटोला वालों ने गढ़ा मंडला के राजाओं से, शेष हैहयवंशियों के जमाने से चली आती हैं। इनका सविस्तार वर्णन सप्तम पट में मिलेगा। मालगुजारों में ब्राह्मण, कुरमी, तेली, राजपूत, बनियाँ और मरहठों के कुछ घराने प्रमुख हैं। ब्राह्मणों में कुसमी का मालगुजार अग्रगण्य है। इस घराने में भोंसला राजाओं के समय से परगनिहा की उपाधि चली आती है। नादोल और अँधियारखोर के घराने भी प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। कुर्मी घरानों में मिम्होरी का अधिक जाहिर है। इसके हाथ कुछ वर्ष पूर्व सोनाखान की जायदाद आ गई है। इस घराने के मुखिया तुलाराम बी.ए. हैं। धानौद और कठोतिया के मालगुजार भी सादार है। खांडा का मालगुजार कुर्मी जाति का मुखिया समझा जाता है।

बनियों में जमूल के गोपालसिंह का घराना ऐतिहासिक है। उनका आजा खैरागढ़ राज्य का नेंगी था। राजा कहीं लूट न ले, इस डर से नंदकठी को भाग आया था। इसके लड़के पीलासाब से और कमाइसदार से झगड़ा हो गया, तब वह नागपुर चला गया और वहाँ से लवन और सिहावा परगनों का ताहुतदार बन के आ गया। वह सिहावा को आबाद नहीं कर पाया, परंतु लवन की काश्तकारी अच्छी तरह संभाली, उसमें डेढ़ सौ गाँव थे। घर के लोगों में बंटवारा हो जाने पर वंश का महत्त्व चला गया। गोपालसिंह के 4 ही गाँव रह गए हैं। दुर्ग के मालगुजार गेंदसिंह, घनश्याम सिंह आदि भी उसी जात के हैं। मरहटी जमाने में उनके पूर्वज कमाइसदार और सूबेदार थे। देवकर में इसी जाति का रुरुप्रसाद एक होशियार मालगुजार है। राजपूत घरानों में रहटादह के शिशुपालसिंह मुख्य हैं। गोंड मालगुजारों में बराबरबाँध की जायदाद के

मालिक कलंदरसिंह सबसे बड़े हैं। डाढ़ी का गोंड घराना बड़ा प्रतिष्ठित समझा जाता है। उसको गोंड राजा और जमींदार बड़ा मान देते हैं। विवाह-शादियाँ उनसे बिना पूछे बहुधा नहीं करते। मरहठा घरानों में दो प्रमुख हैं अर्थात् अरमरी के दाजीबा भोंसले और धमतरी निवासी नत्थूजी जगताप। गोंसाइयों में भारो के रामसहायगिरि का नाम प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेशीय कायदा कौंसिल के मेम्बर हैं। बठेना के बेलदारों ने सोनाखान के बागी जमींदार के पकड़ने में मदद दी थी, जिससे उनको ये गाँव माफी में मिले थे।

बोली

जिले की प्रचलित भाषा छत्तीसगढ़ी हिंदी है। इसको कहीं-कहीं लरिया या खलटही भी कहते हैं। सैकड़ा पीछे 95 आदमी इसी को बोलते हैं। इसका नमूना चतुर्थ और पञ्चम पट में मिलेगा। जंगली भागों में गोंड लोग द्राविड़ी भाषा गोंडी बोलते हैं। इनकी संख्या 31 हजार है। प्राय: दस हजार मरहटी बोलते हैं। इस जिले में लिखे-पढ़े मनुष्य चौदह हजार हैं।

❑

चतुर्थ पट

भूमि

किस्म जमीन

दुर्ग जिले में एक लाख बाईस हजार एकड़ सरकारी जंगल है। जमींदारी और मालगुजारी जंगल चरागन परती अमराई आबादी सड़क पानी इत्यादि का विस्तार आठ लाख 55 हजार एकड़ के लगभग है। जोती हुई जमीन का रकबा 19 लाख 81 हजार एकड़ है। जमीन की किस्में कन्हार, डोरसा, मटासी, भाटा, पालकछार और पटपर कछार हैं। काली या भूरी जमीन कन्हार कहलाती है, मटासी कुछ सफेदी या पिलाहट लिये रहती है, डोरसा आधी कन्हार और आधी मटासी का मिश्रण है। भाटा हलकी और पथरीली जमीन होती है। पाल कछार नदियों के किनारे की जमीन बड़ी उपजाऊ रहती है। पटपर कछार रेतीली होती है। विविध मौकों के अनुसार धनहाई जमीन के नाम बहरा, गभार, डड़हा, टांगर, रसनहा और पंजरहा रख लिए गए हैं। बहरा झिलान को कहते हैं, गभार समान, परंतु जरा नीचा रहता है। डंडहा ढंड़कीला होता है और टांगर ऊँचा-नीचा रहता है। आबादी के पास के खेत रसनहा कहलाते हैं। उनमें गोबर आदि का रस आता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं।

पंजरहा तालाबों के पांजर व बाजू में रहने से उनको पैठ का पानी मिलता रहता है। मौकानुसार गेहूँआरी जमीन के नाम मामूली, टिकरा और भरकीली रख लिये गए हैं। ऊँची नीची जमीन को टिकरा कहते हैं। जिस जमीन में गड्ढे आदि रहते हैं, उसे भरकीली कहते हैं। समान खेतों को मामूली कहते हैं। बगीचे के मौके की जमीन बाड़ी कहलाती है, जिसमें पानी दिया जाता

है, उसे बाड़ी आबपाशी कहते हैं। बेमेतरा तहसील की जमीन सब से उत्तम है। वहाँ की कन्हार जमीन में धान के सिवाय गेहूँ–चना भी उत्पन्न होता है। मटासी में धान अच्छा पैदा होता है। डोरसा जमीन पर कन्हार के समान धान की फसल कटने के कुछ दिन पूर्व उरद मूंग, तेवरा के किस्म का दूसरा अन्न, जिसे उतेरा कहते हैं, छींट दिया जाता है। भाटा जमीन में कोदों कुटकी ही होती है। पाल कछार ओर पटपर कछार का रकबा बहुत कम है। कन्हार जमीन सैकड़ा पीछे 35 अंक है, डोरसा 46, मटासी 13 और भाटा 6।

फसलें

इस जिले में मोटे हिसाब से 6 आने में धान बोया जाती है, 3 में कोदों कुटकी, 2 में गेहूँ–चना, 1 में उड़द मूंग, डेढ़ में अलसी तिल्ली और में दीगर फसलें। गन्ना करीब साढ़े तीन सौ एकड़ में बोया जाता है। 1906–07 में इस जिले की फसलों की कीमत 3 करोड़ रुपया समझी गई थी, परंतु अब दुगनी हो गई है। धान बियासी की पुरानी रीति से बोया जाता है अर्थात् उसे पहली घना बो देते हैं, फिर पौधा निकलने पर बिरल करने के लिए हल चला देते हैं। इससे बीज का बहुत नुकसान होता है। रोपा धान लगाना अब शुरू हो गया है, इससे बहुत फायदा पहुँचेगा। इस जिले में चावल बहुत खाया जाता है। विशेष कर बासी खाने की बड़ी चाल है और अनाजों का जैसा गुण व उपयोग होता है, वह पंडित कपिलनाथ की निम्नलिखित कविता से झलक पड़ेगा—

तिल कहै मैं कारी जात, मैं बरिहौं अँधियारी रात।
बर्रे कहे मैं कटहा जात, छिरिया खात न गरुआ खात।
मसुरी कहे मोर पेड़ झिथरी, दरे छरे में दिखौं सुंदरी।
राहिर कहे रहरिटिया खास, बिनकौले ना लगौं मिठास।
बटुरा कहे मैं ढुल ढुल लाँव, रोवत लैका का भुरियाँव।
तिवरा कहे मैं भाभर भोर, गुलगुल भजिया होत है मोर।
उरिद कहे मोर मेघई नाम, मैं ही बसाऔं गमई गाँव।
मोरे चकरीं मोरे पहीत, मैं बैठारों समधी सहित।
ए देहजरी सहै ना जाय, बेडला अर्सी चले रिसाय।

उरिद के पीठी असीं के तेल, दूनों ताई में होय बहपेल।
चुर चुर बरा गये उपलाय, जब समधिन के मन मां आय।
चना कहे चक्कवे कहायों, डारा पाना सबै खवायों।
बारेपन में मूड़ मुड़ायों, भर ज्वानी में फूल खुचायौं।
एक साल में एरिस दुकाल, गेहूँ चना भइन बेहाल।
गेहूँ गुसैंया मर गये। चना गुसैंया जी गये।
कुटकी कहै मैं तालम तूल। मोर भात कँवल कस फूल।
कांगा मड़िला ज्वांर बाजरा। हम चारों के भैयाचारा।
जोढ़री कहै मैं सब ले होन। कोला पिछौते मोका दिहीन।
माथे फूलों पांजर फरौं। बहुते खाय तो कुतरक धरों।
अण्डी कहै मोर तेल गढ़ार। मोर बिन गाड़ा परै गुहार।
कादों कहे मैं सबले बेस, मोर बिना न रहहै देस।
धान कहे मैं एकई धना, सोन के डांडी रूप के फना।
सरसों कहे सरसोंवा कहायो, रोग राग सब दूर बहायों।

खाद

खाद और आवपाशी के फायदे सब लोग समझने लग गए हैं, पर सिवाय बरसात के गोबर और राख कूड़ा-कचड़ा के दूसरी खाद का उपयोग नहीं करते। खाद की कमी होने के कारण केवल धान के खेत ही खाद पाते हैं, दूसरे खेतों को केवल फसल के अदल-बदल या कटुआ का संहारा रहता है। कटुआ एक प्रकार का जंगली पौधा होता है, जो खेतों में बहुत उगता है। लोगों का विश्वास है कि उससे खेतों को फायदा पहुँचता है।

आबपाशी

आबपाशी के लिए कई गाँव में तालाब हैं और हर साल बढ़ते जाते हैं। तिस पर भी अठारह बीस हजार एकड़ ही को पानी दिया जाता है। इस जिले में प्राय: साढ़े तीन हजार तालाब और 8 हजार कुएँ हैं। यदि इनका अच्छी तरह उपयोग किया जाए तो बहुत अधिक रकबे का सिंचाव हो आता है। सन् 1907-08 से 1909-10 तक जब तालाबों की तादाद करीब दो हजार ही थी और कुओं की आधे से कम, तब आबपाशी का रकबा 42 हजार से

लेकर 63 हजार एकड़ था। इस विषय में सरकार की ओर से बहुत सहायता दी जा रही है। गरगहतन, खापरी, भरोदा दर्री टोला, संजारी, मोरिद, और सोरली में सरकारी तालाब खुदवा दिए गए हैं। इसके सिवाय तांदुला नहर भी तैयार की गई है, जिससे प्राय: 1 लाख एकड़ की आबपाशी हो सकती है। इस नहर से दुर्ग और रायपुर दोनों जिलों को फायदा पहुँचता है, परंतु उससे दुर्ग जिले के बहुत से हिस्से की रक्षा होती है। उसमें दो तालाब शामिल हैं, जिनमें सूखा और तांदुला नदियों की धाराएँ, जिनका संगम बाँध से करीब एक मील नीचे है, घेर दी गई हैं। पूर का ज्यादा पानी एक ऐसी पहाड़ी की आगे बढ़ी हुई चट्टान से निकाला जाता है, जो कि दो दरों को विभाजित करती है और दोनों तालाब नाले के ऊपरी हिस्से पर एक गहरी नहर के द्वारा, जो कि इस पहाड़ी को काट कर जाती है, मिला दिए गए हैं।

ढोर-बछेरू

खेती में बैल और बोदे काम में लाये जाते हैं। बहुधा बसलदेवा लोग उत्तर की ओर से बोदे बेचने को इस तरफ लाते हैं। मवेशियों का सब से बड़ा बाजार रानीतराई का है। खेती की मवेशी के किसाब से एक जोड़ी को 11 एकड़ जमीन जोतनी पड़ती है। सन् 1906–07 में बैल दो लाख, गायें पौने दो लाख, बोदे बासठ हजार, भैंस सत्तरा हजार, भेड़ा-भेड़ी चौंतीस हजार, बकरा- बकरी तरह हजार, और घोड़े-टट्टू साढ़े पाँच हजार थे। बैल भैंसों की तादाद अब बढ़ गई है, पर बकरा बकरी, भेड़ा-भेड़ी की बहुत कम हो गई है। इनकी कीमत भी कई गुना बढ़ गई है। मवेशी की नस्ल अच्छी करने के लिए सरकार की ओर से एक बेलवृद्धि शाला रुआबाँधा में खोली गई है और एक पानाबारस जमींदारी के मोहाला ग्राम में है। ऐसे ही गडई और ठाकुरटोला में भी हैं। अच्छी चराई करने के लिए मोहाला ग्राम में बीड़ रखाई गई है।

जंगल

जंगल जमींदारियों में ज्यादा है अर्थात् 526 वर्ग मील। मालगुजारी जंगल व घास का रकबा 458 वर्ग मील है, सरकारी जंगल 193 वर्गमील दक्षिण की ओर है और रायपुर डिवीजन के आलोद और धमतरी रेंज में शामिल

है। जंगलों में इमारती लकड़ी अच्छी नहीं है। सरकारी जंगल की आमदनी 30,000 एक तक कभी-कभी हो जाया करती है। ढोंडी लोहारा, अम्बागढ़ चौकी और पानाबारस जमींदारियों के जंगलों में पहले बहुत अच्छी लकड़ी थी, परंतु अब अच्छे अच्छे झाड़ कट चुके हैं। लहसपुर लोहारा और गंडई में साल या सरई की बहुतायत है। लाख का प्रचार पानाबारस और कोरांचा जमींदारी में किसानों द्वारा किया जा रहा है। इन जंगलों में कुसम के झाड़ बहुत हैं। इनकी लाख उत्तर गिनी जाती है। साल और सागौनु के सिवाय अन्य झाड़, जो मामूली तौर से जंगल में मिलते हैं, वे ये हैं—हर्रा, आँवला, तंदू साज, कोहा, बहेरा, कर्रा, धौरा, लेंडिया, तिंसा, बीजा, भिरो, शीशम, कुसुम, हल्दू, खैर, बबूल, रोहनी, बेल, कैथा, घोटिया, गूलर, बड़, पीपल, पाकर, मैनहर ठेलका, कुरु, पलास, धामिन, इत्यादि।

जंगली जानवर

बनचरों में बाघ से लेकर मूसा तक का शिकार किया जाता है। जंगलों में भालू, रेडवा, हुंडरा (भेड़िया), तेंदुआ, चीता, बरहा (सुअर), नेवरा, बेंदरा (बंदर) कोगावा (सोनकुत्ता), लमहा (खरगोश), खेखरी (लोमड़ी) सांभरी, रोझ, खुरारी (गिलहरी), हिरण, चीतल, चिंकारा, चारसिंगा, बनबिलाव, कोलिहा (स्थार) आदि बहुत पाये जाते हैं।

खाती

डोंडी लोहारा जमींदारी के किलेकोंडा, उंगारा, हिरकापार इत्यादि स्थानों में लोहे की खान हैं, दल्ली पहाड़ी सात माल तक उसी से भरी हुई है। गंडई जमींदारी के मगरकुंड गाँव में ठाकुरटोला के चतराला, कुंवरी और बसंतपुर में और बरारबाँध के पास भी लोहे की धाऊ बहुत है, परंतु दल्ली के समान अधिकांश लोहे वाली धाऊ कहीं नहीं है। संजारी तहसील में लोहा बनाने की कई भट्ठियाँ भी हैं। टाटा कंपनी मैने डोंडी लोहारा जमींदारी के 12 गाँवों में धातु निकालने का ठेका लिया है। दुर्ग तहसील के सकोसा गाँव में पत्थर की खदान है। कुम्हारी में जल्की पत्थर फर्श के योग्य मिलता है। किलेंकोडा में एक प्रकार का नर्म पत्थर मिलता है, जिससे प्याले बनाये जाते हैं। गंडई और ठाकुरटोला जमींदारी में एक प्रकार की लाल धाऊ मिलती है, जिस को

सलई की गोंद मिला कर धूप देने के काम में लेते हैं। सिवाय इसके तेल व गोंद में मिलाकर लकड़ी में तथा देने में बरसाती पानी व दीपक से हानि नहीं पहुँचती। इससे धड़े भी रँगे जाते हैं।

❑

पंचम पट

व्यवसाय

खेती

इस जिले में पौने आठ लाख जनों में से पौने पाँच लाख मर्द व स्त्रियाँ स्वयम् काम करती हैं। काम करने वाले पुरुष और स्त्रियों की संख्या बराबर है। शेष 3 लाख जन दूसरों के आश्रित हैं। इस जिले में सब से बड़ा भारी व्यवसाय खेती-बाड़ी है। इससे पौने सात लाख जन का पालन-पोषण चलता है, जिसमें सवा चार लाख स्वत: काम करते हैं। मजदूरी के काम में स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कुछ अधिक पायी जाती है। हरवाही और चरवाही के कामों में पुरुषों की अधिकता रहती है। हरवाहे, चरवाहे और मजदूर, जो खेती से पलते हैं, उनकी संख्या सवा लाख है। कृषि व्यवसायियों में भाजी, तरकारी, फूल, पान पैदा करनेवाले भी शामिल हैं, जिनकी संख्या 5 हजार है। इसी तरह लगान आदि वसूली करनेवालों की संख्या 5 हजार है। इस तरह से सैकड़ा पीछे 87 जन खेती पर निर्भर हैं।

रोजगार और पेशा

रोजगार और दिगर पेशेवाले एक लाख के करीब हैं। धंधा करनेवालों में भी एक तिहाई आश्रित जन अर्थात् बुड्ढे लड़के हैं। किसी-किसी रोजगार में स्त्रियों की अधिकता पायी जाती है, जैसे फुटाना, बेचना, तेल बनाना व बेचना, चूड़ी और पान बेचना। रोजगारियों में कपड़ा बिननेवालों की संख्या अधिक है, कोई 16 हजार जन इस काम में लगे हैं। लोहे के काम से 6 हजार लोग गुजर करते हैं। बाल बनानेवाले 5 हजार और जूते बनानेवाले 4 हजार

हैं। चूड़ी और मिट्टी के बरतन बनानेवाले तीन-तीन हजार हैं। लकड़ी, पत्थर और पीतल के कामवाले एक-एक हजार हैं। सिवाय इनके दस हजार जन खाद्य पदार्थों के बेचने से गुजर करते हैं। तीन हजार जन गाड़ी किराया इत्यादि से परवरिश पाते हैं। एक हजार का साहूकारी से, एक हजार का कपड़ा-सूत की दुकानदारी से, एक हजार का मनिहारी और दो हजार का अन्य छोटी मोटी वस्तुएँ बेच कर निर्वाह होता है। घरू नौकरी से 6 हजार की जीविका चलती है, इतने ही भिक्षुकी से पलते हैं। छुट्टा मजदूरी से 9 हजार का निर्वाह होता है। दुर्ग खास में पीतल के लैम्प और काँसे के बर्तन बहुत बनते हैं। पीतल और काँसे के बरतन नवागढ़ और धमदा में भी बनते हैं। कपड़ा बहुत करके नवागढ़, दुर्ग, धमदा, पाटन, बालोद, देवकर, बेमेतरा, अर्जुन्दा, अरकार, भेड़नी में पनका लोग बुनते हैं। वह मोटा रहता है। डोंडी लोहारा, खुज्जी, और गंडई जमींदारी में कुछ लोहा पुरानी गाँवटा ढब से बनाया जाता है। नवागढ़ में पत्थर की कटोरियाँ इत्यादि बनती हैं।

व्यापार

बेमेतरा तहसील का अनाज कवर्धा-सिमगा पक्की सड़क से भाटापारा या रायपुर भेजा जाता है। संजारी तहसील का कुछ माल धमतरी जाता है, पर अधिक राजनांदगाँव को जाता है। दक्षिण की जमींदारियों का भी माल राजनांदगाँव जाता है। बहुत करके चावल कलकत्ते को, गेहूँ और अलसी बंबई को, लाख मिर्जापुर को और हर्रा रायपुर और राजनांदगाँव को जाती है। आनेवाले पदार्थों में कपड़ा और सूत मुख्य है। ये राजनांदगाँव, नागपुर, अमरावती और हींगनघाट को पुतलीघर से आते हैं। अंग्रेजी कपड़ा व सूत बंबई से मँगाया जाता है। शक्कर और गुड़ उत्तर हिंदुस्तान और रतनपुर से मँगाया जाता है। घी जबलपुर जिले से कटनी होकर आता है। भंडारा और मंडला से पीतल के बर्तन आते हैं। यद्यपि कुल आने-जानेवाले माल का हिस्सा नहीं मालूम हो सकता, तब भी रेल द्वारा दुर्ग और भिलाई स्टेशन में आने-जानेवाले माल से जिले की उन्नति का कुछ पता लगा सकता है।

सन् 1902 में एक लाख 13 हजार मन माल पौने चार लाख कीमत का भेजा गया था और 1906 में इसकी तादाद दो लाख 27 हजार मन थी, जिनकी कीमत पौने नौ लाख रुपये थी। इसी तरह आनेवाले माल की कीमत पौने तीन लाख से आठ लाख बढ़ गई थी। इसमें कपड़े-सूत का लेखा एक तिहाई पड़ता है।

बाजार व मेले

नामी मेला केवल गंडई से 3 मील नर्मदाकुंड पर भरता है। यहाँ पर एक स्वाभाविक झरना है, जिसका पानी हरदम कुनकुना बना रहता है। मेला 30 साल बंद रह कर सन् 1907 ई. से फिर शुरू हो गया। उस साल वह 20 दिन तक रहा। यात्रियों की संख्या कोई 80,000 थी और 50 हजार रुपये का माल खप गया था। मवेशी की प्रदर्शनी भी वहाँ की गई थी और अच्छे जानवरों के स्वामियों को पुरस्कार दिया गया था। गंडई में मवेशी बाजार भी अच्छा भरता है। इसी तरह बेमेतरा तहसील में मरका, बदनेरा, खंडसरा, बेलरा, चारभाटा में मवेशियों के बाजार भरते हैं। इन बाजारों में बालाघाट के लालवर्ण और वारासिवनी और सागर के गढ़ाकोटा और मंडला से ढोर बेचने को लाये जाते हैं। दुर्ग तहसील में मुख्य मवेशी बाजार रानीतराई अर्जुंदा और उताई में भरते हैं। इन बाजारों में कांकेर व बस्तर रियासत और रायपुर, बिलासपुर और बालाघाट के जिले के मवेशी बिकने को आते हैं। बरहापुर, नवा तालाब, नगपुरा और पिनकापार में भी ढोर बिकने को आते हैं। संजारी तहसील में करही भदर और खैरथा बाजार है, जहाँ पर बस्तर रियासत के मवेशी बिकने आते हैं। अनाज के मुख्य बाजार दुर्ग, बोरी, उताई और खैरथा है। बहुतेरे किसान अपना अनाज बेचने को राजनांदगाँव ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ भाव अच्छा मिलता है। छोटे-मोटे साप्ताहिक बाजार 114 हैं।

सड़कें

बंगाल-नागपुर रेलवे जिले के मध्यभाग से निकली है, जहाँ पर उसकी चौड़ाई सिर्फ 17 मील है। इसलिए जिले के रेलवे स्टेशन केवल दो ही हैं,

अर्थात् दुर्ग और भिलाई। बड़ी पूर्वीय पक्की सड़क अर्थात् नागपुर-रायपुर सड़क भी रेल की सड़क के समान 18 मील ही जिले के भीतर पड़ती है। जब रेल नहीं थी, तब यह सड़क बड़ा काम देती थी। दूसरी मुख्य सड़कें ये हैं —(1) दुर्ग-बेमेतरा (47 मील) यह नंदकठी धमदा देवकर देवरबीजा होकर सिमगा कवर्धा सड़क में बेमेतरा में मिलती है। (2) धमधा-गंड़ई (21 मील), (3) पथरिया-कुम्हारी (16 मील), (4) सिमगा-कवर्धा (जिले के भीतर 29 मील), (5) खंडसरा-खमरिया (3 मील), (6) डोंगरगढ़-पंडरिया, (7) मुंगेली-नांदघाट (13 मील), (8) रायपुर-बिलासपुर (जिले के भीतर 11 मील), (9) दुर्ग-गुंडरदेही-बालोद (36 मील), (10) अर्जुंदा-गुंडरदेही-राजनांदगाँव (23 मील, जिसमें से 19 मील जिले के भीतर हैं), (11) राजनांदगाँव-अंतागढ़, यह सड़क देवरी, लोहारा और डोंडी से जाती है, जिले के अंदर उसकी लम्बाई 42 मील है, (12) राजनांदगाँव-मोहाला। (पानाबारस), यह सड़क अम्बागढ़ चौकी होती गई है (21 मील), (13) दुर्ग-नेवाई-उताई (8 मील), (14) राजनांदगाँव-देवकर (जिले के अंदर 16 मील) (15) माटापारा-चंदखुरी (3 मील), (16) घमतरी-मुरुमगाँव-कुसुमकसा चांदा जिले तक (63 मील), यह सड़क चरौद बालोद से जाति है और धमतरी-जगदलपुर सड़क में मिलती है। जिले के अंदर इसकी लंबाई 14 मील है। जिले की गिट्टी वाली सड़कों की लंबाई 65 मील है और मुरुम वाली सड़कों की लंबाई 322 मील है। सालाना खर्चा निमित्त आजू-बाजू जो झाड़ लगे हैं, या लगाये जा रहे हैं, उन पर अब सालाना 1900 रुपये खर्च किया जाता है।

बाजार भाव

हर एक जिंस का बाजार भाव बहुत चढ़ गया है। नीचे लिखी तालिका से यहाँ की दो मुख्य जिंसों का भाव प्रकट होगा। दुर्ग जिला बनने के पूर्व का भाव रायपुर जिले के भाव के अनुसार लिखा गया है। रायपुर और दुर्ग के भाव में बड़ा फर्क नहीं हो सकता।

साल	1 रुपये के कितने सेर	
	चावल	गेहूं
1861-64 (जब अमेरिका की लड़ाई का प्रभाव नहीं पड़ा था)	48	56
1865 से 67 (लड़ाई के प्रभाव पड़ने पर)	14	26
1868-70 (1868 के अकाल का प्रभाव)	22	25
1871-73	34	43
1874-76	36	47
1877-79 (मद्रास का अकाल)	24	28
1880-82	35	32
1883-86 (राजनांदगाँव में रेल खुली)	26	29
1887-89	19	23
1890-92 (आसनसोल को रेल खुली)	22	20
1893-95	20	21
1896-1900	13	12
1901-05	14	15
1906-12	12	14
1912-16	911	10
1916-17	101	11
1917-18	9	8

1897 के अकाल में चावल का भाव 911 सेर और गेहूँ का 9 सेर था। हाल में अर्थात् मार्च, 1921 में चावल गेहूँ का भाव क्रमश: रुपए का 6 और 9 सेर ही है।

❑

षष्ठ पट

शासन

प्राचीन मालकाली प्रथा

राज्य-शासन में दो मुख्य विभाग किये जा सके हैं, माल और प्रबंध। हैहयवंशियों के समय में माल प्रणाली दूसरे ही प्रकार की थी। प्रत्येक गाँव की जमा अलग-अलग स्थिर नहीं थी, जब राजा को रुपया-पैसा, अनाज आदि को आवश्यकता होती थी, तब वे अपने सरदारों से माँगते थे और सरदार अपने मातहतों से वसूल करते थे। इसलिए गाँव की जमा का बँदोबस्त तालुका के मालिक के अधीन था और जमीन का लगान गौंटियों के हाथ में था। लड़ाई के समय में जितने सिपाही माँगे जाते थे, वे भी इन्हीं के द्वारा भेजे जाते थे। यह शर्त ही स्थिर कर ली गई थी कि अमुक गाँव के लोग यथावश्यक आदमी और सामान दें। मरहटों के जमाने में पटेल लोग गाँव की जमीन के दो भाग करते थे, एक चाल और दूसरी थोक। वर्षारम्भ में थोक जमीन की हैसियत के अनुसार अंदाज से लगान लगा दिया जाता था, परंतु चाल जमीन का लगान आनों में गिनकर जोड़ लगाया जाता था, फिर जो जमा गाँव से माँगी गई, उसको इतने आनों के बराबर समझकर हर एक खेत की जितनी हैसियत ठहराई जाती थी, उसी के अनुसार लगान बैठा दिया जाता था। ऐसा करने के पहले थोक का लगान कुछ लगान से घटा लिया जाता था। इस प्रकार के आना प्रमाण को खेत का ऐन या धारा कहते थे। पटैल या गौंटिया गाँव के लगान को हर साल शोध करते थे और अपनी इच्छानुसार किसानों के खेतों की अदल-बदल कर देते थे। कोई हक स्थिर नहीं था। सिवाय इसके कि किसानों को नजर, घर, फड़नवीसी, दरदेहा, और परारपंड़ाई आदि देनी पड़ती थी।

सरकारी बंदोबस्त

जब छत्तीसगढ़ सरकारी अमल में आया, तब नवीन प्रकार का बंदोबस्त किया गया। यह पहले कह चुके हैं कि दुर्ग जिला सन् 1906 में रायपुर बिलासपुर और चांदा जिलों के भागों से बना, इसलिए इसके कई हिस्सों का बंदोबस्त अलग-अलग समय में हुआ है। खालसा भाग का सबसे पहला नियमानुसार बंदोबस्त सन् 1862 ई. से लेकर सन् 1868 ई. के अंदर ह्यूविट साहब के द्वारा हुआ। उस समय सरकारी जमा 1,57,710 रुपये से, 2,44,738 रुपये की गई थी। पहले किसानों के लगान का ठीक-ठीक पता नहीं लगा, नहीं तो जमा दुर्ग परगने में सैकड़ा पीछे 139 अंक बढ़ जाते। प्रथम बंदोबस्त 20 साल के लिए किया गया। दूसरा बंदोबस्त सन् 1883 ई. में शुरू किया गया, परंतु थोड़ा ही भाग पक्की रीति से करने के पश्चात् भूमि माप पूरी न होने के कारण शेष भाग का दस साल के लिये सरसरी रीति से किया गया। इस समय की जमा 3,29,369 रुपये स्थिर की गई। सन् 1887 ई. में दुर्ग तहसील व संजारी परगने के बंदोबस्त से जमा 3,62,117 रुपया हो गई। वर्तमान बंदोबस्त का काम सन् 1913 ई. में पूरा हुआ। वह भी बीस साला है। इस बंदोबस्त में जमा 5,90,135 रुपये हो गई है और जमींदारी टकोली मिला कर कुल माल की आय 6,11,515 रुपये है।

अन्य आमदनी

मालकाली के अतिरिक्त अधिक आमदनी आबकारी, इनकम टैक्स, जंगल और रजिस्टरी से है। सब मिलाकर जिले की सालाना आमदनी प्रायः दस लाख होती है।

अकाल

इस जिले में धान की खेती अधिक होती है। इसलिए जब कम वर्षा होती है, तो वह शीघ्र सूख जाती है जिससे अकाल पड़ जाता है। बहुधा पाँच छह साल में दुर्भिक्ष अपना रंग दिखला जाता है। प्राचीन अकालों का कहीं लेख नहीं मिलता, परंतु सबसे पुराने अकाल का पता सन् 1828-29 से लगता है। उस समय चावल का भाव 10 मन से घटकर 12 सेर फी रुपया आ गया

था। फिर सन् 1834-35 में फसल खराब हुई थी, पश्चात् सन् 1845 ई. में भी दशा खराब रही।

इसके बाद सन् 1867-1869, 1878-79, 1878-83, 1886-87 और 1895-96 में अकाल पीड़ा हुई। सन् 1896-97 के आदि में अति वृष्टि हुई थी, जिससे शिवनाथ नदी में सात बार भारी पूर आया और हर वक्त उसके किनारों के गाँव की फसल स्वाहा हो गई। इस वर्ष दीन पोषणार्थ 9 स्थानों में बड़े-बड़े काम खोले गए और गरीबों को रुपया बाँटा गया और भोजनालयों में पका हुआ भोजन दिया गया, तिस पर भी मृत्यु संख्या प्रति सहस्त्र 80 तक चली गई। इसके पश्चात् सन् 1899 ई. में अनावृष्टि के कारण इस जिले में क्या संपूर्ण प्रदेश में भारी अकाल पड़ गया, तब सरकार ने इतने बहुत से काम खोल दिए कि इस जिले में सैकड़ा पीछे 44 जन को सहायता पहुँची। सड़कों के काम के सिवाय कई बड़े तालाब आबपाशी के लिए बनाये गये, बड़े-बड़े काम 20 स्थानों में खोल दिए गये, सैंकड़ों भोजनालय स्थापित कर दिए गए और घर बैठे दीनों को रुपया बाँटा गया, किसानों को बहुत सी तकावी द्वारा सहायता की गई और मालकाली की उगाही मुलतवी कर दी गई।

इस प्रकार जिले की 15 साल की मालकाली की आय एक ही साल में लोगों के बचाने में खर्च कर दी गई। तब भी प्रति सहस्त्र मृत्यु संख्या 58 रही। इसका कारण यह था कि पानी कम होने से हैजा और अन्य रोग फैल गए थे। इन्होंने अनेक पीड़ित लोगों का संहार कर डाला। सन् 1900-01 में भी दुर्ग तहसील की हालत शोचनीय रही, क्योंकि धान केवल दस आने बोया गया था। सन् 1902-03 में कम पानी होने के कारण अकाल ने फिर अपना झंडा फहराया। इसके पश्चात् कभी-कभी फसलें न्यूनाधिक हुईं, परंतु अकाल नहीं पड़ा।

यहाँ के लोगों की आर्थिक व्यवस्था सामान्यत: अच्छी है, परंतु वे ऋण से मुक्त नहीं हैं। विवाह, सहकारी सभा-शादियों में और लोगों की नाई अधिक खर्च कर डालते हैं। पंडित कपिलनाथ से यथार्थ कहा है—

काढ़ मूस के ब्याह करायों गांठी सुक्कम सुक्का।
सादी नइ बरबादी भइगे घरमा फुक्कम फुक्का॥

पूँजी हर तो सबै गमागे अब काकर मूं तक्का॥
टुटहा गाड़ा एक बचे है ओकरो नइये चक्का॥
लागा दिन दिन बाढ़त जाथे साव लगावै धक्का।
दिन दुकाल ऐसे लागे है खेत परे हैं सुक्का॥
लोटिया थारी सवो बिचागे माई पिल्ला भुक्का।
छित की कुरिया कैसन बचि है अब तो छूटिस छक्का॥

इसी व्यवस्था से बचाने के लिए सन् 1911 ई. में यहाँ पर सहकारी सभाएँ स्थापित की गयीं जिससे 1 रुपया फी सैकड़ा माहवारी ब्याज पर रुपया मिल जाता है, साव लोग बहुधा 2 रुपये माहवारी लेते हैं। इस जिले में 220 सभाएँ खुल गई हैं, हर एक में 50 से 60 तक मेम्बर हैं। लेन-देन की पूँजी सवा लाख से कुछ ऊपर है।

प्रबंध

जिले का मुख्य अधिकारी डिप्टी कमिश्नर है, वह जिला मैजिस्ट्रेट भी है। उसकी सहायता के लिए 3 एक्स्ट्रा अस्टिंट कमिश्नर रहते हैं, जो माल और फौजदारी का काम देखते हैं। जिले में 3 तहसीलें हैं अर्थात् दुर्ग, संजारी और बेमेतरा। हर एक तहसील में एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार रहता है। मालकाली के सिवाय आबकारी, इन्कमटैक्स आदि की वसूली इन्हीं के जिम्मे रहती है। ये अफसर फौजदारी का भी काम करते हैं। इनके सिवाय 12 आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं, जो फौजदारी के तीसरे दर्जे के मुकदमे किया करते हैं। इनमें से बहुतेरे जमींदार हैं।

दीवानी

दीवानी के लिए एक सब जज और एक मुन्सिफ तैनात है। मुन्सिफी अदालत केवल बेमेतरा में है।

पुलिस

पुलिस विभाग का काम डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस देखता है। उसकी सहायता के लिए 5 इंस्पेक्टर, 27 सब इन्स्पेक्टर, 58 हेड कांस्टेबल, 230 कांस्टेबल और 3 सवार कांस्टेबल मुकर्रर हैं। जिले में 19 पुलिस थाने हैं,

जिनका मुखिया सब इन्स्पेक्टर रहता है। वे ये हैं, दुर्ग तहसील में दुर्ग, धमदा, भिलाई, पाटन, रनचिरई और अरजुंडा, बेमेतरा तहसील में बेमेतरा, नवागढ़, नांदघाट, सहसपुर लोहारा, गंडई और घेरला, संजारी तहसील में बालोद, गुरूर, डोंडी लुहारा, डोंडी, पिनकापार, अम्बागढ़ चौकी और मदनपुर। यहाँ कोई जेल नहीं है, यहाँ के कैदी रायपुर भेज दिए जाते हैं।

अन्य महकमें

आरोग्यता विभाग का काम सिविल सर्जन देखते हैं। यहाँ के जंगल और बारीक मास्टरी के अफसर रायपुर में रहते हैं। आबपाशी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दुर्ग में रहते हैं। जमीन के कागजात तैयार करने के लिए इस जिले में 396 पटवारी हैं, जिनकी जाँच के लिए 20 रेवन्यू इन्स्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सुपरिंटेन्डेन्ट और एक सुपरिंटेन्डेन्ट मुकर्रर हैं। रेवन्यू इंस्पेक्टर अपने-अपने हलकों में रहते हैं। दुर्ग तहसील में उनके 7 हलके हैं अर्थात् बोरी, भिलाई, कुथरैल, नन्दगठी, पाठर, करेला और गुंडरदेही। बेमेतरा तहसील में 6 हलके हैं अर्थात् नवागढ़, मारो, खानन्दगाँव, देवकर, बहेरा, गंड़ई और सहसपुर लोहारा। संजारी में 6 हलके हैं अर्थात् चौकी, मोहाला, चिखली, बालौद, मंडेरा और गुरूर। आबकारी की देख-रेख डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर करता है। उसकी सहायता के लिए 9 सब इस्पेक्टर नियत हैं। ये लोग स्टाम्प का भी काम जाँचते हैं। आबकारी की दुकानें 167 हैं। भट्टियों का प्रचार कई जमींदारियों में अभी बना हुआ है, परंतु धीरे-धीरे उनकी संख्या कम हो रही है। जिला निर्माण के समय शराब से पंद्रह हजार की आमदनी थी, अब वह चौगुनी हो गई है। अफीम से सत्तर हजार और गांजा से तेरह हजार थी, वह अब दोनों की दुगनी हो गई है। रजिस्टरी के लिए 3 सब रजिस्ट्रार हैं। ये दुर्ग, बेमेतरा और बालोद में रहते हैं। इनकी देख-रेख डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के अधीन है। दुर्ग और आदमाबाद में तारघर हैं। डाकघर जिले में 40 हैं।

डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आदि

मदरसा, अस्पताल, कांजीहाउस, घाट व छोटी-मोटी सड़कों का प्रबंध डिस्ट्रिक्ट कौंसिल करती है। हर एक तहसील में एक-एक लोक बोर्ड है तथा उत्तरीय और दक्षिणीय जमींदारियों के लिए भी एक-एक लोकल बोर्ड

है। ये सब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अधीन हैं, जिसकी सालाना आदमनी ग्रांट मिला कर दो लाख होती है। पहले जिले में कोई भी म्यूनीसिपालिटी नहीं थी। दुर्ग खास नोटीफाइड एरिया था, उसको आमदनी करीब बीस सहस्त्र थी, परंतु अब म्यूनीसिपालटी कायम हो गई है और आमदनी 31 हजार हो गई है। जिले में कुल 171 मदरसे हैं, जिनमें तेरह हजार छात्र शिक्षा पाते हैं। इनकी देख-रेख के लिए दो डिप्टी इन्स्पेक्टर नियत हैं। अस्पताल 7 हैं अर्थात् दुर्ग, बेमेतरा, दालोद, पाटन, गंडई, गुंडरदेही और अम्बागढ़ चौकी। इनके सिवाय आदमाबाद और भाटा गाँव में नहर महकमे के अस्पताल हैं। इनकी देख-रेख सिविल सर्जन करते हैं। ढोर अस्पताल दुर्ग, बालोद और बेमेतरा में हैं। कांजी हाउस 68 और घाट 33 हैं। सड़क और इमारतों की देख-रेख लोकल फंड इंजीनियर के द्वारा होती है।

कुष्ठाश्रम

इस जिले में एक मिशन संचालित कुष्ठाश्रम बेमेतरा तहसील के चंदखुरी ग्राम में है। वहाँ 400 कोढ़ी रहते हैं। इस आश्रम को सरकारी सहायता मिलती है। प्रदेश भर में यही एक कुष्ठाश्रम है।

❑

सप्तम पट

दर्पणी

अम्बागढ़ चौकी—पहले यह जमींदारी चांदा जिले में थी, पर अक्टूबर सन् 1907 से यह और पानाबारस, कोराचा और आंधी की जमींदारियाँ दुर्ग जिले की संजारी तहसील में सम्मिलित कर दी गयीं। अम्बागढ़ का दक्षिणी भाग जंगली है, बाकी खुला है। उसके ईशान कोण में आबादी अच्छी है और गाँव भी बड़े-बड़े हैं। शिवनाथ नदी उसके भीतर होकर बही है और वायव्य की ओर जमींदारी की सीमा बनाती हुई निकल गई है। जमींदारी की डोंगर नदी इसी शिवनाथ में मिल गई है। चौकी खास शिवनाथ के पूर्वीय बाजू पर बसी है। यही जमींदारी का मुख्य गाँव है। जमींदारी का विस्तार 250 वर्गमील है। आम 232 हैं, जिनमें से 184 आबाद हैं। कुछ जनसंख्या 32,867 है। जमींदारी खटुलवार गोड़ों के हाथ में प्रायः 900 वर्ष से बतलाते हैं, परंतु कोई सनद नहीं है, जिससे पूरा पता लग सके। कहते हैं, जमींदार के पुरखा मंगल से आये थे और चांदा के गोंड राजा ने उन्हें यह जागीर लगा दी थी। कोटगल जमींदारी भी पहले इसी चौकी में शामिल थी, इस का वीरगाँव तालुका कुछ वर्ष पूर्व गेवरधा में चला गया। वर्तमान जमींदार लाल इंद्रशाह है। वे चौकी में रहते हैं, जो जमींदारी में सबसे बड़ा गाँव है। उसकी जनसंख्या 1663 है। इस जमींदारी में गोंड़ अधिक बसते हैं। जमीन आधी से कुछ कम जोत में है, स्यारी अधिक बोई जाती है, विशेषकर चावल, कोदों और कुटकी। उन्हारी में अलसी अधिक होती है।

गत बंदोबस्त के समय इस जमींदरी की आय 25398 स्थिर हो गई

थी। इसमें से 2000 टकौली व 869 अबवाब लगाए गए थे। इसकी मियाद 30 जून सन् 1919 तक थी। अम्बागढ़ जमींदारी बंगाल नागपुर रेलवे के पास पड़ती है। राजनांदगाँव से जो सड़क मोहाला जाती है, वह चौकी पर ही से गई है। इस रास्ते से चावल, अलसी आदि भेजी जाती है। बाँधा में एक बड़ा बाजार भरता है, जिससे उस गाँव का नाम बाँधा बाजार पड़ गया है। चौकी बालौद से 34 मील व दुर्ग से 49 मील पर है। इस जमींदारी में चौकी गिलहरी, अंतरगाँव और कौड़ीकसा में प्राइमरी शाखाएँ हैं। चौकी में पुलिस थाना, डाकखाना और अस्पताल भी है।

गरजुंडा

मील या एकड़ मनुष्य संख्या 1395। दुर्ग तहसील के दक्षिण में दुर्ग से प्राय: 17 मील पर है। यहाँ हर सोमवार व मंगलवार को ढोर, चावल व कपड़े का बड़ा बाजार भरता है। यहाँ डाकखाना, प्राइमरी शाला व पुलिस थाना है।

आदमाबाद

यह नवीन गाँव बालोद से 3 मील पर तांदुला नहर पर काम करने वालों के लिए बसाया गया है। इसका नाम नहर के इंजीनियर आदम साहब के नाम पर रख दिया गया है।

ओड़ार बाँध

यह एक आठ गाँव का छोटा सा तालुका है, जो दुर्ग की सीमा से केवल पाँच मील पर नांदगाँव रियासत के भीतर पड़ता है। क्षेत्रफल केवल 11 वर्गमील है। यह डोंगरगढ़ के जमींदार के वंशजों को माफी में दिया गया है। जब डोंगरगढ़ का जमींदार भोंसलों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, तब उस की जमींदारी भोंसलों ने छीन ली। जमींदारी का अधिकांश खैरागढ़ और नांदगाँव के राजाओं को दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने भोंसलों को सहायता दी थी। सालाना आमदनी लगभग 4500 रुपये है। यहाँ एक सुविस्तीर्ण एवं सुंदर तालाब है, जो कि ओड़ों का खुदवाया हुआ है। इसी से इसका नाम पड़ा है। किंवदंती है कि एक बार कोई राजा एक ओड़िन पर आसक्त हो उसे छलने का प्रयत्न करने लगा, इस पर वह स्त्री ओड़ार बाँध को भाग आयी, पर जब राजा ने वहाँ भी

उसका पीछा न छोड़ा, तब वह जल कर मर गई। गोड़ों में उससे स्मरणार्थ यह तालाब एक रात में बना डाला और फिर उस गाँव को छोड़कर कर चले गए। राजनांदगाँव के राजा महन्त बलरामदास को मछलियाँ पालने का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने पच्चीसेक वर्ष पूर्व मछलियाँ पकड़ने के लिए फुड़वा दिया। तालाब में फूटते ही जलप्रवाह ने एक नाला बना डाला और शिवनाथ नदी में पूर आ गया। अब तालाब की फिर से मरम्मत कर दी गई है।

औंधी जमींदारी

यह दुर्ग जिले के दक्षिण में एक छोटी सी जंगली तथा पथरीली जमींदारी है। कुल रकबा 81 वर्ग मील है, जिसमें से 59 वर्ग मील तो केवल जंगल ही है। यहाँ के जंगलों में सागौन व शीशम बहुत कम होता है। जमींदारी के बीचोबीच खेती होती है, पर यहाँ भी गाँव छोटे-छोटे और चारों ओर जंगल से घिरे हुए हैं। यहाँ की जमीन रेतीली और पीली किस्म की है। बीच-बीच में काली काबर भी मिलती है। जमींदारी का मुख्य स्थान औंधी केवल 18 घर का मौजा है, जिसमें राजगोंड़ और हलवा रहते हैं। जमींदारी में 43 गाँव हैं, पर आबाद केवल 20 ही हैं। जनसंख्या 2158 है। यह जमींदारी पहले पानाबारस में शामिल थी, पर कुछ झगड़ा होने पर अलग हो गई, पर जब औंधी का कोई वारिस न रहा तो फिर से पानाबारस के जमींदार को मिल गई। पानाबरस और औंधी के बीच में कोराचा की जमींदारी आ गई है। कहते हैं कोराचा भी पहले एनाबारस जमींदारी का भाग था, जो अब अलग हो गया है। यह जमींदारी बिल्कुल विरल बसी है। यहाँ के मुख्य निवासी माड़ियाँ गोंड़ हैं। सारी जमींदारी में कोई बड़ा गाँव नहीं है। सदर मुकाम में तो केवल 75 मनुष्य रहते हैं। कुल रकबे के नवें हिस्से में खेती होती है। चावल मुख्य फसल है, यों तो अलसी व कोदों-कुटकी भी थोड़ी-बहुत हो जाती है।

पिछले बंदोबस्त के समय, जो कि 30 जून 1919 को समाप्त हो गया, इस जमींदारी की कुल आमदनी 833 रुपए कूती गई थी और 50 टकौली व 27 अबवाब स्थिर किए गए थे। औंधी बालौद से 90 मील तथा दुर्ग से 124 मील पर है। औंधी में डाकखाना है व एक छोटा सा बाजार भी भरता है। सारी जमींदारी में एक भी स्कूल नहीं है।

कोराचा जमींदारी

यह जमींदारी अत्यंत जंगली और विरल बसी हुई है। इसमें केवल एक नदी कोटरी पूर्वी छोर में बहती है। दक्षिण भाग तो जंगल से भरा पड़ा है। यहाँ-वहां कुछ थोड़े से गाँव बसे हुए हैं। पूर्वीय हिस्सा निरा पथरीला है और जंगल का होना और न होना बराबर ही है। केवल पहाड़ियों के बीच की घाटियाँ खेती के योग्य हैं। जंगल में बीजा के वृक्ष बहुत हैं, शीशम व खाज भी थोड़ा-बहुत है। जमींदारी में यों तो सैंकड़ों नाले हैं, पर गर्मी से वे सूख जाते हैं। जमींन रेतीली है। चावल व अन्य खरीफ विशेष बोई जाती है। जमींदारी में 77 गाँव हैं, जिसमें आबाद केवल 41 हैं। जन संख्या 388 4 है। कोराचा पानाबारस जमींदारी का हिस्सा था, पर किसी कारण अलग हो गया। वर्तमान जमींदार निजामशाह बापू हैं। कोराचा में गोंड़ ही अधिक बसते हैं। सारी जमींदारी में एक भी बड़ा गाँव नहीं है। मानपुर कोराचा का सदर मुकाम है। वहाँ सन् 1911 में केवल 286 मनुष्य थे। कुछ रकबे के छठवें भाग में खेती होती है। जमीन इतनी हल्की है कि एक साल पानी न गिरने से अकाल पड़ जाता है। गत बंदोबस्त के समय कोराचा की आमदनी 2930 लेखी गई थी, जिसमें 145 टकौलो व 80 रुपये अबवाब के निश्चत कर दिए गए थे।

जो कुछ रोजगार बाहर से होता है, सभी प्रायः राजनांदगाँव स्टेशन से होता है। राजनांदगाँव मानपुर से प्रायः 64 मील पर है। मानपुर से होती हुई एक सड़क अमतरी व बालौद का गई है। मानपुर बालौद से 60 मील है, दुर्ग से 94 मील व अमतरी से 84 मील पर है। यहाँ एक प्राइमरीशाला और पुलिस थाना है।

खारून नदी

दुर्ग में शिवनाथ को छोड़ दूसरी बड़ी नदी खारून है। यह संजारी तहसील के पेंटिचुआ गाँव के एक तालाब से निकलकर रायपुर जिले में चली गई है और बेमेतरा तहसील के जमघाट गाँव के पास शिवनाथ में मिल गई है। शिवनाथ से मिलने के पहले खारून रायपुर व दुर्ग जिले की बीच की सीमा बना कर बही है। संगम स्थान पर सोमनाथ का एक मंदिर है, जहाँ हर

साल मेला भरता है। रायपुर शहर से वह 4 मील पर है। यहीं से वहाँ पानी के बम्बा ले गए हैं। इसकी कुछ लंबाई 75 मील है।

खुज्जी जमींदारी

संजारी तहसील में एक छोटी सी जमींदारी है। इसकी जमीन उत्तर में काली और शेष पथरीली है। कुल गाँवों की संख्या 33 है। सब आबाद हैं। जनसंख्या 8685 है। जमींदारी में छोटे-मोटे नाले कई हैं, परंतु तालाबों की संख्या कम है। यहाँ बहुधा अकाल पड़ जाता है, इसलिए आवपाशी के लिए तालाबों की विशेष आवश्यकता है। कहते हैं डेढ़क सौ वर्ष पहले शेरखां बहादुर नामी व्यक्ति ने एक गोंड राजा को नागपुर के भोंसला रघुजी के आक्रमण रोकने में बड़ी सहायता दी थी, इसलिए उस राजा ने यह जागीर इनाम दे दी। वर्तमान जमींदार नियाजुद्दीन खाँ हैं, ये विलायत तक पढ़ आए हैं और मध्यप्रदेश की कानून सभा के मेम्बर हैं। खुज्जी बालौद से 32वा दुर्ग से 35 मील पर है। इस जमींदारी में खुज्जी को छोड़ और कोई दूसरा बड़ा गाँव नहीं है। सन् 1911 में खुज्जी की आबादी 855 थी। जमींदारी का प्राय: आधा रकबा उठा हुआ है। जमीन कन्हार, डोरसा, मटासी, भाटा सभी किस्म की है, पर मटासी सबसे अधिक है। फसलों में चावल, कोदों, कुटकी, मूंग, मटर, अलसी और लाख (तिवरा) मुख्य हैं। सन् 1901-02 के बंदोबस्त के समय इस जमींदारी की आय 8726 रुपये लेखी गई थी और उस पर 2757 रुपये सरकारी टकौली व 330 अबवाब लगाए गये थे। इस जमींदारी में कोई पक्की सड़क नहीं है। व्यापार विशेष कर राजनांद गाँव से होता है। यहाँ एक प्राइमरीशाला व एक ब्रांच डाकखाना है।

गंडई जमींदारी

यह बेमेतरा तहसील में है। इसका क्षेत्रफल 151 वर्ग मील और ग्रामसंख्या 88 है। 5 गाँव वीरान हैं। जनसंख्या 18,635 है। जमींदारी का पूर्वी हिस्सा तो उपजाऊ है, पर पश्चिमी गंडई खास से लेकर अंत तक पहाड़ी है। इस भाग में से बंजर नदी बही है, दूसरी सुरही नदी जमींदारी के मध्य में बहती है। पूर्व की जमींन डोरसा है, पश्चिम में भाटा विशेष है। जंगली गाँवों में प्राय: कोदों कुटकी पैदा होती है, परंतु घाटियों में दोनों फसलें होती हैं। बंजर नदी इसी जमींदारी के बंजरपुर नामक गाँव से निकली है। यहाँ का

जमींदार धुरगोंड है। कहते हैं कि इस वंश के पूर्वत्र लिंगा दरबी को प्राय: 600 वर्ष पहले गढ़ा मंडले के राजा से जागीर मिली थी। इसी के वंश में मुखो ठाकुर नामक जमींदार हुआ। उसने अपनी जमींदारी अपने तीन लड़कों में बाँट दी। इस तरह तीन जमींदारियाँ एक तो यही, दूसरी सिलहटी और तीसरी बरबसपुर बन गयीं। भोंसलों के समय में इस जमींदारी पर भी चढ़ाई हुई थी, पर जमींदार ने कवर्धा भाग कर अपनी रक्षा की थी। पहले खोलवा परगना गंडई जमींदारी में था, परंतु सुआ नचाई नेंग में खैरागढ़ के राजा को दे दिया। गंडई जमींदारी में गोंड, तेली मरार, चमार अधिक हैं। वर्तमान जमींदार लाल उदवतसिंह हैं। वे दरबारी खास मुलाकाती व आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। वे गंडई से डेढ़ मील पड़रिया में रहते हैं, जिनकी जनसंख्या 1436 है। इस जमींदारी में खेती आधे से अधिक रकबे में होती हैं। कोदों अधिक होता है, यों तो चावल व गेहूँ भी थोड़े-थोड़े होते हैं।

सन् 1901-02 के बंदोबस्त के समय यहाँ की आमदनी 19,157 रुपए लेखी गई थी और सरकारी टकौली 6655 व अबवाब 682 रुपये स्थिर किये गये थे। इस जमींदारी में 46 वर्ग मील जंगल है जिसमें सागौन, बीजा, साज, हर्रा व बाँस बहुत हैं। गंडई खास में हर इतवार को बाजार भरता है। यहाँ के ढोरों का बाजार जिले भर में सबसे बड़ा समझा जाता है, यहाँ तक कि सागर, मंडला व बालाघाट जिलों के मवेशी भी यहाँ बिकने को आते हैं। पंड़रिया में बहुत बनियाँ बस गए हैं। गंडई और पंड़रियाँ एक तरह से उत्तरीय जमींदारियों के व्यापार केंद्र हैं। छुईखदान की सीमा से पास ही इस जमींदारी में एक चकनार नाम का गाँव है। यहाँ नरबदा कुंड नाम का एक गरम पानी का झरना है। कुण्ड के किनारे देवी का मंदिर है। यहाँ हर साल मेला भरता है और अनाज व ढोरों की प्रदर्शनी होती है। अन्य बाजार साल्हेवाड़ा में सोमवार और अवानकपुर में गुरुवार को भरते हैं। गंडई दुर्ग से 42 मील व राजनांद- गाँव से 44 मील पर है।

गंडई गाँव

रकबा 777 जनसंख्या 676। यह गाँव गंडई जमींदारी के मुख्य स्थान दुर्ग से 42 मील वायव्य में धमदा की सड़क पर है। यह सतपुड़ा पहाड़ से

लगा हुआ है। यहाँ से डेढ़ मील पर पड़रिया नाम का एक बड़ा मौजा है, जहाँ कि गंडई के जमींदार रहते हैं। गंडई में ढोरों का बहुत बड़ा बाजार भरता है। यहाँ पुलिस थाना, प्राइमरी शाखा, बारी कमास्टरी का बँगला व अस्पताल है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, जिसकी मरम्मत सरकार ने करा दी है। जिले भर में सबसे बड़ा मेला यहीं भरता है। इसके दरवाजे पर पाँचों पांडवों और कुंती और द्रौपदी के चित्र बने हैं और उनके नीचे नाम खुदे हैं।

गुंडरदेही जमींदारी

यह जमींदारी दुर्ग तहसील में दुर्ग के दक्षिण में है। वह चारों ओर खालसा से घिरी हुई है। विस्तार 83 वर्ग मील है। भूमि यहाँ की सम और उर्वरा है। जंगल का तो नाम तक नहीं है। शिवनाथ की सहायक नदी तान्बुला इस जमींदारी में, उत्तर से दक्षिण की ओर बही है। अन्य स्रोतों में पंडरा, सूखा, चेरिया, सेमरा और बंधा मुख्य हैं। एक जमींदारी के बड़े-बड़े गाँव तान्दुला के किनारे बसे हैं। प्राय: हर एक गाँव में एक-एक तालाब है, जो नहाने-धोने के साथ-साथ आबपाशी के भी काम आत है।

जमींदार कंवर जाति के ठाकुर हैं। आदि पुरुष माखनसिंह ने सन् 1525 ई. में बस्तर के राजा को हटाने में रतनपुर के राजा की सहायता की थी, इसलिए उसे यह जमींदारी जगीर में दी गई थी और राय की पदवी प्रदान की गई। तब इसमें 48 गाँव थे। कुछ दिन पीछे बालौद परगना मिल गया, तब माखन सिंह बालौद में जाकर रहने लगा। सन् 1540 ई. में चोर चाण्डालों के दमन करने के कारण उसे 4 तालुके अर्थात् रजोली, आरमोरी, अरजुंडा और गुरेड़ा और मिल गए। हर एक में बारह-बारह गाँव थे। माखनसिंह रतनपुर के राजाओं को एक अशर्फी टकौली देता रहा, परंतु जब मरहटों का अमल हुआ तो चार तालुके निकाल लिये गए और टकौली चार अशर्फी कर दी गई। पश्चात् एग्न्यू साहब ने 28 गाँव निकाल लिये और टकौली 5020 नागपुरी रुपये की नियत कर दी। इस प्रकार जमींदारी केवल 55 गाँव की रह गई। वर्तमान जमींदार निहालसिंह है। ये गुंडरदेही में रहते हैं। आबादी तेली, कुरमी व चमारों की है। यह जमींदारी इतनी सघन नहीं है। गुंडरदेही खास में सन् 1911 में 1219 मनुष्य व कंदूल में 1090 मनुष्य थे। इस जमींदारी में सैकड़ा पीछे 81 अंक

में खेती होती है। यहाँ की भूमि की उपजाऊ शक्ति का इस एक बात से पता चलता है कि खेती की दो तिहाई भूमि कन्हार है। एक पंचमांश मटासी व सप्तामांश डोरसा है। भाटा केवल सौ में तीन अंक है। चावल, मूंग, उड़द, कोदों, कुटकी, अलसी और गेहूँ की विशेष पैदावारी है। ताब्दुला के किनारे के कई गाँवों में तरकारियाँ और बिही बहुत पैदा होती है। पिछले बंदोबस्त के समय इस जमींदारी की आय 23,887 रुपये लेखी गई है, जिस पर 6700 रुपए टकौली व 964 अबवाब लगाए गए थे। गुंडरदेही राजनांदगाँव से 23 मील पर है और दुर्ग स्टेशन से तो केवल 17 मील है। यहाँ से दोनों जगहों को पक्की सड़कें बनी हुई हैं। मुख्यत: व्यापार नांदगाँव ही से होता है। गुंडरदेही में प्राइमरीशाला अस्पताल व डाकखाना हैं। हर बुधवार व शुक्रवार को बाजार भरता है।

गुरूर

रकबा 910 एकड़, मनुष्य संख्या 716। संजारी तहसील में बालौद से 23 मील धमतरी के रास्ते पर है। पाँच के समीप प्राचीन मंदिरों के खंडहर हैं। एक पत्थर पर शिलालेख हैं, उस में लिखा है कि 'स्वस्ति काकरय परममाहेश्वर सोमवंश कुछ तिलक राणक श्री बाघराज राज्ये' वहाँ के किसी निवासी ने उमाकाथ और कालभैरव की निमित्त कुछ भूमि प्रदान की। बाघराज कांकेर के राजा थे और बारहवीं शताब्दी के मध्य में राज्य करते थे। इस प्रकार गुरूर का लेख आठेक सौ बरस पुराना है। यहाँ सात फुट ऊँची गणेश की एक विशाल मूर्ति है। गुरूर में डाकखाना, प्राइमरीशाला और पुलिस थाना है। एक बारिक मास्टरी का बँगला भी है।

चंदखुरी

रकबा 1477 एकड़, मनुष्य संख्या 1514। बेमेतरा तहसील में बेमेतरा से 27 मील और नाँदघाट से 8 मील पर एक छोटा सा गाँव है। यहाँ अमेरिकन मिशन की एक शाखा है, जो निकटस्थ बैतालपुर में सरकारी सहायता से एक लड़कों व एक लड़कियों का स्कूल चलाती है। मिशनरियों ने यहाँ कुष्ठाश्रम खोल रखा है। जिसमें प्राय: 400 कोढ़ी रहते हैं। इन रोगियों के लिए एक निराला स्कूल है।

चौरेल

रकबा 1192 एकड़, मनुष्य-संस्था 719 है। गुंडरदेही जमींदारी में तान्दुला नदी से एक मील पश्चिम में है, यहाँ पर कई देवताओं की सुंदर पत्थर की मूर्तियाँ हैं। खुदाई का काम अच्छा है।

ठाकुरटोला जमींदारी

यह जमींदारी बेमेतरा तहसील में है। इसका क्षेत्रफल 183 वर्ग मील है। इसमें कुल 81 गाँव हैं, जिनमें से 10 ऊजड़ हैं। सारी जमींदारी जंगली है। उसका पश्चिमी भाग तो अत्यंत ही पथरीला है। खास ठाकुरटोला को छोड़ शेष भूमि तो खेती के योग्य भी नहीं है। दो–चार जगह डोरसा को छोड़ सब भाटा है। 44 गाँव पश्चिम में ऊँचे पर और 27 पूर्व में निचास में बसे हैं। बनभैंसों को छोड़ इस जमींदारी में हर तरह के जंगली पशु मिलते हैं। जंगल की मुख्य उपज सागौन, साज, बीजा, हर्रा, बाँस आदि हैं, परंतु इनको निकालने का सुभीता नहीं है। इस जमींदारी का मूल पुरुष चमारराय था। मरहटों ने उस को सन् 1842 ई. में पूर्व जमींदार को निकाल कर जायदाद बख्शी थी।

वर्तमान वंश का संबंध नरसिंहपुर जिले की दिलहरी व पिटेरा राजगोंड़ों के घराने से और जबलपुर जिले के गंडरा के राजा से है। जमींदारी बहुत ही बिरल बसी है। कुल जनसंख्या सन् 1911 में केवल 5032 निकली थी। निवासी अधिकांश गोंड़ हैं, जो कि साल अच्छा न होने पर अन्यत्र जा बसते हैं। खेती आधे से कुछ अधिक रकबे में होती है। मुख्य फसलें कोदों, कुटकी, चावल हैं। थोड़ा–बहुत गेहूँ भी कहीं–कहीं हो जाता है। ठाकुरटोला खास के आसपास गेहूँ अच्छा हो सकता है। इस जमींदारी की आय 7279 रुपये दी भी गई है। टकौली 1800 व अबवाब 219 रुपये जमींदारी में केवल एक ही सड़क है, जो गण्डई से ठाकुरटोला होती हुई खदान को चली गई है। ठाकुरटोला में हर सोमवार को बाजार भरता है। रामपुर में बुधवार और बकरखटा में भी शुक्रवार को हाट लगता है। ठाकुरटोला दुर्ग से 52 मील व खैरागढ़ से 17 मील पर है। गण्डई से तो 9 मील पर है। ठाकुरटोला और रामपुर में प्राइमरी शालाएँ हैं।

डोंड़ी लोहारा जमींदारी

संजारी तहसील में दुर्ग से 40 मील व बालौद से 12 मील पर है। इसका विस्तार 280 वर्ग मील है, जिसमें 37 वर्ग मील में घना जंगल है। कहीं-कहीं इस जमींदारी के भीतर खालसा के गाँव आ गए हैं, जैसे मध्य में दल्ली पट्टी के और डोंड़ी के पास खैरवाड़ी। इस जमींदारी में पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई हैं। उत्तर में पहाड़ियों की चोटियाँ चौरस हैं। दक्षिण में शिखरीली हैं। इन पहाड़ियों के कारण जमींदारी के 3 विभाग हो गए हैं, अर्थात (1) उत्तरीय भाग, जिस में से जागोरा नदी बही है (2) पश्चिमी भाग, जिसमें से खरखरा नाला बहा है (3) दक्षिणी विभाग, जिसमें तांदुला नदी बही है। तांदुला इस जमींदारी के पूर्वीय और खरखरा पश्चिमी सीमा बनाते हुए बही है। जमींदारी के अच्छे गाँव उत्तर ही में लोहारा खास के आसपास बसे हैं। पश्चिमी भाग के गाँव सब से खराब हैं। जंगलों में घास, हर्रा और सागौन खूब होता है। मालकसा और अंगारा के पास के जंगलों में बाँस बहुत मिलता है। कोपेदरा व अन्य कई पहाड़ियों में धाऊ बहुतायत से निकलती है।

यह जमींदारी पहले एक कटंगा नामी गोंड़ के अधिकार में थी, पर उससे उसका प्रबंध नहीं हो सकता था। इस कारण दलसाह नामक एक राज गोंड ने रतनपुर के राजा को बकाया चुका सन् 1532 ई. में अपने नाम पर लिखा ली। तब से उसी के वंशजों के हाथ में है। वर्तमान जमींदार लाल फत्तेसिंह हैं। वे लोहारा से 24 मील व खालौद से 12 मील डोंड़ी गाँव में रहा करते थे। बालौद से लोहारा तक एक पक्की सड़क बनी हुई है। जमींदारी में 147 गाँव हैं, इसमें विशेष कर हलबा, गोंड़, तेली, कलार ओर मरार बसते हैं। कुल जनसंख्या 27,737 है।

सबसे बड़ा गाँव डोंडी हैं। उसकी जनसंख्या 1146 है और लोहारा की 13144 है। खेती कुल रकबे के पंचमांश के दूने भाग में होती है। लोहारा के पास की जमीन डोरसा है। पूर्वी व दक्षिणी भागों में मटासी और माटा अधिक है। लोहारा के ईशान में कुछ गाँवों की जमींन कल्हार है। डोंडी के आस-पास की मटारी जमीन उपजाऊ है। कुसुमकसा व मेसाबोड़ के उत्तर की डोरसा

ककरीली है। मुख्य फसल ये हैं—चावल, कोदों, कुटकी, उड़द,मूंग, अलसी चना और गेहूँ। जमींदारी की कुल आमदनी 26,193 रुपये है। 6,800 ढकोली व 937111 अबवाब देना पड़ता है। इस जमींदारी के उत्तर से दक्षिण को होती हुई राजनांद गाँव अंतागढ़ सड़क गई है। इसी रास्ते द्वारा बंजारे हर्रा व अनाज कांकेर व नादगाँ ले जाते हैं। डोड़ी में डाकखाना, पुलिस थाना और प्राइमरी शाला है। वैसे ही लोहारा में भी पुलिस थाना, प्राइमरीशाला व डाकखाना है।

डोंड़ी में हर शनिवार व लोहारा में सोमवार और कुसुमकसा में हर शुक्रवार को बाजार भरता है। डोंडी लोहारा से एक मील पर स्टैरा नाम का ग्राम है, जहाँ मिशनरियों ने एक अनाथालय खोल रखा है।

तांदुला नहर

तांदुला नदी कांकेर रियासत के उत्तर से निकलकर बालौद, गंडरदेही से होती हुई जिले की दक्षिणी सीमा स्थित चांगोरी के पास शिवनाथ नदी में मिल गई है, नदी की कुल लंबाई लगभग 60 मील है। इसका सहायक सूखा नाला है। जो बालौद के पास इसमें मिल गया है। इस नदी का नाम तंदुल (चावल) शब्द के कारण पड़ा है। कहते हैं कि किसी गोंड़ ने इस नदी पर बंधान बाँध उसके द्वारा 400 एकड़ जमीन पर आबपाशी करके चावल पैदा किया था। अब यहाँ एक बड़ी भारी नहर बनाई गई है, जिससे दुर्ग जिले की प्राय: आधे हिस्से की और रायपुर जिले के कुछ भाग की आबपाशी होगी। इस नहर के प्रस्तुत करने में प्राय: एक करोड़ रुपया लगा है। यद्यपि महानदी नहर इस प्रदेश में सबसे बड़ी है तथापि जो काम तांदुला पर किया गया है, वह सबसे बढ़कर है। इसीलिए तांदुला नहर मध्य प्रदेश के सप्त प्रेक्षणीय स्थानों में गिनी जाती है। वे सप्तस्थल ये हैं—

मदनमहल, गोविंदभवन, जोमिनमठ, धुआँधार।
इम्प्रेस मिल, तदुंला नहर, नल मुगलई निहार।

दल्ली पहाड़

संजारी तहसील की डोंडीलोहारा जमींदारी में एक पहाड़ियों की श्रेणी है। इन पहाड़ियों में धाऊ बहुतायत से निकलती है। यहाँ झरने और दलदल हैं, कदाचित् दल्ली नाम से इसी से पड़ा हो।

दुर्ग तहसील

यह तहसील दुर्ग जिले के मध्य में है। उत्तर में बेमेतरा तहसील, पूर्व में रायपुर जिला, दक्षिण में संजारी तहसील और पश्चिम में खैरागढ़ व नांदगाँव की रियासतें हैं। तहसील की क्षेत्रफल 1064 वर्गमील है। इसमें केवल एक जमींदारी गुंडरदेही है, जिसका क्षेत्रफल 140 वर्ग मील है। शिवनाथ नदी इस तहसील के भीतर होकर बही है और खारून नदी ईशान की सरहद बनाती हुई निकल गई है। सारी तहसील में बबूल व आम वनों की बहुतायत है। सरकारी जंगल बिलकुल नहीं हैं। जमीन प्राय: सम है। मिट्टी काली व कहीं रेतीली है। यहाँ की भूमि चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी है। इस तहसील में तांदुला 'सोनबारसा' आमनेर आदि कई नदियाँ हैं, जिनके कछार उपजाऊ हैं। इस तहसील में से पक्की सड़क दुर्ग भिलाई आदि होती हुई गई है। इसी सड़क द्वारा इस तरह सील का व्यापार रायपुर जिले से होता आया है।

दुर्ग तहसील की जनसंख्या 2,46,691 है। इसी रकब की जनसंख्या सन् 1901 में, जब जिला अलग नहीं बना था, तब 2,09362 थी, अर्थात् दस साल में प्रतिशत प्राय: 18 जन की वृद्धि हुई थी। ग्राम संख्या 576 है। सन् 1911 में जिन गाँवों की मनुष्य संख्या 1000 से ऊपर थी, वे ये हैं। अर्जुंडा, अरंडा,कांदुल, चंदखुरी, केसरा, गुण्डरदेही, थनौद, नगपुरा, नवागाँव, नंदकठी, निकुम, पाटन, बटरैल, वोरई, भोरदाडीह, अनसुली और भिलाई। उसी वर्ष धमदा की आबादी 3059 और दुर्ग की 7048 थी।

दुर्ग तहसील की जमीन यों तो मुरमीली है, पर कहीं कहीं काली भी है। निदान संजारी तहसील से अच्छी ही है। शिवनाथ से मुंगेली तक के उत्तरीय हिस्से की मिट्टी काली है। कन्हार और डोरसा जमींन के जिन खेतों में बंधान बाँध कर खेती होती है, उनमें दो फसलें बराबर पैदा होती हैं। मालगुजारी व जमींदारी जंगल 163 वर्गमील है। मुख्य फसल चावल है। आधे रकबे में यही होता है, शेष में कोड़ों, कुटकी, उड़द, मूंग, मोठ आदि होते हैं। अलसी, लाखौरी, उड़द, मसूर, बटरा आदि चावल कट चुकने पर बोते हैं। तमाखू, गन्ना व कपास बहुत कम होता है।

पिछले बंदोबस्त में इस तहसील की सरकारी जमा 226,741 रुपये स्थिर की गई है।

इस तहसील में 7 रेवन्यू इन्स्पेक्टर हैं, वे बोरी, भिलाई, कुथरैल, नंदकठी, पांढर,करेला और गुण्डरदेही में रहते हैं। कुल पटवारी 140 हैं। फी रेवन्यू इन्स्पेक्टर के हलके में औसत 20 पटवारी व 90 गाँव पड़ते हैं। इस तहसील में कुल 6 पुलिस थाने–अरजुण्डा, दुर्ग, धमदा, पाटन, भिलाई व रनचिरई में हैं। पाठशालाएँ 58 हैं।

दुर्ग कस्बा

रकबा 1128, मनुष्य–संख्या 7048। दुर्ग जिले का सदर मुकाम है और बी.एन. रेलवे का स्टेशन है। दुर्ग रेल द्वारा कलकत्ता से 536 मील, बंबई से 685 मील और रायपुर से केवल 25 मील है। शिवनाथ नदी वहाँ से दो मील पर है। जनसंख्या के मान से मध्य–प्रदेश के शहरों में इसका नम्बर 48वां हैं। कहते हैं कि खीष्टीय 12वीं शताब्दी में मिर्जापुर से कोई जगपालसिंह नामी सरदार रतनपुर राजा का खजांची होकर आया। इसकी कार्यदक्षता से राजा रतनदेव इतना प्रसन्न हुआ कि उसे दुर्ग और उसके साथ 700 गाँव जागीर में दे दिए। इसलिए जगपाल दुर्ग में आकर रहने लगा। किंवदन्ती है कि इसी जगपाल ने राजिम में राजीव लोचन का मंदिर बनवाया और पूजा करने के लिए वह प्रतिदिन राजिम को जाया करता था। राजिम में एक शिलालेख है। उसमें जगपाल के कर्त्तव्यों का वर्णन है। उसने दुर्ग से लेकर बिन्दा नवागढ़ जमींदारी के दक्षिण भाग कांदा डोंगर और धमतरी तहसील के सिहाबा तक जीत कर रतनपुर के राज में मिला लिया था। उसमें यह भी लिखा है कि उसने अपने नाम पर जगपालपुर नामक शहर बसाया था। इस नाम का कोई ग्राम जिले में नहीं पाया जाता। अनुमान से जान पड़ता है कि दुर्ग या उसके निकटस्थ नगर का ही का नाम पलट कर उसने जगपालपुर रख दिया है। कालांतर में नगर और किला मिल कर एक हो गए हों। तब एक का नाम लुप्त हो जाना ही चाहिए। दुर्ग में एक शिलालेख मिला है। जिसके अक्षर राजिम के शिलालेख से पुराने हैं। दुर्ग के शिलालेख में शिवपुर और शिवदुर्ग का उल्लेख है और राजा का नाम शिवदेव लिखा है। इससे जान पड़ता है कि शिवदेव के जमाने में जगन और किला अलग–अलग थे और राजा के नाम पर धराए गए थे। जगपाल ने शिवदेव की देखा–देखी शिवपुर का जगपालपुर नाम कर दिया हो।

किले का ध्वंसावशेष अब भी विद्यमान है। इसके चारों ओर एक गहरी खाई थी, जिसके भी चिह्न मौजूद हैं। सन् 1941 में जब मरहटे छत्तीसगढ़ पर चढ़े थे, तब उन्होंने अपना केंद्र स्थान दुर्ग के किले ही में रखा था। खाई के तो अब बहुत से छोटे-छोटे तालाब बन गए हैं। दुर्ग बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ एक बुद्ध की मूर्ति तथा ऐसे कई चिह्न मिले हैं, जिनसे जान पड़ता है कि यहाँ बौद्ध मत का बड़ा प्रचार था। पाली असरों में यहाँ पर एक खंडित लेख भी मिला था। कस्बे के भीतर सारना बाँध नाम का एक बड़ा तालाब है। कहते हैं कि उसको नौ लाख ओड़ियों ने एक रात में बनाया था और अपनी टोकनियाँ (वर्तमान स्टेशन के पास) एक जगह पर गड़ा दीं, जिससे इतना बड़ा ढेर लग गया कि अब वह टकरना झरौनी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। दुर्ग में पीतल और काँसे के बर्तन अच्छे बनते हैं। कुछ कपड़ा बुननेवाले भी यहाँ बसते हैं। बाजार हर बुधवार व शनिवार को भरता है। यहाँ एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल, एक अस्पताल, एक पुत्रीशाला, एक पुलिस स्टेशन, एक डाकबँगला और सर्किटहाउस है। इमारतों में जिला कचहरी, जो दो लाख की लागत से बनी है, देखने योग्य है। यहाँ कोई जेल नहीं है। कैदी रायपुर भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर रायपुर मिशन संस्थान की एक शाखा है। यह कस्बा सन् 1906 में नोटिफाइड एरिया करार दिया गया था, अब म्युनिसिपालटी कायम हो गई है, जिसकी आमदनी लगभग 32000 रुपये हो जाया करती है।

देवकर

रकबा 2583, मनुष्य संख्या 1693। बेमेतरा तहसील में बेमेतरा से 17 मील नैऋत्य में सुरही नदी पर है। यहाँ कुछ खंडित मंदिर तथा सती के चोरे विद्यमान हैं। बस्ती में बनियों की अधिकता है और वे ही लोग इस गाँव के मालगुजार हैं। हर इतवार व बुधवार को बाजार भरता है, जिसमें अनाज और कपड़े की विशेष बिक्री होती है। यहाँ एक लड़कों की और लड़कियों की प्राइमरीशाला और डाकखाना है।

देव बलौदा

रकबा 1744, मनुष्य-संख्या 645। यह गाँव दुर्ग तहसील में दुर्ग से 14 मील व भिलाई रेलवे स्टेशन से दो मील पर है। यहाँ एक शिव का प्राचीन

मंदिर है, जिसमें अनेक प्रकार की मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। एक स्थल पर शूकर के शिकार का चित्र है, जिसमें शिकारी बरछी द्वारा शिकार कर रहे हैं। चौखट पर भी शूकर के आकार बने हुए हैं। कहते हैं कि पहले इस तरफ बहुत शूकर पाए जाते थे। मंदिर के भीतर चारों खम्भों और गर्भगृह के द्वार पर अनके सुंदर व प्रेक्षणीय चित्र खुदे हैं। द्वार पर गणेश की मूर्ति और उसके ऊपर सरस्वती की मूर्ति खुदी हुई है। समीप ही पत्थर का एक बड़ा कुआँ व तालाब है। कहते हैं कि इस मंदिर का मिस्त्री नग्न होकर कलश चढ़ाने को ऊपर चढ़ा। उस समय उसकी बहिन कलेवा लेकर पहुँची। उसको देखते ही मिस्त्री तालाब में कूद पड़ा। तब उसकी बहिन भी उसी तालाब में कूद पड़ी और दोनों पत्थर के हो गए।

धमदा

रकबा 3416, मनुष्य-संख्या 3059, दुर्ग तहसील में दुर्ग से 21 मील उत्तर को बेमेतरा के रास्ते पर शिवनाथ से 3 मील बसा हुआ है। किंवदती है कि धमदा के बसाने वाले कुछ गोंड़ थे, जिनको रतनपुर के राजा ने एक पागल हाथी को बस में ले आने के कारण सरधा परगना इनाम में दिया था। सरधा परगना में इन गोड़ों को दो तालाब व दो मंदिर दिखे। उसी मनोरम स्थान पर वे लोग ठहर गए ओर धमदा गाँव की नींव डाली। यहाँ पर एक गढ़ी के खँडहर भी है। यह कदाचित् इन्हीं गोंड़ सरदारों की बनवाई है। ये सरदार पंचभैया के नाम से प्रसिद्ध थे। किले के दो दरवाजे अब भी विद्यमान हैं। भीतर अनेक मंदिरों के खंडहर हैं। किले से लगा हुआ बूढ़ा नाम का एक बड़ा तालाब है। छोटे-मोटे अन्य कई तालाब हैं। छत्तीसगढ़ में धमदा किसी समय रतनपुर को छोड़ सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यहाँ पीतल आदि के बर्तन बनाने का काम होता है। पान की खेती विशेष कर की जाती है। यहाँ के पान दूर-दूर तक भेजे जाते हैं। गाँव में कई साहूकार बसे हैं। अनाज विशेष कर गेहूँ का बड़ा व्यापार होता है। हर मंगलवार को यहाँ बाजार भरता है। यहाँ पाठशाला, डाकखाना, पुलिस थाना व बारिक मास्टरी का एक बँगला हैं।

नगपुरा

एकड़ या मील, मनुष्य संख्या 1452। दुर्ग तहसील में दुर्ग से लगभग 5 मील वायव्य में शिवनाथ नदी पर एक बड़ा गाँव है। यहाँ की जमीन दो फसली और अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ एक जैन मंदिर है। कहते हैं कि आरंग, देवबलौदा और नगपुरा के मंदिर एक ही रात को बने थे। यहाँ प्राइमरीशाला है।

नवागढ़

एकड़ या मील, मनुष्य संख्या 2434, बेमेतरा तहसील के उत्तर में बेमेतरा से प्राय: 15 मील और दुर्ग से 63 मील पर मोरंगिया नाले के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। नवागढ़ किसी समय गोंड़ राजाओं को राजधानी थी। इन लोगों ने दो तालाब खुदवाए थे। किले की खाई तो अभी तक मौजूद है। नवागढ़ छत्तीसगढ़ के 36 किलों में गिना जाता था। मरहठों के जमाने में और अंग्रेजों के समय में भी नवागढ़ सन् 1964 ई. तक तहसील का केंद्र बना रहा। यहाँ खेड़ापति का एक प्राचीन मंदिर बना है, जिस पर कहते हैं सम्वत् 704 पड़ा है। यहाँ एक तरह का लाल पत्थर मिलता है, जिसकी कूंड़ी चौकिया आदि बनाते हैं। कपड़ा बुनने और बर्तन बनाने का काम भी होता है। हर मंगलवार तथा इतवार को बाजार भरता है। यहाँ प्राइमरीशाला, पुलिस थाना और डाकखाना है।

परपोड़ी जमींदारी

बेमेतरा तहसील में धमदा के वायव्य में है। इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग मील और जनसंख्या 8096 है। कुछ गाँव 24 हैं। उन सबमें अच्छी खेती होती है। इस जमींदारी में जंगल का तो नाम ही नहीं है। कन्हार और डोरसा जमीन की अधिकता है। नरबदा नाला इस जमींदारी की उत्तरीय सीमा पर से बहता है।

यहाँ के जमींदार का वंश प्राचीन है। ये लोग घमदा के गोंड़ राजवंश से सम्बंध बतलाते हैं। कहते हैं इनके एक पूर्वज दुर्जनसिंह ने भोंसलों को सम्बलपुर जीतने में सहायता की थी, इसलिए उन्होंने छुईखदान की रियासत

बख्श दी थी। दुर्जन के नाती धनसिंह ने वह रियासत कर्ज में खो दी। वर्तमान जमींदार लाल राजेंद्रसिंह नाबालिग है। उनका संबंध जबलपुर जिले में इमलई के राजा से है। यह जमींदारी खूब सघन बसी है। तेली, लोधी, गोड़, और मरार अधिक हैं। सबसे बड़ा गाँव परपोड़ी है, जिसकी जनसंख्या सन् 1911 में 8066 थी। यहाँ प्राइमरीशाला व डाकखाना है।

सन् 1901–02 में इस जमींदारी की आय लगभग 10,900 रुपये कूती गई थी। इस पर 3500 टकोली और 415 रुपये अबवाब बैठाए गए थे। परपोड़ी खास में कुछ कच्छी आकर बस गए हैं। ये लोग गेहूँ, चना, तिल्ली आदि राजनांदगाँव को भेजते हैं और शक्कर, नमक, सन्, कपड़ा और मिट्टी का तेल आदि वहाँ लाते हैं। बाजार हर शुक्रवार और सोमवार को भरता है। परपोड़ी दुर्ग से 33 मील व धमदा से केवल 12 मील है।

पाटन

एकड़ या मील, जनसंख्या 1507। दुर्ग तहसील में दुर्ग में 20 मील आग्नेय में है। यह छत्तीसगढ़ के 36 किलों में से एक था। कहते हैं इसका असल नाम भंगपुर पाटन या अंधेर नगरी था, जिसके विषय में कहावत प्रसिद्ध है 'अंधेर नगरी अनबूझ राजा'। टकासेर भाजी टका सेर खाजा। इस गाँव में 22 तालाब हैं, जिनमें से 18 तो आबपाशी के काम आते हैं। इनमें से एक अगर तालाब है। इसको लोग बुद्धिनाशा भी कहते हैं, क्योंकि पहले जो इसका पानी पीता था, उसकी बुद्धि नष्टहो जाती थी और वह पागल हो जाता था। ठीक इसके विरुद्ध भोज राजा की धारा नगरी वर्तमान धार में एक सरस्वती कूप था, जिसे अब अक्कलकुई कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि इसका पानी पीने से अक्ल तीव्र हो जाती है। पाटन में आसपास के बहुत से मालगुजार तथा साहूकार रहते हैं। यहाँ पुलिस थाना, प्राइमरीशाला और डाकखाना है। हर मंगलवार को बाजार भरता है।

पानाबारस जमींदारी

यह और औंधी जमींदारी एक ही जमींदार के हाथ में है। इसका आकार पंचकोण है। उत्तरीय भाग पहाड़ी व जंगली है। पूर्वीय हिस्सा भी पहाड़ी है। इन दो हिस्सों के बीच सैकड़ों नाले हैं, जिनके कारण भूमि खेती के उपयुक्त

हो गई है। जमींदारी का क्षेत्रफल 619 वर्ग मील और जनसंख्या 28038 है। इसमें 181 गाँव हैं। शिवनाथ नदी जमींदारी से निकली है और इस जमींदारी व चांदा की पश्चिमी सीमा बनाती हुई उत्तर को चली गई है। इस जमींदारी में रामगढ़ नामी एक पुराना किला है और देवलसुर गाँव में कुछ मंदिरों के ध्वंसावशेष हैं। पहले जमींदारी का सदर मुकाम पानाबारस था। अब वहाँ से 10 मील मोहाला में हैं। इस जमींदारी में सागोन बहुत होता है। यह जमींदारी प्राचीन है और चांदा के गोंड राजा की दी हुई बतलाई जाती है। कहते हैं, जमींदारी के पुरखा धामशाह ने मुगल सेना का सामना ऐसी बहादुरी से किया कि बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे बैरागढ़ राज का सरदार बना दिया। सन् 18 18 ई. की हलचल के समय निजामशाह आपा साहब से अंग्रेजों के विरुद्ध मिल गया। इन लोगों ने रांगी के पास गिलगाँव में एक बार अंग्रेजी फौज के 70 जवानों की टोली बिलकुल काट डाली थी, परंतु अंत में हार कर कांकेर का आश्रय लेना पड़ा। सरकार ने पीछे से क्षमा प्रदान कर जमींदारी लौटा दी। धर्तमान जमींदार दामेशाह है। जमींदारी की कुल आमदनी 25000 है, खर्च भी लगभग 17000 है। यहाँ की आबादी बढ़ती जाती है। कारण यह है कि इस इलाके में बहुत सी जमीन बिना जुती पड़ी है। यहाँ गोंड़, हलबा, कलार, कंवर अधिक हैं। चावल, कोढ़ी, कुटकी और अलसी की पैदावारी विशेष होती है। पिछले बंदोबस्त के समय इस जमींदारी की वार्षिक आय 18189 लेखी गई थी, जिस पर 1500 टकौली व 605 रुपये अबवाब लगाये गए थे। जमींदारी में कोई बड़ा गाँव नहीं है। पानाबारस की जनसंख्या केवल 350 है और मोहालों की 489। मोहाला राजनांद गाँव से 47 मील और दुर्ग से 65 मील है। यहाँ से चौकी को भी सड़क गई है। यहाँ प्राइमरीशाला और डाकखाना है। एक निजी अस्पताल भी है।

बनबरद

रकबा 2117, मनुष्य-संख्या 622 है। दुर्ग तहसील में दुर्ग से प्राय: 14 मील उत्तर में नंदकठी के समीप है। यहाँ एक रामचंद्र का मंदिर है तथा अन्य कई प्राचीन इमारतों के ध्वंसावशेष हैं। एक पत्थर में गाय व बछड़े की मूर्ति बनी है। पास ही में एक पत्थर का कुआं हैं। इसका इतना महात्म्य माना

जाता है कि गोवध करने वाला यदि इस कुएँ में स्नान कर उन मूर्तियों को पूजा करे तो हत्या के पातक से मुक्त हो जाता है। यहाँ कई तालाब हैं, जिनमें गटवा नामक विशेष प्रसिद्ध है और बड़ा पवित्र समझा जाता है। लोग कहते हैं बनबरद कभी राजधानी का स्थान था।

बरबसपुर जमींदारी

यह बेमेतरा तहसील में एक छोटी सी जमींदारी है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्गमील है और ग्राम संख्या 23 है। जमींदारी असल में दो विभागों में बँटी हुई है। एक तो पश्चिम भाग, जो कि सिलहटी जमींदारी के दक्षिणी में है और दूसरा पूर्वी, जो नांदगाँव और खैरागढ़ रियासतों से लगा हुआ है। दोनों भागों के बीच में 6 मील गंडई आड़ी आ गई है। पश्चिमी भाग की भूमि निकृष्ट है, पूर्वी भाग की जमीन डोरसा या कन्हार है, जिसमें ढन्हारी पैदा होती है।

जमींदार गंड़ई वंश का धुरगोंड हैं। यह जमींदारी बाजीराव भोंसले के समय में गंड़ई से अलग कर दी गई थी। वर्तमान जमींदारिन सोनकुंवर बाई है। इस जमींदारी में कोई बड़ा गाँव नहीं है। बरबसपुर खास में केवल 135 मनुष्य बसते हैं। जमींदारिन बरबसपुर में रहती हैं। वहाँ एक प्राइमरीशाला है। बरबसपुर दुर्ग से 34 मील व राजनांदगाँव से 40 मील है।

सन् 1901-02 के बंदोबस्त के समय इस जमींदारी की कुल आय 6251 रुपये आँकी गई थी, जिस पर 2080 रुपये टकौली व 240 रुपये अबवाब बैठाये गए थे। डोंगरगढ़ पंडरिया सड़क जमींदारी के बीचोबीच होकर निकल गई है।

बालौद

एकड़ या मील, मनुष्य संख्या 2326। बालौद संजारी तहसील का सदर स्थान है, यह तान्दुला नदी के बाएँ किनारे पर दुर्ग से 34 मील पर बसा हुआ है। जब सन् 1906 में दुर्ग का नया जिला बना, उस समय बलौद संजारी तहसील का केंद्र नियत किया गया, पर रायपुर जिले में बलौदा बाजार नाम की तहसील रहने के कारण इस तहसील का नाम बालौद न रखकर संजारी रख दिया था। यह गाँव प्राचीन है। यहाँ बहुत से प्राचीन मंदिरों के खंडहर हैं। कपिलेश्वर नामक एक चोकोण तालाब के किनारे एक जगह सात मंदिर

बने हुए हैं, जिनमें दो नवीन हैं। यहाँ दो शिलालेख भी मिले हैं। एक सती के चीरे पर 3 भिन्न-भिन्न समय के लेख हैं, जिनकी तारीखें घिस जाने के कारण सब पढ़ी नहीं जा सकीं। पुरातत्तववेत्ता रायबहादुर हीरालाल साहब ने एक लेख का संवत् 1005 पढ़ा है, उसी पर जो दूसरा लेख है, उसको प्रिन्सेस साहब राष्ट्रीय द्वितीय शताब्दी का बतलाते हैं। यदि उनका सिद्धांत ठीक हो तो यह सबसे प्राचीन सती चीरा ठहरेगा। यहाँ प्राय: 25 तालाब हैं, सबसे बड़ा तालाब बूढ़ा है। इसमें इतना पानी रहता है कि सूखा पड़ने से चार गाँवों की आवपाशी हो सकती है। इस तालाब के एक ओर ईंट-चूने की बनी हुई गढ़ी है। दीवारें जीर्ण अवस्था में हैं। तालाब के किनारे सुंदर मूर्तियाँ हैं। यहाँ सीताफल व आम के वृक्षों की बहुतायत है। लाख और हर्रे का व्यापार अच्छा होता है। हर बुधवार को बाजार भरता है। यहाँ पाठशाला, डाकखाना, पुलिस थाना, अस्पताल व बारीक मास्टरी का एक बँगला और सराय है।

बेमेतरा तहसील

यह तहसील दुर्ग जिले के उत्तर में है। यह मुंगेली तहसील का कुछ हिस्सा व रायपुर जिले की सिमगा तहसील मिलाकर बनाई गयी है। तहसील के उत्तर में बिलासपुर जिला व कवर्धा रियासत है, पूर्व में रायपुर जिले की बलौदा बाजार तहसील, दक्षिण में दुर्ग तहसील और पश्चिम में खैरागढ़ व छुईखदान रियासतें और बालाघाट जिला है। तहसील का क्षेत्रफल 1566 वर्गमील अर्थात जिले का एक तृतीयाँश है। इनमें से 614 वर्ग मील जमीदारियों के अंतर्गत है। शिवनाथ नदी दुर्ग तहसील से बहकर बेमेतरा तहसील में चली आयी है और फिर उत्तर व पूर्व की ओर बहती हुई बिलासपुर जिले में चली गई है। बेमेतरा तहसील के मालगुजारी रकबे में जंगल नहीं है। उसमें नदी-नाले बहुत होने से भूमि अधिक उपजाऊ है। यहाँ मनुवा कुरमी बसे हैं, वे तालाबों से भी आवपाशी करते हैं और जमीन अच्छी कमाते हैं। इस तहसील में 6 जमींदारियाँ हैं अर्थात् परपोंड़ी, बरबसपुर, सिलहटी, ठाकुरटोला, गंडई और सहसपुर लोहारा। परपोड़ी जमींदारी को छोड़ अन्य ज़मीदारियाँ सब पहाड़ी हैं। इस तहसील की जनसंख्या सन् 1911 में 2,67,497 थी, सन् 1901 में वह 2,40,846 थी। जमींदारियों की जनसंख्या 1911 में 58,742

निकली थी। बेमेतरा तहसील में 885 गाँव आबाद हैं। सन् 1911 में नवागढ़ व लोहारा की आबादी 2000 से ऊपर थी और 11 ऐसे गाँव निकले, जिनकी मनुष्यसंख्या एक और दो हजार के भीतर थी। वे ये हैं—बेमेतरा भिंभोरी, चंदखुरी, देवकर, कुसमी, खुड़मुड़ा, मानमह्डीह, मरौद, सरधा, पड़रिया, परपोंडी। मालगुजार अधिकतर कुरमी व ब्राह्मण हैं। बस्ती विशेष कर तेली, लोधी, राजपूत, बनियाँ और गोसाइंयों की है, परंतु अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की अधिकता है। जमींदारियों के एक पंचमंश रकबे में खेती होती है और मालगुजारी में चार पंचमांश में। मुख्य फसलें चावल, गेहूँ और कोदों हैं। सरकारी जमा (173755) है। इस तहसील में 9 रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हैं। ये मारी, नवागढ़, आनंदगाँव, देवकर, बहेरा, गंडई और सहसुपर लोहारा में रहते हैं। कुल पटवारी 134 हैं। फी रेवन्यू इन्स्पेक्टर के हलके में 19 पटवारी व 156 गाँव पड़ते हैं। इस तहसील में 6 पुलिस थाने हैं, वे बेमेतरा, नवागढ़, नाँदघाट, गंड़ई, बरेला और सहलपुर लोहारा में हैं। स्कूल 54 हैं।

बेमेतरा गाँव

एकड़ या मील मनुष्य संख्या 1888। बेमेतरा तहसील का सदर मुकाम है, यह दुर्ग से 47 मील वायव्य में तथा तिलदा स्टेशन से 24 मील सिमगा कवर्धा सड़क पर बसा है। दुर्ग से यहाँ तक पक्की सड़क बनी हुई है। अधिकांश बस्ती कुरमियों की है। यहाँ प्रत्येक बुधवार व शनिवार को हाट भरता है। यहाँ वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल, डाकखाना, पुलिस थाना, अस्पताल, सराय व बारीक मास्टरी का बँगला है।

माली घोड़ी

संजारी तहसील में लोहारा की सड़क पर बालौद से 5 मील पर है। यह तीन गाँवों की सरहद पर एक हाट भरने का स्थान है। कहा जाता है कि पहले यहाँ एक बनजारा रहता था। इसके पास एक कुत्ता था। एक बार उसने किसी साहूकार के पास उस कुत्ते को धरोहर धर कर कुछ रुपया उधार लिया। कुछ दिनों बाद उस साहूकार के घर चोरी हो गई, चोर लोग सब माल-मत्ता एक तालाब में छिपा आये। कुत्ते ने चोरों को माल छिपाते हुए देख लिया और साहूकार पर किसी प्रकार प्रकट कर दिया, जिससे उसका सारा माल उसे मिल

गया। साहूकार कुत्ते की इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और एक चिट्ठी उसके गले में यह लिखकर बाँध दी कि तेरे मालिक का कर्जा अदा हो चुका अब तू उसके पास लौट जा। इधर कुत्ता अपने मालिक की खोज में निकला, उधर संजारा, जो कि रुपए वापिस करने के लिए आ रहा था, बीच में मिल गया। बंजारे ने चिट्ठी तो देखी नहीं और समझ लिया कि कुत्ते ने विश्वासघात किया और गुस्से में आकर उसे मार डाला, पर जब उसकी नजर उसकी उस चिट्ठी पर पड़ी, तब तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने उस कुत्ते के स्मरणार्थ एक मंदिर बनवा दिया, जो कि कुकर्रामढ़ी के नाम से आज भी विख्यात है, उसके भीतर केवल एक कुत्ते की मूर्ति है।

शिवनाथ नदी

यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पानाबारस जमींदारी की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर व वायव्य दिशा में बहती हुई अम्बागढ़ चौकी के पास से निकल गई है। शिवनाथ, नांदगाँव, अम्बागढ़ चौकी के पास से निकल गई है। शिवनाथ, नांदगाँव, अम्बागढ़ चौकी और खुज्जी की सीमा बनाती हुई वही है। थोड़ी दूर तक तो यह नांदगाँव और दुर्ग की सीमा बनाती हुई बही है, पर एकाएक पूर्व की ओर घूमकर नांदगाँव रियासत में प्राय: 16 मील तक बहकर फिर दुर्ग जिले में आ गई है। शिवनाथ चंगोरी गाँव के पास तान्दुला नदी से मिलकर कर उत्तर की ओर बहती हुई दुर्ग के पश्चिम से केवल दो मील की दूरी से निकल गई है। उत्तर को बहती हुई वह धमदा से तीन मील व सिमगा के समीप से होती हुई निकली है। रायपुर और दुर्ग की सीमा पर जमघाट के पास इसमें खारून नदी मिली है और चार मील आगे चलकर इसमें हांपनदी गिरी है। इसके बाद वह रायपुर और बिलासपुर के बीच में प्राय: 40 मील लंबी सरहद बनाती हुई शिवरीनारायण के पास देवघाट में महानदी से मिल गई है। शिवनाथ की कुल लंबाई 220 मील है, जिसमें 80 मील तो दुर्ग में बही है। इसके दाहिने किनारे की मुख्य सहायक नदियाँ तान्दुला और खारून और बाईं ओर सोनबारसा, आमनेर, हांप दुर्ग जिले में और मनियारी, आरपा और लीलागर बिलासपुर जिले में हैं। शिवनाथ का कछार प्राय: रेतीला है। सिमगा व तरेंगा के आस-पास चट्टानें भी हैं। इस

नदी का पाट अधिक से अधिक पौन मील चौड़ा है और कगारें 20 से 25 फुट तक ऊँची हैं। इस नदी में ककड़ी व तरबूजों की खूब पैदावार होती है। शिवनाथ के विषय में किंवदंती है कि किसी समय शिवा नाम की एक गोंड़ की लड़की थी। उसे एक गोंड़ अपने साथ विवाह करने के लिए पकड़ ले गया। शिवा ने निषेध किया तो गोंड़ ने उसे मार कर एक खंदक में फेंक दिया और वहीं से शिवनाथ नदी बह निकली।

सतपुड़ा पर्वत

इस पर्वत श्रेणी की पश्चिमी शाखा मैकल इस जिले के वायव्य से होती हुई निकल गई है। इसके कगार में कुछ जमींदारियाँ पड़ती हैं। मैकल पर्वत की चोटी अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा निकली है। उसको मैकलसुता भी कहते हैं। वह इस मध्यप्रदेश की श्रेष्ठ नदी है। अजहण ने अपनी सूक्ति मुक्तावली में लिखा है—

नदीनां मेकलसुता नृपाणा रणविग्रहः।
कवीनां च सुरानन्दश्चेदिमंडलमण्डनम्॥

अर्थात्

नदिन मांहि मेकल सुता रणविग्रह नृप मांहि।
सुरानन्द सुकवीन महं चेदी मण्डन आंहि॥

सहस्त्रपुर लोहारा जमींदारी

बेमेतरा तहसील में जिले की वायव्याय सीमा पर है। क्षेत्रफल 146 वर्गमील है, इसमें 88 गाँव हैं, जमीन कन्हार और डोरसा है, जिनमें फसलें अच्छी होती हैं। इस प्रकार उपज के हिसाब से जमींदारी अच्छी है, पर बहुत पीछे पड़ी हुई है। 60 वर्गमील का तो जंगल ही है, जिसमें सरई, साज, बाजा व हर्रा के झाड़ बहुत होते हैं। पहले यह जमींदारी कवर्धा रियासत के अंतर्गत थी। अब कवर्धा के ठाकुर ने उसे बैजनाथसिंह को बख्श दिया। तब वह अलग जमींदारी हो गई। जमींदार बेलकरियाँ गोंड़ हैं। जमींदारी की जनसंख्या 6467 हैं। गोंड, क्षत्री, तेली मुख्य निवासी हैं। इस जमींदारी में लोहारा को छोड़ और दूसरा बड़ा स्थान नहीं है। लोहारा की जनसंख्या सन् 1911 में 2255 थी। यहाँ प्राइमरीशाला, डाकखाना व पुलिस थाना है। एक नये बगीचे

में एक कुआं बहुत कारीगरी से बनाया गया है।

जमींदारी के पूर्वी हिस्से में रबी की फसल पैदा होती है, पश्चिमी हिस्सा पथरीला है, उसमें ज्वार और अन्य खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। मुख्य उपज कोदों, कुटकी, गेंहू रुपये और तिलों की हैं। जमींदारी की आय 23574 मानी गई है, इसमें से 8000 रुपये सरकारी टकौली और 893 अबवाब के देने पड़ते हैं। इस जमींदारी में से पंडरिया ढोंगरगढ़ सड़क गई है। लोहारा में बुधवार, चारभाटा में गुरुवार और बछेड़ों में हर मंगलवार व शनिवार को बाजार भरते हैं।

सहस्त्रपुर गाँव

एकड़ या मील मनुष्य संख्या 463—यह गाँव दुर्ग से प्राय: 60 मील व राजनांद गाँव से 62 मील पर है। कहते हैं कि गाँव का नाम हैहयवंश के आदि पुरुष सहस्त्रार्जुन के नाम पर से निकला है। यहाँ एक बड़ा तालाब है, जिसके किनारे एक मूर्ति हैं, जो सहस्त्रार्जुन की बतलाई जाति है। इस मूर्ति के नीचे खुदे हुए लेख में कलचुरि सम्वत् 937 (सन् 1182) दिया हुआ है। लेख में राजा यशोराज रानी लक्ष्मी देवी और उनके पुत्र कुमार भोजदेव व राजदेव व कुमारी जासल्लादेवी का उल्लेख है।

सिलहटी जमींदारी

यह बेमेतरा तहसील में एक छोटी सी जमींदारी है। इसका क्षेत्रफल 53 वर्गमील है। पश्चिमी भाग भाटा है, परंतु पूर्वी भाग की जमीन डोरसा और कन्हार है, जिसमें उपज अच्छी होती है। जमींदारी में 30 गाँव है। लगभग 24 वर्गमील में जंगल है, जिसमें सरई, साज, व हर्रा आदि बहुत हैं। यह जमींदारी पहले गंडई जमींदारी में शामिल थी। जनसंख्या 4607 है। इस जमींदारी में सिलहटी खास को छोड़ और दूसरा कोई प्रसिद्ध गाँव नहीं है। यह दुर्ग से 50 मील व नांदगाँव से 51 मील पर है। जनसंख्या सन् 1911 में 725 थी। यहाँ एक प्राइमरीशाला है। हर शुक्रवार को बाजार भी भरता है। यहाँ की मुख्य फसलें कोंदों, कुटकी, गेहूँ और चावल है। जमींदारी की आय 5770 रुपये कूटती गई थी, जिसमें से 1790 रुपये टकौली और 201 अबवाब देने पड़ते हैं।

सोरर

रकबा 1309, मनुष्य संख्या 815—संजारी तहसील में बालौद से 9 मील पूर्व में है। यहाँ के खंडहरों आदि के देखने से पता चलता है कि किसी समय यह प्रसिद्ध स्थान रहा होगा। यहाँ बड़े-बड़े पत्थरों की कतार है। इन पत्थरों के आसपास चबूतरे बने हैं। रायबहादुर हीरालाल साहब का मत है कि ये प्राचीन समय की कब्रें हैं। अन्यत्र भी ऐसी कब्रें पाई जाती हैं। भेद केवल इतना है कि सोरर की कब्रों के बीच में खड़े खंभे हैं, जो कदाचित् वंश के मुख्य पुरुष के सूचनार्थ लगाए गए हों। छत्तीसगढ़ में इस तरह के पत्थर और कहीं नहीं पाये जाते। कहते हैं कि पहले सोरर एक राजा की राजधानी थी। किंवदंती है कि एक राजा बाज से शिकार खेल रहे थे। उनका बाज उड़ गया। ये पीछे हो लिये और एक कलारिन के घर पर पहुँचे। उसने इन्हें थके देखकर कहा कि आप रात को विश्राम करो, क्योंकि आप का राज्य यहाँ से बहुत दूर है। राजा ठहर गये पर इस स्त्री पर अनुरक्त हो गए और उससे विवाह कर लिया। उसके पुत्र हुआ, जिसका नाम छछान-छाड़ू रखा गया। यह लड़का बड़ा शूरवीर एवं योद्धा निकला और अपने समीपवर्ती सभी राजाओं व सरदारों को जीत डाला। वह जिनको हरा देता था, उनकी रानी या कुमारियों से अपना विवाह कर लेता था। इस तरह होते-होते उसके 160 रानियाँ हो गयीं। इनसे वह खलबट्टों में चावल कुटाया करता था। अभी सोरर के पत्थरों में 160 छिद्र विद्यमान हैं। छछानछाड़ू बड़ा लम्पट था। वह किसी से भी उलझ पड़ता था। यह देखकर उसकी माँ बहुत डर गई। उसको सिवाय उसके नष्ट कर देने के दूसरा उपाय न सूझा। तब उसने उसे बहुत प्यास लाने वाला भोजन खिलाया। जब छछानछाड़ू पानी पीने के लिए कुएँ पर गया, तब उसने उसे ढकेल दिया और आप भी खंजर मार कर मर गई। सोरर में आज भी एक मूर्ति खंजर लिये बतलाई जाती है, जो कहते हैं, उसी कलारिन की है। छछानछाड़ू की सोरर व आसपास के गाँवों में पूजा होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ सोरा (सोलह) मुहल्ले थे, इसलिए गाँव का नाम सोरर रखा गया। किसी-किसी का कथन है कि इसका प्राचीन नाम सरहरागढ़ था, जिसका जिक्र राजिम के शिलालेख में किया गया है।

संजारी तहसील

दुर्ग जिले की दक्षिणी तहसील है। जब दुर्ग का नया जिला बना, तब रायपुर जिले की दुर्ग व चमतरी तहसीलों से कुछ गाँव लेकर यह तहसील बनायी गई। रकबा इसका 2015 वर्गमील अर्थात् जिले का लगभग अर्द्धांश है। इसमें से 174 वर्ग मील सरकारी जंगल है। तहसील का सदर मुकाम बालौद है। यह गाँव दुर्ग से 35 मील पर है। इस तहसील के बालौद और रायपुर कमी बलौदा बाजार नाम की तहसील में भ्रम होने के भय से इस तहसील का नाम संजारी रखा गया है। संजारी तहसील के उत्तर में दुर्ग तहसील, दक्षिण व आग्नेय में रायपुर जिला नैऋत्य व पश्चिम में चांदा जिला और वायव्य में राजनांदगाँव है। तहसील का दक्षिणी व पश्चिमी हिस्सा पहाड़ी है। उत्तरीय व पूर्वीय भाग समान है। शिवनाथ नदी इस तहसील के पश्चिमी कोने से होती हुई गई है। खारून नदी ईशान कोण से होकर बही है। तान्दुला नदी तो इस तहसील के उत्तर से दक्षिण तक बालौद गुंडरदेही आदि गाँवों से होती हुई गई है। तहसील के दक्षिणी कोने से सूखा नामक एक जंगली नाला बहता है, जो कि बालौद के पास तान्दुला नदी में मिल गया है। तान्दुला से नहरें निकाली गई हैं, जो दुर्ग के बहुत से भाग की आवपाशी करेंगी। महानदी भी कुछ दूर तक इस तहसील की हद बनाती हुई बही है।

तहसील की जनसंख्या सन् 1911 में 2,61,500 निकली। सन् 1901 में 2,26,108 थी। सन् 1911 में इस तहसील की जमींदारियों की जनसंख्या 5,0718 थी। कुल तहसील में 1051 गाँव आबाद हैं। सन् 1911 में जिन गाँवों की जनसंख्या 1000 से ऊपर थी, वे ये हैं, अम्बरागढ़ चौकी, अरकार, कंवर, कनेरी, डोंड़ी मलारी, फादफोड़, बड़गाँव, माधोप्रसाद, बालौद खास, लोहारा और सम्बलपुर।

बालौद के आसपास की भूमि अत्यंत उर्वरा है, समान मैदानों की मिट्टी भी उपजाऊ है, पर इस तहसील में पीली पथरीली किस्म की बहुतायत है। चावल तो खेतों मे बधियाँ बाँध कर पैदा किया जाता है और जहाँ की जमीन कल्हार व डोरसा है, वहाँ दोनों फसलें तैयार की जाती हैं। मुख्य फसल चावल है, कोदों कुटकी, मूंग, उड़द, अलसी अन्य मुख्य फसलें हैं। आवपाशी की

जमीन पर चना, बटरा आदि भी बोते हैं। चना आदि चावल के खेतों में चावल काट लेने के बाद बोते हैं। इसको उतेरा कहते हैं। बराही, तम्बाकू कपास, मसूर आदि भी होते हैं।

इस तहसील की सरकारी जमा (140950) है। इस तहसील में 6 रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं। वे चौकी मोहाला, चिखली, बालौद, भंडेरा व गुरूर में रहते हैं। कुल पटवारी 122 हैं, फी रेवेन्यू इन्स्पेक्टर के हलके में औसत 20 पटवारी व 178 गाँव पड़ते हैं। पुलिस थाने 7 हैं, वे बालौद, गुरूर, पिनकापार, डोंड़ी, लोहारा, अम्बागढ़ चौकी और मोहाला में हैं। कुल मदरसे 68 हैं।

संजारी गाँव

रकबा 1560, मनुष्य संख्या 937। संजारी तहसील में दुर्ग से लगभग 29 मील पर एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव के नाम पर से तहसील का नाम रखा गया है। तहसील का सदर मुकाम बालौद में है। रायपर जिले में एक बालौदा बाजार नाम की तहसील है। कहीं बालोद और बलौदा में भ्रम न पड़ जाए, इसलिए तहसील का नाम बालौद न रख के संजारी रख दिया गया है। यह गाँव केवल इसी नामकरण के कारण प्रख्यात हो गया है।

❑

सूचना

मध्य प्रदेश के 22 जिलों और 14 रियासतों की पुस्तकावली 25 जिल्दों में तैयार होनेवाली है, इनमें से निम्नलिखित 3 जिल्दें छप चुकी हैं, 6 जिल्दें लिखी जा चुकी हैं और शेष लिखी जा रही हैं। साठ मरहठ जिलों की जिल्दें मरहठी भाषा में रहेंगी, शेष हिंदी हैं।

1. **दमोह-दीपका**—लेखक, रायबहादुर हीरालाल, जबलपुर, कीमत 11 रुपये।

2. **जबलपुर-ज्योति**—लेखक, रायबहादुर हीरालाल, जबलपुर, कीमत (11 रुपया)

3. **दुर्ग-दर्पण**—लेखक, गोकुलप्रसाद, अमरावती, कीमत 11 रुपये।

मिलने का पता—

गोकुलप्रसाद,

इन्कमटैक्स क्लेक्टर, अमरावती, बरार।

छत्तीसगढ़ गौरव-ग्रंथमाला पुष्प-2

बिलासपुर-वैभव

लेखक :

प्यारे लाल गुप्त

Bilaspur Vaibhav

Bilaspur District Gazeteer

(in Hindi)

By

Pyare Lal Gupta

सन् 1923

प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता रायबहादुर हीरालाल साहब, डिप्टी कमिश्नर ने जो मध्यप्रदेश के जिलों का रागटियर हिंदी में लिखने व लिखवाने का उपक्रम किया है, यह पुस्तक उसी का फल है। यह दो वर्ष पहले लिखी जा चुकी है, पर कई कारणों से इसका प्रकाशन अब हो रहा है। प्रयत्न किया गया है कि इसमें आज तक की बातें आ जाएँ।

विद्वान श्री पं. रघुवर प्रसाद जी द्विवेदी तथा श्री पं. लज्जाशंकर झा की सम्मति के अनुसार पुस्तक, यथा संभव सरल भाषा में लिखी गई है। बंधुवर पं. श्री लोचन प्रसाद श्री पांडेय, श्री दीनानाथ जी अग्रवाल तथा श्री सैयद अमीर अली 'मीर' से इस पुस्तक के संबंध में जो अनगिनत सहातार्थ मिली है, उसके लिए लेखक उनका सदा ऋणी रहेगा।

उनकी सहायता के बिना इस पुस्तक का प्रकाशन कठिन है।

—प्यारेलाल

बिलासपुर

माघ पूर्णिमा सं. 1917

1.2.1925

विलास वैभव—

बालपुर (इलाका चंद्रपुर) के प्रसिद्ध गो, ब्राह्मण, अतिथि सेवक

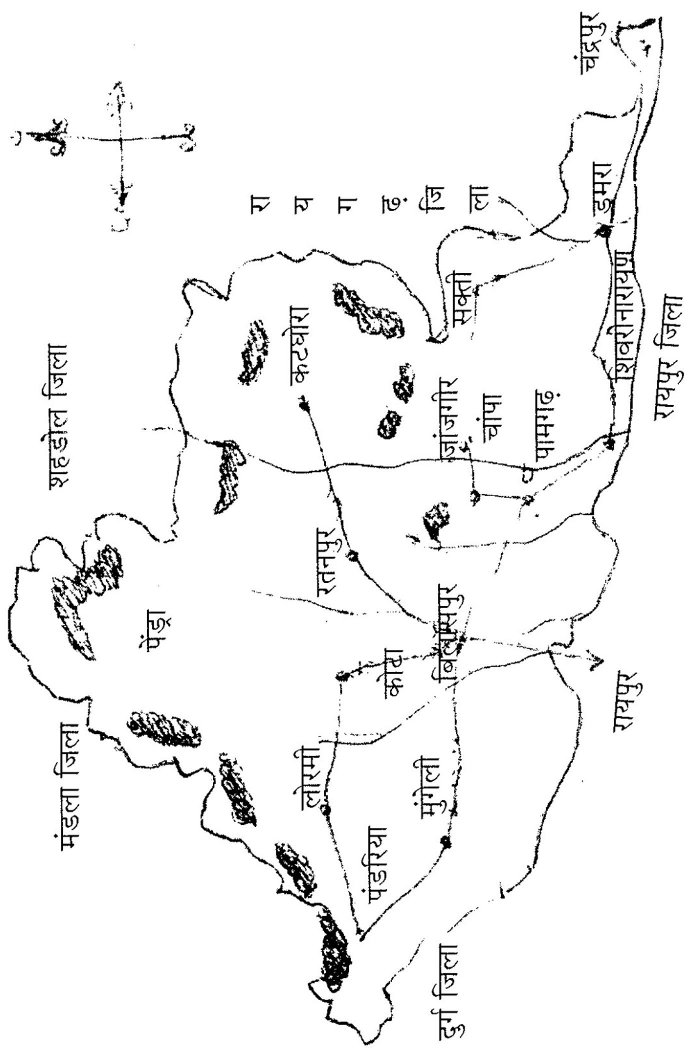
पं. शालग्राम पांडेय गौंटिया

Indian National Press Calcutta

The book has been sanctioned by the Director of Public Instruction central province and Berar for use are price and library book in vernacular middle, anglovernacular middle and Normal school of the central province of Berar, vide this ordinence no. 5522 date 2nd july 1921

इस पुस्तक को डायरेक्टर साहब शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश और बरार ने अपने हुक्म 5522, 2 जुलाई परख के द्वारा मध्यप्रदेश और बरार के एग्लो वर्नाकुलर मिडिल और नार्मल स्कूलों में स्थान देने और पुस्तकालय में रखने की मंजूरी दी है।

बिलासपुर जिले का नक्शा



विषय सूची

- **पाँचवाँ विकास—व्यवसाय**

  व्यवसाय, कोला टसर, अन्य धंधे, दियासलाई, कारखाना, मापजोख, व्यापर ऋण बाजार भाव

- **छठवाँ विकास—विपत्तियाँ**

  बाढ़, अकाल, हैजा, माता, प्लेग

- **सातवां विकास—मूल में नहीं**

  लेंड रिकॉर्ड, पुलिस, अन्य मुहकमें, स्ट्रिक्ट कौंसिल, म्युनिसपालिटी, सहकारी बैंक

- **आठवाँ विकास—प्रमुख ठौर**

  अलकतरा, अड़मार, अरपानदी, आगर नदी, कटघोरा तहसील, कटघोरा (गाँव), किरारी कुदुरमाल, कोटा, कोटगढ़, कोटमी, खरौद

  गतौरा, गनियारी, घूटकू, चांपा, छुरी

  जांजगीर तहसील, जांजगीर (गाँव)

  तखतपुर, तुमान, धनपुर, पाटली, पीथमपुर, पेंडरा, पंडिरया (गाँव), पांडातराई, बम्हनीडीह, बलोदा, बिलासपुर, बिलासपुर शहर बिसेसरा, बेलपान, मनियारी नादी, मल्लार, महमदपुर, महानदी, मानिकपुर, मुंगेली तहसील, मुंगेली शहर, मेकल पहाड़ी, रतनपुर, लाफा गाँव, गढ़ लीलागरनदी शिवनाथ नदी, शिवरीनारायण, सरकंडा, सोननदी, सोनसरी, हसदोनदी, हांकनदी

- **नवाँ विकास—जमींदारियाँ**

  उपरोडा, केंदा, कोरबा, कंनेली, चांपे, छुरी, मातिन, पेंडरा, पंडरिया, लाफा

  परिशिष्ट

पहला विकास

रूप

आकार

श्री विष्णु भगवान ने कछुए का रूप धारण करके पीठ पर मँदराचल पर्वत को ले, देवताओं और दानवों को समुद्र-मंथन में सहायता दी थी। बिलासपुर जिले का आकार करीब-करीब ऐसा ही है। पश्चिम में पंडरिया जमींदारी की पहाड़ियाँ कछुए के मुँह की तरह निकली हुई हैं। जिले के बीच का भाग उसकी पीठ के समान है। उत्तर में पेंडरा-मातिका पहाड़ी भाग मँदराचल पर्वत के सदृश है, जो कछुए की पीठ पर मानो मथानी की डांड़ी का काम दे रहा है। चंद्रपुर और पदमपुर की जमींदारियों को, जो पूर्व की ओर अलग लंबी निकली हुई महानदा के साथ-साथ चली गई है, बासुकी नाग की पूँछ और मुख समझिए, जिसने समुद्र के मथने में डोरी का काम दिया था।

बिलासपुर जिले को कछुए की उपमा लागू भी होती है। विपत्ति पड़ने पर यह कछुए की तरह सिर को सिकोड़कर पीठ पर अत्याचार की मार को सहता रहता है।

सीमा

यह जिला 23°/37' और 23°/7' उत्तरीय अक्षांश और 81°/12' और 8 3°/40'। पूर्वार्ध देशान्तर के बीच स्थित है। इस जिले के उत्तर में रीवाँ, कोरिया और सिरगुजार के राज्य हैं। पूर्व की ओर से यह उदयपुर, सक्ती, रायगढ़ और गांगपुर रियासतों से घिरा हुआ है। दक्षिण में इसके संबलपुर, सारंगढ़ राज्य और रायपुर तथा दुरुग के जिले हैं। कंवर्धा रियासत तथा मंडला-जिले इसे

पश्चिम की ओर से घेरे हुए हैं। इस जिले का विस्तार 7602 वर्गमील है। मध्यप्रदेश और बरार के अन्य जिलों के मुकाबले में क्षेत्रफल के लिहाज से यह तीसरे नंबर पर है और मनुष्य संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर पर। इस जिले की लंबाई पश्चिम से पूर्व (पंडरिया से पदमपुर तक) 190 मील और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 80 मील है।

पहाड़ियाँ

जिले का उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भाग पहाड़ियों से भरा हुआ है, पर दक्षिणी भाग मैदानी है, जिसे 'डंड़हा' कहते हैं। इस भाग की लंबाई कुछ अधिक है। यहां बड़ी दूर तक महानदी और शिवनाथ नदी बहती है। मेकल पहाड़ की श्रेणियाँ इस जिले को ईशान से नैर्ऋत्य तक घेरे हुए हैं। पूर्वी सीमा सक्ती रियासत की पहाड़ियों से, जो महानदी तक चली आई हैं, बनती हैं। जिले के उत्तरी भाग को पूरा पहाड़ी ही समझिए। कहीं पहाड़ियाँ घुसती हुई समभूमि में चली गई हैं, कहीं ऐसे खड्डों के बीच में सिर निकाले खड़ी हैं, जिन्हें देखते भय होता है। इन पर प्राय: बारहों मास ऐसी अच्छी हरियाली छाई रहती है, जिसे देखकर नेत्र सुखी होते हैं, जिन्हें प्रकृति, शोभा देखनी हो, वे यदि वर्षा शरद या बसंत ऋतु में किसी दिन सवेरे बिलासपुर स्टेशन से पेंडरा-रोड स्टेशन तक पैदल या रेल पर जाएँ तो उन्हें ऐसे सुंदर तथा मन और प्राण को आनंद देनेवाले दृश्य दिखाई दें, जो उन्हें जन्म भर न भूलें। हां, तो ये पहाड़ी भाग जिले की प्राय 5400 वर्गमील भूमि पर फैले हुए हैं, तबकि खुला हुआ भाग लगभग 3000 वर्गमील ही है।

नदियाँ

इस जिले की नदियाँ प्राय: उत्तर और पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर बह कर अंत में महानदी में जा मिलती हैं। महानदी जिले की दक्षिणी सीमा पर 40 मील तक बहती है। और इस जिले को रायपुर-जिला सारंगढ़-रियासत और सम्बलपुर-जिले से अलग करती है। वर्षा ऋतु में इस नदी की चौड़ाई 1 मील से अधिक हो जाती है, पर ग्रीष्म में आप इसकी एक पतली धार कठिनता से पाइएगा।

शिवनाथ और हसदो, महानदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। शिवनाथ

जिले की दक्षिणी सीमा को अनुमान 40 मील तक घेरती हुई महानदी में जा मिली है। हाफ नदी पंडरिया की पहाड़ी से निकलकर मुंगेली तहसील में बहती हुई दुरुग जिले में जा निकली है और नांदघाट के पास शिवनाथ नदी में जा मिली है। सकरी और फोंक पश्चिमी किनारे पर हांफती सहायता नदियाँ हैं। मनियारी नदी लोरमी की पहाड़ी से निकलती है और बिलासपुर तहसील को मुंगेली तहसील से अलग करती हुई शिवनाथ नदी में जा मिलती है। खारुन अरपा के पूर्वी किनारे की सहायक नदी है। लीलागर कोरबा से निकलकर बिलासपुर और जांजगीर तहसील की सीमा पर बहती हुई। शिवनाथ के महानदी में मिलने से जरा पहले उसमें जा मिली है।

जिले के पूर्वी भाग में हसदो मुख्य नदी है। इस जिले में यह कोरिया की रियासत से आकर घुसती है और मातिन तथा उपरोड़ा के पहाड़ी हिस्सों में बहती हुई छुरी, कोरवा और खांपा जमींदारियों की सैर करती, शिवरीनारायण से आठ मील पूर्व महानदी में जा मिली है। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदी शंकरी या अहिरान है, जो लिफाफा किले के पास से निकलकर कोरबा खास में हसदो से जा मिली है। हसदो में चोर पालकी बड़ी अधिकता है। इससे यह आवश्यक है कि यह जाने हुए मार्ग पर से ही पार की जाए।

तहसील

यह जिला चार तहसील में बँटा हुआ है। बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, और घोरा। बिलासपुर तहसील जिले के बीच में है मुंगेरी पश्चिम में, जांजगीर, पूर्व में और कटपोरा उत्तर में हैं।

जमींदारियाँ

इस जिले में कुल 10 जमींदारियाँ हैं। कंतेली और चांपा को छोड़ शेष सब जमींदारियाँ पहाड़ी हिस्सों में हैं। पेंडरा, मातिन और उपरोड़ा जिले के अत्यंत उत्तरी भाग में हैं और इनमें पेंडरा जमींदारी सबसे बड़ी है। यह 2000 फुट ऊँची समभूमि पर फैली हुई है और यहाँ की जलवायु जिले के अन्य भागों की अपेक्षा शीतल है। इसमें घने जंगल और खड्डों की संख्या अधिक है तथा कुछ भाग खुला हुआ (मैदानी) भी है। मातिन और उपरोड़ा जमींदारियाँ बहुत ऊँची-नीची भूमि पर हैं और प्राय: घोर वन से परिपूर्ण हैं। यहाँ के गाँवों

को बिखरी हुई झोपड़ियों का समूह समझिए, जो प्राण-घातक सिंह या चीता के उपद्रव अथवा किसी उड़नेवाली बीमारी पर तुरतं ही छोड़ा जा सकता है। यहाँ के जंगलों में भी पाए जाते हैं। इस जमींदारियों के दक्षिण में केंदा, शका, छुरी और कोरबा की जमींदारियाँ हैं, जिनमें लाफाको तीन शेप तीन, जमींदारियों में मैदानी भूमि भी है। कोरबा जमीदारी जिले के ईशानीय कोण में पंडिरयां पश्चिमी भाग में है। गंडरियां का वह हिस्सा जो मुंगेली तहसील से लगा हुआ है, खुला है। पर वह भाग जो पश्चिमी किनारे पर है, जंगलों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लोरमी का सरकारी नदी भारी जंगल 410 वर्गमील में फैला हुआ है। और गंडरिया जमींदारी को केंदा जमींदारी से अलग है।

वर्षा और जलवायु

इस जिले में सबसे अधिक वर्षा बिलासपुर तहसील में और सबसे कम मुंगेली तहसील में होती है। बिलासपुर तहसील में मटासी जमीन की अधिकता है और चावल अधिक पैदा होता है, इसलिए यहाँ वर्षा की अधिक आवश्यकता भी है। मुंगेली तहसील की जमीन काली (कन्हार) है और वहाँ उन्हारी की फसल अधिक होती है। इस जिले की जलवायु रायपुर जिले की जलवायु से मिलती जुलती है। पर खास बिलासपुर शहर रायपुर से कुछ ठंडा रहता है। कारण इसका यह है कि बिलासपुर काली जमीन पर बसा हुआ है, जबकि रायपुर की जमीन लाल है। इस जिले में मई के मास में थर्मामीटर 116 तक पहुँच जाता है। अप्रैल के मध्य से जून के मध्य तक प्रायः गर्म आँधी चला करती है और गरमी भी बड़े गजब की पड़ती है, पर हां, कभी-कभी संध्या समय में बादल घिर आते हैं तथा थोड़ा पानी भी बरस जाता है, जिसमें कुछ ठंडक पहुँच जाती है। पेंडरा गरमी के दिनों में भी ठंडा रहता है।

❑

दूसरा विकास

इतिहास

प्राचीन कथा

प्राचीन कथा के अनुसार रतनपुर छत्तीसगढ़ की चारों युगों की प्राचीन राजधानी है। सतयुग में इसका नाम मणिपुर था। त्रेता में माणिकपुर कहलाया। द्वापर में इसका नाम हीरापुर बदल गया और अब इस कलियुग में यह रत्नपुर नाम से प्रसिद्ध है।

कहा जाता है कि त्रेतायुग में श्रीकृष्ण जी इस नगर में पधारे थे। हमारे पाठकों को महाभारत की वह कथा स्मरण होगी, जिसमें युधिष्ठिर के उस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, जब अर्जुन अश्व के रक्षक बन इस पृथ्वी-खंड को जीतने निकले थे। उस समय रत्नपुर में मयूरध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसके ताम्रध्वज नामक एक पुत्र था। उसने अर्जुन के घोड़े को पकड़ लिया। लड़ाई हुई। श्रीकृष्ण जी ने युद्ध रोक दोनों में मेल करा देने का प्रयत्न किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जैसा तू मेरा भक्त है, वैसा ही मयूरध्वज भी। अतएव दोनों में मेल हो जाना अच्छा है पर अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा—मुझ सरीखा आपका भक्त वह हो ही नहीं सकता। श्रीकृष्ण ने कहा—इसकी परीक्षा हो जाए। यह कह उन्होंने आप ब्राह्मण का वेश धारण किया और अर्जुन को अपना पुत्र बनाया। दोनों मयूरध्वज के निकट गए। मयूरध्वज ने उनकी पूजा की और इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। श्रीकृष्ण जी ने बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बाँधकर अंत में कहा—यह मेरा प्राण प्यारा पुत्र है। इसे एक सिंह खाना चाहता है पर उसने इसे इस शर्त

पर रिहाई दी है कि तेरा दाहिना अंग उसके बदले में मिले। अब तू क्या कहता है ? राजा राजी हो गया। उसने कहा—यदि मेरा शरीर पाने से सिंह आपके पुत्र को प्राण-दान देता है तो यह मेरे लिए भाग्य की बात है। इस पर श्रीकृष्ण जी ने मयूरध्वज की रानी कुमुददेवी और उसके पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया और कहा कि राजा का शरीर आधा चीरकर मुझे सिंह को देने के लिए दो। पतिव्रता रानी और कर्त्तव्यशील पुत्र दोनों ने अपना अंग दे राजा के प्राण बचाने चाहे, पर ब्राह्मण देवता राजी न हुए। तब रानी और ताम्रध्वज आरासे राजा का शरीर सिर की ओर ओर से चीने लगे। जब नाक तक सिर चीर डाला गया, तब राजा की बाईं आँख से आँसू गिरने लगे। इस पर श्रीकृष्ण जी ने यह कहकर आधा अंग लेने से इनकार करना चाहा कि राजा दु:खित चित्त से दान दे रहा है। तब रानी कुमुददेवी ने उन्हें समझाया। उसने कहा—देव, बाईं आँख से आँसू इसलिए निकल रहा है कि उसे सोच है कि दाहिना अंग तो परोपकार में लग रहा है पर हाय बायाँ अंग किसी काम न आया। श्रीकृष्ण जी से इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ही अपना सच्चा स्वरूप प्रकट कर राजा के चीरे हुए भागों को जोड़ दिया और उसको वरदान दिए तथा अर्जुन के साथ उसकी मिताई करा दी।

इस कथा पर विश्वास करना या न करना पाठकों के अधीन है, पर यह सत्य है कि रतनपुर में इस समय भी एक तालाब 'श्रीकृष्णार्जुनी' (अब कन्हारजनी) के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह तालाब श्रीकृष्ण और अर्जुन की यादगारी में खुदाया गया था। इसी प्रकार एक तालाब घोड़बांधा नामक और है, जिसके निकट लोग समझते हैं कि ताम्रध्वज ने अर्जुन के यज्ञ के घोड़े को लाकर बाँधा था।

यह भी कहते हैं कि ऊपर लिखी घटना के बाद छत्तीसगढ़ में आरे का उपयोग बंद था। चीजम साहब, जिन्होंने इस जिले का सबसे पहले बंदोबस्त किया था, लिखते हैं कि यह बात बिलकुल सच है। पुराने खंडहर में मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जितने मयाल उनमें लगे हुए हैं, सब वसूले के द्वारा चौपहल किये गए हैं। आरे से बिलकुल काम नहीं लिया गया है। आरे का प्रचार मराठी राज्य से फिर आरंभ हुआ है।"

लोगों का यह भी विश्वास है कि मोरध्वज के पश्चात जितने हैहयवंशी राजा हुए, उन सबके नाक से लेकर सिर के पिछले भाग तक ठीक वहाँ तक, जहाँ तक मोरध्वज का सिर चीरा गया था, आराम से चीरने के चिह्न थे।

यद्यपि छत्तीसगढ़वासियों का यह अटल विश्वास है कि हैहयवंशी ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजा थे, पर हाल की जाँच से यह भलीभाँति सिद्ध हो चुका है कि 10वीं सदी के पहले हैहयवंशियों का यहाँ पता तक नहीं था। हमें यहाँ के शासकों का पता चौथी सही से लगता है।

गुप्त-राज्य

उस समय यह प्रांत कौशल, महाकौशल या दक्षिण-कौशल के नाम से प्रसिद्ध था। कौशल अवध प्रांत को भी कहते थे। इसलिए यह प्रदेश महा-कौशल या दक्षिण-कौशल कहलाया। चौथी सदी के मध्य में यहाँ दो राज्य थे। उत्तरी भाग का राजा महेंद्र था और दक्षिण भाग, जो महाकान्तार के नाम से प्रसिद्ध था, व्याघ्रराज द्वारा शासित होता था। प्रयाग के किले में समुद्र गुप्त का एक स्तंभ (पत्थर का खंभा) है। उस पर जो लेख खुदा है, उससे मालूम होता है कि ऊपर लिखे दोनों राजा समुद्र-गुप्त द्वारा कैद कर लिये गए थे और बाद में छोड़ दिए गए। समुद्र-गुप्त, गुप्तवंश के आदि पुरुष प्रथम चंद्रगुप्त का पुत्र था। इसने गद्दी पर बैठते ही भारत-विजय की ठानी। पहले गंगा के आस-पास वाले राजाओं को जीतकर यह छुटिया नागपुर होते हुए दक्षिण कौशल में पहुँचा और महेंद्र तथा व्याघ्रराज को हराते हुए आगे बढ़ गया। वहाँ कांजीवरम के दक्षिणीय प्रांतों को जीतकर वह महाराष्ट्र तथा खानदेश होते हुए अपने घर लौट आया। उसने हरैल प्रदेश को करद-राज्य बनाने का का कोई प्रयत्न नहीं किया पर महाकौशल के राजाओं ने समुद्रगुप्त के समान बलवान महाराजा के अधीन रहने में ही अपना लाभ देखा, इसलिए वे गुप्तवंश के नाश होने के एक सदी बाद तक उसकी अधीनता मानते रहे। रायपुर जिले के आरंग नामक स्थान में एक शिलालेख मिला है। उससे यह बात मालूम होती है कि छठी सदी में भीमसेन महाकौशल का राजा था, पर यह नहीं मालूम होता कि भीमसेन कौन था और इसके वंशवालों ने कब तक कहाँ राज्य किया।

सिरपुर-वंश

सातवीं सदी में यह प्रांत एक बौद्धधर्म माननेवाले क्षत्रिय राजा के हाथों में चला गया, जिसने जिला चांदा में भाण्डक को अपनी राजधानी बनायी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसंग सन् 639 में इस नगर में आया था। उसने अपनी पुस्तक में इस नगर तथा प्रांत का जिक्र किया है।

भाण्डक वंश की एक शाखा ने रायपुर जिले में महानदा के तट पर सिरपुर नामक स्थान को अपना निवासस्थान बनाया था। संभव है, इस प्रांत के भाण्डक से दूर होने के कारण वहाँ से एक अधिकारी शासन के हेतु यहाँ भेजा गया हो। जो हो, पर यह सच है कि सिरपुर वंश भाण्डक से शीघ्र ही स्वतंत्र हो गया और चार पुश्तों के भीतर ही तमाम महाकौशल का अधिकारी बन बैठा। इस वंश ने अपनी राजधानी सिरपुर की बड़ी उन्नति की। उसे मंदिर, मठ और धर्मशालाओं से खूब सजाया। बाग-बगीचे भी खूब लगवाए—मतलब यह कि जैसा इसका नाम सिरपुर या श्रीपुर उन्होंने रखा, वैसा उसे बना भी दिया। त्रिवरदेव के समय में यह उन्नति की चोटी पर पहुँच गया, पर इस राजा का कोई पुत्र न था। इससे इसका उत्तराधिकारी इसका भतीजा हुआ। यह महाशिवगुप्त या बलार्जुन के नाम से प्रसिद्ध था। इसके पिता का नाम हर्षगुप्त था। इसने बहुत से मंदिर बनवाए। इसकी मां वासटा मगधराज सूर्य वर्मा की कन्या थी। उसने भी लक्ष्मणजी का एक मनोहर मंदिर बनवाया जो आज भी अच्छी हालत में है और सिरपुर के प्राचीन गौरव की याद दिला रहा है। दूसरे मंदिरों की दशा अच्छी नहीं है।

जान पड़ता है, महाशिवगुप्त सिरपुर-राज्य का आखिरी राजा था। इसके पुत्र को किसी दूसरे राजा ने भगाकर आप उसकी राजधानी ले ली। महाशिव ने पुत्र ने भागकर विनिता पुत्र (विनीतपुर) की शरण ली, जो सोनपुर रियासत में है।

शरभपुर-वंश

सिरपुर के अंतिम राजा को भगाकर जिस राजा ने वहाँ राज्य करना आरंभ किया, उसका ज्यादा हाल नहीं मिलता। उस वंश के केवल दो राजाओं के नाम मिले हैं। एक महासुदेव और दूसरा महाजय। इन्होंने प्रांत के जुदा-जुदे भागों

के भीतर जिन गाँवों का दान किया है, उससे यह मालूम होता है कि इनके राज्य का विस्तार उत्तर-दक्षिण, बिलासपुर से खरियार तक और पूर्व-पश्चिम रायपुर से सारंगढ़ तक था। इनकी राजधानी शरभपुर को अभी तक नहीं चला है। शायद इन्होंने सरपुर को की शरभपुर का नाम देकर अपनी राजधानी बना ली हो। ऊपर लिखे दोनों वंशों से संबंध रखने वाले जो शिलालेख मिले हैं, उनकी लिपि से यह जाना जाता है कि वे वंश आठवीं और नवीं सदी में मौजूद थे। इसके बाद हैहयवंशियों का शासन आरंभ हुआ।

हैहयवंशी

हैहयवंशी कार्तवीर्यार्जुन अर्थात् सहस्त्राबाहु को अपना आदि पुरुष मानते हैं। ये लोग कलचुरियों के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये पहले चेदि-देश का राज्य करते थे। चेदि राज्य का विस्तार पहले चंबल नदी से लगाकर करबी (चित्रकूट के नैर्ऋत्य) तक था, पर धीरे-धीरे यह 10वीं सदी के आरंभ में अमर कण्टक से लगाकर हसदो नदी तक बढ़ गया। रतनपुर में सन् 1114 ई. का एक शिलालेख मिला है। उससे जान पड़ता है कि सन् 875 में चेदि देश का राजा कल्लोल था। उसके 18 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी का उत्तराधिकारी हुआ और शेष पुत्र उसकी अधीनता में माण्डलिक बना दिए गए और उन्हें एक-एक मण्डल शासन करने के लिए दे दिया गया। इन मण्डलों में कोमों, तुमान और कोसगईं, ये अत्यंत दक्षिणी मण्डल थे। तुमान कलिंगराज नामक मण्डलेश्वर द्वारा प्रापत किया गया था। अतएव छत्तीसगढ़ प्रांत में पहले आने का यश चेदिवंश के कलिंगराज को ही मिला। कलिंगराज और उसके पुत्र कमलराज ने उन स्थानीय अधिकारियों को, नहीं निकाल, जिन्होंने इस प्रांत को पहले ही बाँट रखा था, बल्कि उनसे अधीनता कबूल कराके स्वाधीनता भोगने दी।

किंतु कमलराज के पुत्र प्रथम रतनदेव को अपने पिता और दादा की नीति पसंद न आईं। उसने अपने राज्य में बड़े-बड़े तालाब और मंदिर बनवाए। बाग-बगीचे लगवाए और इस प्रकार उससे जितनी हो सकी, उतनी उन्नति की। फिर उसने सन् 1050 के लगभग रतनपुर नगर की नींव डालीं। उसने कोमो मण्डल के अधिकारी की कन्या से ब्याह किया। वह तुमान का तो

मण्डलेश्वर और रतनपुर का स्वतंत्र राजा बन बैठा। उसने अभी तक त्रिपुरी के राजाओं से अपना संबंध एकदम नहीं तोड़ा था। रतनदेव के पुत्र प्रथम पृथ्वीदेव (सन् 1090) के विषय में, सिवाय इसके कि उसने तुमान में शिवजी का एक मंदिर और रतनपुर में एक बड़ा तालाब बनवाया, कुछ अधिक हाल नहीं जाना जाता। रतनपुर के पास घुघसा नामक एक पहाड़ी है। कहते हैं, घुघुस नामक पहाड़ी जाति का शायद गोंड़ राजा वहाँ रहा करता था। उसने रतनपुर-राज्य की नींव डालने में बड़ी बाधा पहुँचाई थी।

पृथ्वीदेव का पुत्र प्रथम जाजलदेव बड़ा पराक्रमी हुआ। इसने कन्नौज और बुंदेलखंड के राजाओं से मित्रता कर ली और केवल दक्षिण कोशल के मण्डलेश्वरों से ही नहीं, बल्कि बैरागढ़ लांजी, भंडारा, किमेदी आदि दूर के अधिकारियों से वार्षिक कर लेने लगा। इसने अपने त्रिपुरीवाले पुरखों से भी अपना संबंध जारी रखा। तुमान और रतनपुर के बीच पाली नामक गाँव में जो शिवजी का प्रसिद्ध मंदिर और तालाब है, जान पड़ता है, इसी का बनवाया है। जाजल्लदेव का पुत्र द्वितीय रतनदेव हुआ और द्वितीय रतनदेवका पुत्र द्वितीय पृथ्वीदेव। इन्हें एक वीर परिवार ने, जिसने इनकी सेवा तीन पीढ़ी तक की और जिसमें जगपाल विशेष प्रसिद्ध है, राज्य बढ़ाने में बड़ी सहायता दी। इनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन राजिम के सन् 1145 वाले शिलालेख में खुदा है। इन राजाओं का आसरा पाकर कोमों के मण्डलेश्वर ने त्रिपुरी राज्य से विरोध कर लिया और जगपाल ने रतनपुर राज्य का विस्तार दुरुग, सिहावा, कांकेर और कांदा डोंगर (बिन्दा नवागढ़ के दक्षिण) तक बढ़ाया। सारांश 12वीं सदी में हैहयवंशियों का राज्य-विस्तर खूब बढ़ा था और इनकी सत्ता अमरकण्ट से गोदावरा तक और बरार से उड़ीसा तक मानी जाती थी।

राजकीय-विभाग

राज्य-प्रबंध के सुभीत के लिए इस समय 84-84 गाँवों का एक समूह बनाया गया और प्रत्येक समूह पर शासन करने के लिए राजपरिवार का एक-एक मनुष्य मुकर्रर किया गया। जो प्रांत दूर थे, वे पुराने ही अधिकारियों के अधिकार में रखे गए। इस प्रकार 13वीं और 14वीं सदी में शिवनाथ नदी के उत्तर प्रांत में 1 समूह जिन्हें चौरासी कहते थे, बन गए। 18 चौरासी शिवनाथ

के दक्षिण-प्रांत में भी बने, पर इनके निर्माण करने वाला रायपुर का राजा सिंम्हन था। सिंम्हन, रतनपुर राजवंशी ही था, पर स्वतंत्र हो गया था। खलारी में सन् 1414 में एक शिलालेख मिला है, उससे जान पड़ता है कि सिंम्हन ने 18 गढ़ जीते हैं।

रतनपुर के राजे

हां, तो अब रतनपुर की ओर फिर लौटिये। द्वितीय पृथ्वीदेव का पुत्र द्वितीय जाजल्लदेव हुआ, जिसके राज्य करते समय उसके एक नातेदार ने शिवरीनारायण का मंदिर निर्माण कराया था। इस मंदिर में चेदि संवत् 917 अर्थात् सन् 1165 का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसी समय (सन् 1167) एक ब्राह्मण ने मल्लार में शिवजी का एक मंदिर बनवाया था। यहाँ जो शिलालेख पाया गया है, उसमें द्वितीय जाजल्लदेव को तुमान का शासक बताया है। इससे यह नतीजा निकलता है कि यद्यपि तुमान में राजधानी न थी, फिर भी उसका मान, छत्तीसगढ़ के राजाओं का आदि स्थान होने के कारण बढ़ा-चढ़ा था। जाजल्लदेव का पुत्र तृतीय रतनदेव हुआ। इसके राज्यकाल (सन् 1181) में खरौद के मंदिर में एक शिलालेख लगाया गया था। इसका पुत्र तृतीय पृथ्वी देव हुआ। इसके समय में किसी देवनाग ने सबा में एक मंदिर (सन् 1190 में) निर्माण कराया था। इसके बाद रतनपुर का राजा कौन हुआ, इसका पता शिलालेखों द्वारा नहीं चलता। बाबू रेवाराम के लिखे इतिहास केवल एक सूची पाई गई है, जो नीचे दी जाती है। उससे मालूम होगा कि भानुसिंह का नाम सबसे पहले है। भानुसिंह तृतीय पृथ्वीदेव का उत्तराधिकारी था, वह विश्वास तो नहीं होता, पर हाँ तृतीय पृथ्वीदेव और इसके बीच में शायद एक-दो राजा हुए हों।

नाम	**सन्**
भानुसिंह	1200
नरसिंह देव	1221
भूसिंह देव (भाव सिंह)	1251
प्रतापसिंह देव	1276
जयसिंह देव	1319

धर्मसिंह देव	1347
जगन्नाथ सिंह देव	1369
बीरसिंह देव	1407
कलमलदेव	1426
शंकरसाय	1436
मोहनसाय	1454
दादूसाय	1472
पुरुषोत्तम साय	1497
बहारसाय	1519
कल्याणसाय	1546
लक्ष्मणसाय	1583
शंकरसाय	1591
कुमुद या मुकुन्दसाय	1606
त्रिभुवन साय	1617
जगमोहन साय	1632
अदली साय	1645
रणजीत साय	1659
तख्तसिंह	1685
राजसिंह देव	1689
सर्दारसिंह	1720
रघुनाथसिंह	1732

इस सूची के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी को 21 वर्ष का औसत पड़ता है। बहारसाय (बाहरेन्द्र) के समय के दो शिलालेख मिले हैं। एक तो रतनपुर के महामाया के मंदिर में, दूसरा कोसगईं में। पिछले लेख से इस बात का पता चलता है कि बहारसायपर मुसलमानों ने चढ़ाई की थी, पर उसने उन्हें मार भगाया था। ये मुलसमान कौन थे, मालूम नहीं होता। हाँ, यह अलबत्ता ठीक है कि बहारसाय का पुत्र कल्याणसाय सन् पूर्ण अधिकार और सम्मान पाकर लौट आया था। फिर भी यहाँ यह कहना कठिन है कि कल्याणसाय

को मुसलमानों ने दिल्ली दरबार में हाजिर होने के लिए लाचार किया था या वह स्वयं मुगलों के प्रबल-प्रताप से डरकर वहां चला गया था।

हैहयवंशी राजाओं का राज्य-प्रबंध

जमाबंदी की एक पुस्तक, जो कहा जाता है, कल्याण के समय की थी, बीजम साहब बंदोबस्त आफिसर को दिखलाई गई थी। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाली अनेक काम की बातों का वर्णन था। उसमें लिखा था कि रतनपुर-रायपुर दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 48 गढ़ या चौरासी थे, जिनसे 6। लाख रुपए सालाना आदमी थी। समय को ध्यान में रखते हुए 6॥ लाख रुपये की आमदनी मामूली बात नहीं है। हैहय-वंशी राजाओं का राज्य विस्तार बहुत भारी था। उनके करद राज्यों के नाम ये हैं—1. रामगढ़, 2. प्रतापगढ़ (पँडरिया), 3. लांजी, 4. अम्बागढ़ चौकी, 5. बस्तर, 6. खरियार, 7. फुलझर, 8. सारंगढ़, 9. करोंद (कालाहंडी) 10. संबलपुर, 11. पटना, 12. सिंहभूम, 13. चंद्रपुर, 14. सक्ती 15. रायगढ़, 16. कौड़िया, 17. सिरगुजा।

कल्याणसाय के पास जो सेना थी, उसका ब्यौरा इस प्रकार है—

खड्गधारी	2000
कटारधारी	5000
बंदूकधारी	3600
धनुषधारी	2600
घुड़सवार	1000
जोड़	14200

इनके सिवा 116 हाथी भी थे। इतनी सेना राज्य के भीतरी प्रबंध को ठीक रखने के लिए बहुत काफी थी। आसपास के राजे इतनी सेना नहीं रख सकते थे।

छत्तीसगढ़

उक्त जमाबंदी की पुस्तक तथा पुराने रिवाजों से यह भलीभाँति सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ की शासन-पद्धति उत्तम थी। छत्तीसगढ़ खालसे के प्रबंध में और उसके सीमा-स्थित करदराज्यों के प्रबंध में जो फर्क था, उससे

साफ मालूम हो जाता है कि खालसे में राजा को सबका शिरमौर बना, समस्त अधिकारों के केंद्रस्थल में उसे रख क्रम से पद ऐसे नीचे उतारे जाते थे कि उसकी समाप्ति प्रत्येक गाँव के गौंटिया में जाकर होती थी। राज्य के मुख्य शासक दीवान कहलाते थे, जो राजा से सीधा संबंध रख सकते थे। प्रत्येक दीवान के चार्ज में एक एक गढ़ रहता था। ये गढ़ विशेषकर चौरासी के नाम से प्रसिद्ध थे। कितने ही गढ़ तो 42 गाँवों को ही लेकर बने थे और बहुतेरे 24 ही।

जमाबंदी की पुस्तक में 48 गढ़ों के नाम लिखे हैं। इस पुस्तक से संबंध रखने के कारण नीचे उन्हीं गढ़ों की सूची दी जाती है, जो शिवनाथ नदी के उत्तरी भाग में रतनपुर राज्य के भीतर थे—

	ग्राम संख्या
1. रतनपुर	360
2. मारो	354
3. विजयपुर	
1. विजयपुर	40
2. लोरमी	84
3. रामगढ़	42
4. रंजन महाउर	24
5. मैलवार	12
6. तखतपुर	124
4. पंडर भट्ठा	ग्राम संख्या
1. नवागढ़	42
2. देवर वीजा	84
3. पथरिया	24
4. पंडरभठा	42
5. मुंगेली	42
6. पंडरभटा बंतारगढ़	42
7. मलदा	24

8. देवराहट	84
5. खरौदगढ़	145
6. कोटगढ़	84
7. मदनपुर	
1. मदनपुर	67
2. उमरेली	34
3. नवागढ़	52
8. कन्तुलागढ़	84
9. कोसगागढ़	220
10. उपरोड़ा गढ़	84
11. लाफागढ़	200
12. केंदागढ़	84
13. मातिनगढ़	84
14. सोंठीगढ़	84
15. ओखरगढ़	32
16. सेमरियागढ़	84
17. कंडरी करकटी (2 गढ़)	700
18. पेंडरा	84

राज-कर्मचारी

दीवान से नीचे दाऊ का पद था। ये बारहों के ऊपर थे। बारहों का अर्थ है, बारह गाँवों का एक समूह, पर यह जरूरी न था कि प्रत्येक बारहों में 12 गाँव ही रहें। किसी में ज्यादा भी थे, किसी में कम। शासन के सुभीते के लिए जैसे राज्य गढ़ में बांट दिए जाते थे, वैसे ही गढ़ बारहों में। मराठों के समय में दाऊपद प्रायः मोहताज ब्राह्मणों को दिए जाने लगे। इसी कारण अंग्रेजी अमलदारी में यह पद बिलकुल तोड़ दिया गया।

दाऊ से उतरकर गौंटिया का पद था। गौंटिया अर्थात् गाँव का मुखिया-अधिकारी। गाँव के किसान इसके आधीन थे। दीवान, दाऊ और गौंटिया, राज्य के इन कर्मचारियों का मुख्य काम था—जमा की ठीक-ठीक वसूली

और रवानगी। यानी प्रत्येक गौंटिया अपने अपने गाँव की वसूली कर अपने दाऊ के पास भेजता था और प्रत्येक दाऊ अपने बारहों की जमा इकट्ठी कर दीवान के निकट भेजने के लिए जिम्मेदार था। इसी प्रकार प्रत्येक दीवान अपने गढ़ की जमा वसूली के लिए राजा के निकट जिम्मेदार था। ये सब इस कार्य के लिए राजा से कमीशन पाते थे। सो ये कर्मचारी केवल जमा-वसूली के लिए थे। उनका उस भूमि पर, कुछ हक न था। जहाँ के ये अधिकारी थे, न ये उस पद पर ही अपना हक जता सकते थे, जो उन्हें जमा-वसूली के लिए दिया गया था, पर हमारे देश की प्रथा ही विचित्र है। अधिक समय हो जाने पर ये भूमि और पद दोनों के पुश्तैनी हकदार हो जाते थे, फिर चाहे वे उनके योग्य हों या न हों। कोरी, करगी आदि स्थानों के वर्तमान अधिकारियों के पुरखे, पुराने जमाने में, उन गाँवों के दाऊ थे, जिनका अब ये मजे से पुश्तैनी जायदाद होने के कारण उपभोग कर रहे हैं। प्राय: राजा अपने नातेदारों को दीवानी दिया करता था। इसी प्रकार दीवान अपने संबंधियों को दाऊ बनाते थे और दाऊ अपने रिश्तेदारों को गौंटिया।

राज-भाषा

हैहयवंशियों के समय में राज-भाषा और लेखन-शैली कैसी थी, इसका पता नीचे लिखे पत्र से चलता है। यह पत्र कार्तिक सुदी 5 सं. 1754 (सन् 1688) को राजा राजसिंह देव के पिता राजा तख्त सिंह ने अपने भाई रायपुर के शासक राजा श्रीमेरसिंह देव को लिखा था—

श्री।

श्रीजू कइ सही होइ।

श्रीकृष्णकारी कान्ह विजय सखा स्वस्ती श्रीमहाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा श्रीश्री राजा तखतसिंह देव राजे रतनपुर योग्य स्वस्ती श्रीमहाराज कुमार राजा श्रीमेरसिंह देव भाई प्रति लिखित अस जो तुम्हारे कई राज, कई बटार दीन्हें मध्यस्थ पञ्च राजा श्रीनरसिंह देव आदि कई सो जगह बाट दीन्हें, सेवा राजगा दी कई सलाह सरई कि परमपरा कह निवाहि देने जथा योग बिदा गजह

रायपुर	ग्रा:	640
राजिम	ग्रा:	84
दुरुग	ग्रा:	84
पाटन	ग्रा:	152
सलारी	ग्रा:	84
सिरपुर	ग्रा:	84
लवन	ग्रा:	252

यह परिगन सात-सात भोग करि कई वर्त वूक करत जाउ।

सही कातिक सुः 5 सं. 1745 सही रामधर देवान कई तथा बाबू रामसाय देवान कइ।

मुंदरी (मुहर)

रायपुर जिले के आरंग नामक कस्बे में अंजोरी लोधी के पास रायपुर-दरबार का एक ताम्रपात्र है, जो संवत् 1798 में लिखा गया था, उसकी भाषा और महाराजा तख्तसिंह देव के पत्र की भाषा बहुत कुछ एकसी है। दोनों में दो-दो दीवान के नाम आये हैं। शायद हैहय राज-दरबार में दो दीवान रखने का नियम रहा हो। ऊपर जो पत्र दिया गया, उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता।

हैहयवंशियों के समय में विद्वानों का अच्छा आदर होता था। राजा राजसिंह देव के आश्रय में रहकर गोपाल कवि ने खूब तमाशा नामक नीति संबंधी बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है।

हैहयवंश का पतन

सब मुख्य स्थानों पर एक ही वंश के अधिकारी होने से कुछ बातें जरूर अच्छी रहीं, पर नतीजा बुरा हुआ। अधिक समय बीत जाने पर ये अधिकारीगण या इनके वंशवाले अपने को राजकर्मचारी नहीं, बल्कि पूरे हकदार समझने लगे। 17वीं और 18वीं सदी में जैसे-जैसे राजा के अधिकार निर्बल होते गए, वैसे-वैसे उसकी ये शाखाएँ प्रबल होती गयीं और एक दिन बहुतेरे दीवान ही नहीं वरन दाऊ भी एक-दूसरे से स्वतंत्र बन बैठे। अपनी राजधानियों को उन्होंने मजबूत कर लिया, कुछ सेना भी रखने लगे और अपने अधिकारियों

को जमा देना बंद कर दिया। राजा कल्याणसिंह के पश्चात यह निर्बलता शुरू हुई थी।

सन् 1685 में राजा तखतसिंह हैहयवंश की गद्दी पर बैठे। इन्होंने तखतपुर में एक भद्दा सा महल बनवाया और साथ ही एक मंदिर का भी निर्माण कराया। वहाँ उन्होंने प्रति शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार भी लगवाया, जो अब तक जारी है। उनके पुत्र राजसिंह देव हुए। ये सन् 1681 में रतनपुर की गद्दी पर बैठे। इन्होंने रतनपुर की पूर्वी सीमा पर एक नया महल तैयार कराया और उसके निकट एक तालाब भी खुदवाया। नगर के इस भाग का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ। इनके कोई संतान न थी। इसलिए इन्होंने रायपुर राज-परिवार के मोहनसिंह को गोद लेना निश्चय किया, पर इस कार्य को करने के पहले आप एक दिन घोड़े से गिर पड़े। बड़ी सख्त चोट आयी। जीवन का भरोसा न रहा। मोहन सिंह को बुलाने तुरंत दूत भेजा गया। बड़े काका सरदारसिंह और रघुनाथसिंह को भी उन्होंने समाचार दिया। मोहनसिंह तो न आ सका, शिकार खेलने चला गया था पर सरदारसिंह और रघुनाथ सिंह आ पहुँचे। राजा ने लाचार होकर काका सरदार सिंह के सिर पर राज पगड़ी रख दी। मोहनसिंह को जब यह समाचार मालूम हुआ, तब उसने रंज होकर कसम खाई कि मैं स्वर्गवासी राजा की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। उसका यह प्रण, जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा, पूरा हुआ भी। सरदार सिंह ने 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया। इसके भी पुत्र न था। अतएव इसके मरने पर इसका भाई रघुनाथ सिंह 60 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा।

इस समय रतनपुर राज्य बहुत निर्बल हो चला था। उसके गढ़-दीवान उससे खुल्लम-खुल्ला विरोध करने लगे थे, यहाँ तक कि जिस भूमि पर स्वयं राजा का अधिाकर था, उसे भी वे कहीं कहीं दबा बैठे थे। छुरी और पंडरिया के वर्तमान जमींदारों के पुरखों ने ऐसी बहुत सी भूमि दबा ली थी। गोंड, कंवर और बिंझवारों ने हैहय वंश के आरंभ से उनसे भूमि-खंड प्राप्त किये थे, पर परीक्षा के दिन आने पर उन्होंने केवल कोरा जवाब ही नहीं दिया, बल्कि विरोध करने के लिए खड़े हो गए।

मराठों की चढ़ाई

सन् 1740 के अंत में, जब रघुनाथ सिंह को राज्य करते आठ वर्ष बीत चुके थे, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर चढ़ाई की। इस समय रघुनाथ सिंह अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से बड़ा दुःखी था और करीब 1 वर्ष से राजकाज की ओर ध्यान देना छोड़ दिया था। 'दूबर को दो अषाढ़' एक तो यों ही निर्बल मन का मनुष्य, उस पर बुढ़ापा, फिर पुत्र शोक। उसने राज्य बचाने की कोई फिक्र न की। भास्कर पंत ने तोप द्वारा किले का एक हिस्सा उड़ा दिया। फिर भी चुप। आखिर रानी ने बुर्ज पर चढ़ सफेद झंडा चढ़ा लड़ाई बंद करा दी। किले के फाटक खोल दिए गए। सेना भीतर घुस गई। राजधानी पर शत्रु का कब्जा हो गया। इस प्रकार प्रबल प्रतापशाली हैहयवंशी राज्य का लज्जा पूर्ण और खेदजनक अंत हो गया।

इसमें संदेह नहीं कि रक्षा का चाहे, कैसा ही उत्तम उपाय किया जाता, मराठों से पार पाना कठिन था, पर इतिहास को इस बात से संतोष नहीं। वह चाहता है कि हैहयवंश के सदृश वीर और प्राचीन घराने का वंशज स्वदेश की रक्षा के हेतु समर में या तो विजय प्राप्त करता या हाथ में तलवार लिये हुए प्राण देता और इस तरह अपनी स्वदेशभक्ति और शूरता की छाप भावी संतान के हृदय पर लगा जाता, पर हाय! रघुनाथसिंह से कुछ नहीं बन पड़ा और प्यारा छत्तीसगढ़ मराठों के अधिकार में आ गया।

यदि इस समय सारे छत्तीसगढ़ का राजा एक होता, यदि इस समय रतनपुर राज्य के गढ़पति अपनी स्वामी-भक्ति न छोड़ स्वतंत्र न बन बैठते, यदि हैहयवंशी राजे आरंभ ही से अपने राज्य के टुकड़े-टुकड़े कर अपने भाई-बंधुओं को उसके पूर्ण अधिकारी बना देने की भूल न करते तो मराठों को भी मालूम होता कि छत्तीसगढ़ पर चढ़ाई कर देना कुछ हँसी खेल नहीं था।

मराठों ने इस प्रकार बिना विरोध के सारे छत्तीसगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और सब गढ़-अधिकारियों से अपनी आधीनता स्वीकार कराके कर लेने लगे। भास्कर पंत ने रतनपुर को कब्जे में ला कटक की ओर कूच किया। कहते हैं रतनपुर नगर पर उसने एक लाख रुपया जुर्माना किया था और खजाने का सारा धन हड़प लिया था। चलने के पहले उसने रतनपुर में

एक गुंसाई को अपना प्रतिनिधि बना छोड़ दिया था, जिसे उसके रवाना होते ही रघुनाथ सिंह ने निकाल दिया और आप फिर राजा बन बैठे, परंतु यह राज–सुख वे बहुत दिन न भोग पाये।

राजा राजसिंह देव की इच्छानुसार मोहनसिंह रतनपुर का राजा नहीं हो सका था। इसका मोहनसिंह को बड़ा दु:ख था। उसने प्रण किया था कि रतनपुर राज्य लेकर ही छोड़ूँगा, ये सब बातें हमारे पाठकों को याद होंगी। अपना प्रण पूरा करने के इरादे से पहले मोहनसिंह ने बलवा मचाने की कोशिश की, पर इसमें वह सफल नहीं हुआ। तब वह नागपुर चला गया और वहाँ के राजा प्रथम रघुजी की सेवा में रहने लगा। धीरे–धीरे रघुजी उसे खूब चाहने लगे। जब रघुजी ने बंगाल पर चढ़ाई की, तब वह भी उनके साथ हो लिया। सन् 1754 में जब वे बंगाल से लौटे, तब उन्होंने रघुनाथसिंह के फिर से राजा होने की बात सुनी। उन्होंने रीवा होकर रतनपुर पर फिर चढ़ाई की और रघुनाथ सिंह को दूसरी बार गद्दी से उतार मोहनसिंह को वहाँ का राजा बनाया। मोहनसिंह ने, जिनकी तुलना कन्नौज के राजा जयचंद से हो सकती है, सन् 1758 तक। इसी समय नागपुर–नरेश रघुजी मर गए और उनके छोटे पुत्र बिंबाजी छत्तीसगढ़ पर अधिकार करने को रवाना हुए। जब यह खबर मोहन सिंह को लगी, तब उसने बिंबाजी का सामना करने के लिए सेना इकट्ठी की पर वह एकाएक बीमार हो गया और रायपुर में मर गया जहाँ उसकी सेना जुड़ी थी। इस प्रकार बिंबाजी बिना हाथ–पैर डुलाए छत्तीसगढ़ के भाग्य–विधाता बन बैठे। मराठों का सौभाग्य!

वर्तमान समय में हैहयवंशी

हैहयवंशियों की विजय समाप्त करने के पहले यह लिख देना अच्छा होगा कि इस वंश का एक परिवार रायपुर जिले के बड़गाँव में अभी मौजूद है। यह गाँव महासमुन्द तहसील में है। यह परिवार रायपुरवाली शाखा के वंशजों में से है। इनके पुरखों को गुजर–बसर के लिए मराठों से पांच गाँव माफी में मिले थे, जो अब तक इनके अधिकार में हैं। बलौदाबाजार तहसील में दुरम नामक गाँव है। वहाँ का मालगुजार अपने को रतनपुर वंश का वंशज बतलाता है, पर उसे बड़गाँववालों की तरह कोई पेंशन नहीं मिली है, जिससे उसका

दावा संदेहजनक जान पड़ता है। बड़गाँववालों को तो अब भी उन राजाओं की राजधानी में जाने पर भेंट मिलती है, जो किसी समय उनके पुरखों की अधीनता में थे।

बिंबाजी भोंसले

बिंबाजी भोंसले ने रतनपुर राज्य का शासन सन् 1758 से 1787 (मृत्यु) तक किया। ये नागपुर के राजा रघुजी के पुत्र थे। यद्यपि ये नागपुर राज्य के अधीन समझे जाते थे, पर ये सब प्रकार–स्वतंत्र। अपने स्वजातियों को ला–ला कर इन्होंने छत्तीसगढ़ को भर दिया। आरंभ में ये बड़े कठोर थे, पर जैसे–जैसे 2 लोगों में मिलते गए, नम्र होते गए। इन्होंने रतनपुर नगर के निकट एक पहाड़ी पर श्रीरामचंद्र जी का एक मंदिर नागपुर के रामटेक के नमूने पर बनवाया, जो अभी तक अच्छी हालत में है। इनकी मृत्यु के पश्चात् नागपुर–नरेश द्वितीय रघुजी का छोटा भाई व्यंकोजी उसका वारिस हुआ, पर उसने छत्तीसगढ़ में रहकर कभी राजकाज नहीं देखा। वह सदा नागपुर में रहा करता था और कभी–कभी यहाँ का दौरा कर लौट जाता था। अंतिम बार सन् 1881 में वह यहाँ से होते हुए बनारस गया और वहाँ जाकर मर गया। व्यंकोजी, जो नागपुर में ही रहकर यहाँ का राज्य एक सूबे के द्वारा चलाता था, यह बिम्बाजी की विधवा स्त्री आनंदी बाई को पसंद न आया। उसने इस प्रबंध का विरोध किया। अंत में यह तय हुआ कि सूबा, व्यंकोजी का प्रतिनिधि (मुख्तयार) हो राज–काज करे, पर आनंदीबाई की सलाह से। यह बात केवल आनंदीबाई को खुश रखने के लिए की गई थी, सारे अधिकार तो सूबा के ही हाथ में थे और जब अप्पासाहब नागपुर की गद्दी से उतार दिए गए और सन् 1787 से 1818 तक नागपुर राज्य अंतिम रघुजी की नाबालिगी में अंग्रेजी–अधिकार में रहा, तब तो छत्तीसगढ़ के शासन की डोर पूर्णरूप से सूबों के हाथ में आ गई।

सूबा शासन

नीचे उन सूबों के नाम दिए जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी अधिकार में रतनपुर का शासन किया था—

1. विट्ठल दिनकर

2. कारु पंत
3. केशव पंत
4. भीका भाऊ
5. सखाराम बापू
6. यादवराव दिवाकर

ये सूबे जब तक नागपुर राज्य के अधीन रहे, इनके कामों की कैफियत लेनेवाला कोई न था। पर ये सदा इस संदेह में रहा करते थे कि न जाने कब उनकी जगह का चार्ज लेने दूसरा आदमी आ जाए है। इसलिए ये सदा चाहे जिस तरह हो, धन जोड़ने की धुन में रहा करते थे। सखाराम बापू (सूबा नं. 5) की जान तो इसी कारण से गई। वह एक मनुष्य को सदा यह भुलावा दिया करता था कि मैं तुझे बड़ा भारी जमींदारी बना दूँगा। यह लोभ देकर उसने उससे बहुत सा धन ले लिया था। अंत में एक दिन उस मनुष्य को मालूम हो गया कि ये सब सूबा साहब की गोरी गप्पे हैं। उसने क्रोध में आकर बंदूक से उसे मार डाला।

मराठी सत्ता

इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मराठी राजसत्ता केवल 60 वर्ष (1758-1818) में नष्ट हो गई। मराठों ने हिसाब-किताब रखने का जरा अच्छा ढंग निकाला, पर जमीन माप कर लगान बाँधने या किसान और मालगुजार का आपस का संबंध सुधारने अथवा और किसी राज्य की उन्नति करने में उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हैहयवंशी राज्य-शासन पद्धति को ही अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ-दहाँ सुधारकर वे अपना काम निकालते रहे, पर इनके और हैहयवंशी राजाओं के विचारों में बड़ा अंतर था। हैहयवंशी अपने को प्रजाप्रिय बनाना चाहते थे और इन्हें केवल धन से मतलब था। ये प्राचीन प्रथा का कुछ भी आदर नहीं करते थे, न इनमें वे गुण थे, जो मूक प्रजा के शासकों में स्वभावत: होने चाहिए। जंगली हिस्सों को छोड़कर जहाँ का प्रबंध कठिन और जमा वसूली कम थी, बाकी स्थानों के बहुतेरे दीवानों और दाउओं को इन्होंने निकाल बाहर किया। गढ़ परगनों ने बदल दिए गए और कमायसदारों के जिम्मे लगाये गए थे। बरहों का नाम तालुका रखा गया

और पटेल उसके अधिकारी बने। गौंटिया ज्यों के त्यों रहे, पर अधिकारियों में उलटफेर होने के कारण इन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मराठों के समय में शिवनाथ नदी के उत्तर में जितने परगने थे, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं—

नाम	परगना	ग्राम संख्या	
1.	रतनपुर	485	पीछे इन 925 गाँवों का एक ही परगना बना दिया गया और नाम रखा गया—रतनपुर पगरना।
2.	बलौदा	67	
3.	तखतपुर	173	
4.	विजयपुर	91	
5.	लोरमी	109	
6.	खरौद	158	पीछे इन 449 गाँवों का एक ही परगना बना दिया गया और नाम रखा गया—खरौद परगना
7.	अकलतरा	93	
8.	खोखरा	10	
9.	नवागढ़	53	
10.	जांजगीर	31	
11.	किकिरदा	104	
12.	नवागढ़	37	पीछे इन 538 गाँवों का एक ही परगना बना दिया गया और नाम रखा गया—नवागढ़-परगना।
13.	मुंगेली	159	
14.	मदनपुर	23	
15.	बदनेरा	11	
16.	पथरिया	36	
17.	रांका	119	
18.	मारो	153	

ऊपर की सूची से मालूम होता है कि 10 परगने तो हैहयवंशियों के पुराने चौरासी ही थे। जान पड़ता था कि कुछ थोड़ा इधर-उधर करके मराठों ने पुराने गढ़ों को ही पगरनों का रूप दे दिया था। सन् 1818 तक तो ये बिना कुछ उलटफेर के ऊपर दी हुई सूची के अनुसार बने रहे, पर बाद में अंग्रेजी सुपरिटेंडेंट की आज्ञा से रतनपुर, खरौद और नवागढ़ के परगनों में शेष परगने जोड़ दिए गए और इस प्रकार परगनों की संख्या केवल 3 रह गई।

सन् 1758 से 1858 तक के समय को छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिये अंधकार-युग समझिए। इस युग में प्राचीन हिंदू प्रथा का विनाश हो गया और उसके स्थान पर विदेशी रंग-ढंग जारी हुए। प्राचीन राजपूत राजाओं के समय में प्रजा के साथ सहानुभूति व्यवहार रखा जाता था और वे शांति तथा सुख के साथ जीवन बिताते थे, पर मराठी-राज्य में ये सब बातें उल्टी हो गयीं। लोग नाहक सताए जाने लगे और उन पर मनमाना अत्याचार होने लगा। उस समय मराठों की एक भारी सेना छत्तीसगढ़ में रखी गई। भला यहाँ तक भी कुशल था, पर नहीं, उनकी और भारी सेनाएँ प्रजा का अन्न खाते हुए और उन्हीं को लूटती-पाटती छत्तीसगढ़ के बीच से निकल जाती थीं। अब पिंडारियों का नंबर आया। इन्होंने भी लोगों को खूब सताया। श्रीमान् भोंसला सरकार इनकी लूट-खसोटों के समय आँखें मूंद लेती थी, मानो कुछ जानती ही नहीं। इसका कारण भी था। लूट का हिस्सा इन्हें या इनके कर्मचारियों को पिंडारियों द्वारा बराबर मिला करता था। लूट में सबसे बड़ा हिस्सा सूबों का होता था। इनके हाथ में सब प्रकार के अधिकार थे और ये प्रजामत की परवाह न कर उनके गले पर सदा छुरी लिये डटे ही रहते थे तथा अपना घर भरते थे। इनकी कथा कहाँ तक कही जाए? परिणाम यह हुआ कि प्रजा शाप से ये शीघ्र नष्ट हो गए। प्रजा को असंतुष्ट रखकर भला कौन बचा है?

अंग्रेजी निगरानी

नागपुर के अप्पा साहब के भाग निकलने पर छत्तीसगढ़ का राज्य-प्रबंध अंग्रेजों के हाथ आया। सन् 1818 में इसके प्रथम सुपरिंटेंडेंट मि. एडमण्डस् मुकर्रर हुए। इनकी मृत्यु हो जाने पर कर्नल एगन्यू को इनका चार्ज दिया गया। कर्नल एगन्यू बड़े प्रजाप्रिय थे। इन पर प्रजा बड़ी ही प्रसन्न थी। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से उठाकर, रायपुर ले गए, जो सब प्रकार सुविधाजनक स्थान था। उसी समय से रतनपुर का गौरव नष्ट हो चला। अब तो वह बड़ी ही बुरी हालत में है। हाँ, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ खालसा को, जो 27 हिस्सों में था, 9 परगनों में बाँटा। मराठों के समय की बकाया जमा 1,76,608 निकली। जाँच से मालूम हुआ कि इस रकम का बहुत सा भाग फर्जी है। इसलिए केवल 36,500 वसूल किये गए और बाकी रकम माफ कर दी गई। प्रजा के सुभीते

को देखकर किस्तों में, जमा, वसूल करने का प्रबंध किया गया और गौंटियों को आज्ञा दी गई कि जो जमा वे वसूल करें, उसके लिए किसानों को बराबर रसीद दें।

फिर देशी शासन

छत्तीसगढ़ का शासन सन् 1818 से 1830 तक अंग्रेजी निगरानी में होता रहा। बाद में 1830 से 1858 तक फिर देशी सत्ता रही। जमा वसूली का जो तरीका अंग्रेजों ने चलाया था, जारी रखा गया और अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट के स्थान पर मराठा–सूबा नियत हुए। इन्होंने भी रायपुर को ही अपनी राजधानी बनाई और प्रत्येक परगनों में कमायसदार (सब–क्लेक्टर) रखकर काम चलाने लगे। अब कठोरता और अत्याचार के दिन जाते रहे। यदि कोई कमायसदार या सूबेदार कुछ भी अन्याय करता और राजा शिकायत होने पर कुछ ध्यान न देते और अगर वह बात नागपुर के रेजीडेण्ट के कानों तक पहुँच जाती तो उसके लिखने से अत्याचारी को उचित फल मिल जाता था। इस समय के विषय में लोग जो चर्चा करते हैं, उससे जान पड़ता है कि प्रजा उस समय संतुष्ट और सुखी थी। यद्यपि जुल्मों के भी अनेक उदाहरण मिलेंगे, पर तो भी प्रजा उन्नतशील थी और फिर यों तो इस पूर्ण सभ्यता के जमाने में भी अत्याचारों की कमी नहीं है।

अंग्रेजी राज्य का आरंभ

सन् 1854 में जब नागपुर प्रात अंग्रेजी–राज्य में मिला लिया गया, तब छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग डिपुटी कमिश्नर मुकर्रर हुआ और राजधानी रायपुर में रखी गई। कुछ दिनों के पश्चात् एक ऑफिसर के लिए प्रदेश भारी जान पड़ने लगा। तब सन् 1861 में बिलासपुर जिले की स्थापना हुई। सन् 1857 के बलवे का असर इस प्रदेश पर रंचभर भी न पड़ा।

तब से फिर इस जिले के निवासी कुछ सुखी मालूम होते हैं। अभी तक ये समय से पिछड़े हुए और अशिक्षित हैं। अब नये युग का आरंभ हुआ है, आशा है, इनपर इसका अच्छा असर पड़ेगा।

सन् 1868 में जिले का पहली बार बंदोबस्त किया गया था। इसमें मालगुजार और किसानों के हक जुदा कर दिए गए हैं। पुराने जमाने में गाँव

का मुखिया अपने किसानों का प्रतिनिधि था। उस जमाने की सरकार यदि प्रजा पर कुछ भी ज्यादती करती तो वह उनकी रक्षा करता। गाँव के किसान गाँव के मुखिया के गोत्रज थे, या उससे शादी-ब्याह का संबंध रखते थे और नहीं तो जाति-भाई ही थे और इस तरह गाँव प्रजा सत्ता के राज्य का एक छोटा सा नमूना था। वे घर में चाहे भले ही परस्पर लड़ते रहे हो पर बाहरी शत्रु से मुकाबला करने के लिए सब एक हो जाते थे। गाँव की पंचायत से जो उनका न्याय होता, उससे वे बड़े संतुष्ट रहते। ये सब बातें अंग्रेजी राज्य में धीरे-धीरे कम हो गयीं। अब किसानों पर गौंटियों का मर्यादित दबाव है। किसानों में निडरता के भाव फैल रहे हैं। परस्पर सहानुभूति नहीं है, जिससे झगड़े बढ़ रहे हैं। पंचायत का निर्णय बहुत कम सुना जाता है और तहसील तथा जिले की अदालतें मुकदमों से भरी रहती हैं। हमारे पाठकों को इस जमाने का यह चित्र पसंद न आएगा पर उन्हें धीरज रखना चाहिए। समय पलटा खा रहा है। आशा है उन्हें शीघ्र ही ऐसा चित्र देखने को मिलेगा, जिससे उन्हें पूरा संतोष होगा।

अंग्रेजी राज्य के कारण इस जिले की जनता की पोशाक और रहन सहन में बड़ा फर्क पड़ा है। आराम के सामान नित्य नये-नये बढ़ रहे हैं तथा लोगों की भोग-लालसा भी बढ़ रही है। विद्या की ओर भी रुचि हो रही है। सारांश—अंग्रेजी राज्य का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है, जो सहज में मिटने वाला नहीं, परंतु फिर भी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, समय पलटा खा रहा है। लोग अपनी इस गिरी हुई हालत का कारण समझ चुके हैं और ऊपर उठने को भरसक जोर लगा रहे हैं।

प्राचीन कारीगरी

प्राचीन कारीगरी की दृष्टि से भी बिलासपुर जिले का बड़ा महत्त्व है। मध्यकाल के शिल्प-कौशल के मनोहर नमूने यहाँ मिलते हैं। पाली, जांजगीर और तुमान के मंदिर इसके उदाहरणस्वरूप हैं। खरौद, धनपुर और मल्लार के मंदिर भी अच्छे हैं, पर इनमें वह कारीगरी नहीं, जो शिवरीनारायण और अड़भार के मंदिरों में है। गतौरा, कोसगई, मनीपुर, महमदपुर, बिसेसरा, कोठारी, पद्मपुर आदि स्थानों के खंडहरों के देखने से जान पड़ता है कि अनेक

सुंदर इमारतें नष्ट हो गई। रतनपुर में भी कुछ सुंदर मंदिर हैं, पर उनमें से कई पिछले युग के बने हैं और उनकी बनावट में मुसलमानी तर्ज की छाप पड़ी हैं। यहाँ के बहुतेरे मंदिर और महल हैहयवंशी राजाओं के बनवाये हुए हैं। ये राजा शिवजी को माननेवाले थे अतएव यहाँ शिवजी के मंदिर अधिक हैं। विष्णु-मंदिरों में जांजगीर का अधूरा मंदिर प्रसिद्ध है। शिवरीनारायण मंदिर बहुत सुंदर है। मल्लार, धनपुर, रतनपुर तथा और कई स्थानों में जैन-धर्म संबंधी शिल्प-चिह्न पाये जाते हैं।

किले

इस जिले में ईंट-पत्थर से बने हुए दो किले हैं। एक लाफागढ़ में, दूसरा कोसगईं में। कोसगईं में किले में पहुँचना कठिन कार्य है। मिट्टी की किलेबंदी रामगढ़, कोटमी, कोटगढ़, मल्लार, सरहर, काशीगढ़ और कोनारगढ़ में पायी गई है। बिलासपुर और रतनपुर के किले पत्थर चूना से बने हैं। रतनपुर का किला हाथी-किला कहलाता है, क्योंकि उसका आकार बैठे हुए हाथी के समान है। कोरबार में दो छोटी-छोटी खोह चट्टान काटकर बनाई गयी हैं।

शिला लेख

जिले में अनेक शिला लेख पाए गए हैं, जिनमें से प्रायः सबका संबंध रतनपुर के हैहयवंशी राजाओं से है। खरोद के मंदिर में शिलालेख लगे हैं। शिवरीनारायण के मंदिर में भी दो लेख हैं। एक लेख पाली-मंदिर तथा कोसगईं किले की दीवार पर है। कोटगढ़ के लेख का मतलब ही नहीं खुलता। रतनपुर की महामाया के मंदिर में दो शिलालेख हैं। एक में राजा की बड़ाई है, दूसरे में मूर्तिकार की। रतनपुर के कन्हारजुनी तालाब के मंदिर में दो शिलालेख है, पर ये हाल ही के हैं। इनके सिवा, अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख रायपुर तथा नागपुर के अजायबघर में भेज दिए गए हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्राचीन लेख किरारी के तालाब के एक खंभे पर पाया गया है। इसके अक्षर 1500 वर्ष के पुराने जान पड़ते हैं। यह अभी पढ़ा नहीं जा सका। इसी ढंग के अक्षर अड़भार के एक पत्थर के खंभे पर भी खुदे हुए हैं। ❑

तीसरा विकास

लोग

जनसंख्या

सन् 1921 की गणना के अनुसार बिलासपुर जिले की जनसंख्या 11,94,590 है। इनमें 7,82,859 पुरुष और 6,11,731 स्त्रियाँ है। सन् 191 में यहाँ की जन संख्या 91,46,223 थी। सन् 1911 की गणना के अनुसार तहसीलवार जनसंख्या यों थी—बिलासपुर तहसील—3,66,150, मुर्गली तहसील—2,14,851, जांजगीर तह.—4,08,258, कटघोरा तह.—1,56,964। बिलासपुर तहसील में 936, मुंगेली तह. में 942, जहाँगीर तह. में 850 और कटघोरा तह. में 766 गाँव हैं। इस प्रकार कुल गाँवों की संख्या 3464 है। इनमें कुछ गाँव ऐसे हैं, जहाँ बस्ती नहीं है।

जाति

इस जिले में अनुसूचित जाति को संख्या सबसे अधिक है। उनका औसत 20 सैकड़ा निकलता है। फिर गोंड़, रावत, तेली, पनिका और कुर्मियों का नंबर है। जमींदारियों को छोड़ खालसे में ब्राह्मण, बनिया और कुर्मी ही ज्यादा मालगुजारी करते हैं।

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति की मालगुजारी कुल 81 गाँवों में हैं। इनका शरीर दृढ़ सांचे में ढला-सा होता है। ये अधिकतर किसान हैं या किसानी कामों के लिए दूसरों नौकर (कमिया)। हैं। प्रत्येक गाँव का एक पैक़हा होता है। इसका

बस्ती के मरे हुए ढोरों पर हक होता है। इसे प्रतिवर्ष गाँव के मालगुजार को जितने जोड़े जूतों की जरूरत हो, मुफ्त देना पड़ता है। स्त्रियाँ दाई का काम करती हैं।

ब्राह्मण

ब्राह्मण संख्या में तीन सैकड़ों से भी कम हैं, पर मालगुजारी भोग रहे हैं 26 सैकड़ा गाँवों की। बात यह है कि पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ इनका बड़ा मान था। बिम्बाजी राजा के समय में महाराष्ट्र ब्राह्मणों ने क्या मालगुजारी, और क्या माफी, अनेक गाँव प्राप्त किये थे। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मणों में अधिकांश कनौजिया या सरवरिया हैं। इनका कहना है कि हम पचास पुश्तों से यहाँ निवास कर रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि राजा कल्याण साय के समय में (सन् 1536-1573) ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत से यहाँ आ बसे थे। इन ब्राह्मणों में सकार्रा, सिंघरी और मोछके मालगुजारों का घराना बड़ा ऊँचा समझा जाता है। ये आपस में चचेरे भाई हैं। ये अपने पूर्व पुरुष की कथा यों बताते हैं—अयोध्या के पास त्रिफला नामक गाँव में पं. मानिकदेव बड़े विद्वान थे। ये पुरी-यात्रा को गए और लौटती बार रतनपुर राज दरबार में अपनी पंडिताई का चमत्कार दिखाकर राजा को प्रसन्न कर लिया। राजा ने इन्हें राजपुरोहिती दे दी। ये यहीं रह गए। इस समय इस वंश के पं. हीरालाल मोछवाले राजमान्य पुरुष हैं।

दूसरा परिवार खेड़ा (तह. मुंगेली) के पांडे का है। इनके 13 गाँव हैं और 11 गाँवों में हिस्सा है। ये अपने पूर्व पुरुष का नाम अधार पाण्डेय बताते हैं।

करनौद और लोहरसी के तिवारी भी अच्छे ब्राह्मणों में गिने जाते हैं। ये कोई 31 गाँवों की मालगुजारी भोग रहे हैं।

महाराष्ट्र के ब्राह्मण

मुख्य महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार में एक तो रतनपुर के मालगुजार हैं। ये अपने पुरखों की कथा यों बताते हैं—बालापुर (अकोला) में कोई सखाराम गोपाल थे। वे वहाँ के कमायसदार थे। माधवराव पेशवा की चढ़ाई होने पर ये निजाम की नौकरी छोड़कर नागपुर चले आये और पेशवा के प्रतिनिधि चिमनाजी बापू के साथ उड़ीसा की लड़ाई में चले गए। वहाँ ये उड़ीसा के

सूबेदार बना दिए गए। बुढ़ापे में ये रतनपुर चले आये और वहीं परलोकवासी हुए। तब इनका लड़का वहाँ का कमायसदार नियत कर दिया गया। तबसे फिर इनके वंशजों के हाथ में रतनपुर की मालगुजारी आ गई। इस समय ये तीन भाई हैं और जुदा कारबार करते हैं।

दूसरा प्रसिद्ध घराना शास्त्रियों का है। इनके दो भाग हैं। एक दिघ्रस्कर दूसरा विठालकर। दिघ्रस्करों के पूर्वज दिघ्रस नामक गाँव के निवासी थे। इस वंश के कृष्णभट्ट, बिम्बाजी राजा के साथ रतनपुर चले आये और मुख्य राजपुरोहित हो 22 गाँवों की माफी भोगने लगे, पर अब माफी गाँव अधिक नहीं रह गए हैं। इनके वंश के पं. विश्वनाथ एकीस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे। पं. रघुनाथराव शास्त्री और पं. रामचंद्रराव उर्फ रामभाऊ इस वंश की एक-एक शाखा के मुखिया है।

विठालकरों पूर्वज भी सतारा के बिठाल नामक गाँव के निवासी थे। ये भी भोंसला सरकार के पुरोहित थे, पर इनका दर्जा दोयम था। इन्हें भी दो गाँव माफी में मिले थे। इस वंश के पं. गोविंदशास्त्री शास्त्र और पुराणों के अच्छे ज्ञाता हैं।

तेली

तेलियों की संख्या 7 सैकड़ा है। 80 गाँवों में इनकी मालगुजारी है। झिरिया, जंगली, इकबहियाँ आदि इनके कई भेद हैं। एक हाथ में काँच की चूड़ियों और दूसरे में रांग के कड़े जिन तेलियों की स्त्रियाँ पहनती हैं, उन्हें इकबहियाँ कहते हैं। तेलियों की घानी सदा दायें से बायें घूमती हैं। तिलहन पदार्थों के महँगा होने और परदेशी मुसलमान तेलियों के आ जाने के कारण यहाँ के तेलियों का रोजगार मारा जा रहा है। ये अब खुद तेल पेरने के बदले दुकानों से देशावरी तेल खरीदते हैं और लोगों में बेचते हैं।

रावत

रावत (अहीर) 7 सैकड़ा हैं, पर मालगुजारी केवल 11 गाँवों में है। ये ढोर चराने का धंधा करते हैं। गृहस्थों में इनकी बड़ी माँग रहती है। ये नौकरी करते हैं और इनकी स्त्रियाँ चौका-बासन। छत्तीसगढ़ में यही एक जाति ऐसी है, जिसके हाथ का पानी महाराष्ट्र जाति को छोड़ सब पीते हैं।

कुर्मी

कुर्मी अनुमान 5 सैकड़ा हैं। 160 गाँवों में इनकी मालगुजारी है। इनके मुख्य चार भाग हैं। देशहा, चंदनाहू, सरेठी और सनौढ़िया। देशहा कुर्मी मुंगेली तहसील में अधिक पाए जाते हैं। चंदनाहू, जांजगीर तहसील में ज्यादा हैं। पतरिया नामक एक खण्ड इनका और है, पर ये छोटी नजर से देखे जाते हैं, क्योंकि ये सन की खेती करते हैं और खेती में पतरी पर भोजन करते हैं। कुर्मी बड़े किसान होते हैं।

बैरागी, गुंसाई

बैरागी, विष्णु और गुंसाई शिव के उपासक हैं। इनकी संख्या लगभग 8000 हैं। सच पूछिये तो ये अपनी जगह से बहुत नीचे गिर गए हैं। इनमें अब उस आत्मत्याग और सरलता के भाव नहीं रहे, जो वास्तव में इनके मुख्य गुण होने चाहिए। इनमें से बहुतेरों ने अच्छी जायदाद बना ली है और पूरे गृहस्थ बन गए हैं। उदाहरण के लिए लोरमी के तालुकेदारों को ही ले लीजिए—इनके 104 गाँव हैं। जिले में दो-एक और मातबर आसामी हैं। इनके मातबर होने का कारण है। ये पुराने जमाने से मंदिर के पुजारी या मठ के महन्त होते आये हैं। उस समय मंदिर या मठ के खर्च के लिए राज्य की ओर से गाँव लगा दिए जाते थे। सिवा इनके जन साधारण से भी अच्छी चढ़ोत्तरी हो जाया करती थी। सो ये धीरे-धीरे धनी हो गए। गाँव खरीद कर जायदाद बढ़ा ली। अपनी जगह पर दूसरा पुजारी रख दिया और आप गुलछर्रे उड़ाने लगे। ब्याह करना मना है, पर वह भी कर लिया। बाल-बच्चे भी हो गए। पूरी गृहस्थी भोगने लगे। नांदगाँव और छुई खदान के राज्य इसी प्रकार जमे हैं।

बैरागियों के नाम के पीछे दास लगा रहता है, जैसे भरतदास और गुंसाइयों के नाम के पीछे गीत या पुरी जैसे गनपतगीर, दामोदरपुरी।

निहंगों का एक मठ शिवनारायण में है। इस मठ में कुल 18 गाँव लगे हुए हैं, जिनमें 6 गाँव माफी हैं। इस समय इस मठ के महंत लाल दासजी बड़े सज्जन पुरुष हैं।

गोंड़

गोंड़ फी सैकड़ा 13 हैं। जमींदारों को छोड़ दें तो इनके अधिकार में केवल 31 गाँव रह जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि आयोग के आने के पहले कुल मध्यप्रांत में गोंड़ों का राज्य था और इसलिए यह गोंड़वाना भी कहलाता था। इस समय इस प्रांत में ऐसा कोई भी जिला नहीं है, जहाँ ये बड़ी संख्या में न पाये जाते हों। इनके अधरिया, भिम्मा, ढोलेस आदि कई भेद हैं।

माल खरौद के माफीदार राजगोंड़ हैं। ये देवगढ़ को अपना आदि स्थान बताते हैं। इनके अधिकार में फुलझर जमींदारी भी आ गई है।

बिर्रा का गोंड़-परिवार अपना संबंध चांदी जिले के एक जमींदार वंश से बताता है। कहते हैं घराऊ झगड़े के कारण धुरवा नामक पुरुष घर (चांदा जिला) छोड़ कौड़िया (जिला रायपुर) चला आया। घुरवा के एक पोते ने, जिसका नाम जोहरसिंह था, कौड़िया छोड़ दी और बिर्रा चला गया। रतनपुर-राजा की सेना में नाम कमा कर इसने 50 गाँव प्राप्त किये, पर चीजम साहब के बंदोबस्त में इसके वंशज केवल 16 गाँव के अधिकारी माने गए। ये लोग अपने को गढ़ामंडला के राजगोंड़ों का जाति-बिरादर बतलाते हैं।

पनिका

पनिका 6 सैकड़ा हैं। ये गांड़ा या बजगरी (बाजा बजाने वाले) जाति से कुछ ऊँचे समझे जाते हैं। ये प्राय: कबीरपंथी होते हैं और मांस, मदिरा और मादक पदार्थों से परहेज रखते हैं। इस जिले के तीन चौथाई गाँवों में आप पनिका जाति के कोटवार पावेंगे।

कंवर-तंवर

पंडरिया और कंतली के जमींदारों को छोड़कर इस जिले के शेष आठों जमींदार जाति के कंवर हैं। ये 5 सैकड़ा हैं। कहते हैं—इनके पुरखों ने कौरवों की ओर से पाण्डवों के साथ युद्ध किया था, इससे ये कंवर कहलाये, पर जितने जमींदार हैं, वे अपने को कंवर के बदले तंवर कहते हैं और अपना पूर्व संबंध तुअर राजपूत से बतलाते हैं। कंवर जाति के आठ भेद हैं। आठवें भेद में जमींदारों की गणना होती है और वे तंवर या उमराव कहलाते हैं।

करगी के ठाकुर खुशालसिंह तंवर हैं। करगी इलाके में 32 गाँव हैं। कहते हैं कि ये सब गाँव इनके एक पुरखे को उसकी शूरवीरता के कारण मिलते हैं। इनके इस पुरखे ने अपनी एक बंदूक से दूसरे जंगली जानवरों को छोड़ 155 सिंह मारे थे। यह बंदूक अब तक इस वंश में है। इसकी पूजा होती है।

कोरी, सरखों और पंतोरावाले भी तंवर जाति के हैं।

बनिया

मराठों के समय में बखतदानी नामक एक बनिया उत्तर-भारत में आकर चंद्रपुर जमींदारी के एक गाँव में बस गया, पर उसके पुत्र मंत्रमधु साब ने स्थान बदल दिया और भैंसों गाँव (जांजगीर तह.) में घर बनाया। फिर उसे स्थान बदलने की सूझी। अबकी बार उसने कोसगाँव (जांजगीर तह.) में घर बनाया। उसका पुत्र शंकर साव हुआ। इसने अपनी पुरखौती नीति को ध्यान में रख बिलासपुर में अपना घर बनाया और तबसे फिर इसके वंशजों ने पुरखों की नीति पर चलना छोड़ दिया और यहीं जमे हुए हैं। शंकर साव ने पहले मल्लार गाँव प्राप्त किया। फिर जब उसका लेन-देन बढ़ गया, तब तो उसने कई गाँव प्राप्त किये। इस समय इस वंश के मुखिया श्रीयुत अयोध्या प्रसाद जी और गेंदरामजी, दो भाई हैं। इनके गाँवों की संख्या करीब 51 है।

हैहयवंशी राजा कल्याणसिंह के समय में चैनसिंह नामक एक अगरवाला बनिया दिल्ली से रतनपुर आया और दरबार में नौकर हो गया। आगे चलकर इस वंश में घासीराम साव हुए। इन्होंने इस जिले के जमींदारी और तालुकेदारों के साथ खूब साहूकारी की। सन् 1873 में ये 100 रुपये मासिक वेतन पर खैरागढ़ दीवान हो गए। इनके वंशवाले अब 27 गाँवों की मालगुजारी भोग रहे हैं।

घासीराम साव के छोटे भाई महर साव थे। इनके वंश में इनके पौत्र बाबू बालारामजी बी.ए. वकील हैं।

राजपूत

इस जिले के राजपूतों में कई भेद हैं। चंद्रपुर के तालुकदार सुरवार राजपूत हैं। इनका गोत्र गर्ग है। ये कहते हैं—दिल्ली के निकट जो सिनपोस

रियासत है, उसके राजा सूरजसिंह के हम वंशज हैं। हमारे पूर्वज सिरगुजा-राज्य में नौकर थे। हमारे एक पुरखा बहादुरसिंह सरईकेला के राजा अभिराम सिंह के यहाँ नौकरी करने लगे। वहाँ उन्होंने एक अंग्रेज ऑफिसर को कोल और सन्तालों के मचाए हुए बलवान के दबाने में बड़ी सहायता पहुँचाई। उनके बाद उनके द्वितीय पुत्र रूपसिंह ने जो संबलपुर जिला में मुनसिफ थे, सन् 1857 के बलवे में अंग्रेजों को अच्छी सहायता दी थी। इसके बदले में उन्हें रायबहादुरी और 6 जमींदारियाँ इनाम में दी गईं। पीछे ये जमींदारियाँ वापस लेकर उनके असल मालिक को दे दी गई और इन्हें बदले में चंद्रपुर और पद्मपुर की जमींदारियों मिलीं। आजकल इस वंश के मुखिया ठाकुर भवानी शंकरसिंह हैं।

किसी समय मेवाड़ (जोधपुर) से सरदारसिंह और पीलासिंह नामक दो भाई जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गए और वापसी में सिरगुजा में नौकरी कर ली। बाद में ये रतनपुर राजा के आश्रय में गए। ये पोंडी गाँव को अपना प्रथम स्थान बतलाते हैं। जब इस जिले का पहली बार बंदोबस्त हुआ, तब इस वंश में केवल 6 गाँव थे, पर पीछे से साहूकारी द्वारा खूब धन कमाया गया और 45 गाँव और प्राप्त किये गए। इस समय इस वंश के मुखिया ठाकुर मनमोहनसिंहजी तथा ठाकुर विशालसिंहजी के भतीजे ठाकुर छेदीलालजी एम.ए. (आक्सन) बैरिस्टर हैं।

भोंसला

चौहान राजपूतों की दासी स्त्री की संतान समझे जाते हैं। 'चौहान चोर' प्रसिद्ध हैं। ये देहातों में कोटवारी भी करते पाए जाते हैं। नरगोड़ा-गाँव के भोंसलों का कहना है कि हम लोग रतनपुर राजा बिंबाजी के काका महाजी के वंशज हैं। महाजी, बिंबाजी की सेना में 1000 घुड़सवार और 2000 पैदल सेना के आफिसर थे। यह नरगोड़ा गाँव उन्हें माफी में मिला था और 200 मासिक वेतन भी मिलता था। उसके वंशज अब भी यह गाँव माफी भोग रहे हैं।

दूसरा भोंसला परिवार चिचिरदा गाँव में हैं। ये कहते हैं कि हम लोग बिंबाजी की छोटीरानी की बहन जीजीबाई की संतान हैं। जीजीबाई को उसके

पति के मरने पर 3000 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी तथा तीन गाँव माफी दिए गए थे। चिचरदा गाँव का माफी हक अब जाता रहा है तथा जीजीबाई के समय में मिलनेवाली पेंशन अब 128 रुपये मात्र रह गई है।

मुसलमान

मुसलमानों के घरों में मुंशी अकबर खाँ का घराना प्रसिद्ध है। इनके पूर्वज भोंसला-सरकार की सेना में सूबेदार थे। इनके 48 गाँव हैं।

इनके सिवा बहेलिया, बंजारा, बरई, बरगाह, बसोर, बेल्दार, दरजी, ढमार, धोबी, धूरी, भाट, भील, कहार, कलार, कसेर, केवट, कोष्टा, लुहार, लोधी, माली, महरा, मेहतर, मोची, नाई, पविया, पासी, पटवा, सोनकर, सुनार आदि अनेक जाति के लोग इस जिले में पाए जाते हैं।

धर्म

सन् 1911 की मनुष्य गणना के अनुसार यहाँ हिंदू 10,77,338, मुसलमान 13964, ईसाई 2011, मूलनिवासी 542425 और अन्य धर्मवाले 485 कुल 11,46, 223 थे। ऊँची जाति के लोग विष्णु, शिव या देवों की उपासना करते हैं पर नीच जाति में कबीरपंथियों की संख्या बहुत है। पनिका, कोष्ठा, महरा, धोबी, तेली, कुर्मी, अहीर, लोधी, कसौं धन बनिया प्रायः कबीर पंथी हुआ करते हैं। सतनामी और सक्तहा भी पाए जाते हैं। चंद्रपुर और पद्मपुर की ओर रामनामी की संख्या अधिक है। रामनामी अपने सब शरीर में राम-राम गुदाए रहते हैं। सतनामी चमार सतनाम कह कर सबकी वंदना करते हैं। कबीरपंथी और सतनामी मांस-मछली तथा नशीली चीजों से बड़ा परहेज रखते हैं।

बोली

इस जिले की बोलचाल की भाषा विशेषकर छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप समझिए। छत्तीसगढ़ी, अवधी भाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। डॉक्टर गियर्सन का मत है कि यदि कोई छत्तीसगढ़ी अवधप्रांत में जाकर रहे तो वह एक ही सप्ताह में वहाँ की बोली इस तरह बोलने लगेगा, मानो वही उसकी मातृ भाषा हो। अवधी भाषा से छत्तीसगढ़ी

भाषा के मिलने-जुलने का कारण हैहयवंशी राज्य भी हो सकता है, क्योंकि हैहयवंशी आदि में उधर ही के रहनेवाले थे और उनके द्वारा यहाँ उसका प्रचार होना असंभव नहीं है, जैसाकि वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का हाल है। छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण काव्योपाध्याय हीरालाल-धमतरी-निवासी ने हिंदी में बनाया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद गवर्नमेंट डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा कराकर प्रकाशित किया था। हाल ही में उसने इसका संशोधन पं. लोचन-प्रसादजी पाण्डेय से कराकर फिर प्रकाशित किया है।

प्राचीन ऋषि

राजा राजसिंह के समय में गोपाल कवि प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने संवत् 1747 में 'खूब तमाशा' नामक नीति विषयक ग्रंथ लिखा था। यह पुस्तक श्रीवेंकटेश्वर प्रेस में छप चुकी है। इस कवि का भक्त चिंतामणि नामक ग्रंथ संवत् 1757 में लिखा गया था। इसमें श्रीकृष्णजी चरित्र-वर्णन है। यह छप चुका है। इसके आवरण पृष्ठ पर छपा है—कांकेर राज्याधिपति श्रीमन्नहरि देव महाराज के आश्रित रतनपुर निवासी कविवर श्रीगोपाल मिश्र द्वारा विरचित। इससे जान पड़ता है कि कवि महाशय बाद में रतनपुर छोड़ कांकेर आ बसे थे। इस कवि का लिखा रामप्रताप नामक ग्रंथ भी छप गया है, पर इसके पिछले अंश में माखन कवि की छाप है। कहते हैं पिता गोपाल की आज्ञा से पुत्र माखन ने इसे पूरा किया था। इस ग्रंथ का विषय रामचरित्र है। इसकी रचना कुछ-कुछ काव्य के ढंग पर हुई है। गोपाल कवि का एक ग्रथ 'जैमिनी अश्वमेध' भी है।

रेवाराम बाबू का जन्म संवत् 1870 के लगभग हुआ था और मृत्यु सं. 1927 के अनुमान में। ये बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। इनके रचे जिन ग्रंथों का पता चला है, उनके नाम ये हैं—1. सार रामायण दीपिका, 2. ब्राह्मण स्तोत्र, 3. गीत माधव काव्य, 4. नर्मदाष्टक, 5. गंगालहरी, 6. रामाश्वमेघ, 7. विक्रम विलास, 8. रत्न-परीक्षा, 9. दोहावली, 10. माता के भजन, 11. श्रीकृष्णलीला के भजन, 12. लोकलावण्य, 13. रतन पुरका इतिहास। नं. 12 की पुस्तक लोकलावण्य बिलासपुर के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर वीरूबाबू की आज्ञानुसार लिखी गई थी और चीफ कमिश्नर साहब को समर्पित की गई

थी। रामाश्वमेध और माता के भजनों को छोड़कर शेष सब पुस्तकें अप्रकाशित हैं। इनके निवासस्थान रतनपुर में इनके संबंध की कई बातें, जिनसे इनकी प्रतिभा का पता चलता है, प्रचलित हैं। इनके कई ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं।

रतनपुर के पं. तेजनाथ शास्त्री संस्कृत और भाषा के सुकवि थे। आपने संस्कृत में रामायण सार संग्रह नामक एक काव्य ग्रंथ संवत् 1895 में लिखा था।

वर्तमान कवि

साहित्याचार्य काव्यसुधाकर रायसाहब बाबू जगन्नाथ प्रसाद 'भानुकवि' का नाम प्रत्येक कविता प्रेमी जानता होगा। यद्यपि ये इस जिले के निवासी नहीं हैं तथा इससे वे बड़ा प्रेम रखते हैं तथा बिलासपुर शहर में अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया है। पहले ये असिस्टेंट सेटलमेंट आफिसर थे, अब पेंशन पा रहे हैं। इन्होंने एक प्रेस खोल रखा है जिकसा नाम 'जगन्नाथ-छापा खाना' है। इनके रचे हुए मुख्य ग्रंथों के नाम हैं—छन्दः प्रभाकर, काव्य प्रभाकर, नवपंचामृत रामायण, हिंदी-काव्य प्रबंध-माला आदि। भानु-कवि बड़े उदार हैं। इनका यश बहुत फैला हुआ है।

पं. मालिकराम भोगडा शिवरीनारायण के मालगुजार के बड़े लड़के थे। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उड़िया आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। प्रसिद्ध विद्वान् ठाकुर जगन्मोहनसिंह विजय राघवगढ़वाले इनके काव्य गुरु थे। खेद है कि सन् 1909 में इनकी मृत्यु हो गई। आपका 'रामराज्य वियोग' नाटक छप गया है।

पं. गनेशप्रसाद तिवारी युक्त प्रांतवासी है। इन्होंने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं और छपाई हैं। इनका भाषण उत्तम होता है। ये बिलासपुर शहर में रहते हैं।

श्रीगयादीनजी युक्तप्रांत निवासी हैं, पर अब चंद्रपुर इलाके के तेंदूमुड़ी गाँव में बस गए हैं। बड़ी सरस और सुंदर कविता करते रहे। कवित्त लिखने में परम चतुर हैं।

पं. शिवदास पाण्डेय आशु-कवि भी युक्तप्रांतवासी हैं, पर अब इस जिले में स्थायी रूप से रहने लगे हैं। आप संस्कृत के ज्ञाता और हिंदी के सुकवि

हैं। बम्बई के सेठ खेमराज श्रीकृष्ण दास के लिए आप कुछ काम करते रहे हैं। इसके सिवा आपने पाँचवीं पुस्तक, दानलीला (छत्तीसगढ़ी भाषा में) आदि प्रकाशित तथा कई अप्रकाशित पुस्तकें लिखी हैं। ये शिक्षक का कार्य करते हैं। इस समय इन्हें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने अपने त्रैमासिक पत्र विकास के सम्पादन संबंधी कार्यों में लगा दिया है।

पं. शुकलालप्रसाद पाण्डेय छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण हैं। रहनेवाले शिवरीनारायण के हैं। बड़े ही योग्य कवि हैं। सरस्वती आदि ऊँचे दरजे की मासिक पत्रिकाओं में आपकी कविताएँ निकलती रही हैं। आपने प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के कामेडी ऑफ एरर्स को छत्तीसगढ़ी रूप दे छत्तीसगढ़ी भूल भूलैया के नाम से छपाया है। आप शिक्षक का कार्य करते हैं।

ठाकुर छेदीलाल एम.ए. बैरिस्टर अकलतरा के रहनेवाले हैं। आप पहले ही छत्तीसगढ़ी हैं, जिसने विलायत जाकर अपने देश-भाइयों के लिए विदेश-यात्रा का मार्ग खोल दिया है। आपने 'हालेण्ड की स्वाधीनता' और 'एशियावालों के प्रति यूरोपियनों का व्यवहार' नाम की पुस्तकें लिखी हैं। आप प्रयाग से निकलनेवाली सेवा पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। आपका व्याख्यान बड़ा प्रभावशाली होता है। आपकी गिनती बिलासपुर जिले के ही नहीं वरन हिंदुस्तानी मध्यप्रांत के नेताओं में होती है।

बालपुर के मालगुजार पं. पुरुषोत्तमप्रसाद जी पाण्डेय छह भाई हैं। ये सबके सब मातृभाषा के सेवक हैं। पं. पुरुषोत्तम प्रसादजी के लिखे अनेक निबंध 'आनंद की टोकनी' नामक पुस्तक में छपे हैं। आपके छोटे भाई पं. लोचनप्रसाद जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखकों में से हैं। आपकी विद्वत्ता से प्रसन्न हो बामड़ा नरेश ने आपको काव्य विनोद की पदवी दा है। आपकी लिखी अनुमानित 40-42 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने 'कृषक बाल-सखा' नामक एक पुस्तक छत्तीसगढ़ी बोली में लिखकर प्रकाशित कराई है। आपने एक छत्तीसगढ़ी गीता भी लिखी है। आप हिंदी भाषा के सिवा उड़िया, बँगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता हैं। अभी हाल में आपने अंग्रेजी में लिखे छत्तीसगढ़ी व्याकरण का संशोधन किया है, जिसे मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रकाशित कराया है। आप मध्यप्रांतीय चतुर्थ हिंदी साहित्य सम्मेलन के

सभापति बनाये गए थे। सम्मेलन का यह अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। उस समय आपने सभापति की हैसियत से जो भाषण दिया था, वह बड़ा मर्मपूर्ण था। आपके उद्योग से छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली नामक एक संस्था स्थापित हुई है। ईश्वर चाहेगा तो यह कुछ काम दिखाएगी। आपने छत्तीसगढ़ को ऊँचा उठाने में जो प्रयत्न किया है, वह शायद ही किसी छत्तीसगढ़ी ने किया हो। अनेक अच्छे-अच्छे मनुष्य, जो कुछ वर्ष पहले अपने को छत्तीसगढ़ी समझकर सदा सकुचाए रहते थे, आज छत्तीसगढ़ी होने में अपना गौरव मानते हैं। यह केवल आपके उद्योग का फल है। आपने अपने पूज्यपाद पिता स्वर्गीय पं. चिंतामणिजी की जीवनी, जो लिखकर छपाई है, उसकी प्रशंसा मध्यप्रदेश के मंत्री श्रीशंकर माधो चिटनबीस तथा रायबहादुर हीरालाल तक ने की है। आपको पुरातत्व से बड़ा प्रेम है। आपने इस संबंध में बहुत कार्य किया है।

पाण्डेय जी के छोटे भाई विद्याधरजी तथा वंशीधरजी ने भी कुछ लिखा है। मुरलीधरजी कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं। सबसे छोटे भाई मुकुटधारी बड़े ही प्रतिभाशाली कवि हैं। छोटी ही अवस्था में ये उत्तम कविता रचने लगे हैं।

पाण्डेय-बंधु सरयूपारीय ब्राह्मण हैं। चार गाँवों में इनकी मालगुजारी है।

श्री सैयद अमीर अली मीर का नाम ऐसा कौन हिंदी-प्रेमी होगा, जो न जानता हो। ये देवरी जिला सागर के निवासी हैं। आपका नाम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति के लिए कई बार प्रस्तावित हो चुका है। आप बहुत ऊँचे-दरजे के कवि और लेखक हैं। आपकी 'बूढ़े का ब्याह' नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। आप बोलते भी बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में इनके सदृश हिंदी का विद्वान शायद ही कोई मुसलमान हिंदुस्थान में होगा। 'नदा नाव संयोग' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आजकल ये अपने जीवन के पिछले 4 वर्ष छत्तीसगढ़ में काट अब बिलासपुर शहर में निवास कर रहे हैं।

सम्पादकाचार्य्य पं. माधवरावजी सप्रे का नाम तो भूले ही जा रहे हैं। आपने पेंडरा से 'छत्तीसगढ़ मित्र' नामक मासिकपत्र निकाला था। इसके पश्चात मातृभाषा और मातृभूमि के उद्धार के लिए आपने जो कार्य किये हैं,

उनका उल्लेख यहाँ करना सूरज को दीपक दिखाना है। इस समय आप रायपुर में रहते हैं।

पं. कपिलनाथ मिश्र खरौदवासी, पं. मेदिनीप्रसाद पाण्डेय, पं. पुत्तीलाल शुक्ल, श्री शंकर प्रसाद और ठाकुर मेहरबानसिंह, पं. दु:खीराम अवस्थी, पं. रामभरोसे शुक्ल, पं. सरयूप्रसाद तिवारी आदि सज्जन भी अच्छे लेखक और कवि हैं।

पत्र

इस जिले में सबसे पहले निकलने वाला पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था। अब यह बंद हो गया है। इस समय इस जिले की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल विकास नामक त्रैमासिक पत्र निकाल रही है, जो अच्छा चल रहा है।

कहावत-पहेली

छत्तीसगढ़ी-बोली में कहावत को हाना और पहेली को जनौबल कहते हैं। किसी-किसी कहावत से बड़ी बुद्धिमानी झलकती है। कुछ कहावतें नीचे लिखी जाती हैं—

1. अड़हा के लेखे डंड़हे डंडहा।
   (मूर्खों के लिए सब बराबर)
2. रोठ मोठ (मजबूत) बैला राखे,
   कमिया (नौकर) राखे भारी।
   उत्ती (उत्तर) मुँह के घर राखे।
   हंसत बदन के नारी॥
3. बर न बिहाव छुटटी बर धान कूटे।
4. राजा के मरगे हाथी,
   परजाके मरगे घोर (घोड़ा)
   रांड़ी (गरीब विधवा) के मरगे कुकरी (मुर्गी)
   ये तीनों बराबर होय।
5. सुमता (सुमति) देखेन तीनके।
   कायथ, कौवा, कोलके॥

दुर्मत देखेन तीनके, बाम्हन, कूकुर, घोड़के।

6. धन ला देखे जात तो आधा देवे बाँट।

पहेलियाँ

1. मोर ममाके नौ लख गाय,
   रात चरे दिन बेड़े जाय॥उत्तर = तारे
2. छितकी कुरिया में बाघ गुर्रावै। उ. = चक्की
3. ऐंठेंग गोंइठे पहार ऊपर बैठें। उ. = पगड़ी
4. एक गाँव में आग लागै, एक गाँव में धुँवा।
   चलौ लैका देखे जाई, एक गाँव में कुँवा॥उ. = हुक्का

ददरिया

छत्तीसगढ़ की नीच जातियों में ददरिया, (दादरे) का बड़ा प्रचार है। इनमें फूहड़पन (अश्लीललता) बहुत रहती है। कुछ भावपूर्ण भी होती है। कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं—

1. कागद हवे कलम नइये,
   किसमत ले उतरगे करम नइये।
2. काठा काठ गंहूके मोरी यक पिसान।
   जरमन के लड़ाई मां काँप गइनं किसान॥
3. गाँव गाँव मां मुनसी फिरथे खेत खेत पटवारी।
   रैयत मन ला डेरूवा डेरुवाके रुपिया लेथै भारी॥
4. तैं मोर देवता मैं तोरेच हवों दास, कुछू नइ मांगौं
   सिरिफ देखे भरके आस।
5. तोर मुँह मोर आँखी अय चकोर,
   तें जब चल देथस तो हाय, छाती फाटे मोर॥

गाँवों के नाम

बिलासपुर जिले में विशेष कर जंगली भागों में गाँवों के नाम प्राय: वृक्षों पर से रखे गए हैं। जैसे अमली से अमलडीहा, आम से आमगाँव, लीम से लिमतरा, लिमहा, खैरसे खैरा, चारसे चारगाँव, परसा से परसदा, महुआ से

मोहगाँव, सेम्हर से सेम्हरा, सेम्हरी, बेल से बेल गहना, बेलहा आदि।

अन्य वस्तुओं पर से जो नामकरण हुए हैं, उनके कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं—

तालाब—सेमरताल, बेलसरा।

भैंसा—भैंसो, भैंसाझर, भैंसामूंड़ा।

पशु—बिल्लीबंद, घोड़ामार, गदहाभाठा, गौबन्द, कूकुरडीह, हाथीवारा।

पक्षी—कौवा कापा, सारसताल, कोइलारी।

कीड़ा मकोड़ा—झिंगुरा डोंगरी, केकराडीह।

पत्थर—पथरिया, ठाढ़, पखना, ढुकू पथना, पथरताल।

भूमि—कछार, कन्हारपुर, कालीमाटी, लालमाटी, लालखदान, दुर्राभाठा।

राजा-रानी—रत्नपुर, तखतपुर, राजपुर, रानीगाँव, रानीडेरा, रानी बछाली, रानीसागर, राजा कापा।

रिश्ता—ममा-भांजा, देवरानी-जेठानी, बापापूती।

मनुष्यों के नाम

पुरुष और स्त्रियों के नाम से यहाँ की जातियों में कभी महीने पर से, कभी दिन पर से, कभी मनमाने रखे जाते हैं, जैसे, कार्तिकराम, बैसाखू, जेठू, चैतू, फगुवा, सवना, फगुनी, चैती, बैसखिया, शुकबारा, बुधवारा, इतवारी आदि। बड़े आदमियों के यहाँ भी जब लड़के-बच्चे अकसर नहीं ठहरते, मर जाते हैं तो नये पैदा हुए बच्चों के नाम छोटी जाति पर से रख देते हैं। जैसे—झाड़ू, भंगी, आदि।

❑

चौथा विकास

भूमि

बिलासपुर जिले में जो भूमि पाई जाती है, उनकी सूची नीचे दी जाती है—

नाम भूमि		पहचान	कहाँ पाई जाती है	कौन चीज ज्यादा पैदा होती है
1.	कन्हार	काली मिट्टी	ज्यादा मुंगेली तह. में	चना, गेहूँ
2.	मटासी	सफेदी और पीलाहट ली हुई	बिलासपुर और जांजगीर तह. में	धान
3.	डोरसा पहली	अधिक कन्हार मिली हुई मटासी	मुंगेली और बिलासपुर तह. में	अलसी, मसूर (दो फसली)
4.	डोरसा दूसरी	अधिक मटासी मिली हुई कन्हार	जांजगीर और बिलासपर तह. में	राहर, तिवरा, उड़द, बटरा
5.	पाल कछार	रेत मिली हुई मिट्टी	नदी नालों के किनारे पर	बिही, भाटा, मिरचा, सांटा
6.	पटपर कछार	मिट्टी मिली हुई रेत	नदी की तलहटी में	शकरकंद तरबूज
7.	भाटा या डंडहा	कंकरीली	कुछ–कुछ सब तह. में	तिली, ज्वार

फसल

मुंगेली तहसील में उन्हारी (रबी) अधिक पैदा होती है और बिलासपुर तथा जांजगीर तहसील में सियारी (खरीफ) कटघोरा तहसील में जंगल की अधिकता है।

जिले का कुल क्षेत्रफल 48,67,232 एकड़ है। इसके 20 सैकड़े पर जमींदारियों के जंगल हैं और 7 सैकड़े पर सरकारी जंगल। बचे हुए एकड़ों के 93 सैकड़ा जोतने-बोने योग्य हैं। जिले की मुख्य फसल धान हैं। यह अनुमान 69 सैकड़ा बोया जाता है। कोदों 9 सैकड़ा और ज्वार 7 सकड़ा बोये जाते हैं। मुंगेली तहसील में गेहूँ की फसल 18 सैकड़ा पैदा की जाती है। शेष भूमि में उड़द, तिवरा, बटरा, मसूर, चना आदि की खेती होती है। इन पिछले अन्नों की खेती दो फसली होती है, यानी धान की फसल के बाद ये अन्न बोये जाते हैं।

आबपाशी

आबपाशी के भरोसे बहुत थोड़ी फसल बोई जा सकती है। यदि गाँव में दो-तीन तालाब न हुए तो आवपाशी के लिए तालाब फोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से फिर गरमी के दिनों में पानी के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। पिछले तीन वर्षों से पानी समय पर नहीं बरसता। आवपाशी के इस कष्ट को देखकर सरकार ने कई नदियों में बाँध बाँधने का विचार किया है और रतनपुर के निकट खारून नदी की बँधाई का काम आरंभ भी कर दिया है। अरपा, मनियारी, आगर और हसदो नदी पर भी बाँध बाँधने का विचार किया गया है।

ढोर-बछरू

सरकार ने किसानों को खेती तथा ढोर का नमूना बताने के लिए बिलासपुर शहर से आध मील दूर सरकंडा में एक फार्म खोल रखा है। छत्तीसगढ़ में बैल और भैंसा दोनों से हल चलाए जाते हैं। यहाँ के ढोर बहुत दुबले और कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ चराई का प्रबंध ठीक नहीं है। प्राय: सब गाँवों में चराई के लिए गौचर भूमि छोड़ी जाती है, पर वह काफी नहीं

है। जिन गाँवों के निकट जंगल नहीं है, वहाँ विशेष कष्ट है। गाँवों में जब चहुँ ओर फसल बो दी जाती है, वहाँ विशेष कष्ट है। गाँवों में जब चहुं ओर फसल बो दी जाती है, तब थोड़ी सी गौचर भूमि पर ही गाँव के समस्त ढोरों का सहारा रहता है। रात को किसान इन्हें थोड़ा सूखा पैरा (पयाल) खाने को देते हैं, पर यह बहुत पुष्टिकारक नहीं होता।

इस जिले में ढोरों के कई बाजार है। कुछ बाजारों के नाम ये हैं—खाम्ही (मुंगेली तह.) गनियारी (बिलासपुर तह.) बम्हनीडीह (जांजगीर तह.)। भैंसे यहाँ सागर जिला, रीवां रायव, गंजाम–मद्रास आदि स्थानों से बिकने आते हैं। आजकल बैल–भैंसों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। 1 जोड़ी मामूली अच्छे बैल 80 रुपये और भैंसे 100 से कम में नहीं आएँगे।

जंगल

इस जिले के सरकारी जंगल का क्षेत्रफल 545 वर्ग मील है अर्थात् कुल क्षेत्रफल का 7 सैकड़ा। ये जंगल तीन भागों में बँटे हुए हैं। 1. पूर्वी लोरमी 247 वर्गमील, 2. पश्चिमी लोरमी 199 वर्गमील और 3. कुंवाजती पंतीरा 99 वर्गमील। इनमें कुछ जंगल तो समभूमि पर हैं और कुछ पहाड़ों पर। सम भूमि के जंगल जहाँ पानी कम बरसता है और जहाँ की भूमि कड़ी है, बहुधा ऊसर हैं। यहाँ घास और जलाऊ लकड़ी के झाड़ पैदा होते हैं। जो जंगल, पहाड़ों की तलहटी या घाटियों में हैं, ऊँचे दरजे के हैं। यहाँ साल, वीजा ,साजा आदि इमारती लकड़ी के झाड़ पाये जाते हैं तथा मोटे लंबे बाँस भी यहीं पैदा होते हैं।

इस जिले के जंगल में साल अर्थात् सरई की लकड़ी बहुत मिलती है। सागौन और बीजा भी हैं, पर अधिक नहीं। सिरिस के झाड़, जिसकी लकड़ी काले रंग की बहुत सुंदर होती है, कहीं–कहीं पाये जाते हैं। साजा को लोग बहुत पसंद नहीं करते। कर्राकी लकड़ी कांड़ बनाने के काम में अधिक आती है, क्योंकि इसमें घुन नहीं लगता। घौंरा की लकड़ी से गाड़ी का अछान अच्छा बनता है। तेदूं और तिलसा की लकड़ी से गाड़ी की डांड़ी बढ़िया बनती है। सेन्हा किसानों के बड़े काम की चीज है। इनके सिवा जंगल में बहुत से वृक्ष ऐसे हैं, जो जलाने के काम में आते हैं।

अन्य पैदावार

चीर और बिरईन घास से झाड़ू अच्छे बनती हैं। बगई घास को बटकर चारपाई बुनने की रस्सी बनाते हैं। सुकला घास छप्पर छाने के काम में आती है। मुछेली घास ढोरों की खिलाते हैं। मधुरस, मोम, चारकी चिरौंजी, तीखुर, हर्रा, बहेरा, सांग, लाख आदि ये भी जंगल की पैदावारें हैं।

जंगल के प्रबंध के लिए एक महकमा अलग खोल दिया गया है। रतनपुर और लोरमी के जंगलों को छोड़ शेष मालगुजारी जंगल यों ही झाड़-झरूखों से भरे हुए हैं।

जंगली जानवर

हाथी उपरोड़ा और मातिन के जंगल में बहुत पाये जाते थे, पर अब ये कभी-कभी दिखाई देते हैं। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, रीछ, बराह, लकड़बघा, सोनकुत्ता आदि जानवर यहाँ के जंगलों में बहुत पाये जाते हैं। सियार, खरगोश, चितारा, हिरण, साम्हर, बाहरसिंगा, गौर, चीतल, नीलगाय आदि की संख्या भी यहाँ कम नहीं है। ये पशु खेती को बड़ी हानि पहुँचाते हैं।

इस जिले में अनेक प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं। यहाँ के तालाब और नदियों में कोतरा, पढ़िना, टेंगना, बाम, सिंघी, रोहू आदि बीसों किस्म की मछलियाँ मिलती हैं और उनके खानेवालों की भी कमी नहीं है। फिर क्या आश्चर्य, यदि यहाँ डॉक्टर हचिंसन (Dr. Hutchinson) के सिद्धांतों के अनुसार कोढ़ियों की संख्या अधिक हो।

खान

बिलासपुर जिले में शान विषयक खोज अधिक नहीं हुई है। कोरबा जमींदारी में कोयले की खानों को जारी करने के लिये कई यूरोपियन कम्पनियों ने कई बार विचार किया पर सफलता मि. कन्सीडाइन को मिलते दिखती है, जिन्होंने घुरदेवा में कुछ कोयला खुदवा कर रखा है और अब वहाँ तक रेलवे लाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लाफा जमींदारी में भी कोयले की खानों का पता चला है। उत्तरी जमींदारियों के पहाड़ों तथा पंडरिया जमींदारी में लोहा पाया जाता है। मेग्नीज नामक धातु केंद्र और लाफा जमींदारी की

सीमा पर पाई गई है। मेग्नीज का पता रतनपुर और पंडरिया में चला है। हसदो और महानदी में कहीं-कहीं सोने की धूल मिलती है। पेंडरा के कोमोघाट में अबरक पाया जाता है। रतनपुर और लोरमी में ताँबे का पता चलता है। बाबू बालारामजी अगरवाला, वकील, जो इस समय खानों का पता लगाने में खूब कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि कोयला, ताँबा और अबरक की खानों का उन्हें पता चला है। लाल और सफेद छुई मिट्टी अनेक स्थानों में पाई जाती है। यही हाल चूने के पत्थर का है। अकलतरा का चूने का कारखाना बढ़ती पर है। बलासपुर शहर के अस्पताल में फर्श में जो काले पत्थर लगे हैं, वे शिवनारायण के हैं। शिवनारायण और चांपा में हल्के दर्जे का स्लेट पत्थर भी पाया जाता है।

❑

पाँचवाँ विकास

व्यवसाय

मूल व्यवसाय

इस जिले में कितनी जनसंख्या किन–किन उपायों से गुजर–बसर करती है, इसकी सूची नीचे दी जाती है—

उपाय	जनसंख्या	औसत फी हजार	फी सैकड़ा	
			काम करने वाले	आश्रित
खेती	9,83,965	858	58	42
उद्योग	57,387	50	58	42
व्यापार	28,402	26	55	45
निज धंधा	11,100	10	55	45
अन्य	64,369	56	58	52

कोसा टसर

यों तो कोसा टसर के कपड़े कई अन्य जिलों में भी बनते हैं, पर इस जिले का कोसा अधिक प्रसिद्ध है। बिलासपुर, खोखरा, चांपा, छुरी, अकलतरा, बलौदा आदि स्थानों में ये कपड़े अधिकता के साथ बनाये जाते हैं। जीन, बोरा, मलमल, चेक, धोती, साड़ी, रूमाल आदि कई प्रकार के

कपड़े कोसा से तैयार होते हैं। तज भी इनके अनेक हैं, जैसे डोरिया, चौखाना, लकीरदार, आधा सूत, आधा कोसा आदि। लाल, पीला, बैंगनी, बादामी, काला, धूपछाँह आदि तरह-तरह के रंग के ये बनाये जाते हैं। भारत में इसकी माँग बढ़ रही है। इंग्लैंड तक यह जाने लगा है।

अन्य धंधे

इस जिले के कोष्ट से रुई के कपड़े तैयार करते हैं। ये प्रायः नागपुर या नांदगाँव मिल के सूत खरीदते हैं और उनसे कपड़े बनाते हैं। कोसा किनार की धोतियाँ और साड़ियाँ भी तैयार करते हें। चरखे के सूत से कपड़ा बिलकुल नहीं बनाया जाता। इसका थोड़ा-बहुत प्रचार केवल चंद्रपुर पद्मपुर की ओर है। इससे केवल हाथ से कते हुए सूत के कपड़े पहननेवालों को अधिकतर अन्य प्रांतों पर भरोसा रखना पड़ता है। सोना-चांदी का काम रतनपुर और चांपा में अच्छा बनता है। रतनपुर के फूल-काँस के लोटा-गिलास प्रसिद्ध है पर बनाने वाले केवल एक या दो मनुष्य अब रह गए हैं। काँच की चूड़ियाँ रतनपुर के तुरकारी मुसलमान बनाते हैं, पर विलायती चूड़ियों के सामने उन्हें कौन पूछता है ? बिलासपुर शहर में बीड़ी के बहुत से कारखाने हैं।

दियासलाई का कारखाना

सन् 1902 से श्री अमृतलाल नामक एक गुजराती सज्जन ने कोटा में दियासलाई का एक कारखाना खोल रखा है। पहले तो यहाँ माल अच्छा तैयार नहीं हुआ, पर पीछे इसने अच्छी उन्नति की। अब कारखाने को श्री कुन्दनलाल ने, एकेस्ट्रा असिस्टैंट कमिश्नरी छोड़कर खरीद लिया है और भलीभाँति चला रहे हैं। यह कारखाना अनुमान 1,20,000 की लागत से खोला गया था।

माप-जोख

इस जिले में अनाज मापने के लिए नीचे लिखे अनुसार माप प्रचलित हैं—

1 चौथिया—181 छटांक

1 काठा—4 चौथिया या 4 सेर 9 छटाँक

1 खण्डी—20 काठा (करीब 21 मन)

1 गाड़ा—20 खंडी

खास बिलासपुर शहर और स्टेशन के ठौरों पर अनाज तौल से बिकता है।

इस जिले करीब 185 बाजार भरते हैं। बिलासपुर, गनियारी, तखतपुर, मुंगेली, सेतगंगा, बम्हनीडीह, अकलतरा, शिवरीनारायण, बलौदा, चंद्रपुर आदि प्रसिद्ध बाजार हैं। जमींदारियों में पेंडरा का बाजार भारी है यहाँ अनाज, लाख, हर्रा और दूसरी जंगली चीजों का बड़ा रोजगार होता है। चांपा, कोटा और रतनपुर में लाख का व्यापार होता है। यों तो जिले में कहने को आठ वार्षिक मेले भरते हैं, पर उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो रोजगार की दृष्टि से कुछ बड़प्पन रखता हो। इन सबका आरंभ धार्मिक कारणों से हुआ है। पीथमपुरा का मेला होली के अवसर पर भरता है और पाँच दिनों तक रहता है। यह सबसे बड़ा मेला है। कुदुरभाल में जो कोरबा जमींदारी में हसदो नदी के तट पर है, माघ पूनो को कबीरपंथियों का मेला भरता है और एक सप्ताह तक रहता है। माघ पूनो को रतन-पुर में भी मेला भरता है। यहाँ सतनामी चमार अधिक इकट्ठे होते हैं। तखतपुर के निकट बेलपान नामक एक गाँव है। यहाँ भी माघ पूनो को मेला भरता है। छोटे-छोटे मेले शिव-नारायण, छुरी और खरौद में भरते हैं।

व्यापार

पुराने जमाने में जब रेल न थी, बंजारा या नायक बैलों पर नमक, तम्बाकू, बर्तन, शक्कर, हल्दी आदि वस्तुएँ लादकर यहाँ लाते थे। उस समय अनुमान 10,000 मन कपास सालाना यहां से बाहर जाता था। सन् 1864 से 1868 तक 15,000 मन लाख कीमती 2211 लाख रुपये देसावर भेजी गई थी। कहते हैं—40 वर्ष पहले जब यहाँ रेल न थी, अनाज कोठारों में पड़ा सड़ा करता था, परंतु आज रेल महारानी तथा कच्छी मारवाड़ियों की कृपा से अनाज खेतों से कटकर घर पर आने नहीं पाता और बिक जाता है। सन् 1891 में जब से कटनी लाइन खुली है, तबसे अनाज का बाहर जाना एकदम बढ़ गया है।

इन दिनों यहाँ से अनाज, चमड़ा, हड्डी, सींग, लाख, महुवा, लकड़ी, रतनपुर का पान, तखतपुर की बिही आदि चीजें बाहर जाती हैं और कपड़ा, शक्कर, मिट्टी का तेल, नमक, सोना-चांदी, लोहा, तमाखू, फल, खिलौने

आदि वस्तुएँ बाहर से आती हैं। पेंडरा रोड, कोटा, बिलासपुर, अकलतरा, चांपा आदि स्टेशनों से माल बहुत लदता है। भाटापारा स्टेशन से, जो अब रायपुर जिले में, मुंगेली तहसील का प्रायः बारह आने माल चालान होता है। जिले भर में पक्की सड़कें छाई हुई हैं, जिनसे स्टेशन पर माल लाने में बहुत सुभीता हो गया है। चांपा–बम्हनीडीह–भटगाँव सड़क, चांपा–कोरबा सड़क, अकलतरा–बलौदा सड़क, भाटापारा–मुंगेली सड़क, बिलासपुर–मुंगेली सड़क, कोटा–लोरमी सड़क बहुत चलती है। हाल में सरकार से यह सूचना मिली है कि शीघ्र ही एक सड़क ऐसी खोली जाएगी जो चांपा से घूमती हुई कोरबा, छुरी, कटघोरा और जटगाँव होते पोंडरा में कटनीवाली सड़क से मिल जाएगी। इस सड़क के खुलने से उत्तरी जमींदारियों का व्यापार खूब चल निकलने की आशा है।

बाजार-भाव

जिले की मुख्य उपज चावल है। उसके बाद गेहूँ का नवंबर है। नीचे जो सूची दी जाती है। उससे मालूम होगा कि अन्न जैसे-जैसे समय बीतता है, कितना महद्घ होता चला जा रहा है—

तादाद सेर रुपये) में

वर्ष		चावल		गेहूँ
सन् 1849-58	...	151 ॥	...	151 ॥
सन् 1851-61	...	106 ॥	...	106 ॥
सन् 1862-67	...	60	...	60
सन् 1868-71	...	21	...	34
सन् 1872-76	...	37	...	55
सन् 1877-81	...	29 ॥	...	49 ॥
सन् 1882-86	...	27	...	45 ॥
सन् 1887-90	...	19	...	22 ॥
सन् 1891-95	...	18 ॥	...	18
सन् 1896-1900	...	13 ॥	...	12
सन् 1901-05	...	15	...	15 ॥

सन् 1906–1910	...	10	...	10
सन् 1911–1917	...	12	...	12
सन् 1918–1922	(वर्तमान)	6	...	6

इस महँगाई का कुछ ठिकाना है!

जब से जर्मन युद्ध जारी हुआ, सभी चीजें महँगी हो गयीं। लड़ाई खत्म हो गई, पर चीजों के भाव में बहुत कम फर्क पड़ा है।

ऋण

इस जिले के साहूकारों ने ब्याज की दर बहुत कड़ी रखी है। फी रुपया)।,)।-,)॥ से लगाकर और तक मासिक ब्याज लेते हैं। धान का ऋण सवाई, डेवढ़ी और दूनी बाढ़ी पर दिया जाता है। सरकार भी कुछ तकाबी बांटती है। सहकारी बैंक खुल जाने से बहुत कुछ सहायता उससे भी मिलने लगी है। मजूरी का रेटयहाँ ॰)॥।॰)रोज तक है।

❑

छठा विकास
विपत्तियाँ

बाढ़

महानदी में, जिसमें कि जिले की प्रायः सब नदियाँ अंत में जाकर मिलती हैं, अचानक बाढ़ आने का विशेष भय रहता है। 88 वर्ष पहले संवत् 1891 के कुंवार मास में इस नदी में बड़ी भयानक बाढ़ आयी थी। इसकी याद अब तक लोग 'बैहापूरा' के नाम से करते हैं। नदी तीन दिन तक चढ़ी रही। मीलों तक गाँव बह गए। धन-जन की बड़ी ही हानि हुई। कलेजे को पिघला डालनेवाला दृश्य था। परिवार के परिवार भाग्य पर भरोसा रख घर के छप्परों पर चढ़े-बहते दिखाई देते थे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जब 'टैटानिक' जहाज डूबने लगा था, तब उस पर चढ़े हुए मनुष्य राष्ट्रीय और धार्मिक गीतों को गाते हुए प्राण देने को तैयार थे। यही हाल इन बहते हुए मनुष्यों का था। ये भी अपनी थालियाँ बजाते हुए गीत गाते प्राण देने को तैयार थे।

महानदी और पैरी नदी के संगम पर राजिम नामक एक स्थान है। वहाँ एक साधु थे। इन्होंने बाढ़ में कोटेश्वर मंदिर के आंगन में उगे हुए एक पेड़ की चोटी पर तीन दिनों तक चढ़े रहकर अपने प्राण रक्षा की थी। इन साधु महाशय ने इस बाढ़ का वर्णन कविता में रचकर मंदिर के एक खंभे में खुदवा दिया है। दूसरी बाढ़, परंतु पहली बाढ़ से कम संवत् 1942 या सन् 1885 में आई थी, जिससे शिवनारायण का तहसील ऑफिस बह गया था। इस बाढ़ पर श्रीठाकुर जगन्मोहन सिंह ने उस समय शिवनारायण में तहसीलदार थे—'प्रलय' नामक

एक पुस्तिका कविता में रचकर छपवायी थी। सन् 1882 में अरपा नदी बहुत बढ़ी थी, जिससे बिलासपुर शहर का बहुत सा भाग पानी में डूब गया था। सन् 1891-62 में शिवनाथ नदी के बढ़ने से बहुत से गाँव बह गए थे। आगर नदी की सन् 1900 वाली बाढ़ लोगों को अभी तक नहीं भूली हैं।

अकाल

सन् 1868 के पहले इस जिले में कब-कब अकाल पड़ा था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। हाँ, खोज से यह मालूम होता है कि सन् 1828 में उन्हारी-सियारी दोनों फसलें मारी गई थीं, जिससे घोर अकाल पड़ गया था। अनाज का मामूली भाव उस समय फी रुपया 120 से 400 सेर के बीच रहता था, पर उस वर्ष गेहूँ और चना 12 सेर बिके थे। इसी से अनुमान कर लेना चाहिए कि कैसा भयंकर समय था। सन् 1834-1835 में छत्तीसगढ़ में फिर अकाल पड़ा। रुपये का 24 सेर चावल बिका। हजारों मनुष्य भूख से मर गए। सन् 1855 में फिर फसल मारी गई। 1856 में प्रांत के उत्तरी भाग में दुष्काल पड़ा, जिससे यहाँ का अनाज वहाँ भेजा गया। नतीजा यह हुआ कि यहाँ भी अनाज का भाव महँगा हो गया। फिर इसके पश्चात् 1868-69, 1877-78, 1886-87-88-89 और 1894 में दुष्काल पड़े।

अब सन् 1897 (सं. 1953) के अकाल की पारी आयी। अगस्त तक तो खूब वर्षा हुई, पर सितंबर के आरंभ में पानी एकदम बंद हो गया। धान की फसल 30 सैंकड़े से भी कम हुई और उन्हारी चौथाई से थोड़ी ज्यादा। मुंगेली तहसील में अधिक कष्ट रहा। सन् 1897 के जनवरी मास में सरकार ने कई काम खोले। कोटा-लोरमी, भाटापारा-नांदघाट आदि कई सड़कें तैयार होने लगीं। तालाब भी खुदवाये गए। कोष्टों के लिए खास प्रबन्ध किया गया। उन्हें सूत दिया जाता था और कपड़ा तयार होने पर सरकार उनसे पांच आने सेर में खरीद लेती थी। कई स्थानों पर किचिन-खाने खोले गए। कुल 1,49,000 मनुष्यों को सहायता दी गई। इन कार्यों में कोई 20 लाख रुपये खर्च हुए। 3 लाख मालकाली मुलतवी कर दी गई। 1 लाख से ऊपर तकाबी बाँटी गई। 3 लाख रुपय खैरात फंड से दिए गए। इस वर्ष मृत-संख्या का औसत 101 प्रति मील रहा। कुछ ठिकाना है!

सन् 1897-98 में फसल की हालत अच्छी रही। सन् 1898-99 में भी यही हाल रहा। फिर भी मुंगेली तहसील में कुछ मदद देनी ही पड़ी।

अब संवत् 1956 अर्थात् सन् 1899-1900 का प्रसिद्ध दुर्भिक्ष आया। जून से दिसंबर तक पानी ही नहीं बरसा। सियारी-उन्हारी कोई फसल नहीं हुई। थोड़ी-सी फसल, जो आबपोशी द्वारा जमा ली गई थी, फांफों के द्वारा चर ली गई। भयानक समय आ गया। चहुँ ओर हाहाकार मच गया। वृक्षों में पत्ते तक न रहे। माया-मोह छूट गया। मां बच्चे को मार कर पेट की आग बुझाने की बात सोचने लगी। किसी छत्तीसगढ़ी तुक्कड़ने इस संबंध में एक गीत रचा था। वह गीत आगे चलकर इतना लोकप्रिय हो गया था कि कई भिखारी अकाल के बाद भी उसे उसे गा-गा कर पेट पालते थे। वह गीत इस प्रकार है—

छप्पन के समैया कछु कही नहीं जाई। टेक
गलिन गलिन में कंगला फिरें हाथ मां धरे तेलाई॥
जूठामूठा भाता देवे, पेजा ला देहा दाई।
भाजी के मैं पैंया लागों जीबला दिहे बचाई॥
बड़े साहब छोटे साहब सब मिल किचन खोलाई।
बड़े-बड़े ला सुख्खा सेर ओ कँगला किवन में खाई॥
हाजिरी के रजिस्टर खोल के सबके नाम लिखाई॥
सबके घेंच मां टिकट बाँधे नंबर दिये चढ़ाई॥
धन धन हैं सरकार बहादुर धन धन काररवाई।
छप्पन साल के कष्ट निवार्‍यो जुग जुग चले बढ़ाई॥

भाग्य से इस समय सर इबटसन यहाँ के चीफ कमिश्नर थे। आप बड़े ही चतुर पुरुष थे। आपने बहुत पहले ही से कई काम जारी करने का प्रबंध कराया, जिससे आगे चलकर कोई कष्ट न पाये। पंडरिया-कोटा सड़क का काम पूरा कराया जाने लगा। निपनिया-लोरमी सड़क नयी खोली गई। बिलासपुर मुंगेली लाइन की मिट्टी डाली गई। तालाब खुदवाये गए, जिससे 87,000 मनुष्यों का पालन हुआ। कुल 662 तालाब खुदवाये या मरम्मत कराये गए थे। घास-कटाई अलग होती थी और वह लोगों में झोपड़ी बनाने को या

ढोर खिलाने को बाँट दी जाती थी। कोष्टों को सहायता देने के लिए खास प्रबंध किया गया। 719 किचन खाने खोले गए, जहाँ 1,44,000 मनुष्य भोजन पाते थे। खैरात बाँटने का भी प्रबंध किया गया था। इस अकाल में सरकार के कुल 48 लाख रुपये खर्च हुए। 2,81,000 मनुष्यों को सहायता मिली। सिवा इसके 3 लाख रुपया खैरात फण्ड से खर्च हुआ। 5 लाख रुपए तकाबी बाँटी गई। मालकाली मुलतवी कर दी गई। चावल का भाव इस समय 11॥ सेर और गेहूँ 10 सेर था।

सन् 1900 के दुष्काल के बाद सन् 1902–03, 1905–06, 1907–08, 1911–12, 1918–19 में फिर कुछ कष्ट फैले। जर्मन–युद्ध भी छिड़ा ही था। सब चीजें महँगी हो गयीं। चावल का भाव एकदम तेज हो गया। कवर्धा, पंडरिया की ओर विशेष कष्ट रहा। अब भी सब चीजें महँगी ही हैं। चावल इस समय 8 सेर और गेहूँ 7 सेर बिकता है। कुछ रोज पहले 4 सेर का चावल और गेहूँ खा चुके हैं, सो अब खुशी मना रहे हैं कि अनाज सस्ता हो गया। बात यह है कि अब अकाल के भाव पर चीजें खरीदने की आदत पड़ गयी है। समय सबकुछ करा रहा है।

हैजा

सन् 1870 से लगाकर इस समय तक कोई 21 बार हैजा फैला होगा। किसी–किसी वर्ष इसने बड़ा ही जोर दिखाया। सन् 1896 में इसने 900 मनुष्यों की बलि ली थी। किसी भी जोरदार हैजा के साल में 6000 मनुष्य से कम नहीं मरे। सन् 1919 में 9794 मनुष्यों की प्राणपूजा पाकर यह शांत हुआ। खास बिलासपुर शहर में यह अकसर आषाढ़, सावन या भादों मास में फैलता है।

माता

माता–महारानी यों तो जब चाहें, तब आ जाती हैं, पर इनमें यह बात अच्छी है कि ये हैजा के सदृश प्राण–पूजा नहीं चाहतीं, पर जब बिगड़ती हैं, तब क्रोध का ठिकाना नहीं रहता। सन् 1889 में जब 4000 मनुष्यों का भक्षण कर लिया, तब इन्हें कुछ शांति हुई। सन् 1891 में भी इन्होंने कुछ जोर दिखाया था। सन् 1919 में 1973 मनुष्यों को चरपट कर डाला। जब शीत

ऋतु की बिदाई का अवसर आता है, ये प्राय: उसी समय दन से आ टपकती हैं।

प्लेग

प्लेग–पण्डित पहली बार सन् 1904 में आये और बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला आदि स्थानों के कोई 400 मनुष्यों के कानों में मृत्यु–मंत्र पढ़कर हँसी–खुशी लौट गए। इसके ठीक 12 (बारह) वर्ष बाद सन् 1916 में फिर आपका आगमन हुआ। पहली बार के अनुसार आप बिलासपुर स्टेशन पर नागपुर–मेल से उतर गए। लोगों को कुछ पता तो था ही नहीं। पीछे जब मालूम हुआ, तब म्यूनिसिपालिटी और लोगों ने मिलकर आपके स्वागत का प्रबंध किया और थोड़ी–बहुत दान–दक्षिणा दे अपनी दीनता दिखायी, पर आप राजी न हुए और मनमाना करने लगे। लोगों ने बहुत से चूहे मारकर आपके लिए फिर डाली भेजी और 'कृष्ण–मुख' करने के लिए विनती की। इस अशिष्ट व्यवहार से आप इतने बिगड़े कि दो दिनों के भीतर लोगों को शहर खाली कर देना पड़ा। बड़ी भगदड़ मची। शहर से स्टेशन का किराया छह आने बँधा हुआ था, पर टाँगेवालोंने छ: छक्के छत्तीस आने लेना शुरू किया। देते ही बना, पर प्लेग–पण्डित बड़े गुरु निकले। जो जहाँ जाता, वहीं उसका पीछा करते और चेला मूँडते। इस प्रकार आप बिलासपुर, मुंगेली, रतनपुर तथा कई देहातों में प्लेग–पुराण बाँच 826 मनुष्यों को मृत्यु–मंत्र की दीक्षा दे, विजय का डंका बजाते हुए लौट गए। यों तो इस जिले में मलेरिया का बड़ा जोर रहता है तिसपर सन् 1918 में युद्ध ज्वर (इनफ्लुएंजा) नामक एक नए ज्वर का आगन हो गया और दोनों एक और एक मिलकर ग्यारह हो गए। सब प्रकार के ज्वरों से मरनेवालों की संख्या सन् 1916 में 25,16 और सन् 1917 में 25018 थी। सन् 1918 में युद्ध ज्वर की सहायता से यह संख्या बढ़ 58095 हो गई। सन् 1919 में 30528 मनुष्यों की मृत्यु हुई। सन् 1918 का साल बड़ा दु:खमय रहा। युद्ध, महँगाई, अकाल, इनफ्लुएंजा और हैजा सबने कस कसकर वार किया।

❑

सातवाँ विकास

शासन

राजशासन के दो भाग हो सकते हैं—माल और प्रबंध। हैहयवंशियों के समय में गाँव का गौंटिया किसानों से लगान वसूल कर बरहों को पहुँचाता था और बरहों अपने गढ़ाधिपतियों को। गढ़ के दीवान उसे राजा के निकट पहुँचाने के जिम्मेदार थे। राज कल्याण सायके समय में 7 लाख से ऊपर की वसूली थी। मराठों के समय में वसूली क्या होती थी, खासी लूट होती थी। जमा ज्यादा वसूल हो यही उनका सिद्धांत था, फिर चाहे जिस प्रकार हो। सन् 1818 में जब अंग्रेजी शासन आरंभ हुआ तब लगान के सिवा और दूसरे कर बंद कर दिए गए। वसूली का समय बाँध दिया गया और गौंटियों को आज्ञा दी गई कि वसूली जो वे करें, उसके बात प्रजा को रसीद अवश्य दें। सन् 1854 में अंग्रेजों का जिले पर पूरा अधिकार हो गया। सन् 1868 में इसका पहली बार बंदोबस्त किया गया। चीजम साहब बंदोबस्त ऑफिसर मुकर्रर हुए। जमीन की नाप-जोख होने लगी। जमीन की किस्में मुकर्रर हुई। माल-गुजार तथा किसानों के हक अलग-अलग बताए गए। बहुत जाँच पड़ताल के बाद गौंटियों को गाँवों पर मालगुजारी हक दिए गए। लोरमी और तरेंगा तालुके में जितने गाँव थे, वे मामूली गाँव की तरह समझे गए। इस बंदोबस्त में खालेस की जमा वसूली 15,170 से 2,51,934 हो गई और जमीनदारियों से 13,495 के बदले 25,077 लिए जाने लगे। इस हिसाब से लगान का औसत प्रति एकड़ (जोति हुई भूमि पर 1 पड़ा।

पहले बंदोबस्त की मियाद सन् 1888 में खत्म हो गई। दूसरा बंदोबस्त

केरी साहब ने शुरू किया पर बीच में उनकी बदल हो जाने से रायबहादुर पुरुषोत्तमदास को काम पूरा करना पड़ा। इस बंदोबस्त में यह बड़ा काम हुआ कि जिले का ठीक-ठीक नपा हुआ नक्शा तैयार हो गया। जमा वसूली 4,74,678 बढ़ा दी गई अर्थात् प्रति एकड़ ....6 पाई जमींदारियों की पैमायश इस समय तो नहीं पर सन् 181.... और 1897 के बीच में हुई। फिर भी इस समय उनकी आमदनी देखकर उनकी सालाना टकौली 25077 से 42,000 बढ़ा दी गई। इसके सिवा, जंगल आदि की आमदनी पर सरकार का भी कुछ हिस्सा रखा गया। कई जमींदारियों में पुलिस का प्रबंध सरकारी था, सो इसके लिए कुल वसूली उनसे 66,642 की होने लगी। खासले में सड़क, स्कूल, डाक, अकाल, पटवारी खर्च के लिए भी कुछ रकम जिसे अबवाघ कहते हैं, लगाने के साथ वसूल करने का प्रबंध किया गया।

दूसरे बंदोबस्त की मियाद सन् 900 में खतम हो अकाल पड़ जाने से तीसरा बंदोबस्त सन् 1905 से आरंभ किया गया। वेमेतरा तहसील के 315 गाँव दुरुग जिले में मिला दिए गए। इसी समय संबलपुर जिले के 254 गाँव इस जिले में आ गए पर इनका बंदोबस्त वहीं हो चुका था। इस बंदोबस्त में जिले की जमा वसूली 2,95,215 बाँधी गई, अर्थात .....4 एकड़। इस रकम में अबवाब शामिल नहीं है। तीसरे बंदोबस्त की मियाद मुंगेली तहसील में सन् 1929 में, विलासपुर तहसील में सन् 1930 में और जांजगीर तहसील में सन् 1931 में समाप्त होगी।

इस जिले का मुख्य अधिकारी डिप्टी कमिश्नर है। वह जिला मजिस्ट्रेट भी है। उसे रीवा, रायगढ़ और सकती के रेलवे सरहदों के भीतर भी शासन करने का अधिकार है। उसे सहायता के लिए 6 एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर मिले हैं। जिन्हें यहाँ के लोग 'छोटे साहब' कहते हैं। जिले में 4 तहसीले हैं। 1 बिलासपुर, 2 जांजगीर, 3 मुंगेली और 4 कटघोरा। प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार रहता है। सबडिविजनों की संख्या 4 है, जिनके चार्ज में एक-एक छोटे साहब हैं। एक हेडक्वार्टर मजिस्ट्रेट है और एकके जिम्मे आबकारी है। एक किसी के जिम्मे कोर्ट ऑफ वाड्र्स का काम सौंप दिया जाता है।

दीवानी मामलों के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एक सब जज और एक मुनसिफ बिलासपुर में तैनात हैं। सब जज को खफीफा जज का भी काम करना पड़ता है। कटघोरा को छोड़ प्रत्येक तहसील में एक मुनसिफ और है।

रतनपुर और शिवरीनारायण में पहले ही से बेंच मजिस्ट्रेटों की अदालतें थीं, पर पिछले दो वर्ष के भीतर और कई स्थानों ये अदालतें खोली गई हैं और यहाँ बैठनेवाले मजिस्ट्रेटों की संख्या भी खूब बढ़ाई गई है।

लैण्ड रिकॉर्ड

भूमि संबंधी कागजों को तैयार करनेवाला महकमा लैण्ड रिकॉर्ड कहलाता है। इसके मुख्य ऑफिसर लैण्ड रिकॉर्ड सुपरिंटेंडेंट हैं। इनके नीचे 3 सहायक सुपरिंटेंडेंट हैं। रेवन्यू इन्सपेक्टरों की संख्या 24 है, जिनमें 20 खाल में और 4 जमींदारियों में है। रेवन्यू इन्सपेक्टरों के हलकों के नाम ये हैं—बिलासपुर तहसील में—कंडार, मस्तूरी, नरगोड़ा, बीजा, गतियारी, बेलगहना और पेंडरा। जांजगीर तह. में अकलतरा, पामगढ़, बिर्रा, हसौद, बाराद्वार, चांपा, खोखरा और चंद्रपुर। मुंगेली तह. में लिमहा, लोरमी, पथरिया, कुंडा और पंडरिया। कटघोरा तह. में रामपुर,कोरबा, छुरी और पोंडी। पटवारी कुल 419 हैं। प्रत्येक पटवारी के हलके में 8 गाँव का औसत पड़ता है और प्रत्येक रेवेन्यू इन्सपेक्टर के जिम्मे 17 पटवारी आते हैं।

पुलिस

पुलिस-विभाग का अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस कहाता है। यहाँ वह 'कप्तान-साहब' के नाम से प्रसिद्ध है। इनके नीचे एक डिपुटी सुपरिंटेंडेंट हैं। इनकी सहायता के लिए 1 रिजर्व इन्सपेक्टर, 4 सरकिल इन्सपेक्टर, 1 प्रासिक्यूटिंग इन्सपेक्टर (जो कोट साहब कहलाता है) 36 सब इन्सपेक्टर, 84 हेड कांस्टेबल, 320 कांस्टेबल और 3 सवार हैं। यहाँ की पुलिस में परदेशियों की संख्या बहुत है। जिले भर में कुल 25 पुलिस थाने है। वे ये हैं—बिलासपुर तहसील—बिलासपुर, हिर्री, मस्तूरी, रतनपुर, तखतपुर कोटा, पेंडरा और मरवाही। जांजगीर तह.—जांजगीर, चांपा, पामगढ़, शिवनारायण, डभरा, जयजयपुर और पदमपुर। मुंगेली सहसील—मुंगेली,

लोरमी, पथरिया, पंडरिया और कुंडा। कटघोरा तह.—कटघोरा, कोरबा, रामपुर, पसान और पाली।

अन्य महकमें

जेल की सुपरिंटेंडेंटी सिविल सर्जन के जिम्मे है। उसके नीचे दो जेलर और कई वार्डर है। आबकारी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के जिम्मे है। पिछले दो वर्ष के भीतर शराब की खपत मिटा देने के लिए जो देशव्यापी आंदोलन हुआ था, उसका असर इस जिले में भी हुआ, पर कम। अब तो धड़ाके से शराब की बिक्री हो रही है। नहर विभाग यहाँ सन् 1906 से जारी है। हरदी, धनरास, बरपाली और आमाचुवा में बाँध बाँधने के पश्चात् यह सब खारून नदी में बाँध बाँधने का काम कर रहा है। पी. डब्ल्यू डी. महकमा भी यहाँ है। इसकी कुल इमारतों की कीमत 11,34,77 रुपये है। जिले भर के डाक-बँगलों की संख्या 20 है। आरोग्यता विभाग का काम सिविल सर्जन देखते हैं। जिले भर में 12 अस्पताल हैं, जिनमें से 4 तो बिलासपुर शहर ही में हैं। ढोर अस्पताल भी कई स्थानों में हैं। कोढ़ रोगाश्रम 1 मुंगेली में हैं और 1 चांपा में। पेंडरा रोड में मिस लांगडन का क्षयरोगाश्रम है।

डिस्ट्रिक्ट कौंसिल (डि. कौ.)

बिलासपुर डि. कौंसिल 1 फरवरी 1885 से स्थापित है। सेक्रेटरी पहले सरकारी ऑफिसर हुआ करते थे, पर पिछले 6 साल से श्रीयुत ई. राघवेन्द्राराव इस पद पर हैं और अपना कार्य बड़ी योग्यतापूर्वक कर रहे हैं। डि. कौ. के मातहत में 4 तहसील 4 लोकल बोर्ड हैं। जिले भर में कोई 20 से ऊपर स्कूल डि. कौ. के खर्च से चल रहे हैं। इसके सिवा डि. कौ. को सड़क, अस्पताल आदि अनेक कार्यों में बहुत सा रुपया खर्चा करना पड़ता है। 'विकास' नामक एक उत्तम पत्र भी यह निकालती है। तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, चांपा, अकलतरा, पेंडरा, गौरेला, जांजगीर, बलौदा, चंद्रपुर और कोटा में सेनीटेशन ऐक्ट जारी है।

म्यूनिसिपालिटी

इस जिले में म्यूनिसिपालिटी केवल बिलासपुर शहर में (सन् 1867 से) जारी है। इस समय इसके खर्च से शहर में 7 प्राइमरी स्कूल और 1 अंग्रेजी

मिडिल स्कूल चल रहे हैं। इसके सिवा इसे रोशनी, पानी, छिड़काव, सड़क, बागीचा, सफाई आदि कामों में बहुत सा रुपया खर्च करना पड़ता है। इसके प्रेसीडेंट श्रीराघवेंद्र राव बड़े कार्य-कशुल हैं।

सन् 1895 में शहर में 12,376 की लागत से टाउनहाल बनाया गया है। इसका आधा खर्च म्यूनिसिपालटी ने दिया और आधा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने, तथा दोनों के दफ्तर वहीं लगते हैं।

सहकारी बैंक

सहकारी सेण्ट्रल बैंक यहाँ सन् 1915 से स्थापित हैं। इस समय इसके काम चलाने की पूँजी कुछ कम तीन लाख है। इसकी मातहत सभाओं की संख्या 200 से ऊपर है। किसानों को इस बैंक से बड़े लाभ पहुँचे और पहुँचाए जा रहे है। बैंक की सफलता का सारा यश उसके आनरेरी सेक्रेटरी रायसाहब बी. जगन्नाथ को है।

इनके सिवा राज शासन और प्रजा के सुभीते के लिए रजिस्ट्री, स्टाम्प, डाक, तार आदि कई महकमें जारी हैं।

❑

आठवाँ विकास

प्रमुख ठौर

अकलतरा—रकबा 4871 एकड़, मनुष्य संख्या 3368। बिलासपुर-कलकत्ता लाइन का यह दूसरा स्टेशन है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता राय बहादुर हीरालाल के मतानुसार रतनपुर के हैहयवंशी राजा पृथ्वीदेव के भाई अकलदेव के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अकलदेव का नाम किसी शिलालेख में मिला था। अकलतरा में ईंट-चूने के बने कई मंदिर हैं, पर इनकी हालत अच्छी नहीं है। वहाँ दो महत्त्वपूर्ण शिलालेख, जो कदाचित् कोटगढ़ से ले आये गए थे, यहाँ मिले हैं। इनमें से एक तो शिवजी के मंदिर में, जिसे मालगुजार ने बनवाया है, लगवा दिया गया है। इसमें रतनपुर के कलचुरि राजाओं का जिक्र है तथा उसमें यह भी लिखा है कि उनके एक आधीन सरदार बल्लभराज ने कलचुरि सं. 893 या सन् 1141 में रेवान्त का एक मंदिर बनवाया और महल तथा घुड़सालों के निकट एक तालाब खुदवाया। जान पड़ता है कि ये सब बातें कोटगढ़ की हैं, जहाँ से यह शिलालेख लाया गया है। दूसरा शिलालेख रायपुर के अजायबघर में है। अकलतरा से अनुमान 8 मील दूर दलहा पहाड़ है, जो अपनी ऊँचाई के लिए जिले में प्रसिद्ध है। अकलतरा रोजगारी जगह है। शुक्रवार और सोमवार को यहाँ बाजार लगता है। यहाँ एक हिंदी मिडिल-पाठशाला, डाकघर और कांजीहाउस हैं। दो सहकारी सभाएँ भी कार्य कर रही हैं। बस्ती में सफाई के प्रबंध के लिए सेनीटेशन ऐक्ट जारी है। एक अच्छा सा पुस्तकालय भी यहाँ है।

अड़भार—रकबा 2851 एकड़, मनुष्य संख्या 2289, यह गाँव चंद्रपुर

जमींदारी में है। यहाँ देवीजी का एक पुराना मंदिर हैं, जिसके केवल दो दरवाजे रह गए हैं। इनमें से एक दरवाजे पर जो खुदाव है, वह अजंता की कारीगरी से बहुत मिलता-जुलता है। दूसरा दरवाजा भी सुंदर है। यहाँ पं. लोचनप्रसाद जी पाण्डेय को अभी हाल में एक बड़े से पत्थर के खंभे पर कुछ अक्षर खुदे हुए मिले। ये अक्षर अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। चंद्रपुर के किरारी के तालाब के खंभे के अक्षर मिलते-जुलते हैं। अक्षर 1500 वर्ष के ऊपर के जान पड़ते हैं। इसका नाम अड़भार अष्टद्वार से तो न पड़ा हो? प्राचीन मंदिर में अष्टद्वार के चिह्न दीख पड़ते हैं। मंदिर के पास झोंपड़ी है, जिसमें दशभुजी दुर्गा की मूर्ति है। वहाँ एक जैनमूर्ति है। गाँव में बहुतेरे पुराने तालाब हैं। किले के निशान भी मिलते हैं, जिनके चहुँ ओर खाई हैं। यहाँ एक हिंदी-मिडिल-पाठशाला है।

अरपा नदी

यह नदी पेंडरा के निकट एक खेत से निकलकर जंगल पहाड़ों में घूमती, बिलासपुर शहर को उत्तर दिशा से धक्का देती, मटियारी-बरतोरी के निकट शिवनाथ नदी में जा मिली है। कर्रा गाँव के निकट इस पर रेलवे पुल है। लोगों के सुभीते के लिए बिलासपुर शहर के पास इस पर एक पुल और बाँधा जा रही है। सरकार इस नदी से नहर काटने की तजवीज कर रही है।

आगर नदी

यह नदी पंडरिया की एक पहाड़ी से निकली है। कुकुसदा के पास यह मनियारी में जा मिली है। इसके तट पर मुंगेली बसा हुआ है। यहीं उस पर पुल भी है। इस नदी में भी बाँध बाँधने का कार्य विचाराधीन है।

कटघोरा तहसील

यह तहसील बिलासपुर जिले के उत्तर भाग में है। इसका संगठन हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। इसका क्षेत्रफल 2549 वर्गमील है। विस्तार की दृष्टि से यह सबसे बड़ी तहसील है पर जनसंख्या के लिहाज से इसका नंबर अंतिम है। इस तह. में मेकल पर्वत की श्रेणियाँ खूब फैली हुई हैं। इससे यहाँ जंगल भी बहुत है। इस तह. में पाँच जमींदारियाँ हैं। उपरोड़ा, मातिन, छुरी, लाफा

और कोरबा। एक तरह से इसे जमींदारियों की ही तहसील कहना चाहिए। इस तहसील के गाँवों की संख्या 766 है। डाकखाने यहाँ पसान, कटघोरा, कोरबा और छुरी में है। हसदो और जटाशंकरी इस तह. की मुख्य नदियाँ हैं।

कटघोरा

(गाँव) यह बिलासपुर से उत्तर-पश्चिम 54 मील पर है। पक्की सड़क है। यह कटघोरा तह. का सदर मुकाम है। यहाँ एक हिंदी-मिडिल पाठशाला, डाक, तार, पुलिस और कांजीहाउस है।

किरारी (चंद्रपुर)

यह गाँव खरसीया स्टेशन से 20 मील दक्षिण-पूर्व में तथा चंद्रपुर से 10 मील पश्चिम में हैं। यहाँ हीराबंध नामक एक तालाब में सन् 1921 के अप्रैल मास में एक लकड़ी का खंभा मिला था। खंभा चौकोर है। लंबाई 9 हाथ। खंभे पर 1500 वर्ष पहले के अक्षरों में एक लेख था, जो धूप लगने के कारण नष्ट सा हो गया। पं. रामदत्त जी उपाध्याय ने इस लेखकी एक नकल उतारी थी, जो पुरातत्व विभाग द्वारा अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। खंभा नागपुर के अजायबघर में रखा गया है। इस खंभे के अक्षर अड़भार के पत्थर के खंभे पर खुदे अक्षरों से मिलते-जुलते हैं।

कुदुरमाल

यह छोटा सा गाँव कोरबा जमींदारी में है। चांपा स्टेशन से यह 17 मील दूर है। यहाँ कबीर साहब के सुप्रसिद्ध शिष्य धर्मदास के पुत्र वचन चूड़ामन साहब का समाधि चौतरा है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास में कबीरपंथियों का मेला लगता है और चेले मूंड़े जाते हैं।

कोटा

बिलासपुर-कटनी लाइन पर यह करगीरोड स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सन् 1902 से अमृत मैच फैक्टरी नामक एक दियासलाई कारखाना जारी है। यहाँ एक हिंदी-प्राइमरी-पाठशाला, डाकघर, तारघर, पुलिस थाना, कांजीहाउस और डाक बँगला है। प्रति सोमवार को यहाँ बाजार भरता है।

कोटगढ़

अकलतरा के उत्तर में बलौदा की सड़क पर बारगाँव एक गाँव है। यहाँ एक मिट्टी का पुराना किला है। किले के भीतर कई मंदिरों के खँडहर हैं। यहाँ कई शिलालेख प्राप्त हुए थे।

कोटमी

रकबा 3510 एकड़, मनुष्य संख्या 2348, यह गाँव जांजगीर तह. में लीलागर नदी पर बसा हुआ है। यहाँ मिट्टी का एक पुराना किला है, जिसके चहुँ ओर खाई है। खाई अब तालाब के रूप में बदल गई। है। सांटे की खेती यहाँ खूब होती है। यहाँ एक हिंदी-प्राइमरी-पाठशाला और एक सहकारी सभा है। मंगलवार को बाजार भरता है।

खरौद

यह बड़ा गाँव जांजगीर तह. में शिवरीनारायण से 2 मील अकलतरा सड़क पर है। यहाँ कई पुराने मंदिर हैं, जिनमें लखनेश्वर महादेव का मंदिर बड़ा और उल्लेख योग्य है। इस मंदिर में चेदि संवत् 933 (सन् 1181) का एक शिलालेख है। इस शिलालेख में उन राजाओं की सूची है, जो कलिंगराज से लगाकर द्वितीय रत्नदेव तक हुए हैं। उसमें यह भी लिखा है कि खरौद में शिवजी का एक मंदिर, साधुओं के लिए मठ, धर्मशालाएँ तथा दूसरे बहुत से मंदिर बनवाए गए थे, बाग-बगीचे लगवाये गए थे और तालाब खुदवाये गए थे। एक लेख यहाँ और है, जो कुटिल लिपि में लिखा गया है। अंगभंग हो जाने तथा चूना पुत जाने से अब यह पढ़ा नहीं जाता। गाँव के दक्षिण में ईंटों का बना संवरी देवी का मंदिर है। इसकी बनावट सिरपुर के लक्ष्मणजी के मंदिर की तर्ज पर है। उत्तर की ओर कुछ टूटे-फूटे मंदिर और हैं, जिनके दरवाजे पर मनोहर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शिवरात्रि के अनुसार पुराने तालाब हैं। यहाँ एक हिंदी मिडिल-पाठशाला है। साप्ताहिक बाजार शनिवार को लगता है।

गतौरा

रकबी 4485 एकड़, मनुष्यगणना 2292। यह बड़ा गाँव बिलासपुर से 6 मील पूर्व में हैं। यहाँ काले पत्थर की बहुत सी मूर्तियाँ हैं। तालाब कई हैं। गाँव में एक हिंदी प्राइमरी-पाठशाला और कांजीहाउस है।

गनियारी

रकबा 1876 एकड़, मनुष्य संख्या 2702, यह गाँव बिलासपुर से 12 मील उत्तर दिशा में है। यहाँ कोई 12 तालाब हैं। बुधवार को मनुष्यों का तथा गुरुवार और शुक्रवार को ढोरों का भारी बाजार लगता है। यहाँ एक हिंदी-मिडिल-पाठशाला, पुत्रीशाला, डाकघर, कांजीहाउस और सराय है।

घुटकू

रकबा 3712 एकड़, मनुष्य सं. 2484। गाँव बहुत बड़ा है। बिलासपुर कटनी लाइन का पहला स्टेशन है। किसी समय यहाँ रेशम के कपड़े बनते थे। बाजार इतवार को भरता है। एक मिडिल-पाठशाला और कांजीहाउस है। तीन सहकारी सभाएँ भी हैं।

चांपा

रकबा 3998 एकड़, मं. सं. 6344, यह चांपा जमींदारी का मुख्य स्थान है। रेलवे स्टेशन है। हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है। व्यापारिक दृष्टि से बड़ा अच्छा स्थान है। अनाज, कोसाटसर और लाख का यहाँ बड़ा रोजगार है। सोमवार और गुरुवार को बाजार भरता है। अमेरिकन पादरियों का खोला हुआ यहाँ एक कुष्ठाश्रम है। इसके सिवा हिंदी मिडिल पाठशाला, पुत्रीशाला, डाकघर, काजीहाउस और सेनीटेशन कमेटी भी है। रोजगार के कारण बस्ती की बड़ी बढ़ती हो रही है।

छुरी

मनुष्य संख्या 2092, छुरी जमींदारी का यह मुख्य स्थान है। बिलासपुर से यह करीब 50 मील दूर है। गाँव से छह मील पर 2000 फुट ऊँची एक टेकड़ी है, जिसे कोसगईं पहाड़ी कहते हैं। टेकरी के शिखर पर पत्थर का बना हुआ एक छोटा सा किला है। कहते हैं, यह प्रसिद्ध गोंड़ डाकू धाम-धुरुवा का निवास स्थान था। उसे रतनपुर किले के एक पहरेदार ने मार डाला और इनाम में छुरी जमींदारी पायी। छुरी के वर्तमान जमींदार उसी के वंशज हैं। 16वीं सदी में यहाँ रतनपुर के हैहयवंशी राजा और पठानों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें जीत राजा की रही। राजा ने अपना विजय-वृत्तांत एक

पत्थर पर खुदवा दिया था। यह पत्थर आजकल नागपुर के अजायबघर में है। किले में पाँचों पाण्डवों की बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं। पहाड़ी पर कोसगईं देवी का एक छोटा सा मंदिर भी है। दशहरे के अवसर पर यहाँ एक छोटा सा मेला भरता है और जमींदार की ओर से बलि आदि दी जाती है। छुरी का कोसा-कपड़ा बहुत अच्छा होता है। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल, डाकघर और कांजीहाउस है।

जांजगीर तहसील

यह तहसील जिले के पूर्वी भाग में है। इसका क्षेत्रफल 1405 वर्गमील है। विस्तार की दृष्टि से यह सबसे छोटी तहसील है, पर मनुष्य संख्या के लिहाज से इसका नंबर प्रथम आता है। इस तहसील के गाँवों की संख्या 850 है। हसदो, महानदी, कांजीवाला, बोरई, मांड,केलों इस तह. की नदियाँ हैं। चांपा जमींदारी की गणना इस तहसील के भीतर होती है। चांपा, जांजगीर, अकलतरा, खोखरा, चंद्रपु, शिवरीनारायण, बिर्रा, बाराद्वार और पामगढ़ में डाकघर हैं।

जांजगीर (गाँव)

रकबा 3597 एकड़ जनसंख्या 3232, बिलासपुर-कलकत्ता लाइन के नैला स्टेशन से यह दो मील दूर है। इसी नाम की तहसील का यह सदर मुकाम है। पहले तहसील का सदर मुकाम शिवरीनारायण में था, पर सन् 188 5 में जब महानदी की बाढ़ से उसकी इमारत बह गई और बहुत से कागजात खराब हो गए, तब सन् 1891 में यह सदर मुकाम बना दिया गया। यहाँ का मंदिर देखने ही लायक है। इसकी दीवालों पर दशावतार की मूर्तियाँ खचित हैं और कोनों में नाचनेवालियों और तपस्वियों के चित्र हैं। पश्चिमी दीवाल की पीठ पर सूर्य महाराज विराजमान हैं। मंदिर के दरवाजे के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियाँ हैं। इनमें से विष्णुजी की मूर्ति नवग्रहों के चित्रों के बीच में बनी हुई है। मंदिर भिम्मा नामक एक भारी तालाब के किनारे अपूर्ण और मूर्तिविहीन दशा में भी शान के साथ खड़ा है। कहते हैं कि रतनपुर से 12 मील दूर पर जो पाली का मंदिर है, वह और यह मंदिर एक साथ बनवाए गए थे, पर पाली का मंदिर पहले पूरा हो गया, इसलिए यह अधूरा

छोड़ दिया गया। जांजगीर नाम जाजल्ल नगरी का बिगड़ा हुआ नाम जान पड़ता है। जाजल्लदेव रतनपुर के हैहयवंशी राजाओं में से थे और पाली का मंदिर इन्हीं का बनवाया हुआ था। गाँव में एक हिंदी-मिडिल-पाठ-शाला, मिशन-पुत्रीशाला, डाकघर, अस्पताल, पुलिस थाना, कांजीहाउस और सराय हैं। बस्ती की सफाई के लिए सेनीटेशन एक्ट जारी है।

तख्तपुर

रकबा 1071 एकड़, जनसंख्या 2520, यह गाँव बिलासपुर तह. में, बिलासपुर से 18 मील मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। राजा तखतसिंह ने इसे बसाया था। उनका बनवाया शिवजी का मंदिर मौजूद है। अभी हाल का बना श्रीरामदास बाबा का मंदिर भी देखने योग्य है। यहाँ अनाज का अच्छा व्यापार होता है। यहाँ की बिही प्रसिद्ध है। इसका चालान कलकत्ते खूब होता है। प्रति शुक्रवार को बड़ा भारी बाजार भरता है। ढोरों का बाजार भी इसी दिन लगता है। यहाँ एक हिंदी मिडिल पाठशाला, डाकघर, सेनीटेशन कमेटी, कांजीहाउस और सराय है।

तुमान

रकबा 1580 एकड़, जनसंख्या 43, यह गाँव लाफा जमींदारी में है। बिलासपुर से यह कोई 60 मील और रतनपुर से 45 मील दूर होगा। यहाँ हैहयवंशी राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। प्रथम जाजल्लदेव का सन् 1114 वाला एक शिलालेख मिला है। उसमें लिखा है कि उसके पूर्वज कलिंगराज ने तुमान को पहले अपनी राजधानी बनाई। बाद में उसके पितामह रतनदेव ने राजधानी वहाँ से हटा दी और वर्तमान रतनपुर को राजधानी बनायी। तुमान चहुँ ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केवल पूर्व और पश्चिम की ओर निकास का मार्ग है। पहाड़ियों के बीच में करीब 16 गाँव जो बसे हुए हैं, तुमानखोल के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ तालाब और मंदिरों की संख्या बहुत है, पर वे अच्छी हालत में नहीं है। यहाँ की मूर्तियाँ पाली के मंदिर की मूर्तियों के ढंग की हैं। पास ही जटाशंकरी नदी बहती है। उसके किनारे पर तराशे हुए पत्थरों का एक खंडहर है, जो सतखंडा महल कहा जाता है।

धनपुर

रकबा 2034 एकड़, मनुष्यसंख्या 421, यहाँ गाँव पेंडरा जमींदारी में पेंडरा से 5 मील उत्तर की ओर है। करीब 4 वर्गमील तक यहाँ पत्थरों के ढेर और इमारतों के खंडहर बहुत मिलते हैं, पर डेढ़ मील के भीतर तो उनकी संख्या और अधिक बढ़ गई है। कहते हैं कि धनपुर और रतनपुर दोनों को हैहयवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी के योग्य बनाया। पीछे यह हुआ कि दीपक जहाँ पर आप ही आप जल उठे, वही राजधानी बनाई जाए। यह बात रतनपुर में हुई, इसलिए वहीं राजधानी स्थापित हुई। धनपुर में भवनतारा नामक एक बड़ा तालाब है। उसके निकट बहुत सी अंगहीन मूर्तियाँ पड़ी हैं। तालाब से आध मील उत्तर में कई इमारतों के खंडहर हैं। इसी प्रकार मंदिरों के भी अनेक खंडहर हैं। इनमें से चार मंदिर जैन धर्मी जान पड़ते हैं। कुछ मंदिर तो खालिस पत्थर के बने हुए हैं और कुछ ईंट पत्थर दोनों से बनाए गए हैं। इनमें जो ईंटे लगी हैं, वे वैसे ही बड़ी और प्राचीन ढंग की हैं, जैसे सिरपुर के मंदिरों में पाई जाती हैं। यहाँ जैनधर्म की एक बहुत बड़ी नग्न मूर्ति है, जो चट्टान तराश कर बनाई गई है। इसका नाम बेनीबाई या कपूपात है। लोगों का विश्वास है कि इस मूर्ति के नीचे बहुत सा द्रव्य गड़ा है। यहाँ तालाबों की संख्या अधिक है। एक तालाब बाम्हन मारा नामक है। इसके विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि एक बार कुछ ब्राह्मण व्यवसायी बाँस की नली में ढाके की मलमल छिपाकर इस प्रदेश से यात्रा कर रहे थे। जब जमींदार को यह खबर लगी तो उसने कुछ मनुष्य उन्हें पकड़ने के लिए भेजे। इस पर ब्राह्मणों से उसी तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिए। जान पड़ता है—धनपुर में कोमों राजाओं की राजधानी थी।

पाली

यह गाँव लाफा जमींदारी में है। यह बिलासपुर से 38 मील कटघोरा-सड़क पर है। गाँव के नैर्ऋत्य कोण में एक अष्टकोण सुंदर तालाब है। उसके किनारे पर एक बड़ा ही मनोहर शिवजी का मंदिर है। उसे प्राचीन कारीगरी का एक नमूना समझिए। मध्यप्रदेश में उसकी जोड़ के बहुत कम मंदिर निकलेंगे। फर्श से लेकर छत तक ऐसा खुदाव किया गया कि देखते ही

बनता है। दीवालों पर पौराणिक कथाओं के चित्र खचित हैं। सभा मंडल में चौंसठ योगिनियों की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के भीतरी भाग की कारीगरी विशेष बढ़कर है। कहीं जोड़ कर निशान तक दिखाई नहीं देता। जो देखता है, मुग्ध हो जाता है। सरकार ने आवश्यकतानुसार मंदिर की मरम्मत कराई है, जिससे बहुत कुछ सुंदर अंश दब गया है। राजा जाजल्लदेव ने इसे निर्माण कराया था। इनका नाम मंदिर में तीन स्थानों पर खुदा हुआ है।

पीथमपुर

रकबा 1232 एकड़, मनुष्य संख्या 674, यह गाँव चांपा जमींदारी में हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रतिवर्ष फागुन पूनो को एक सप्ताह मेला भरता है। यह मेला कुछ प्राचीनकाल से नहीं भरता है। कहते हैं कि यहाँ के एक तेली को एक रात स्वप्न हुआ कि भूमि के भीतर शिवजी की मूर्ति गड़ी है, उसे तू उखाड़ और स्थापित कर। उसने वैसा किया। मूर्ति सचमुच मिली। उसने उसे नदी के तटपर स्थापित कर दिया। इससे उसके पेट का दर्द, जिससे वह बहुत दिनों से पीड़ित था, जाता रहा। खरियार के जमींदार को भी यही शिकायत थी। उसने पीथमपुर की यात्रा की और शिवजी की मानता मान पेट-दर्द से छुट्टी पायी। उसने शिवजी के लिए एक पक्का मंदिर बनवा दिया। तबसे इसका नाम बहुत बढ़ चला। बहुतेरे पेट दर्दवाले फागुन पूनों को आने लगे और इस प्रकार मेला भरना प्रारंभ हो गया। मेले में 50 हजार तक मनुष्य एकत्र हो जाते हैं।

पेंडरा

रकबा 4589 एकड़, जनसंया 3898, बिलासपुर कटनी लाइन के पेंडरा रोड (गौरेला) स्टेशन से 5 मील दूर है। राह में आधी दूर पर मिस लांगडन का क्षय रोगाश्रम मिलता है। प्रति रविवार को यहाँ बाजार भरता है। अनाज, लाख, हर्रा और अन्य जंगली चीजों का यहाँ बड़ा व्यापार होता है। जमींदार न होने के कारण जमींदारी कोर्ट ऑफ वाड्‌र्स के अधीन है। जमींदार-परिवार का निवास प्राय: सधवानी नामक गाँव में होता है। जमींदार के उमदा-उमदा मकान वीरान पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर खेद होता है। गाँव में एक हिंदी-मिडिल पाठशाला, पुत्रीशाला, थाना, डाक-तारघर, अस्पताल और कांजीहाउस

है। सफाई का महकमा भी बस्ती में जारी है। पेंडरा शब्द पिंडारियों से निकला जान पड़ता है। पुराने जमाने में यह जमींदारी डाकुओं के दलों का अड्डा था। खास पेंडरा में परदेशियों की संख्या बहुत अधिक है।

पंडरिया (गाँव)

रकबा 2210 एकड़, मं. सं. 3598, यह गाँव पंडरिया जमींदारी मुख्य स्थान है। बिलासपुर से यह 52 मील दूर है। यह चहुँ ओर से आम की घनी अमराई से घिरा हुआ है। सोमवार को बाजार भरा करता है। यहाँ एक हिंदी-मिडिल-पाठशाला, पुत्रीशाला, डाकघर, पुलिस थाना, अस्पताल और कांजी हौस है।

पांडातराई

रकबा 2205 एकड़, मनुष्य संख्या 1922 यह गाँव पंडरिया जमींदारी में, पंडरिया और वर्धा रियासत की सीमा पर स्थित है। तराशे हुए पत्थर, मकानों के खँडहर यहाँ खोदने से बहुत मिलते हैं। कुछ मंदिरों में खुदाई का काम बहुत अच्छा किया गया है। जान पड़ता है कि प्राचीन समय में यह कोई गौरवशाली स्थान था। गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला, डाकघर और कांजी हाउस है।

बम्हनीडीह

रकबा 2038 एकड़, मं. सं. 2833, चांपा जमींदारी हसदो नदी के तट पर यह गाँव बसा हुआ है। यहाँ शुक्रवार और शनिवार को ढोरों का बड़ा भारी बाजार भरता है। इमारती लकड़ी, बाँस, लाख आदि चीजें यहाँ के बाजार में बिकने को आती हैं। गाँव में एक प्राइमरी-पाठशाला, डाकघर और कांजीहाउस हैं।

बलोदा

रकबा 3509 एकड़, मं. सं. 3043, यह जांजगीर तह. के बड़े गाँवों में से है। अकलतरा स्टेशन से यह 10 मील उत्तर है। सूती और कोसा के कपड़े यहाँ अच्छे बनते हैं। तालाब कई हैं। गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला, डाकघर और कांजीहाउस है। सेनीटेशन एक्ट भी यहाँ जारी है।

बिलासपुर तहसील

यह तह. जिले के मध्यभाग में है। क्षेत्रफल इसका 2135 वर्गमील है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से जिले में इसका दूसरा नंबर है। इस तह. की ग्राम संख्या 936 है। पेंडरा और केंदा जमींदारी इसी तह. में लगती है। छोटी नर्मदा, घोंघा, अरपा और खारून इस तह. की मुख्य नदियाँ हैं। लीलागर इसकी पूर्वी सीमा पर और मनियारी इसकी पश्चिमी सीमा पर बहती है। डाकखाने यहाँ बिलासपुर, रतनपुर, तखतपुर, गनियारी, कोटा, बेलगहना, गौरेला, पेंडरा, मरवाही में हैं। सहकारी सभाएँ कोई 75 गाँवों में हैं।

बिलासपुर शहर

रकबा 1828 एकड़, मं. सं. 24295। रायबहादुर हीरालाल साहब अपनी एक पुस्तक में इसके विषय में इस प्रकार लिखते हैं, ''इसे बिलासा नामक एक केंवटिन ने बसाया था। यह पतिव्रता एक अन्यायी राजा ने अपना सतीत्व बचाने के लिए यहीं पर जलकर कोयला हो गई और केंवट जाति को पवित्र कर गई। इसलिए—

केंवटिन भूंजे चना ला सब कोई खाय।
आनके भूंजे ला कोइ ना खाय॥

केंवट लोग कहते हैं कि बिलासा के जलने से केंवट जाति का रंग काला हो गया।''

यह शहर बंबई से रेल द्वरा 756 और कलकत्ते से 445 मील है। यहाँ से कटनी के लिए एक ब्रांच रेलवे गई है, जिसकी लंबाई 198 मील है। शहर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है।

अनुमान सन् 1770 में एक मराठा राजा कर्मचारी ने बिलासपुर को अपना निवासस्थान बनाया और नदी तट पर एक किला बनवाना आरंभ किया, पर वह पूरा न हो पाया। रतनपुर के आगे उस समय बिलासपुर की कोई गिनती न थी, पर सन् 1862 में जबसे यह जिले का सदर मुकाम बना दिया गया, तब से इसकी बड़ी उन्नति हो रही है।

म्यूनिसिपालिटी यहाँ सन् 1867 में स्थापित हुई थी। गोल बाजार इस

शहर का मुख्य बाजार है। शनिवार और गुरुवार को यहाँ बाजार भरता है। स्टेशन पर सप्ताह में तीन बार बाजार लगता है। यहाँ रविवार को ढोरों को बाजार लगता है।

बिलासपुर रेलवे का जंक्शन है। स्टेशन बड़ा और देखने लायक है। यहाँ से माल उतना बाहर नहीं जाता, जितना बाहर से यहाँ आता है। माल बाहर भेजने में इसका नंबर अकलतरा और भाटापारानम से उतर कर है। यहाँ से कोसा टसर का कपड़ा बाहर बहुत जाता है। आसाम चायबागान की मध्यप्रदेशीय एजेंसी का हेड ऑफिस यहीं पर है। ठीक है, यहाँ कुली बहुत मिलते हैं न? स्टेशन पर गोरों और अधगोरों की संख्या अधिक है। शहर में श्री जगन्नाथप्रसाद भानु कवि का एक छापाखाना 'जगन्नाथ प्रेस' नामक है। बिलासपुर में बारहों मास हरी भाजी तरकारी मिलती है।

यहाँ एक अंग्रेजी हाईस्कूल, एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल 7 या 8 हिंदी शालाएँ हैं। एक नार्मल स्कूल भी है, जहाँ देहाती स्कूलों के लिए पाठक तैयार किये जाते हैं। पुत्रीशालाएँ भी यहाँ तीन या चार हैं। स्टेशन पर एक हिंदी और दो अंग्रेजी स्कूल हैं। शहर में एक उर्दू स्कूल भी है।

अस्पताल 4 हैं। मिशन अस्पताल में स्त्रियों के इलाज का अच्छा सुभीता है। शहर में दो-तीन खानगी डॉक्टर भी हैं।

शहर में केवल 1 सराय है। पं. छितानी मितानी प्रसाद की एक छोटी सी धर्मशाला भी है। लोग पं. राजाराम के मंदिर वाली धर्मशाला में अधिक ठहरते हैं, क्योंकि वहाँ सुभीता अधिक है। यहाँ एक अच्छी सी धर्मशाला की बड़ी जरूरत है। डाक बँगला यहाँ का बहुत अच्छा है। बड़े अफसरों के ठहरने के लिए सरकिट हाउस अलग बना हुआ है।

तालाब शहर के बाहर एक या दो हैं, पर सब रद्दी हैं। कुओं की अधिकता के कारण इन्हें कोई पूछता नहीं। पाँच, छह हाथ खोदने से ही पानी निकल आता है। पानी का यहाँ बड़ा सुख है। म्यूनिसिपाल्टी का एक बाग शहर के बीच में है। एक बाग श्री अयोध्याप्रसाद साब का जूना बिलासपुर में है। अच्छे बागों की यहाँ और जरूरत है।

दीवानी कचहरी, नई जिला कचहरी, टाउनहाल, हाईस्कूल, नार्मलस्कूल,

अब्दुल चूड़ीवाले गोंड़पारावाला मकान देखने लायक इमारते हैं। पुस्तकालय यहाँ दो-तीन हैं, पर अच्छा पुस्तकालय एक भी नहीं।

बिसेसरा

रकबा 2058 एकड़, म. सं. 412, यह गाँव पेंडरा जमींदार में है। विश्व+ईश्वर विश्वेश्वर के ऊपर से इसका नामकरण हुआ है। यहाँ शिवजी के बहुत से टूटे-फूटे मंदिर हैं। वे सब मंदिर और मूर्तियाँ मि. बेगलर के मतानुसार 9वीं सदी की बनी हुई हैं। गाँव धनपुर के समय का जान पड़ता है। पुरानी जगह को छोड़कर यह अब नये स्थान पर बसा हुआ है। पुराने स्थान को छोड़ने का बस्तीवाले यह कारण बतलाते हैं कि यहाँ के मंदिर में जो महामाया हैं, बड़ी गुस्सैल हैं। निकट रहने से सबको चरपट कर जाती हैं।

बेलपान

रकबा 1465 एकड़, म. सं. 418, यह गाँव बिलासपुर तहसील के बिलासपुर शहर से अनुमानित 22 मील दूर है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा मेला भरता है। एक कुण्ड है, जहाँ से छोटी नर्मदा निकली है। पास ही महादेवीजी का मंदिर है।

मनियारी नदी

यह नदी लोरमी के पहाड़ों से निकलकर, विलासपुर और मुंगेली तहसील की सीमा पर बहुत दूर तक बहती हुई, तरेंगा-तालुका के दगौरी नामक गाँव से अनुमानित 3 मील पर शिवनाथ नदी में जा मिलती है। इसकी लम्बाई अंदाजन 70 मील है। सरकार इस नदी पर भी बाँध बनाने का विचार कर रही है।

मल्हार

रकबा 3519 एकड़, म.सं. 2307, यह गाँव लीलागर नदी के निकट, बिलासपुर नैर्ऋत्य 16 मील है। प्राचीन समय में इस गाँव की बड़ी मर्यादा थी। यहाँ बहुत से पुराने खंडहर और जैनधर्मी नग्न मूर्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ कई शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें से एक रतनपुर के कलचुरि राजाओं के समय का है। उसमें संवत् 919 (सन् 1167) की मिति पड़ी हुई है। यह

शिलालेख अब नागपुर के अजायबघर में है। यहाँ एक मिट्टी का किला भी है, जिसके चहुँ ओर खाई हैं। गाँव में छोटे-बड़े मिलाकर कोई 62 तालाब हैं। यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला है। साप्ताहिक बाजार बुधवार को भरता है।

महमदपूर

यह छोटा सा गाँव अकलतरा से दो मील उत्तर बलौदा की सड़क पर है। यहाँ एक बड़ा तालाब है, जिसमें पत्थर के घाट बँधे हुए हैं। टूटी-फूटी मूर्तियाँ, जिसमें से कुछ पर खुदाई का बढ़िया काम है, पाई गई हैं। यहाँ शिलालेख भी मिला है, जिसमें रतनपुर के कलचुरि राजा जाजल्लदेव, रतनदेव, पृथ्वीदेव और बल्लभराज के नाम खुदे हैं।

महानदी

इसकी लंबाई कोई 550 मील है। वह रायपुर के आग्नेय में सिहावा नामक जो गाँव है, वहाँ एक एक पोखर सोनकल, निकलते ही उत्तर की ओर घूम जाती है और बहती बहती बिलासपुर जिले की सीमा पर आ जाती है। आरंभ में काई 50, 60 मील तक इसका पाट 500, 600 गज से अधिक चौड़ा नहीं है। शिवरीनारायण से जरा ऊपर इसमें शिवनाथ नदी आ मिलती है। यहाँ से इसका वेग पूर्व की ओर बढ़ता है। बीच में जोंक और हसदो नदियाँ इसमें आ मिलती हैं। फिर यह पदमपुर के दक्षिण से बहती हुई संबलपुर में जा घुसती है। अंत में इसका पतन बंगाल की खाड़ी में होता है।

मानिकपुर

रकबा 2090 एकड़, मनुष्य सं. 244, यह गाँव केंदा जमींदार में है। गाँव के निकट एक पहाड़ी है, जिस पर मंदिर, तालाब और अन्य अनेक इमारतों के चिह्न पाए जाते हैं।

मुंगेली तहसील

यह तह. जिले के पश्चिमी भाग में हैं। इसका क्षेत्रफल 1503 वर्गमील है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के लिहाज से इसका नम्बर तहसील में तीसरा आता है। इस तहसील की ग्राम संख्या 942 है। पण्डरिया और कंतेली इस तहसील की जमींदारियाँ हैं। मनियारी, आगर, रहन, हांफ और फोंक

इसकी मुख्य नदियाँ हैं। ये प्राय: सबकी सब वायव्य से आग्नेय दिशा की ओर बहती है और अंत में सबका पानी जाकर शिवनाथ नदी में समा जाता है। गरमी के दिनों में इस तहसील में पानी का प्राय: बड़ा कष्ट रहता है। पिछले तीन साल से यहाँ लगातार अकाल पड़ रहा है। मुंगेली, पंडरिया, पांडातराई, कुंडा, कन्तेली, लोरमी और पथरिया में डाकखाने हैं।

मुंगेली (शहर)

रकबा 2925 एकड़, मनुष्य सं. 6536, यह बिलासपुर से पश्चिम में 31 मील दूर आगर नदी के तट पर बसा हुआ है। बिलासपुर से यहाँ तक पक्की सड़क है। मनियारी को छोड़ रास्ते की कुल नदियों पर पुल बँध गया है। मुंगेली में अनाज का भारी व्यापार होता है। माल अधिकतर भाटापारा स्टेशन से लदता है। फिर भी बिलासपुर स्टेशन पर थोड़ा-बहुत माल आता ही है। बस्ती में सफाई का कानून जारी है। यहाँ एक अंग्रेजी मिडिल स्कूल, प्राइमरी, हिंदी पाठशाला, पुत्रीशाला, डाक बंगाल, डाक-तारघर, अस्पताल, पुलिस थाना, कांजीहाउस, लोकल बोर्ड, मुनसिफ और तहसील की अदालतें हैं। यहाँ पादरियों की भी एक पाठशाला और अस्पताल है। बाजार प्रति शुक्रवार को लगता है। मालगुजार, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। इनके पूर्वज भोंसला राज्य में माल-विभाग में नौकर थे। मुंगेली इन्हें माफी में मिला था।

मेकल पहाड़ी

पहाड़ियों की यह श्रेणी मध्यप्रदेश और मध्य हिंदु स्थान में विन्ध्या और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच फैली हुई है। इसका आरंभ खैरागढ़ रियासत से होता है। वहाँ से यह बिलासपुर जिले की नैर्ऋत्य सीमापर बढ़ती हुई ईशान कोण तक चली गई है। अमर कंटक, जो नर्मदा नदी का उद्‌गम स्थान है, इसी मेकल श्रेणी में है। इसीलिए नर्मदा मेकलसुता भी कहाती है। इन श्रेणियों की ऊँचाई 2000 फुट से कहीं अधिक नहीं है, केवल एक स्थान लाफा (पहाड़ी) 3600 फुट ऊँचा है। इन पहाड़ियों में साल के अच्छे जंगल है। पुराणों में लिखा है कि इस पहाड़ी पर मेकल ऋषि तपस्या करते हैं। छोटी महानदा, जोहिला और अन्य छोटी-छोटी नदियाँ पहाड़ियों से निकलती हैं। इन पहाड़ों से लोहा निकाला जाता है।

रतनपुर

रकबा 11066 एकड़, मनुष्य सं. 4732, क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे बड़ा गाँव जिले में दूसरा नहीं है। यह पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। महाभारत में इसका नाम रत्नावती पुरी मिलता है। लोग कहते हैं—महाभारत की मोरध्वज-ताम्रध्वजवाली घटना यहीं हुई थी। पता चलता है कि यह 10वीं सदी में प्रथम रत्नदेव द्वारा बसाया गया था। कहते हैं कि जब यह उन्नति पर था, तब इसका विस्तार 12 मील पाली गाँव तक था। उस समय मध्य प्रांत में यह नगर बस एक ही रहा होगा। सुनते हैं यहाँ 1400 तालाब थे। अब भी छोटे-बड़े मिलाकर दो ढाई सौ से कम न होंगे। राम-टेकड़ी पर श्रीरामचंद्रजी का मंदिर, उसके नीचे श्रीवृद्धेश्वर महादेव का मंदिर, बस्ती के दक्षिण दरवाजे पर श्री भैरोजी का मंदिर और पश्चिम दिशा में श्रीमहामाया का मंदिर, आजकल के मुख्य मंदिर हैं। भैरोजी की मूर्ति बहुत ऊँची है। महामाया का मंदिर सबसे प्राचीन है। इसके विषय में जो कहानी प्रचलित है, वह इस तरह है—एक बार राजा रत्नदेव अपनी राजधानी तुमान छोड़ इधर शिकार खेलने आ निकले और रात हो जाने और संग छूट जाने पर एक बड़ के वृक्ष पर चढ़ रात बिताने लगे। उस बड़ वृक्ष के नीचे महामाया की सभा हुआ करती थी। सो रात्रि के समय राजा रत्नदेव को वह सभा देखने में आ गई। महामाया ने स्वप्न में राजा को वहाँ बस्ती बसाने की आज्ञा दी, जिसका उसने पालनकर वर्तमान रत्नपुर शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। उस वटवृक्ष के वंशज अब भी अपनी शाखा फैलाए हुए, देवी जी के मंदिर पर छाया कर रहे हैं। मंदिर के आस-पास सतीचौतरों की संख्या बहुत है। किले के निकट बीसदुअरिया नामक बीस द्वार का एब बड़ा मनोहर सती-मंदिर है। यहाँ 288 वर्ष पहले राजा लक्ष्मणसिंह की 20 रानियाँ सती हुई थीं। यह अब अत्यंत टूटी-फूटी हालत में है।

रतनपुर के तालाब में दुलहरा सबसे बड़ा है। यह 180 एकड़ों में फैला हुआ है। कई तालाबों से फसल सिंचाई का काम लिया जाता है। यहाँ एक तालाब 'बैराग' नामक है, जिसमें पक्के घाट बँधे हुए है। किनारे पर शिवजी का मंदिर है। इस तालाब के विषय में नीचे लिखा दोहा प्रसिद्ध है—

नरनारी मज्जन करें, उठें छत्तीसों राग।
ऐसे रसिक तालाब को, लोक कहें 'बैराग'॥

सांटे इस गाँव में खूब होते हैं। तरकारी भाजी की भी कमी नहीं रहती। माघ पूनों को यहाँ मेला भरता है। मेले में मिठाई और खिलौनों की दुकानें अधिक रहती हैं। दुलहरा तालाब पर सतनामी की भीड़ रहती है, जहाँ वे कथा कहाते हैं और मृत व्यक्तियों की अस्थि तालाब में फेंकते हैं। फूल-काँसे के बर्तन रतनपुर में अच्छे बनते हैं। यहाँ का गुड़ और पान प्रसिद्ध है। अमराई भी यहाँ बहुत है।

समय की बलिहारी है। जो रतनपुर एक समय समस्त छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, जिस रतनपुर के सदृश बड़ा नगर किसी समय मध्यप्रदेश में कदाचित् ही कोई रहा हो, जिस रतनपुर को लोग केवल देखने की लालसा से दूर-दूर से यात्रा का कष्ट उठाकर आते थे जो रतनपुर एक दिन अतुल सम्पत्तिवान और विशेष गौरवमान था, जो विद्या और और सभ्यता का केंद्रस्थल था, वही रतनपुर आज, हाय! लिखते कलेजा मुँह को आता है, अत्यंत गिरी हुई अवस्था में है। मनुष्य संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, फूट और वैर-भाव बढ़ता जा रहा है, मिथ्या अभिमान। ईर्ष्या और द्वेषाग्नि की ज्वाला से लोगों का हृदय जला जा रहा है और मलेरिया ज्वर ने बस्ती में ऐसा डेरा जमाया है, जैसे कोई अपनी पुश्तैनी जायदाद पर जमाता हो। जिन स्थानों पर अभी थोड़े दिन पहले कथावार्ता, पोथी-पुराण, आनंद उत्सव होते दिखलाई पड़ते थे, वहीं अब उल्लू और गीदड़ों के निवासस्थान बने हुए हैं। मुकदमेबाजी ऐसी बढ़ रही है, जैसे प्लेग की बीमारी। मतलब यह कि कल जो इसकी हालत थी, आज नहीं है और आज जो हालत है, कल रहेगी या नहीं, इसमें पूरा संदेह है।

यहाँ एक हिंदी मिडिल पाठशाला, प्राइमरी पाठशाला (करहा पारा में), पुत्रीशाला, पुलिस थाना, कांजीहाउस, डाक बँगला, डाकघर और आनरेरी मजिस्ट्रेटों की कचहरी है। बस्ती में सफाई का कानून जारी है।

लाफागढ़

यह बड़ी पहाड़ी चित्तौरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी ऊँचाई 3240 फुट है। इसकी चोटी पर एक पुराना किला है, जिसके 3 फाटक हैं। फाटक खंभों और मूर्तियों से खूब सजे हैं। सिंह दरवाजे के निकट महामाया

का एक सादा मंदिर है। मंदिर के भीतर जो देवी जी की मूर्ति है, टूटी हुई है। लोग कहते हैं कि एक बार एक गोरा मंदिर के भीतर जबरदस्ती घुस गया। फल यह हुआ कि मूर्ति तुरंत टूट गई और गोरा भी मर गया। मेनुका दरवाजे के निकट एक खोह है, जिसमें शिवजी का लिंग स्थापित है। सावन मास में लाफा के जमींदार यहीं रहते हैं और खोहवासी महादेव की पूजा करते हैं। फिर कजली मानकर लौट जाते हैं। कर्नल बर्चू ने जो सन् 1881 में इस जिले के डिपुटी कमिश्नर थे, इस पहाड़ी के ऊपर बँगला तैयार करा उसे अपना ग्रीष्म-निवास बनाया था, पर अब यह बँगला जल गया है। पहाड़ी के ऊपर 4 तालाब हैं, जिनमें से 2 तालाब में बारहों मास पानी रहता है। जटा शंकरी नदी यहीं से निकलती है। पहाड़ी की तलहटी में घना जंगल है।

लाफा गाँव

यह लाफा जमींदारी का मुख्य स्थान है। ऊपर वर्णित पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। जनसंख्या 808 है। गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला है।

लीलागर नदी

यह नदी कोरबा जमींदारी से निकलती है और बिलासपुर तह. को जांजगीर तह. से अलग करती हुई शिवनाथ नदी में जा मिलती है। कोटमी गाँव के पास इस पर रेल का पुल बँधा है।

शिवनाथ नदी

रायबहादुर हीरालाल साहब लिखते हैं, "इस नदी का पुल्लिंगी नाम कुछ विचित्र सा मालूम पड़ता है, क्योंकि नदियाँ बहुधा स्त्रीलिंग शब्दों से ही पुकारी जाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी को महानद भी कहते हैं, कदाचित् शिवनाथ को पानी का बड़ा प्रवाह समझकर इसका भी पुल्लिंगी नाम रख दिया हो। जनरल कनिंघाम का अनुमान है कि पहले महानदी की धारा उसी राह से बहती थी, जिससे अब शिवनाथ बहती है। कदाचित् महानद का मूल भाग होने के कारण पृथक नदी समझी जाने पर मूल स्रोत्र के पुल्लिंगी नाम की देखा-देखी इसका भी वैसा ही नाम रखना उचित समझा गया हो। इसकी एक सहायक नदी तांदुला जिला दुर्ग में है, जिससे एक बड़ी भारी नहर निकाली

गई है। इससे चावल की खेती को बड़ा लाभ पहुँचेगा और उस नदी के नाम को सार्थक करेगा।'' शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 160 मील है।

शिवरीनारायण

मनुष्य संख्या 2250, यह गाँव जांजगीर तह. में है। बिलासपुर से संबंधपुर के लिए जो पुरानी सड़क गई है, वह यहीं से होकर जाती है। महानदी और जोंक नदी के संगम पर यह गाँव बसा हुआ है। यहाँ से अनुमानित मीलभर ऊपर महानदी और शिवनाथ नदी का मेल हुआ है। शिवनरीनारायण के नाम कारण के विषय में कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में एक शबर* था। जिस स्थान पर शिवनरीनारायण बसा हुआ है, वहाँ उस समय जंगल था। वहाँ जगन्नाथजी की मूर्ति थी। वह शबर उस मूर्ति की नित्य नेम से पूजा करता था। एक दिन एक ब्राह्मण ने उस मूर्ति को देख लिया। वह उसे वहाँ से ले गया और जगन्नाथपुरी में इसकी स्थापना कर दी। जगन्नाथजी ने उस शबर की भक्ति से प्रसन्न हो वर दिया कि जिस जंगल में मैं रहता था, वह मेरे और तेरे संयुक्त नाम से प्रसिद्ध होगा। इसीलिए उसका नाम शिवरीनारायण पड़ा।

सन् 1891 तक शिवरीनारायण वर्तमान जांजगीर तह. का सदर मुकाम था, पर महानदी की बाढ़ द्वारा तहसील की इमारत को हानि पहुँचने तथा गाँव के रेलवे स्टेशन से दूर होने के कारण तहसील यहाँ से हटा दी गई। गाँव दो महालों में बँटा हुआ है। 1. भोगहापारा, 2. महंतपारा। गाँव के निकट सुंदर अमराई है। नारायण के मंदिर में लगे हुए शिलालेख से मालूम होता है कि वह मंदिर कलचुरिसंवत् 898 में बनवाया गया था। मंदिर पर एक बार बिजली गिरी थी, जिससे उसकी दीवाल फट गई थी। अब वह चूने से जोड़ दी गई है। नदी के निकट ही एक जलाशय है, जिसे रोहिणी कुण्ड कहते हैं। रतनपुर के हैहयवंशी राजाओं के समय शिवरीनारायण का अच्छा आदर था। रानियाँ और राजपरिवार के अन्य लोग महानदी में स्नान करने प्राय: आया करते थे। माघ पूनो को यहाँ मेला भरता है। यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला और डाकघर है। बाजार बुधवार को भरता है।

---

* शवर = सबरा जाति। धंधा–मछली मारना।

सरकंडा

रकबा 1346 एकड़ मनुष्य सं. 598, यह छोटा सा गाँव बिलासपुर शहर के निकट अर अरपा नदी के उस पार है। सरकार ने यहाँ कृषि-फार्म खोल रखा है। गाँव मे एक सरकारी सभा है।

सोननदी

अमर कंटक पहाड़ से, जहाँ से नर्मदाजी निकलती हैं, यह नदी भी निकलती है। इसका उद्गम स्थान एक पहाड़ की तली में है। निकलते ही वह दो ढाई-सौ फुट नीचे गिरती है। यह खड्डा इतना भयानक है कि देखते डर लगता है। पेंडरा जमींदारी में यह केवल 36 मील बह कर रीवाँ रियासत में धुस जाती है।

सोनसरी

यह गाँव जांजगीर तह. में है। यहाँ अभी हाल में 600 सोने के सिक्के, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है, मिले हैं—

			संवत्	सन्
पृथ्वीदेव	405 बड़े	54 छोटे	1197-1217	(1140-60)
जाजल्लदेव	29 बड़े	7 छोटे	1217-1232	(1160-75)
रत्नदेव	68 बड़े	28 छोटे	1232-1247	(1175-90)
गोविंदचंद्र	2 बड़े			
पंच निशानी	2 बड़े			
जो मालूम नहीं हो सके				
जोड़	511	89		

ऐसे सिक्के इतनी ज्यादा तादाद में आज तक कहीं नहीं मिले थे। इन सिक्कों से 180 बड़े और 21 छोटे सिक्के बिलासपुर नगर के प्रतिष्ठित धनी-मानी श्रीदीनाथ जी अग्रवाल ने, जो श्रीबालाराम अगरवाले बी.ए. एल.एल. बी. वकील के बड़े भाई हैं, खरीद कर रखे हैं। आप इन्हें उन पुरातत्व प्रेमियों को, जो इन सिक्कों का महत्त्व जानते हैं, उचित मूल्य पर सहर्ष देने को तैयार है।

हसदो नदी

यह नदी सिरगुजा रियासत से निकलकर प्राकृतिक छटा दिखाती, पत्थर चट्टानों से ठोकर खाती, मातिन और उपरोड़ा जमींदारियों में धूम मचाती, कोरबा और चांपा जमींदारियों में रोब जमाती, शिवरीनारायण से 8 मील पूर्व महानदी में जा समाती है। कोरबा और चांपा गाँव इसके तट पर बसे हुए हैं। चांपा के पास इस पर रेलवे का पुल है। हसदो बड़ी बेढब नदी है। इसका वेग बहुत अधिक है और इसमें चोरबालू की अधिकता है। सो इसे रास्ते पर से ही पार करना चाहिए। मनमानी जगह से पार करने पर रेत खिसकती जाती है और मनुष्य भीतर धँसता जाता है और अंत में प्राणों पर आ बनती है। सरकार इस नदी पर भी बाँध बाँधने का विचार कर रही है।

हांफ नदी

यह नदी पंडरिया की पहाड़ी से निकलकर कुछ दूर तक कवर्धा और पंडरिया जमींदारी की सीमा पर बहती हुई खास पंडरिया आ पहुँचती है। फिर वहाँ से पंडरिया जमींदारी को मुंगेली तहसील से अलग करती हुई दुर्ग जिले में घुस जाती है। अंत में यह शिवनाथ नदी में जा मिलती है। इसकी लंबाई अनुमानित 80 मील है। सकरी इसकी सहायक नदी है।

❑

नवाँ विकास
जमींदारियाँ

उपरोड़ा

रकबा 448 वर्ग मील, मनुष्य संख्या 8671, जमींदार का पद दीवान, ग्राम संख्या 86।

पेंडरा जमींदार हिंदूसिंह के पुत्र जसकरन के दो लड़के थे। एक पूरनमल, दूसरा चूरामनमल। चूरामनमल का एक लड़का था, जिसका नाम था हिम्मतराय। उसने उपरौड़ा चौरासी धावा मार उसके ब्राह्मण अधिकारी का सिर काट, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। इस अपराध पर उसे रतनपुर राज दरबार से कैद की सजा मिली। उसका एक नौकर मोहरिया गांड़ा था। वह बड़ा स्वामिभक्त था। वह अपने मालिक को छुड़ाने का अवसर ढूँढ़ता रहा। एक दिन उसने रतनपुर नरेश के महल के नीचे ऐसी चतुराई और मधुराई से शहनाई (मोहरी) बजाई कि राजा बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उसने इसे मनमाना इनाम माँगने के लिए कहा। मोहरिया ने अपने मालिक को छोड़ देने के लिए प्रार्थना की। राजा ने अपने वचन का पालन किया और ऊपर से उपरौड़ा चौरासी भी उसे सौंप दी। यह घटना सं. 1641 की कही जाती है।

उपरोड़ा में जंगल और पहाड़ अधिक हैं। हाथी भी यहाँ कभी-कभी मिलते हैं। जमींदारी अभी हाल ही में उसके जमींदार श्रीरुद्रशरणसिंह को सौंपी गई है।

केंदा

रकबा 299 वर्गमील, मनुष्य संख्या 20163, जमींदार का पद ठाकुर, ग्राम संख्या 92।

कहते हैं—एक बार रात्रि के समय रतनपुर-नरेश की सेना रीवाँ राज्य के विरुद्ध कूच कर रही थी। रास्ते में मशालें बुझ गईं। घोर अंधकार, फिर घना जंगल और पहाड़। सिपाहियों को एक पग भी चलना कठिन हो गया। तब प्रसिद्ध बीर जस करन ने, जो पेंडरा-जमींदार हिंदू सिंह का पुत्र था, अपने हाथों से तिली को मसलकर तेल निकाला, जिससे बड़ा काम चला। राजा के कानों में जब यह बात पहुँची, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे केंदा जमींदारी इनाम में दी। इस संबंध में एक दूसरी बात और प्रसिद्ध है। वह यह कि पेंडरा जमींदार हिंदू सिंह के घराने में तीसरी पुश्त में जो जमींदार हुआ, उसके दो पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र संवत-सिंह को, रतनपुर नरेश तख्तसिंह ने संवत् 1691 (सन् 1634) में केंदा जमींदारी दी। शायद यह पिछली बात ही ठीक हो। यह जमींदारी संवतसिंह के वंशजों के हाथ से कभी नहीं निकली। उन्होंने समय देखकर काम किया। राजपूतों के बाद मराठों की अधीनता और मराठों के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व वे चुपचाप स्वीकार करते गए।

अरपा नदी में जितनी घाटियाँ हैं, इस जमींदारी के अंदर हैं। पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ और उत्तर हिंदुस्तान के बीच जो भारी व्यापार होता था, उसका तथा जगन्नाथपुरी जाने का मार्ग इस जमींदारी के बीच होकर गया था, इससे इसका महत्त्व अन्य जमींदारियों से अधिक था। रेल इस जमींदारी में थोड़ी दूर दौड़ती है। कोटा और बेलगहना इसके मुख्य स्टेशन हैं। केंदा गाँव बेलगहना स्टेशन से 8 मील कोमोघाट के नीचे सुंदर स्थान पर बसा हुआ है। यहाँ एक प्राइमरी पाठशाला है। जमींदारिन कामकाज देखती हैं, जमींदार नहीं रहे।

कोरबा

रकबा 856 वर्गमील, मनुष्य सं. 87567, जमींदार का पद दीवान, ग्राम संख्या 341।

यह जमींदारी जिले की सब जमींदारियों से बड़ी हैं। वर्तमान जमींदार-परिवार के पूर्वजों को यह कब प्राप्त हुई, इसका पता ठीक-ठीक नहीं चलता।

छुरी जमींदारी के संबंध में कथा प्रचलित है, वैसा ही कथा, एक गोंड़ डाकू को हराकर इसे इनाम में पाने की, इसके संबंध में भी कही जाती है, पर मालूम नहीं, यह कहाँ तक सच है। एक बात निश्चय है। वह यह कि यह जमींदारी रतनपुर राज्य में बहुत पीछे मिलाई गई थी। इसका नाम छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में नहीं मिलता। चीज में साहब ने इसके संबंध में लिखा है कि रतनपुर के राजा बहारसाय ने इसे सन् 1528 के लगभग सिरगुजा नरेश से छीन लिया था (उसी समय, जिस समय उसने कोसगई-छुरा में पठानों को हराया था) रतनपुर से दूर रहने के कारण इसके जमींदार ज्यादा स्वतंत्र थे। मराठों को इन्होंने खूब तंग किया था। एक बार बिंबाजी ने टकौली न पटने के कारण जमींदारी जब्त कर ली थी, पर उसके कर्मचारी वहाँ से शीघ्र ही भगा दिए गए। अंत में 2000 रुपये पाने पर बिंबाजी मान गए और जमींदारी भरतसिंह को वापस दे दी।

प्रबंध अच्छा होने पर इस जमींदारी की आमदनी बहुत ज्यादा हो सकती है। लोहा और कोयला की खदानों को छोड़कर साल के बहुत बड़े-बड़े जंगल यहाँ है। जमींदारी के जंगली भाग में कंवर और कोरबा जाति के लोगों की अधिक बस्ती है। कुदुरमाल में माघ पूनों को मेला लगता है। प्रबंध कोर्ट आफ वाड्र्स का है। कोरबा खास हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है। वह चांपा स्टेशन से 23 मील उत्तर की ओर है। वहाँ एक प्राइमरी पाठशाला, पुलिस थाना और डाकघर है।

कंतेली

रकबा 25 वर्गमील, मनुष्य संख्या 6196, जमींदार का पद ठाकुर, ग्राम संख्या 44।

यह जमींदारी मैदानी भाग में है। जंगल यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसका पुराना इतिहास इसके स्वर्गवासी जमींदारी के शब्दों में ही सुनिए—मेरे पूर्वज पहले मुंगेली जमींदारी के जमींदार थे। यह जमींदारी 6 पुश्तों से उनके अधिकार में थी। सन् 1798 के लगभग नागपुर के राजा प्रथम रघुजी के भाई नानाजी जगन्नाथपुरी जाते हुए मुंगेली आये। यहाँ उनके एक साथी ने जमींदार के भाई के घोड़े को जबरदस्ती पकड़कर लेना चाहा। इस पर झगड़ा हो गया।

बात बहुत बढ़ गई। फल यह हुआ कि जमींदार फतेसिंह गिरफ्तार कर लिये गए और विचार के लिए रतनपुर भेज दिए गए। रतनपुर के सूबा केशो पंत ने उन्हें तोप से उड़वा दिया और सारी जमींदारी जब्त कर दी, पर दूसरे वर्ष उनके परिवारवालों को मदनपुर तालुका दिया गया और बाद में लोरमी–तालुका भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् एक समय मेरे पिता संतोष सिंह ने लोरमी से आकर मुंगेली को घेर लिया। उस समय अंग्रेजों का अधिकार हो चला था। मेरे पिता कैद कर लिये गए और कैदखाने ही में उनका स्वर्गवास हो गया। उस समय मैं आठ वर्ष का था। पीछे मुझे मदनपुर (कंतेली) जमींदारी दी गई। यह जमींदारी रतनपुर के राजा कल्याणसिंह ने हमारे एक पूर्वज तरबरसिंह को दी थी।

जमींदार ठाकुर रणजीतसिंह हैं। घराना इनका बड़ा पुराना है। कंतेली गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला और डाकघर है।

चांपा

क्षेत्रफल 105 वर्गमील, म.स. 32,637, जमींदार का पद दीवान, ग्राम संख्या 64।

यह जमींदारी जिले के पूर्वी भाग में हसदो नदी के दोनों तटों पर फैली हुई है। कहते हैं यह जमींदारी वर्तमान जमींदार के अधिकार में 17 पीढ़ी से है। इसका नाम पहले मदनपुर चौरासी था और इसका सदर मुकाम मदनपुर के पुराने किले में था, जिसके खंडहर हसदो नदी के तट पर अब भी मौजूद हैं।

इस जमींदारी का विस्तार पहले अधिक था। इसमें कमी मराठों के समय में हुई। कैसे हुई, इसकी कथा यों है—रतनपुर के राजा बिंबाजी का मुहम्मद खां तारान नामक एक खासगी सरदार था। यह 200 घुड़सवार और 500 पैदल सिपाहियों का अफसर था। इसके काम से प्रसन्न हो राजा ने इसे अकलतरा, लवन, किकरदा, खरौद और मदनपुर, ये पाँच परगने इनाम में दिए। खाँ साहब इनाम पाये हुए परगनों पर अधिकार जमाने के लिए अपने सिपाहियों सहित जांजगीर में आ धमके। जांजगीर मदनपुर पगरना के अंदर था। मदनपुर के जमींदार छत्रसाल को जब इसकी खबर लगी तो वे अपने दोनों लड़कों सहित खाँ साहब के पास दौड़े आये और पूछने लगे कि किन

अपराधों के कारण मेरी जमींदारी छीनी गई है। महम्मद खाँ ने कहा कि मुझे ये सब बातें नहीं मालूम, आप राजा साहब से जाकर प्रार्थना कीजिए। बेचारे उनके पास गए। उत्तर मिला—परगने तो अब खाँ साहब को दे दिए गए हैं, सो वही इसका फैसला करेंगे। छत्रसाल खाँ साहब के पास फिर लौटे। तब उसने बड़ी दया करके सब अच्छे-अच्छे गाँव आप रख लिये और हसदो नदी के तट पर, जो 23 ठो रद्दी गाँव थे, छत्रसाल को दे दिए, उसी समय उसने मदनपुर चौरासी के उमरेली और कोठारी नामक दो वरहों कोरवा जमींदार को भी दिए। यह कोई सन् 1780 की बात है।

इस कथा की सत्यता में बहुत कम संदेह है। कोरबा जमींदारी में उमरेली और कोठारी बरहों अब भी चौबीसा के नाम से प्रसिद्ध हैं और यह भी स्वीकार किया जाता है कि ये हमें बहुत पीछे मिले थे। इसके सिवा चांपा जमींदारी के तीन गाँव इस मसय भी जांजगीर के निकट हैं, जिनसे इस कथा की पुष्टता होती है। सन् 1885 में चांपा के जमींदार विश्वनाथ सिंह ने इसी कथा के आधार पर अर्जी दी थी कि उसे 37 गाँव खालसा के और 24 गाँव कोरबा के दिए जाएँ, पर कहना न होगा, इसका कुछ परिणाम न हुआ।

सो सन् 1780 में केवल 23 गाँवों को लेकर चांपा जमींदारी रह गई, पर धीरे-धीरे उसने अच्छी उन्नति कर ली। सन् 1867 में उसके 44 गाँव हो गए और अब इस समय 64 गाँव हैं। जमींदार श्रीरामशरण सिंह हैं।

छुरी

रकबा 336 वर्गमील, मं. सं. 26,020, जमींदार का पद प्रधान, ग्राम संख्या 143।

यह जमींदारी कंवरान ने के नाम भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ कंवरों की संख्या बहुत अधिक है। छुरी खास से 5 मील दूर कोसगई नामक पहाड़ी है। वहाँ धामधुरुवा नामक एक डाकू रहता था। उसे रतनपुर राजा के एक पहरेदार ने मार डाला और यह जमींदारी इनाम में पाई। तबसे यह उसी के घराने के अधिकार में हैं। कोसगई पहाड़ी पर जो किला है, कहते हैं उसे रतनपुर नरेश बहारसाय ने 16वीं सदी में बनवाया था, पर लोग अब कहते हैं कि बहारसाय से बहुत पहले का वह किला बना हुआ है। बहुत संभव है कि वह चेदि

राज्य के समय का हो और यहाँ से उतरते हुए रतनपुर के राजे छत्तीसगढ़ में आ घुसे हों।

हसदो नदी जमींदारी के बीच से बहती है। इस जमींदारी में लाख का बड़ा व्यापार होता है। कोसा के फल यहाँ से अन्य स्थानों को भेजे जाते हैं। कोसा का कपड़ा भी यहाँ अच्छा बनता है। जमींदार की नाबालिगी में उनके काका श्रीगजेन्द्रपाल सिंह कारोबार चलाते हैं।

मातिन

रकबा 544 वर्गमील, म.स. 17,141, जमींदार का पद दीवान, ग्राम संख्या 109।

यह दूसरी जमींदारी है, जिसका संबंध पेंडरा जमींदार परिवार से है। इस जमींदार के पुराने अधिकारी जाति के राजगोंड़ थे, जिनके वंश अब भी सिर्री नामक गाँव में हैं। यह गाँव मातिन जमींदारी की वायव्य सीमा पर है। सिर्री के राज-गोंड़ परिवार का कहना है कि हम यहाँ 22 पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। जब उनकी चौरासी छिन गई थी, तब भी उनके पास 12 गाँवों का एक बरहों था। संवत् 1699 में उपरोड़ा जमींदार हिम्मत राय के छोटे पुत्र कल्याण सिंह ने मातिन जमींदारी पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया, पर सिर्री के तारफाना गोंड़ने ने शीघ्र ही उसे मार कर बदला चुकाया, पर रतनपुर के राजा राजसिंह ने कल्याणसिंह को ही वहाँ का अधिकारी करार दिया और तब से यह उसी के वंश में हैं।

मातिन जमींदारी उपरोड़ा जमींदारी से कई बातों में मिलती-जुलती है। यहाँ भी घने जंगल हैं और जलपवन खराब है। इस जिले के पटवारियों ने इस जमींदारी के संबंध में मशहूर कर रखा है—

जहर पिये न माहुर खाय।
मरे का होय तो मातिन जाय॥

और यह है भी बहुत कुछ ठीक।

सन् 1795 में कप्तान ब्लंट चुनारगढ़ से राजमहेंद्री की यात्रा करते समय इस जमींदारी के बीच होकर गए थे। उसने अपनी डायरी में इसके विषय में यों लिखा हैं, ''पश्चिमी बाजू पर कुछ ऊँची पहाड़ियों की श्रेणियों को छोड़ते

हुए आज हम पोंडी पहुँचे। यहाँ का कंवर अधिपति मुझसे मिलने आया या यों कहिये एक गोरे मनुष्य को कौतूलहलवश देखने आया। संग में उसके पुत्र और पौत्र भी थे। ये दोनों बड़े हट्टे कट्टे और डीलडौलवाले थे। फिर भी गोंड़ों के साथ इनकी समता नहीं हो सकती। हम दोनों एक दूसरे की ओर बहुत देर तक घूरते रहे। हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों-दोनों की भाषा से अनजान थे। इतने में एक बैरागी फकीर आया। वह जंगल-पहाड़ों में घूमा करता था। इसने दुभाषिये का काम किया। अधिपति के साथ वार्तालाप करके मुझे यह मालूम हुआ कि इन पहाड़ों में सात छोटे-छोटे जिले हैं, जिन्हें चौरासी कहते हैं, पर ये नाम मात्र के चौरासी है। वास्तव में इनमें पंद्रह से अधिक गाँव नहीं हैं। ये सब मातिन परगना के भीतर हैं और मराठों को कर देते हैं। कर के रूप में बहुत ही ज्यादा अन्न वसूल किया जाता है। यदि कर बराबर नहीं दिया जाता तो मराठे बड़ी लूटपाट मचाते हैं। मैंने पूछा—क्या यहाँ पर कंवर या किसी जाति का स्वतंत्र राज्य कभी नहीं था? उत्तर मिला—यह भाग पहले बघेलखण्ड रीवाँ राजा के अधीन था, पर अनुमान 30 वर्ष हुए मराठों ने उसे भगा दिया। इस झगड़े में यह देश गरीब और वीरान हो गए। वार्तालाप से कुछ अधिक लाभ मैं नहीं उठा सका, क्योंकि दुभाषिये को कंवर भाषा का बहुत ही कम ज्ञान था।

अंत में वृद्ध अधिपति ने जिसका ध्यान रामनगर-मोढ़ (स्टूल) की ओर बहुत था, उसकी बनावट के विषय में पूछताछ की और उत्तर पा लेने पर बिदा माँगी और चला गया। दोपहर से एक घंटा पहले हम लोग मातिन पहुँचे और ताती नदी के तट पर डेरा लगाया। यहाँ से एक मील उत्तर एक बहुत ही मनोहर पहाड़ी थी, जिसे कंवर लोग मातिन देवी कहते थे। मैंने अपनी दुरबीन से देखा तो उसकी चोटी पर पताका फहराते पायी। पूछने पर मालूम हुआ कि वहाँ हिंदू देवी भवानी का स्थान है। होली के दिन थे, सो पहाड़ी लोग गा और नाच कर बड़े गँवारू ढंग से त्यौहार मना रहे थे। बाजा जो वे बजा रहे थे, उसे एक किस्म का आप नगाड़ा समझिए। यह मिट्टी के बर्तन पर चमड़ा छाकर बनाया गया था। वे इस बात को नहीं जानते थे कि इस त्यौहार की उत्पत्ति कब से हुई और इसका मतलब क्या है। उनमें इस

बात को बतानेवाला कोई ब्राह्मण भी न था। मेरी समझ से तो वे नीच जाति के हिंदू थे। मैं उनकी निरक्षरता और विचित्र बोली के कारण उनके इतिहास, रहन-सहन और धर्म के विषय में कुछ पता न लगा सका।''

यहाँ के जंगल में पहले हाथी पाये जाते थे और खेदा भी होता था, पर अब जंगल कम हो जाने के कारण इनका पता नहीं। जमींदार दीवान लालमणि सिंह हैं। पसान में जहाँ ये रहते हैं, स्कूल, कांजीहाउस और डाक है।

पेंडरा (पेंड्रा)

रकबा 774 वर्गमील, मं. सं. 74,094 जमीदार की पदवी लाल, ग्राम संख्या 225।

रतनपुर नरेश के आश्रय में हिंदू सिंह और हिंदू सिंह नामक दो भाई रहते थे। उन्होंने एक दिन सड़क के किनारे पर एक बोरा भर द्रव्य पड़े पाया। उसे वे राजा को दे आये। इस पर राजा साहब ने प्रसन्न हो उन्हें पेंडरा जमींदारी इनाम दे दी। यह बात संवत् 1551 की है। यह जमींदारी इस घराने में 11 पुश्तों से चली आ रही है। यही इसका पुराना इतिहास है। यह कहाँ तक सच है, कुछ कहा नहीं जा सकता।

प्राचीन समय में हिंदू सिंह से बहुत पहले इस जमींदारी में आर्यों का निवास था। इस बात की पुष्टि धनपुर के खंडहरों से होती है। ये अब भी उसके प्राचीन गौरव का स्मरण दिला रहे हैं। हिंदू सिंह सैकड़ों वर्ष पीछे हुआ। पंडरीबन अर्थात् पेंडरा से हिंदू सिंह के वंश की बड़ी बढ़ती हुई और 100 वर्ष के भीतर ही उसके वंशज केंदा, उपरोड़ा और मातिन के अधिकारी बन बैठे। मराठों के समय में भी ये अपनी-अपनी जमींदारियों का उपभोग करते रहे, पर सन् 1798 में पेंडरा जमींदार पृथ्वीसिंह पर मराठों की नाराजगी हुई। रतनपुर के सूवाने उसे राजधानी में बुला भेजा, परंतु वह नवागढ़ और मुंगेली के जमींदारों की दुर्दशा का हाल सुन चुका था, इसलिए नहीं गया। इस पर केशव गोविंद सूवा ने जमींदारी जब्त कर ली और पृथ्वीसिंह को तीर्थ यात्रा के बहाने भाग जाना पड़ा। पहले जमींदारी एक गोंड़ को दी गई, परंतु सन् 1804 में सोहागपुर के जमींदार ने पेंडरा पर चढ़ाई कर दी और गाँव में आग लगा दी। तब भोंसला तोपखाने के जमादार धनसिंह ने बैरियों को बड़ी

वीरता से लड़कर मार भगाया और इनाम में जमींदारी पा ली। पीछे सन् 1818 में जब कर्नल एग्न्यू छत्तीसगढ़ में आये, तब उन्होंने उसके पुराने अधिकारी अजीतसिंह को जमींदारी सौंप दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वीसिंह, जो अब मर चुका था, बिना काफी सबब के जमींदारी से निकाल दिया गया था और सिवा इसके अजीतसिंह बलवे के समय सरकार का भक्त बना रहा। तब से फिर पेंडरा जमींदारी इस घराने के अधिकार में है। सन् 1857–58 के सोहागपुरी बलवे के समय पेंडरा जमींदार ने अपने पुराने बैरी को दबाने के लिए अंग्रेजों को अच्छी सहायता दी थी। बलवे के पश्चात् अकरकंट की पवित्र पहाड़ी जो पेंडरा जमींदारी के भीतर थी, अंग्रेज सरकार ने निकाल ली और उसे रीवां नरेश को उनकी राजभक्ति और सेवा के बदले में दे दी। पेंडरा जमींदारी को इससे जो हानि हुई, उसे पूरा करने के लिए उसकी वार्षिक टकौली में 700 रुपये घटा दिए गए।

पेंडरा जमींदारी की जलवायु शीतल है। इसे बिलासपुर जिले की पंचमढ़ी समझिए। गौरेला और पेंडरा के बीच मिस लांगड का क्षय रोगाश्रम देखने योग्य है। जमींदारी इस समय कोर्ट ऑफ वाड्र्स उसके अधीन है।

पंडरिया

रकबा 487 वर्गमील, मनुष्य सं. 63,820, जमींदार का पद ठाकुर (अब राजा) ग्राम संख्या 359।

यह जमींदारी मुंगेली तहसील में है। पहले इसका सदर मुकाम कामठी नामक गाँव में था, जो इस समय जंगल के बीच में है। वहाँ प्राचीन बस्ती के चिह्न अब भी दिखाई देते हैं। पंडरिया जमींदारी की पूर्वी सीमा पर सेतगंगा नामक गाँव है। यहाँ एक अच्छा सा मंदिर है। कहते हैं यह मंदिर कामठी के सुंदर पत्थरों से बना है। इस जिले में पंडरिया ही एक ऐसी जमींदारी है, जो हैहयवंशियों के चौरासी के रूप में कभी नहीं रही। 36 गढ़ों में इसका नाम नहीं है। कहते हैं कि पहले एक लोधी जमींदार गढ़ा-मण्डला के राजा की आधीनता में इसका उपभोग करता था, पर सन् 1546 में उसने अपने स्वामी के विरुद्ध बलवा मचा दिया। अंत में उसे शामचंद—वर्तमान पंडरिया जमींदार के पूर्वज के हाथ हार खानी पड़ी। शामचंद लांजी के राजा की अनुमति से

वहाँ का जमींदार हो गया। पंडरिया जमींदारी उस समय मुकुतपुर प्रतापगढ़ के नाम से प्रसिद्ध थी। दलसाय के, जो शामसिंह की सातवीं पीढ़ी में हुआ, दो लड़के थे। एक पृथ्वीसिंह दूसरा महाबली। महाबली को सन् 1760 ई. के लगभग कवर्धा का राज्य मिला। कहते हैं—पंडरिया जमींदारी वर्तमान जमींदारी की 14 पीढ़ी से इनके अधिकार में है। ये अपना रक्त संबंध मकड़ाई नरेश से बताते हैं। इनका वैवाहिक संबंध सारंगढ़ नरेश और फूलझर तथा कंतेली के जमींदारों से है। सहसपुर जमींदारी के अधिकारी भी पंडरिया परिवार के हैं।

हैहयवंशियों की पुरानी जमाबंदी की किताब से मालूम हाता है कि प्रतापगढ़ (पंडरिया) उनका करद-राज्य था, पर सच पूछिये तो इस जमींदारी का संबंध गढ़-मंडला से ही अधिक था। कप्तान ब्लन्ट सन् 1795 में लिखते हैं कि प्रतापगढ़ के गोंड़ और रतनपुर के मराठों से सदा लड़ाई हुआ करती है। सन् 1818 में जब नागपुर के अप्पा साहब भाग निकले और चहुँ ओर उपद्रव होने लगे, तब पंडरिया जमींदारी के भी बिगड खड़े होने के ढंग दीख पड़ते थे। बलवे के समय भी इस पर सोहागपुर के बलवाइयों के साथ संबंध रखने का संदेह किया गया था। यही कारण है कि जब करदराज्यों के हकों का फैसला हुआ, तब यह रियासत न मानकर जमींदारी मान ली गई।

पंडरिया एक अच्छी जमींदारी है। कुर्मी और क्षत्रिय यहाँ अधिक पाये जाते हैं। जमींदार श्रीरघुराजसिंह को गत वर्ष राजा की पदवी मिली है।

लाफा

रकबा 359 वर्गमील, म. संख्या 16,357, जमींदार का पद दीवान, ग्राम संख्या 86।

यह जमींदारी रतनपुर के उत्तर दिशा में फैली हुई है। लाफा का गढ़, पाली का मंदिर और तुमान के खंडहर ये इसके प्राचीन वैभव हैं। इसका प्राचीन इतिहास नहीं मिलता। जमींदार परिवार का कथन है कि हम असल क्षत्रिय हैं और हमारा आगमन 1000 वर्ष से भी अधिक हुए दिल्ली से हुआ था। सबूत के लिए ये एक ताम्रपत्र पेश करते हैं। इस ताम्रपत्र में लिखा है कि राजा पृथ्वीदेव लुंगाराव को 120 गाँव प्रदान करते हैं। ताम्र पत्र में संवत् 806 की मिती पड़ी है। इसके अनुसार लाफा जमींदारी इस घराने के अधिकार

में 1173 वर्ष से है। रायबहादुर हीरालाल साहब इस ताम्रपत्र को सच्चा नहीं मानते। मृत जमींदार का कथन था कि यह जमींदारी उसके वंश में 21 पुश्तों से चली आ रही है, जबकि उसका पिता केवल 16 पुश्तों का दावा करता था पर ये दोनों आँकड़े गलत हैं और यदि ये सच भी मान लिया जाए तो 1173 वर्ष की लंबी अवधि को 21 या 16 पुश्तों में बाँट कर अपनी बातों पर लोगों का विश्वास नहीं जमा सकते।

लाफा जमींदारी में जंगल-पहाड़ अधिक है। निवासी अधिकतर मांझी, महतो, बिंझवार और धनुहार जाति के हैं।

लाफा जमींदार से होती हुई एक सड़क रतनपुर चली गई है। इसी रास्ते से प्राचीन समय में मिरजापुर तक व्यापार होता था। इस जमींदार में लोहा बहुत मिलता है, जिससे बहुत से अघरियों की गुजर-बसर हो जाती है। यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ (जिस पर लफाका किला है) पलमा और घितोरी हैं।

कामकाज दावानिन गनेश कुंवारि देखती हैं।

❑

परिशिष्ट

बिलासपुर के प्रशस्तिकार कवि

बिहासपुर जिले में जितने शिलालेख तथा ताम्र–शासन मिले हैं, उनका विवरंण यथास्थान मिलेगा। यहाँ प्रशस्तिकार कवियों का उल्लेख संक्षेप में किया जाता है।

1. संवत् 1247 में देवांग नामक कवि ने एक शिलालेख की रचना की थी। यह लेख सम्बा नामक के गाँव में शिवमंदिर के लिये लिखा गया था। शिवमंदिर को कवि देवांग ने ही बनवाया था। चेदिराज रत्नदेव के पुत्र तृतीय पृथ्वीदेव के राजत्वकाल में यह कवि वर्तमान था।

2. कोटगढ़ से उठाकर अकलतरा लाये हुए दो शिलालेखों के कवि हैं, देवपाणि। लेखों में रतनपुर के कलचुरी राजाओं के वर्णन के साथ–साथ वैश्य–वंशीय वल्लभराज का यशोगान है। बल्लभराज ने लहड़ा और गौड़ देशों में विजय प्राप्त कर रेवन्त का मंदिर, महिषाश्व गोशाला तथा बल्लभसागर नामक सरोवर बनवाया था। ये लेख सं. 1168 (कलचुरी सं. 893) के आसपास लिखे गए थे।

3. सहस्त्रार्जुनवंशी कुमारपाल नामक कवि ने चेदि सं. 917 (विक्रम सं. 1222) में शबरीनारायण में महानदी के तट पर चंद्र चूड़ेश्वर महादेव का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर के खर्च आदि के लिए चिंचोली ग्राम को दे दिया। लेख में रतनपुर के राजाओं की वंशावली दी गई है और पृथ्वीदेव के भाई सर्वदेव तथा उनके पुत्र राजदेव पौत्र गोपालदेव, प्रपौत्र अमानदेव के पुण्य कार्यों का उल्लेख किया गया है।

कवि कुमारपाल राजवंशीय ज्ञात होते हैं और उन पर लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा का होना प्रकट होता है, क्योंकि उन्होंने मंदिर बनवाया था और उस पर गाँव भी लगा दिए थे।

4. रतनपुर के बादलमहलवाले शिलालेख के कवि त्रिभुवनपाल संस्कृत के एक अच्छे विद्वान् ज्ञात होते हैं। उनकी प्रशस्ति की भाषा बड़ी उच्च कोटि की तथा आलंकारिक है। कवि के ही शब्दों में उसकी प्रशंसा यों हैं—

घनरस भयीं गभीरां शुभ्रतरां विचार रमणीयाम्।
सरसीमिव प्रशस्तिं त्रिभुवनपालो व्यधात् विभुधः ॥

तलहारिमण्डल के नरेशों का इस प्रशस्ति में वर्णन किया गया है। तलहारिमण्डल परम रम्य प्रदेश था। यथा—

उत्फुल्लाम्बुज सौरभाति गरिमोद्र जंह्रिरेफावलि।
राम्रादेः पवनोल्लसत्कदलिका रोविद्यु भिर्भूषितम्॥
उद्यानैः कलकण्ठ कजूत भर व्याक्षब्ध पुष्पायुधैः।
अस्ति श्रीतलहारि मण्डलमिदं विश्वम्भराभूषणम्॥

इस प्रशस्ति में 45 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक यो हैं—

यावन्मण्डल मम्बरे मरगणे चण्डीश चूड़ामणिः।
चन्द्रसान्द्र कला कलाप रुचिरै यावन मृडानीपतिः॥
गङ्गसूर्य सुतादि पद्मसदनः कौमोदकी लक्षण।
स्तावत्कीर्तिरियंचकास्तु विशदा विश्वम्भरामण्डले॥

इसका रचना-काल चेदि संवत् 915 (विक्रम संवत् 1020) है।

अलखदास का एक छोटा सा लेख विक्रम सं. 1552 का, रतनपुर के महामाया के मंदिर में है।

6. बाहरेन्द्र (वहरसाय) राजा की प्रशंसा में जो लेख महामाया मंदिर में है, उसके कवि का नाम दिया नहीं गया है। प्रथम श्लोक यों हैं—

श्रीमद्रत्लपुरं पुरन्दरपुरं देवं नरं दुर्लभं।
तत्रास्ति क्षितिपालनैक नृपति श्रीवाहरेन्द्रस्वयम्॥
गतैश्चैव गजेन्द्र षष्टि गुणितं मेकं सहस्त्रं हयान्।
संग्रामे रिपुमर्दनेव विषमं वन्हेश्च तेजाधिकम्॥1॥

कवि रेवाराम का उल्लेख अन्यत्र मिलेगा।

नोट—पुस्तक छापना समाप्त होते-होते समाचार मिला है कि अड़भार और किरारी के लेखों को Government Ephigraphist पं. एच. कृष्ण शास्त्रीजी ने पढ़ लिया है और उनका पूर्ण विवरण शीघ्र ही एपिग्राफिया इंडिया में वे प्रकाशित करेंगे।

❑

छत्तीसगढ़-गौरव-ग्रंथमाला

पहला पुष्प 'जीवन ज्योति'
लेखक- पं. लोचन प्रसाद जी पांडेय
दूसरा पुष्प 'बिलासपुर वैभव
लेखक-बाबू प्यारे लाल गुप्ता
कुछ पुस्तकें और तैयार हो रही हैं।

मिलने का पता—
1. प्यारे लाल गुप्ता
बिलासपुर-सी.पी.

2. दीनानाथ अग्रवाल महाजन
कमीशन एजेंट और कोसा सिल्क मर्चेंट
बिलासपुर-सी.पी.

छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली का आवश्यक निवेदन

भाइयो,

आप कब तक सोते रहेंगे। क्या अब भी आपकी नींद न टूटेगी ? क्या तभी आपको होश होगा, जब आप बिल्कुल मूर्ख समझ लिये जाएँगे ? जरा दूसरे प्रांत वालों से अपनी दशा का मिलान करके देखिए। फिर मालूम होगा कि आप कैसे गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। न आपका जीवन अच्छा है, न पारिवारिक।

यहाँ कितने अच्छे कवि हो गए हैं, पर उनकी बात कोई नहीं जानता। उनके ग्रंथ अंधकार में पड़े हुए हैं। आपके बच्चे बिना अभ्यास के सबसे पीछे हैं। इसी प्रकार की अनेक बातें, जिनका सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह मंडली स्थापित की गई है। इसके उद्देश्य होंगे—

1. छत्तीसगढ़ के प्राचीन ग्रंथों का उद्धार।
2. छत्तीसगढ़ के वर्तमान लेखक और कवियों के ग्रंथों का प्रकाशन एवं उनका सत्कार।
3. सुभीते के अनुसार मासिक, द्वैमासिक या त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन।
4. छत्तीसगढ़ी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति द्वारा प्रोत्साहन।
5. प्राचीन देवमंदिर, स्तंभ, शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तमुद्रा एवं ऐतिहासिक स्थानों की खोज और रक्षा का प्रयत्न।

जो महाशय कम से कम 20 रुपये चंदा देंगे, वही हमारे सदस्य होंगे, आशा है, आप छपे हुए फार्म पर हस्ताक्षर करके उसे अपना चंदा सहित मंडली के मंत्री के निकट भेज देंगे।

❑

रायपुर-रश्मि

गोकुल प्रसाद

कोशल राख्यो ढांकि के, मेघ घटा चहुँओर।
रश्मि झलक से क्या नहीं, झिलमिलाएगी कोर॥

—गोकुलप्रसाद

DEDICATED TO

H.M. LAURIE. ESQUIRE I.C.S. (ret.)

Formerly Commissioner of the Chhattisgarh Division,
who is his earlier years as Deputy Commissioner
of the Raipur District won a high place in the
hearts of the people by his strenuous efforts
to save the lives of the people in the Great
Famine of 1896-97, no less than by his
true courtesy and suavity of manners.

PREFACE

In renewing my connection with the Chhattisgarh Division, brought about by my being placed in charge of almost all the Hindi-speaking districts of the province, the old memories of the Raipur District, with which I had been very closely associated in my early years of service, once again revived and it was suggested to me that I might as well put them on record in the form of a *Gazetteer* in the same way as I had done in the case of the Drug District some four years ago. I therefore jotted down notes in the interval of business, which were later on reduced to shape with the help ot my brother Rai Bahadur Hiralal, who as the originator of the Vernacular series of *District Gazetteers* has been interested in seeing the Chhattisgarh Division completed, by the addition of this volume. The English Gazetteer of the Raipur District was composed in 1909 and is thus 15 years behind the times. I have brought the information up to date and have added considerable interesting matter under history, countributed by my brother in the light of new discoveries made since the publication of the *English Gazetteer*. The *Hindi Gazetteer* is designed on a different....that of its English predecessor and brings with a quarter of the space all what is worth known for the ordinary people about their district themselves.

It is note-worthy that the Chhattisgarh country with was land-locked till very recently, the first Railway having traversed it about 35 years ago, has retained many remnants of the old culture and the Raipur District still possesses a lineal

descendant of the great Kartavirya, the original ancestor of the Haihayas, who even mentioned in the Vedas under their territorial name of Chaidyas. If it is was included in Ravana's kingdom, as some scholars have recently tried to prove, it opens up a vast field or exploration. Its account therefore cannot, I venture to think, fail to interest the learned and the ignorant alike. If the perusal of the brief sketch I have placed before the public inspires a spint of investigation, it may have to be superseded shortly and nobody would welcome it more enthusiastically than myself.

In the end I beg to acknowledge the help give to me by the District officials in supplying statistical and other information in order to the book up to down.

I am deeply indebted to Mr. H. M. Laurie, who from his retirement in England, favoured me at my request with a copy of his photo from which the frontispiece is reproduced.

JUBBULPORE,
26th January, 1925. G.P.

भूमिका

रायपुर, जो किसी समय जगमगाते हुए महाकौशल के केंद्र पर था, हैहयों की क्षीणता होते ही तिमिरावृत्त हो गया और लोगों ने इसे गुर्सी और चोंगी का देश बना डाला, जिसके धुएँ से अंधकार की घटा अधिकतर काली दिखने लगी। गुर्सी के पास लोरिक और चंदेनी अथवा मारू और ढोला के किसे रह गए, परंतु अब यह धुआँ धीरे-धीरे छिन्न-भिन्न हो चला है और घटा की कोर पर आलोक की किरण सी झलकने लगी है। उसी एक किरण का यहाँ पृथक्करण किया गया है। श्वेत किरण में सात रंग होते हैं, उन्हीं की पृथक-पृथक सप्त झलकें इस रायपुर-रश्मि में दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम रंग जिले की प्राकृतिक शोभा का आभास कराता है, द्वितीय में महाकौशल के इतिहास का महात्म्य लख पड़ेगा, तृतीय में लोगों के समूह और उनके जाति-पाँति, रीति-भाँति, धर्म-कर्म का पट दिखेगा, चतुर्थ में खेतीबारी, पंचम में व्यवसाय, छठे में वर्तमान शासन और सप्तम प्रमुख ठौरों का दर्पण है।

रायपुर जिले से लेखक का संबंध बहुत दिन तक रहा है। उसे प्राय: उसकी सभी तहसीलों में रहने का अवसर मिला है, जिससे स्थानीय विशेषताओं से परिचय हो गया। उसी को लिपिबद्ध कर यह सप्तरंगमय रश्मि पाठकों के सम्मुख रखी जाती है कि कदाचित् वह हृदय पट में पड़कर अन्य छिपी हुई किरणों को उकसाकर अधिक प्रकाश के साथ परावर्तित होकर निकल पड़े और तिमिर घटा को बिलकुल हटा दे। क्या पाठकगण इस किरण को भीतर प्रवेश करने की आज्ञा देंगे ?

जबलपुर, 26 जनवरी, 1925

गोकुलप्रसाद

विषय सूची

❑ **सातवीं झलक—दर्पणी**

अभनपुर, आमदी, आरंग

कटगी जमींदारी, कसडोल, कांदाडोंगर, कुरुद,

कुंवरा, कौड़िया जमींदारी, खरिया जमींदारी, खरोरा,

खलारी, खारून नदी, चाम्पाझर, जोग, नदी, तरेंगा, तुमगाँव, तुरतुरिया,

देवकूट, देवभोग, देवरी, जमींदारी धमतरी तहसील, धमतरी कस्बा,

नर्रा जमींदारी, नवापारा नेवरा

पैरी नदी, फिंगेश्वर जमींदारी, फुलझर जमींदारी,

बलौदाबाजार, तहसील, बलौदा बाजार गाँव, बिंद्रानवागढ़

जमींदारी, बिलाईगढ़ जमींदारी, बिसरामपुर, भटगाँव

जमींदारी, भण्डार, भाटापारा, महानदी, महासमुद्र तहसील,

महासमुद्र गाँव

राजिम, रायपुर तहसील, रायपुर शहर, रुद्री, लभानडीह,

लबन, शिवनाथ, नदी, सांकरा, सिमगा, सिरपुर, सिहाबा,

सुअरमार जमींदारी

डिप्टी कमिश्नर साहबान की सूची

नं.	नाम				समय
1.	कप्तान इलियट	1857 से आरंभ होकर			5-2-1859 तक
2.	कप्तान ल्यूसी स्मिथ	...	...	17	2 1861 तक
	कप्तान इलियट	...	...	3	11 1861 तक
	कप्तान ल्यूसी स्मिथ	...	...	30	4 1862 तक
3.	मेजर डेनीज	...	...	31	10 1863 तक
4.	कप्तान फेण्टन	...	...	31	10 1865 तक
5.	कप्तान लुगार्ड	...	...	31	1 1866 तक
	कप्तान फेण्टन	...	...	14	1 1867 तक
	कप्तान लुगार्ड	...	...	12	3 1867 तक
6.	कप्तान ट्वाईफोर्ड	...	...	21	5 1869 तक
7.	मि. चिजम	...	...	14	4 1870 तक
8.	मि. रसल	...	...	20	4 1870 तक
	कप्तान लुगार्ड	...	...	4	12 1870 तक
9.	कप्तान टैम्पल	...	...	4	1 1871 तक
	कप्तान लुगार्ड	...	...	20	2 1871 तक
10.	लैफ्टिनेंट कर्नल न्यूमार्च	...	...	17	10 1871 तक
11.	मेजर हैलट	...	...	11	12 1871 तक
	लैफ्टिनेंट कर्नल न्यूमार्च	...	...	27	4 1872 तक
12.	मि. फिशर	...	...	16	9 1873 तक
13.	मि. गुडरिज	...	...	9	11 1873 तक

14. मि. रीड	...	...	17	1877 तक
15. कर्नल प्लैडन	...	...	1	3 1877 तक
16. मि. मेकमिन	...	...	1	4 1885 तक
17. मि. इस्मे (पश्चात कुछ काल तक मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर)	...	...	12	2 1881 तक
18. कर्नल वार्ड	...	...	1	6 1882 तक
19. मि. नेडहाम	...	...	18	12 1882 तक
20. मि. ड्राइस्डेल	...	...	10	3 1883 तक
21. कर्नल स्काट	...	...	7	11 1883 तक
22. मि. मिकलजान	...	...	8	7 1884 तक
कर्नल वार्ड	...	...	22	8 1884 तक
मि. मिकलजान	...	..	4	11 1884 तक
23. मि. डफ	...	...	23	11 1884 तक
कर्नल स्काट	...	...	5	4 1886 तक
24. मि. फिलिप्स (पश्चात कुछ काल तक मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर)	...	...	1	12 1886 तक
25. कर्नल टामस	...	...	15	5 1886 तक
26. मि. वोमक	...	...	2	8 1888 तक
कर्नल टामस	...	...	16	2 1889 तक
27. मि. साण्डर्स	...	...	10	9 1889 तक
कर्नल टामस	...	...	10	4 1890 तक
कर्नल टैम्पल	...	...	10	9 1890 तक
28. मि. केरी	...	...	3	10 1890 तक
29. मि. स्किनर	...	...	10	12 1890 तक
कर्नल टैम्पल	...	...	28	7 1891 तक
30. मि. स्लाई (पश्चात् मध्यप्रदेश के प्रथम गवर्नर)	...	...	12	11 1891 तक

31.	कर्नल ब्रुक	...	...	12	4 1893 तक
32.	मि. चैपमैन	...	...	6	5 1893
33.	मि. फाक्स स्ट्रैंग्वेज	...	...	11	11 1895 तक
34.	मि. लारी	...	...	7	4 1898 तक
35.	मि. आर. वी. रसल	...	...	27	6 1898 तक
	मि. लारी	...	...	14	3 1899 तक
36.	मि. टर्नर	...	...	17	5 1899 तक
37.	मि. क्लार्क	...	...	29	5 1899 तक
38.	कप्तान मैकनाब	...	...	11	3 1902 तक
39.	मि. डीब्रेट	...	...	23	4 1901 तक
40.	मि. डेक ब्राकमैन (पश्चात् म. प्र. के जुडिशियल कमिश्नर)			1	2 1903 तक
41.	मि. नेपियर	...	...	28	2 1905 तक
42.	मि. नन	...	...	2	11 1905 तक
	मि. नेपियर	...	...	7	5 1907 तक
43.	मि. मेज	...	...	30	9 1908 तक
44.	मि. महदी हसन	...	...	2	11 1908 तक
	मि. मेज	...	...	30	9 1909 तक
45.	मि.एच. ई. हेमिंगवे	...	...	31	10 1909 तक
	मि. मेज	...	...	22	5 1910 तक
46.	मि. डायर	...	...	19	7 1910 तक
47.	मि. ली	...	...	9	12 1910 तक
48.	मि. पैण्टिन	...	...	31	12 1913 तक
49.	मि.ग्रेहम	...	...	23	9 1914 तक
50.	मि. रुस्तमजी फरिदूनजी	...	...	17	9 1916 तक
51.	मि. वाटरफाल	...	...	17	11 1916 तक
	मि. रुस्तमजी फरिदूनजी	...	...	30	10 1917 तक
	मि. टर्नर	...	...	14	5 1918 तक
52.	मि. कालिन्स	...	...	30	5 1918 तक

	...	...	19	9 1918 तक
	...	...	19	10 1918 तक
	...	...	21	10 1918 तक
मि. कालिन्स	...	...	11	11 1918 तक
मि. टर्नर	...	...	23	4 1919 तक
मि. कलिन्स	...	...	15	5 1919 तक
53. मि. राउटन	...	...	25	3 1920 तक
54. मि. वाटर्स्टन	...	...	19	10 1920 तक
55. मि. पी. हेमिंगवे	...	...	28	9 1921 तक
56. मि. चण्डूलाल त्रिवेदी	...	...	2	11 1921 तक
मि. क्लार्क	...	...	9	7 1912 तक
57. मि. कोमरी	...	...	11	4 1923 तक
58. मि. वीरेन्द्रनाथ डे	...	...	11	5 1924 तक
59. मि. अब्दुस्सुभान खाँ	...	...	11	6 1924 तक
मि. वीरेन्द्रनाथ डे	...	...		वर्तमान

पहली झलक

रूप

आकार

छत्तीसगढ़ कमिश्नरी अंतर्गत रायपुर जिला मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। उसका क्षेत्रफल 9834 वर्ग मील है। पहले इसका रकबा डेढ़ा था। केवल बीस वर्षों के उसके कुछ अंग आस-पास के जिलों में बाँट दिए गए, इस प्रकार कलेवर घटाने पर भी अब भी वह विस्तार में दो जिलों की बराबरी अकेले कर सकता है। रायपुर प्राचीन महाकौशल का मध्यस्थल था। उस समय राजधानी 37 मील ईशान को महानदी के तट पर श्रीपुर वर्तमान सिरपुर में थी। इस जिले का आकार श्री (लक्ष्मी) के सिर के समान है। इसकी चार तहसीलों में बलौदाबाजार तहसील मस्तक के बालों के स्थान पर पड़ती है। पूर्व की ओर जो वेणी निकली हुई है, वह फुलझर के फूलों से भूषित है, जिसका संबंध यथार्थ में महासमुंद्र तहसील से है। श्री के ललाट पर रायपुर तहसील और नाक और नियुक्त पर धमतरी तहसील शोभती है। मस्तक का शेष भाग महासमुद्र से बना हुआ है, सो उचित ही है, क्योंकि श्री समुद्र से ही उत्पत्ति है।

स्थिति

जिले की ठीक स्थिति 19°/57' एवं 26 53 उत्तरीय अक्षांश और 81°/15' एवं 83°/38' पूर्वीय देशांतरांश के बीचोबीच पड़ती है। उत्तर में बिलासपुर जिला, ईशान में सारंगगढ़ रियायत, पूर्व और आग्नेय में उड़ीसा का सम्बलपुर जिला और पटना और कालाहंडी की रियासतें, दक्षिण में मद्रास

की जयपुर जमींदारी, पश्चिम में कांकेर रियासत और दुर्ग जिला है। जिले की नितान्त लंबाई 150 मील और चौड़ाई 80 मील है। इस जिले में सबसे बड़ी सरिता महानदी है। उसने दक्षिण से उत्तर को बहकर ऐसे दो विभाग कर दिए हैं, जिनमें स्वाभाविक विभिन्नता दीख पड़ती है। पश्चिमी विभाग में मैदान और पूर्वी में जंगल की अधिकता दिखती है। मैदान की अपेक्षा जंगल का विस्तार अधिक है। जंगली भाग में कोई 11 जमींनदारियाँ हैं, जिनका क्षेत्रफल प्राय: 5 हजार वर्गमील बैठता है। सरकारी जंगल भी उसी ओर को है। सब से ऊँचा भाग खरियार और बिंद्रानवागढ़ जमींदारियों में पड़ता है, उसे गौरागढ़ कहते हैं। यहाँ गौर अर्थात् जंगली वृषभ बहुत पाए जाते हैं। कदाचित् इसी कारण से इस स्थान का नाम गौरागढ़ पड़ गया हो। वह समुद्र जल की सतह से दो से तीन हजार फुट ऊँचा है। सब से ऊँची चोटी कटपार है, जिसकी ऊँचाई 3235 फुट है। अन्य ऊँची चोटियाँ ये हैं—वनडारी, बिरवुसी, देवडोगरी और छारपानी। मैदान की ऊंचाई बहुधा 1000 फुट है। राय पुर शहर की भी ठीक इतनी ही ऊँचाई है।

नदियाँ

जिले भर में मुख्य नदी एक ही है अर्थात् महानदी। शेष उसकी सहायक नदिया हैं। महानदी सिहान के जंगल से निकलकर धमतरी राजिम और सिरपुर से होती हुई बलौदा बाजार तहसील में प्रवेश कर कुछ दूर बिलासपुर जिले की सीमा बनाती हुई सारंग गढ़ रजवाड़े में घुस गई है। उसकी मुख्य सहायक नदी शिवनाथ है, जो इस जिले के भीतर अब किसी भाग में नहीं बहतीं, केवल सीमा बनाती हुई मानो श्री की माँग भरती हुई निकल गई है। शिवनाथ की सहायक नदी खारून जी दुर्ग जिले की संजारी तहसील से निकली है, रायपुर तहसील में होकर बही है। रायपुर तहसील के मध्य में कुल्हान है, जो मध्य भाग के पानी को समेट कर खारून में डालती है। राजिम के पास पैरी नदी का महानदी से संगम हुआ है। पैरी बिन्द्रानवागढ़ से निकली है। इसकी सहायक नदी सोंढल है। राजिम के पास पैरी का पाट महानदी से बड़ा नहीं तो कम नहीं है। पैरी और शिवनाथ ही के मिलने से महानदी का नाम सार्थक होता है। जोग नदी खरियार से निकली है और सोनाखान और कटगी जमींदारियों

से बहकर बिलासपुर के शिवरीनारायण के पास महानदी में मिल गई है। तेल नदी बिन्द्रानवागढ़ और जयपुर जमींदारियों के बीच की सीमा बनाती हुई अंत में वह भी महानदी में मिल गई है। तेल की सहायक नदी उदेत या उदन्ती है, जो बिन्द्रानवागढ़ से निकली है। केसुआ करार और नैनी अन्य छोटे-बड़े नदी-नाले हैं जो इस जिले के भीतर महानदी में मिल गए हैं।

बूड़ा

महानदी सूखे दिनों में प्रायः सूखी सी रहती है। उसकी धारा बहुत पतली पड़ जाती है, परंतु वर्षा में भयंकर रूप धारती करती है। उसका इतना बड़ा प्रवाह चलता है कि उसके विस्तीर्ण पाटों के भीतर नहीं समाता और कभी-कभी तो प्रलय उपस्थित कर देता है। इसी कारण बिलासपुर की शिवरी नारायण तहसील का सदर मुकाम उसके किनारे से उठा जांजगीर को ले जाना पड़ा। जिस पूर के कारण यह प्रसंग उपस्थित हुआ, उसका वर्णन शिवरी नारायण के तत्कालीन तहसीलदार श्रीयुत ठाकुर मोहनसिंह ने अपनी प्रलय नाम की कविता में किया है। यह वूड़ा ता. 21 जून, 1885 को आया था और तीन दिन तक रहा। कविवर लिखते हैं—

सारछन्द

प्रबल प्रलय के मेघ तीन दिन बरसे बूंद अटूटे।
छहर मुसल की धारि बारि की जलद न तनिकौ फूटै॥
गरज-गरज बारिद नभ छाये छुए लेत छिति मानौ।
चपला चमक कृपान चारु लै लपकि डरावति जानौ॥
रंचु-रंचु बढ़ि सरिता पानी दिन द्वै खेल जनायो।
पुनि तीजे दिन प्रातः जोर निज तुरतै सबन दिखायो॥
फूटि कनासी जब धारा चलि पंथ सलिल मय कीन्हों
सम्बलपुर मग रोकि तुरत निज जोर सबल करिचीन्हों
भूपर कूप जगत के ऊपर हाथ द्वै जल आयो।
टोरि फोरि दीवार मध्य गृह फाटक को खटकायो॥
पुनि तहसील बीच जहं बैठत न्यायाधीश अधीशा।
कोष कूप पर भूप रूप लौं तहं पैठ्यौ जलधीशा॥

कुंडलियाँ

पुरबासी व्याकुल भये तजी प्रान की आस।
त्राहि-त्राहि चहु मचि रह्यो छिन-छिन जल की त्रास॥
छिन-छिन जल की त्रास, आस नहिं प्रानन केरी।
काल कवल जल हाल देखि बिसरी सुधि हेरी॥
तजि-तजि निज-निज गेह देह लैं मठहिं निरासी।
धाए भोगहा और कोऊ आरत पुरवासी॥

सोरठा

कियो जौन जल हाल, दिन द्वै में को लेखई।
मानहु प्रलय सुकाल, आयो निज मरजाद तजि॥

चौ.

द्वै दिन रात बूंद नहिं टूटें। जलद पटल नभ ते नहिं फूटे।
वारिद बार-बार बरपावैं। वारि बीजुरी मोर नचावैं॥

सारछंद

दिन तीजे दस बजे रात सौं घट्यो सजिल क्रम-क्रम सों।
भयो प्रात लो थिर संसारा छूटे सब जिय भ्रम सों॥

दोहा

अस न भयो आगे कबहुँ, भाखैं बूढ़े लोग।
जैसो वारिद वारि भर, ग्राम दियो कर सोग॥

इसके पूर्व भी बड़े 2 बूड़े आए थे, एक 90 वर्ष पूर्व कुंवार में आया था, जिसे लोग बैहा पूरा कहते हैं। उससे मीलों तक के गाँव बह गए थे। यह मंदिर महानदी और पैरी के बीच संगम में एक बड़े भारी चबूतरे पर बना है। चबूतरे पर एक बड़ा झाड़ है। मामूली पूरों में चबूतरा नहीं डूबता, परंतु जब बैहा पूरा आया, तब चबूतरा क्या मंदिर भी डूब गया। वहाँ पर एक साधु रहता था, वह पेड़ पर चढ़ गया और तीन रात-दिन उसी दशा में रहा आया। भाग्य रहा कि उसके प्राण बच गये।

जलवायु

वर्षा 43 और 49 इंच के भीतर हुआ करती है, जो खेती के लिए पर्याप्त है। एक बार सन् 1884–85 ई. में 91 इंच पानी बरसा था। लोग बहुधा तालाबों का पानी पीते हैं, जो हानिकारक होता है, क्योंकि उसी में लोग नहाते धोते और ढोरों को हिलोर देते हैं। गरमी अधिक होती है, उष्ण मापक यंत्र का पारा कभी–कभी 115 अंश तक चढ़ जाता है। बुखार और हैजा बहुत हुआ करता है, परंतु पहले की अपेक्षा अब कम होता है।

❑

दूसरी झलक

इतिहास

राम

रायपुर जिला प्राचीन महाकौशल या दक्षिण कौशल के ठीक बीचो बीच पड़ता है। महाकौशल का विस्तार बरार से लेकर कटक तथा दक्षिण कौशल का नाम कब धराया गया, इसका कहीं पता नहीं लगता। यदि वह अवध प्रांतीय उत्तर कौशल का सम सामयिक है, तो निदान राम के समय से इसका संबंध जोड़ा जा सकता है, परंतु रामायण में यह नाम नहीं मिलता, यद्यपि राम इस ओर बहुत दिनों तक विचरते रहे। उस समय यहाँ सघन जंगल था, जो दण्डकारण्य के नाम से प्रख्यात था। राम के समय में यहां जंगली जातियों का आधिपत्य जान पड़ता है। आर्यों की बस्ती कम थी। आर्यों के भेजे हुए ऋषि-मुनियों ने यहाँ-वहाँ आश्रम जमा लिये थे, जिसको मूल निवासी कदाचित् मदखिलत् बेजा समझते थे, इसलिए उन्हें त्रास देते थे और मार भी डालते थे।

राम को तो ऋषि-मुनियों की हड्डियों के अटंगर बतलाए गए थे, ताकि आर्य राम आर्यों की रक्षा का अनुसंधान करें। यदि सरदार कीवे की कल्पना सत्य निकल आये कि रावण की लंका अमरकण्टक में थी, तो रायपुर में रावण के राज्य करने का संशय ही नही रह जाता और इस जिले के गोंड़ों का अपने को रावणवंशी बतलाना बिल्कुल उपयुक्त सिद्ध हो जाता है। बड़ी विचित्र बात तो यह दिखती है कि गोंड़ों के महाप्रतापी राजा संग्रामशाह के सुवर्ण सिक्कों में उसके नाम के साथ 'पुलस्त्यवंश' लिखा मिलता है। संग्राम शाह खीष्टीय सोलहवीं शताब्दी में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि पुलस्त्य

या पोलत्य (रावण) से संबंध की समृति अब तक नहीं मिटी थी। स्मरण रहे कि संग्रामशाह उत्तरीय जिला के गढ़ा मंडला का राजा था, जहाँ पर गोड़ों के रावण से संबंध होने की आख्यायिका तक नहीं हैं। यह प्रकरण विचारणीय है।

अशोक

अति प्राचीनकाल में जो कुछ जैसा रहा हो, उसके निश्चय करने के लिए सामग्री नहीं है। इसलिए ये इतिहासकार के राम के समय से इकदम फलांग मार कर महाराजा अशोक के समय में उतरना पड़ता है। उस समय यह प्रांत कदाचित् कलिंगान्तर्गत था। अशोक ने सन् ईस्वी के 261 वर्ष पूर्व कलिंग पर चढ़ाई की थी। कलिंग की सेना में 60 हजार पैदल सिपाही, 1 हजार अश्वारोही और 700 रणमतंग थे। उस पर आकमण करना अशोक के लिए भी कुछ ऐसा-वैसा काम नहीं था। कलिंग निवासी बड़े रण बाँकुरे थे। यद्यपि अंत में जय मिली तथापि युद्ध का परिणाम ऐसा हुआ कि अशोक को शोक पूर्ण कर दिया। एक लाख योद्धा खेत आये और डेढ़ लाख बंदी किये गए। इनसे भी अधिक संख्या युद्ध के परिणामस्वरूप अकाल रहेगा और अन्य विपत्तियों से पञ्चत्व की प्राप्त हुई। इस दु:खमय प्रकरण का विचार करने से अशोक का हृदय टूक-टूक हो गया और उसने प्रण कर लिया कि अब मैं कभी किसी से युद्ध न ठानूँगा। इस हिंसा ने उसके मन में ऐसी विरक्ति उत्पन्न की कि उसने अपना सनातनी धर्म का परित्याग कर अहिंसा परमो धर्म की शरण ली और बौद्ध हो गया। इस युद्ध में इसका अनुमान करना अब असंभव है, परंतु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि संख्या अधिक नहीं तो हजारों में अवश्य रही होगी।

खारवेल

अशोक की मृत्यु के पश्चात् कलिंग शीघ्र ही स्वतंत्र हो गया और एक अन्य अहिंसावादी धर्मानुयायी के हाथ जा पड़ा। यह राजा खारवेल था, जो जैन धर्म पालन करता था। इसने आंध्र देश के राजाओं पर चढ़ाई की थी और कन्हान और बैनगंगा के पूरे मूषिक देश तक को अपने अधीन कर लिया था। तब तो रायपुर जिला उसके शासन में अवश्य रहा होगा। खारवेल कलिंग की

गद्दी पर सन् ईस्वी से 219 वर्ष पूर्व विराजमान था। यह बड़ा प्रतापी राजा था। विद्वन्मन्डलीमण्डन सर आशुतोष मुकर्जी ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व 15 मार्च सन् 1923 को पटना में व्याख्यान देते हुए कहा था कि खीष्टीय सन् के पूर्व की दूसरी शताब्दी में भारतवर्ष में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था, जो खारवेल की विशाल सेना को देखकर या उसका नाम सुन कर काँप न उठता रहा हो। जान पड़ता है कि स्थानीय शासन के लिए खारबेल ने अपने वंशज रायपुर को भेज दिए थे, जो प्राय: सात सौ वर्ष तक यहाँ राज्य करते रहे। उड़ीसा के उदयगिरि के शिलालेख में खारवेल के लिए हुए कामों का उल्लेख है उसमे उसे 'राजर्षि वंशकुल' में उत्पन्न बतलाया है। आरंग में जो महाराज भीमसेन का ताम्रपट मिला है, उसमें उसकी उत्पत्ति राजर्षि तुल्यकुल से बतलाई गई है। उदय गिरि का लेख ईस्वी सन् से 160 वर्ष पूर्व खोदा गया था। आरंग के ताम्रपट की तिथि सन् 601 ईस्वी है। यद्यपि भीमसेन हिंदू धर्मावलंबी जान पड़ता है, तथापि उसके खारवेल के वंशज होने में बाधा नहीं पड़ती। महाकौशल में कई क्षत्रिय राजा हो गए हैं, जो बौद्ध धर्म का पालन करते रहे और उनके वंशज हिंदू धर्म का पालन करने लगे।

समुद्र गुप्त

खारवेल या उसके वंशजों का अधिकार कब उठ गया और कलिंग और महाकौशल कब अलग-अलग हो गए, इसका अभी तक पता नहीं लगा, परंतु यह निश्चय है कि खीष्टीय चतुर्थ शताब्दी में पटना के महाराजा समुद्रगुप्त ने महाकौशल को अपने अधीन कर लिया, यद्यपि उसने पुराने राजाओं को निकाला नहीं। यही कारण है कि भीमसेन के पुरखे आरंग की गद्दी पर स्थिर रहे आये। आरंग के लेख में भीमसेन के पाँच पुरखों के नाम आते हैं अर्थात् उसका पिता दयित वर्मा द्वितीय, उसका पिता भीमसेन प्रथम, उसका पिता भीमसेन प्रथम, उसका पिता विभीषण, तिसका पिता दयित प्रथम, उसका पिता शूर। इस वंशावली से शूर का समय सन् 450 ईस्वी के लगभग पड़ेगा। समुद्रगुप्त ने महाकौशल की चढ़ाई 350 ई. के लगभग की थी। उस समय महाकौशल का राजा महेंद्र था। संभव है महेंद्र का वंशज शूर रहा हो। जो कुछ हो, आरंगवाले राजा पाटिलपुत्र (पटना) के राजाओं के अधीन थे। यह

एक इसी बात से स्पष्ट है कि आरंग के लेख में गुप्त संवत् का उपयोग किया गया है। यदि वे उनके अधीन न होते तो कदाचित् कलचुरि या अन्य संवत् का उपयोग करते।

बौद्ध राजा

जान पड़ता है कि सप्तम शताब्दी में महाकौशल में एक ही राजा नहीं था। भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न राजा थे, परंतु मूल राजधानी भद्रपतन या भद्रावती, वर्तमान भादक में थी। यह स्थान चांदा जिले में है। उस जमाने में यह स्थान बहुत प्रख्यात था। चीनी यात्री युवान च्वांग ने सन् 639 ईस्वी में लिखा है कि यहाँ का राजा क्षत्रिय है, परंतु बौद्ध धर्म पालता है। उसने यह भी लिखा है कि यहाँ पर दल सहस्त्र बौद्ध पुजारी हैं, जिससे मान्दक की उन्नति और गौरव का सरलता से अनुमान किया जा सकता है। युवान च्वांग के लेख से जान पड़ता है कि मोदक का राजा समस्त महाकौशल का अधिकारी था, तब तो रायपुर जिला पुनः बौद्ध राज्यान्तर्गत हो गया रहा होगा। चाहे वहाँ स्थानीय छोटे-मोटे राजा अन्य रहे हों। सिरपुर, तुरतुरिया आदि स्थानों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ अब भी विद्यमान हैं। तुरतुरिया में तो बौद्ध भिक्खुनिया का विहार या मठ था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार वहाँ पर पूजा स्त्रियों ही के द्वारा कराई जाती है। यद्यपि अब लौग बौद्धधर्म का नाम तक नहीं जानते।

सिरपुर

बौद्धों का लोप कब हुआ, इसका कहीं पूरा प्रमाण नहीं मिलता, परंतु जान पड़ता है कि जब तक भादक का राजवंश भादक को राजधानी बनाए रहा, तब तक बौद्धधर्म की मान्यता करता रहा, यद्यपि उसने राजा उदयन के समय में शैव धर्म का ग्रहण कर लिया और थोड़े ही दिनों के अनन्तर राजधानी पलट दी और इस जिले के श्रीपुर वर्तमान सिरपुर को श्रेय दिया। उदयन अपने को पाण्डुवंश का बतलाता है। उसका पंती महाशिव तीवर देव था, जिसके ताम्रपत्र राजिम और बलौदा में मिले हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने उसका समय अष्टम शताब्दी निश्चित किया है। इस वंश में राज्याभिषेक होने पर दो ही नाम चलते थे अर्थात् महाशिव गुप्त और महाभव गुप्त। तीवर देव का

गद्दी नाम महाशिव गुप्त था। इसके पश्चात् उसका भतीजा हर्षगुप्त सिंहासन पर बैठा, तब उसका नाम महाभव गुप्त हुआ। उसके बाद उसका लड़का महाशिव गुप्त बालार्जुन हुआ। इस समय तक इस सोमवंशी पाण्डववंश का प्रताप बढ़ता गया और महाकौशल में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि होती गई। ताम्रशासन की भाषा ही से जान पड़ता है कि इन राजाओं की सभाओं में अत्यंत सुशिक्षित और धुरंधर पंडित रहा करते थे। राज्य शासन की प्रणली भी अच्छी थी, परंतु जो चढ़ता है, सो गिरता है। एक दिन वह आया कि सोमवंशियों को यथा नाम तथा गुणवाली राजधानी श्रीपुर को छोड़ कर विनीत हो विनीत पुर का आश्रय लेना पड़ा। शरभपुरवंशीय उनके स्थानापन्न हुए। इस वंश के दो ही राजाओं के नाम ज्ञात हैं अर्थात् महासुदेव राज और महाजयराज। इनके ताम्रशासनों में जो रायपुर, आरंग, खरियार और सारंगगढ़ में मिले हैं, वंशावली नहीं दी गई, न कोई विशेष विरुद्ध पाया जाता, जिससे उनकी ठीक स्थिति का पता लग जाता। उन्होंने जो ग्राम प्रदान किए हैं, वे रायपुर और बिलासपुर जिलों के बीचोबीच पड़ते हैं। ये शासन शरभपुर में लिखे गए थे। डॉक्टर स्टेन कुनफ के मतानुसार यह स्थान गोदावरी जिले में शरभवरम नाम से प्रसिद्ध हैं। यदि यह ठीक है तो ये लोग कोई तिलंगे राजा थे, जिन्होंने सिरपुर के सोमवंशियों को अपनी राजधानी से भगा दिए। तब सोमवंशी सोनपुर रियासत में जा बसे। इनका भाग्य एक बार फिर चमका और वे त्रिकलिंगाधिपति अर्थात् तिलंगाने के अधीश्वर हो गए और कदाचित् शरभपुरियों के वंश का अध:पतन कर दिया, परंतु हाथ से निकला रायपुर की ओर का प्रांत उनके अधिकार में फिर कभी नहीं आया, केवल उड़ीसा और तिलंगाने में उनकी वृद्धि होती रही।

हैहय

शरभपुरीय महाकौशल में बहुत दिन नहीं ठहर पाए। उत्तर की ओर से हैहयों ने महाकौशल पर आक्रमण करना आरंभ किया और क्रमशः अनेक मण्डल अपने अधिकार में कर चले, यहाँ तक कि समस्त महाकौशल ही नहीं वरन् उसके आस-पास के डेश उनके अधिकार में आ गए। ये हैहेय जबलपुर निकटस्थ त्रिपुरी (वर्तमान तेवर) की कलचुरि शाखा के थे। त्रिपुरी के एक

राजा कोकल्लदेव के अठारह पुत्र थे। ज्येष्ठ को त्रिपुरी की गद्दी मिली, शेष को एक 2 मण्डल दिया गया और प्रत्येक त्रिपुरी का माण्डलिक बना दिया गया। इनमें से एक बिलासपुर जिले के तुमान खोल का मांडलिक हुआ परंतु जान पड़ता है कि जंगली कँवरों ने उसके वंशजों को निकाल दिया, तब त्रिपुरी वंश का राजपुत्र कलिंगराज भेजा गया। उसने अपने बाहुबल से सब को हटाकर तुम्माण (तुमान)में राजधानी स्थापित की और उसके गौरव को बढ़ाया। उसके पश्चात् उसका लड़का कमलराज तुम्माण की गद्दी पर बैठा। इसने कोई विशेष बात नहीं की, परंतु इसके लड़के रत्नराज ने 45 मील आगे बढ़कर रत्नपुर बसाया और उसे राजधानी नियुक्त की। इसका लड़का पृथ्वीदेव और उसका जाजल्लदेव हुआ। पिछले राजा का समय बारहवीं शताब्दी के आदि में पड़ता है। इस राजा ने गोदावरी के उस पार तक का इलाका जीत लिया।

रायपुरी शाखा

मूल घराना त्रिपुरी की प्रथानुसार रतनपुर के राजा भी अपने वंशाद्भवों* को जागीरदार या माण्डलिक बनाने और दूरस्थ प्रांतों का शासन उनके स्वाधीन करने लगे। इस प्रकार तुम्माण की एक डाल खलारी में जमाई गई। खलारी

---

* किंवदंती है कि कलचुरियों ने अपने वंशज भण्डारी को सोरर की ओर राज दे दिया था। सोरर पहले धमतरी तहसील में था। अब वह दुर्ग जिले में शामिल कर दिया गया है। ये भण्डारी राजप्रसाद में कल्य अर्थात् कलेऊ (प्रातः भोजन) बनाकर दिया करते थे, इसलिए कल्पपाल कहलाते थे। ये प्रचण्ड सैनिक निकले। इसीलिए इनका दल प्राचीन दण्डनायक पाशिक के समान दण्ड सेना कहलाने लगा। अब कल्यपाल का अपभ्रंश कलवार या कलार और दण्ड सेना का डंड सेना हो गया है। डंड सेना कलार धमतरी की ओर बहुत है। ये लोग सोरर के कल्यपाल क्षत्रियों की दण्डसेना के वंशज हैं। पटना के संस्कृतज्ञ विद्वानों ने (महा महोपाध्याय पं. हरिहर कुपालु द्विवेदी विद्या वारिधि, महा महोपाध्याय पं. रघुनन्दन त्रिपाठी विद्यासागर, साहित्याचार्य पं. रामावतार शर्मा पाण्डेय एम. ए. शास्त्री, अनन्तप्रसाद विद्याभूषण एम. ए. पी. एच. डी. और काव्यतीर्थ पं. देवदत्त त्रिपाठी) हाल ही में अर्थात् भाद्र शु. 5 सं. 1981 को जो व्यवस्था पत्र दिया है, उसमें आदि ही में उन्होंने लिखा है, "जन्मना शैष्डिक कल्यपाला हैहय राजवंशोद्भवा इति मत्स्याग्नि पुराण वचन प्रामाण्यात् सुस्थितम्। राज्यं च तेषां विन्ध्यपृष्ठेषु वीतिहोत्र मेकलादि जन पद सान्निध्ये निर्द्धारितं महाभारत मत्स्यपुराण गणरत्न महोदधि प्रभृर्ग्रन्थैः अर्थात् शौण्डिक कल्यपाल जन्म से हैहय नाम राजवंश से उत्पन्न हुए हैं, यह बात मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण

और अन्यत्र के शिलालेखों से जान पड़ता है कि चौदहवीं शताब्दी के मध्य में रतनपुर से लक्ष्मीदेव नामक प्रतिनिधि भेजा गया। उसका लड़का सिंहण हुआ, जिसने शत्रु के 18 गढ़ जीत लिये। जान पड़ता है कि सिंह रतनपुर के राजा से बिगड़ उठा और स्वतंत्र होकर उसने अपनी राजधानी वर्तमान रायपुर नगर में स्थापित की। राजधानी नियुक्त होने से ही उसका नाम रायपुर (राजा का नगर) रखा गया। उसका लड़का रामचंद्र और उसका ब्रह्मदेव हुआ। खलारी और रायपुर के शिलालेख ब्रह्मदेव के समय के हैं। उनकी तिथि 1402 और 1414 ई. से पड़ती है, परंतु रायपुरी शाखा की जो नामावली पायी जाती है, उसमें न ब्रह्मदेव का नाम, न उसके पुरखों का मिलता है। और न रतनपुरी सूची ही मैं उसका नाम पाया जाता है। तथापि उन दोनों सूचियों में जो पिछली दो-चार पीढ़ियों के नाम हैं, वे ऐतिहासिक हैं और मुसलमानी तवारीखों में भी पाए जाते हैं। इसलिए जब तक अधिकतर प्रामाणिक नामावलियाँ प्राप्त नहीं हुईं, तब तक वर्तमान वंशावली का संशोधन नहीं किया जा सकता। रायपुर की वंशावली केशवदेव से आरम्भ होती है, जिसका समय 1418 ईस्वी लिखा पाया जाता है, परंतु 1402 और 1414 के बीच में ब्रह्मदेव का राज था। यदि केशवदेव का समय 1420 मान लिया जाए तो अलबत्ता कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। वह सूची इस प्रकार की है।

के वचनों से निश्चित हो चुकी है और इन लोगों का राज्य विन्ध्य पर्वत के पीछे वीति होना और मेकलादि जनपदों (देशों) से मिला हुआ था और कि महाभारत, मत्स्य पुराण और गणरन्त महोदधि आदि ग्रंथों से सिद्ध होता है। उन्होंने कल्यपाल का आदि अर्थ भोजन पाल बतलाते हुए क्षेमेन्द्रकृत लोक प्रकाश का प्रमाण दिया है, जिसमें लिखा है कि राजकुल में सांयात्रिक कल्यपाल राज कार्य के अधिकारी भण्डार की व्यवस्था करने वाले थे। जब क्षत्रियों में व्यसन बढ़ने लगे, उस समय मदिरा का विशेष प्रचार बढ़ा, यहाँ तक कि क्षत्राणियाँ भी उसका उपयोग करने लगीं, जैसा कि बिल्हण के विक्रमांक देवचरित से प्रकट होता है। तब तो प्यालों के सामने कलेऊ देनेवाले का कलेऊ अलग धरा रह जाता होगा। कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। जिस ओर राजा की रुचि हुई, उसी ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री एम.ए. सी. आई.ई. का भी यही मत है और उनका कथन है कि मदिरा की विशेष वृद्धि मुसलमानी राज्य में हुई। नफे के लोभ ने किसी 1 को मदिरा बनाने के व्यवसाय में फँसा दिया। जो कुछ हुआ हो, पटना की विद्वन्मंडली ने सुदृढ़ प्रमाणों द्वारा समर्थन करते हुए जो मत स्थित किया है, वह अकाट्य है।

केशवदेव	1420 ई.के.	लगभग
भुवनेश्वरदेव	1438	लगभग
मानसिंहदेव	1463	लगभग
संतोषसिंहदेव	1478	लगभग
सूरतसिंह देव	1498	लगभग
सं.............	1518	लगभग
चामुंडासिंह देव	1528	लगभग
वंशीसिंह देव	1563	लगभग
धनसिंह देव	1582	लगभग
जैतसिंह देव	1603	लगभग
फलेसिंह देव	1615	लगभग
याददेव	1633	लगभग
सोमदत्त देव	1650	लगभग
बलदेवसिंह देव	1662	लगभग
उम्मेदसिह देव	1685	लगभग
बनवीर सिंह देव	1705	लगभग
अमरसिंह देव	1741 ई.	

अमरसिंहदेव हैहय अथवा कलचुरियों का अंतिम राजा था, जिसको भोंसलों ने निकाल बाहर किया। अमरसिंह का दिया हुआ ताम्रपत्र आरंग के एक लोधी के पास है, जिसमें संवत् 1792 अर्थात् सन् 1735 ई. की तिथि अंकित है। मरहठों ने सन् 1740 ई. में रतनपुर पर चढ़ाई की और रघुवंश सिंह से राज्य छीन लिया। फिर सन् 1745 ई. में उसी वंश के मोहनसिंह को उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। पश्चात् 1758 में उसे निकाल दिया। अमरसिंह से मरहठे पहले नहीं बोले, परंतु सन् 1750 ई. में उसे थोड़ी सी जागीर देकर धीरे से अलग कर दिया। सन् 1753 ई. में वह मर गया, तब उस के लड़के शिवराजसिंह से वह जागीर भी छीन ली। इस प्रकार ''जड़ सूखी शाखा पुनः सूखे पत्ते अन्त। डेढ़ सहस्त्राब्दिक तरुहि बिलम न लग्यो झड़ंत॥

जान पड़ता है कि हैहयों के आगमन के पूर्व इस ओर जो शासन प्रणाली प्रचलित थी, वहीं उन्होंने स्थिर शासन पद्धति रखी और अधिक बदल-बदल नहीं की।

आदि में स्वभावत: विस्तार बढ़ाने का नशा चढ़ा रहता है। प्राचीन राजाओं को दिग्विजय का बड़ा शौक रहता था। हैहय इससे मुक्त नहीं थे। वे भी चारों ओर धावा करते रहे और जहाँ अवसर मिला, अन्य राजाओं को हरा कर अपने अधीन कर लिया, परंतु उन्हें अपने स्थान पर स्थिर रखा। राज्य की क्षमता के अनुसार उन्होंने कर स्थिर कर दिया, परंतु राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार जाजल्लदेव के समय में दूर-दूर के राजा उसके अधीन हो गए थे। सन् 1114 के एक शिलालेख से जान पड़ता है कि गोदावरी के उस पार खिमड़ी (वर्तमान किमिड़ी) का राजा भी इनको कर देता था। इसी प्रकार वैरागढ़, लाजी, भंडारा, तलहारी, दंडकपुर, नन्दावती, कुकुट और दक्षिण कौशल के अनेक मंडल कर दिया करते थे। जान पड़ता है रायपुर जिले के मध्य भाग्य में एक विशेष मंडल का नाम दक्षिण कौशल था, जो हैहयों का करद था। इसको दक्षिण कौशल देश से भिन्न समझना चाहिए, जैसे जबलपुर जिला कुछ कम 4000 वर्ग मील विस्तीर्ण हैं, परंतु वह जबलपुर डिवीजन का पाँचवाँ हिस्सा है, इसी प्रकार दक्षिण कौशल देश और दक्षिण कौशल मण्डल में भेद रहा होगा।

हैहयों के अन्य माण्डलिक, सबका सिहवा, काकरय, भ्रमरबद, कान्तार, कुसुमभोग और कांदाडोंगर रहते थे। इनमें से किसी-किसी मंडल के भाग वर्तमान रायपुर जिले में शामिल हैं, जैसे मचका सिहवा, जिसका वर्तमान नाम मेचका सिहावा है। धमतरी पहले कांकेर में शामिल थी, जिसका प्राचीन नाम काकरय था। कांदाडोंगर, बिंद्रानवागढ़ जमींदारी है। और मण्डलों का अभी तक पता नहीं लगा। प्राचीन मण्डल पीछे से गढ़ कहलाने लगे। प्रत्येक गढ़ में प्राय: 84 गाँव रहने के कारण कभी-कभी उनको चौरासी कहते थे। चौरासियों के भीतर बहुधा बारह-बारह गाँव का जुट्ट रहता था। उनको बारहों या तालुका कहते थे। प्राचीन काल में मंडल का अधिकारी मांडलिक कहलाता था, परंतु छत्तीसगढ़ में उसे मंडल ही कहने का प्रचार हो गया था। अब भी किसी को

शिष्टतापूर्वक सम्मान दिखलाना हो तो उस व्यक्ति का मंडल शब्द कह कर आदर किया जाता है। पीछे से मण्डलों के अधिकारियों की पदवी ठाकुर या दीवान रख दी गई है। तालुकों के अधिकारी पट्टकिल या पटेल कहलाते थे। वे पीछे से बरौनिया वरहिया दाऊ या तालुकेदार कहलाने लगे। यह ध्यान में रखने योग्य है कि प्रत्येक चौरासी में 84 ही गाँव नहीं होते थे, किसी में कम किसी में अधिक रहते थे। इसी प्रकार बारहों में बारह प्रसंगानुसार, न्यूनाधिक गाँव रहते थे। कभी-कभी गाँव दो-चार पट्टियों में बंट जाते थे, परंतु हर एक पट्टेदार गौंटिया बना रहता था, इसके विपरीत किसी-किसी गौंटियाँ के कई गाँव रहते थे। राजा, ठाकुर, दाऊ इत्यादि उतनी ही भूमि पास रखते थे, जितनी उनके विस्तार के लिए आवश्यक होती थी। राजाओं के मांडलिक नियमित कर तो दिया ही करते थे, परंतु जब कभी किसी से लड़ाई छिड़ जाती तो उन्हें सेना द्वारा और डीलन सहायता देनी पड़ती थी। इसी प्रकार जब कभी विशेष कार्य का प्रसंग आ पड़ता तो उसके लिए भी सहायता देने के लिए बाध्य रहते थे, यथा राजकुल में यदि कोई विवाह या उत्सव हुआ तो ठाकुरों का कर्तव्य था कि वे यथोचित सहायता दें।

छत्तीसगढ़

मुसलमानी जमाने में मंडलों के नाम का बिल्कुल लोप हो गया और गढ़ शब्द का विशेष प्रचार हुआ। कहते हैं कि महाकौशल में किसी समय 36 गढ़* होने के कारण तमाम छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। जैसे बंगाल में एक जिला चौबीस परगना के नाम से प्रख्यात हो गया है। हैहयों के समय में गढ़ बढ़कर 42 हो गए थे, तब भी प्रांत का नाम छत्तीसगढ़ ही बना रहा। रायपुर शाखा के अधिकार में आध अर्थात् 18 गढ़ थे, जिनके नाम ये हैं—

---

*रायबहादुर हीरालाल शंका करते हैं और कहते हैं कि कदाचित् छत्तीसगढ़ चेदीशगढ़ का अपभ्रंश न हो। रतनपुर के राजा चेदीश कहलाते थे, जैसा कि किसी-किसी ताम्रपात्र में लिखा पाया जाता है, यथा अभी बिलासपुर जिले के अमोदा ग्राम में एक ताम्रपत्र मिला है, जिसके अंत में चेदीसस्य सं. 831 अंकित है, यह रत्नपुर के राजा प्रथम पृथ्वी देव का दान पत्र है। जब सन् 1076 ई. में इन राजाओं का चलाया संवत् चेदीस संवत् कहलाता था तो कालान्तर में उनके दुर्ग या गढ़ों को चेदीसगढ़ कहना संगत नहीं जान पड़ता। धीरे-धीरे कुछ काल में उसका छत्तीसगढ़ धारण करना कोई असाधारण बात नहीं जान पड़ती।

1. रायपुर, 2. पाटन, 3 सिमगा, 4. सिंगारपुर, 5. लवन, 6. अमीरा, 7. दुरुग, 8. सरधा, 9. सिरसा, 10. मोहदी, 11. खलारी, 12. सिरपुर, 13. फिंगेश्वर, 14. राजिम, 15. सिंगनगढ़, 16. सुवरमार प्राचीन गढ़ों की सीमाएँ बदल गई हैं और किसी किसी स्थान में जमींदारियां बन गई है। जिनका इस जिले में विशेष बाहुल्य है।

भोंसले

मरहठों ने सन् 1741 ई. में बंगाल को लूटने के लिए कूच किया। रास्ते में रतनपुर का राज्य पड़ा। मरहठा सेनापति भास्कर पंत ने उसकी राजधानी रतनपुर को घेर लिया और राजा रघुनाथसिंह को हटा कर उसकी जगह उसी के संबंधी मोहनसिंह को राजकाज सौंपकर आगे बढ़ा। उस समय उसने रायपुरवाली शाखा को नहीं छेड़ा, परंतु सन् 1750 ई. में राजिम, रायपुर और पाटन अमरसिंह को देकर चुपचाप उसका राज्य अपने हस्तूग कर लिया और उस पर 7000 रुपये वार्षिक कर बिठा दिया। अमरसिंह जैसा पहले बता आये हैं, सन् 1753 ई. में मर गया। उस समय उसका लड़का शिवराजसिंह यात्रा को गया था। इस अवसर पर उसके बाप के तीन परगने भी जब्त कर लिये गए। परंतु जब बिम्बाजी 1757 ई. शासन करने को नागपुर से छत्तीसगढ़ आया, तब उसने शिवराजसिंह को उसके पुरखों के हर गाँव पीछे 1. परवरिश के लिए लगा दिया और बरगाँव नाम का एक गाँव माफी में दे दिया। यह प्रबंध सन् 1822 ई. तक स्थिर रहा। उसके पश्चात् गाँव पीछे रुपया देना बंद कर दिया गया और उसके बदले चार गाँव और माफी में दे दिए गए, जो हैहयों के वंशजों के हाथ में अब भी हैं। बिम्बाजी रतनपुर में रहकर शासन करता था। उसके समय में प्रबंध साधारण अच्छा रहा। वह स्वतंत्रतापूर्वक काम करता था। सन् 1787 ई. में वह मर गया, तब रघुजी द्वितीय का भाई व्यंकोजी उसी के स्थान पर नियुक्त किया गया, पर वह छत्तीसगढ़ में ठहरना पसंद नहीं करता था। दस-बारह सालों में केवल दो-तीन बार छत्तीसगढ़ देखभाल कर कर वह नागपुर लौट गया। निदान सन् 1811 में काशी जाते समय वह छत्तीसगढ़ होकर निकला। अंत में वह काशी में मर गया। उसके समय में शासन करने के लिए नागपुर से सूबेदार भी दिए जाते थे, परंतु

बिंबाजी की रानी आनंदी बाई के कारण उनकी कुछ चलने नहीं पाती थी। रानी की मृत्यु तक अर्थात् उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक उपद्रव होते रहे ओर गोलमाल बना ही रहा।

मरहठा सूबेदार

इसके पश्चात् सन् 1818 ईस्वी तक, जबकि नागपुर के राजा आपा साहब को गद्दी से उतार नहीं दिया गया, क्रमश कई सूबेदारों ने छत्तीसगढ़ का शासन किया। उनके अधिकार विस्तृत थे। उनके काम पर आँख रखनेवाला कोई न था, इसलिए वे लोग मनमानी करते थे। यथार्थ में इन लोगों को कमाने की पड़ी थी, प्रजा दु:ख सहे, उनकी बला से। वे लोग यह भी जानते थे कि राजा साहब अपने किसी कृपा पात्र को जब चाहें, तब उनकी जगह भेज देंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता था, उतनी जल्दी सम्पत्ति समेटने का सूबेदार यत्न करते थे। लूट और अत्याचार की हद ही नहीं थी। निदान जब बात प्रजा की सहनशक्ति के बाहर पहुँच गई, तब एक पीड़ित व्यक्ति ने अंतिम सूबेदार को गोली से मार डाला। रतनपुर के सूबेदारों की नामावली यह है—1. विट्ठल दिनकर, 2. कारूपंत, 3. केशवपंत, 4.भीका भाऊ, 5. सखाराम भाऊ, 6. यादवराव दिवाकर, 7. सखाराम बापू। सखाराम बापू ने रतनपुर के एक सज्जन से यह कहकर कि मैं तुम्हें इज्जत और बहुत सी जमीन दिलवा दूँगा, उसका बहुत सा धन हड़प कर लिया। जबउसे उसके छल का पता पड़ा, तो उसने गोली से उसका काम तमाम कर दिया।

ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार ने नाबालिग राजा रघुजी की ओर से छत्तीसगढ़ का प्रबंध अपने हाथ में लिया। सब से पहले कप्तान एड्मण्डस ने चार्ज लिया, परंतु उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाने के कारण कर्नल एग्न्यू ने आकर सन् 1825 ई. तक काम किया। उसने पहले तो बिगड़ैल लोगों को सीधा किया। फिर शासन की ओर दृष्टि फेरी और इस प्रकार का सुधार किया कि लोगों में अमन-चैन का संचार हो चला। जब सन् 1830 ई. में भोंसला राजा बालिग हुआ, तब फिर मरहठी अमल हो गया, परंतु अंग्रेज कारोबारियों ने जो प्रथा बाँध दी थी, वह स्थिर रही और शासन में कुछ विशेष गड़बड़ नहीं हुई। तब से रायपुर में एक सूबेदार रहने लगा।

ब्रिटिश शासन

सन् 1854 ई. में नागपुर के राज्य का कोई वारिस नहीं रहा, तब राज्य अंग्रेजों के अधिकार में आ गया।

उसी के साथ छत्तीसगढ़ भी उनके हाथ आ गया। पहले कप्तान इलियट इसका शासनकर्त्ता नियुक्त हुआ। सन् 1856 ई. में उसने कुल छत्तीसगढ़ में बीस तहसीलें स्थापित कीं, एक रायपुर में, एक धमतरी में और एक बिलासपुर में। फिर सन् 1857 में दुर्ग में एक और तहसील स्थापित की गई। सन् 1861 ई. में बिलासपुर रायपुर से अलग कर दिया गया। उसी साल सिमगा में एक और तहसील स्थगित की गई और वह रायपुर जिले में सम्मिलित की गई। इस प्रकार रायपुर, धमतरी, दुर्ग और सिमगा इन चार तहसीलों का यह जिला सन् 1906 तक स्थिर रहा, अंत में दुर्ग में अलग जिला स्थापित किया गया, जिससे लगभग साढ़े तीन हजार वर्गमील का टुकड़ा रायपुर जिले से निकल गया। शेष भाग पुनः चार तहसीलों से विभक्त किया गया और रायपुर ...... बलौदा बाजार उनके सदर मुकाम बनाये गए। नवीन तहसील बलौदा बाजार में कुछ भाग बिलासपुर जिले का और महासमुंद में सम्बलपुर का कुछ भाग सम्मिलित कर दिया गया।

गदर

छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों के हाथ आये तीन वर्ष नहीं होने पाये थे कि भारत में गदर मच गया, जिसका थोड़ा सा असर इस दूरस्थ प्रांत पर भी पड़ा। रायपुर में उस समय कुछ थोड़ी सी फौज रहती थी। उसके सिपाहियों ने कुछ गड़बड़ आरंभ की, परंतु उसके अफसरों ने उन्हें शीघ्र दबा दिया। जिले के भीतर भी किसी ने दंगा-फिसाद नहीं किया, केवल सोनाखान के जमींदार नारायणसिंह ने सिर उठाया। उसके पास चार-पाँच सौ आदमी और सात आठ जिंजालें थीं। एक असिस्टेंट कमिश्नर ने सवा सौ आदमी लेकर सोनाखान पर धावा किया। आस-पास के जमींदार मदद पर थे। सोनाखान में दोनों ओर से गोलियाँ चलीं, अंत में नारायणसिंह ने हार मान कर शरण चाही, वह पकड़ कर रायपुर भेज दिया गया। वहाँ पर वह फाँसी पर चढ़ा दिया गया और उसकी जमींदारी जब्त कर ली गई।

प्रजा

गदर तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। सन् 1858 ई. में ब्रिटिश राजकुल ने उसे अपने हाथ में ले लिया। उस समय श्रीमती विक्टोरिया सिंहासन पर थीं। उनके राज्य में प्रजा ने अमन-चैन से काल यापन किया। सन् 1901 ई. में जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनके ज्येष्ठ पुत्र एण्डवर्ड सम्राट हुए। इनकी मृत्यु 1910 ई. में हो गई। तब वर्तमान महाराज पंचम सिंहासन पर बैठे। पहले शासन केवल सरकारी अफसर द्वारा किया जाता था, परंतु सन् 1914 ई. में एक कानून बनाने वाली सभा स्थापित की गई जिसमें प्रजा के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गए। सन् 1918 ई. में इस सभा में विशेष प्रकार के सुधार किये गए, जिससे प्रजा के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत अधिक कर दी गई। वर्तमान मध्य प्रदेश की कौंसिल में 71 सभासद हैं। उनमें से 58 प्रजा के चुने हुए हैं। इन्हीं चुने हुए सभासदों में से एक गवर्नर के सहाधिकारी और दो मंत्री बनाये जाते हैं। मंत्रियों के अधीन कुछ शासन अंग रखे गए हैं, जिनके चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रखी गई है। इन नवीन अधिकारों में प्रजा का स्वत्व भरा हुआ है। कानून बनाने वाली सभा में तीन साल में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनने में ऊँच-नीच का भेद भाव नहीं है। पहली बार की सभा में इस जिले का प्रतिनिधि एक चमार चुना गया था। इस जिले से बहुधा दो सभासदा चुने जाते हैं। वर्तमान कौंसिल में यहाँ के तीन मेम्बर हैं।

❑

तीसरी झलक
लोग

जनसंख्या

सन् 1921 की गणना के अनुसार रायपुर जिले की जनसंख्या 14,06,676 है। इससे अधिक संख्या किसी जिले में नहीं पाई जाती। पुरुषों की संख्या 6,8 4,398 और स्त्रियों की 7,22,278 है। पहले पहल सन् 1872 ई. में गिनती की गई थी, उस समय केवल 7,00,319 जन थे। पचास साल में अब दूने हो गए हैं। तहसील वार संख्या इस प्रकार है—रायपुर 2,52,615 महा समुन्द 5,54,089, बलौदा बाजार 3,67,732, धमतरी 2,31,240। रायपुर तहसील में दो नगर (रायपुर,आरंग) और 485 गाँव हैं। महासमुन्द में 2173 गाँव हैं। बलौदा बाजार में 1010 गाँव और एक नगर भाटापारा है, धमतरी में 579 गाँव और एक नगर अर्थात् धमतरी खास है। इस प्रकार संपूर्ण जिले में 4247 ग्राम और चार नगर हैं। महासमुन्द्र तहसील में ग्राम संख्या बहुत अधिक है।

इतने गाँव तो तीन जिलों (बिलासपुर, दुर्ग, चांदा) को छोड़ अन्य किसी समूचे जिले में भी नहीं पाये जाते। बात यह है कि गाँव जंगली और छोटे-छोटे हैं। सिवाय इसके 1891 गाँव जमींदारियों में शामिल हैं। यदि सब खालसा होते तो उनका प्रबंध करना तहसीलदार के लिए असंभव हो जाता। यह्र तहसील ही क्या वरन् संपूर्ण जिला, बल्कि छत्तीसगढ़ प्रांत की चाल है कि लोग छोटी-छोटी बस्तियों में निवास करते हैं। सामुदायिक या नागरिक संगठन का अभाव है। रायपुर जैसे विस्तीर्ण जिले में केवल चार कस्बे हैं, सो भी दो आरंभ और भाटापारा नाम मात्र के हैं, केवल रायपुर और धमतरी इस

योग्य हैं। रायपुर की जनसंख्या 38,341 हैं। मध्यप्रदेश में इससे बड़े केवल चार ही नगर हैं अर्थात् नागपुर, जबलपुर, अमरावती और सागर। धमतरी की जनसंख्या 12,721 है। इस प्रदेश के 120 पुरों में इसका नंबर 28वाँ पड़ता है। इस जिले में आवागमन बहुत कम है, इसीलिए अपने ही जिले की पैदाइश के लोगों की संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत अधिक है। कम से कम सैकड़ा पीछे 82 लोग अपने जिले ही में पैदा हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, अब कहीं थोड़े बहुत आने-जाने लगे हैं।

मुख्य धर्म

रायपुर जिले में दो ही धर्मों का विशेष प्रचार है—हिंदू और आश्विासी और ये दोनों ऐसे मिश्रित हो गए हैं कि इनके बीच में सीमा की लकीर खींचना असंभव सा जान पड़ता है। यहाँ के गोंड़ निस्सन्देह मूल निवासी हैं और अपने को रावणवंशी कहते हैं और जंगली देवता बूढ़ा या बड़ादेव को मानते हैं। तब भी कोई सवा दो लाख में से 85 हजार अपने को हिंदू कहते हैं। यथार्थ में ब्राह्मणधिपत्य विरोधी पंथों का यहाँ विशेष प्रचार है। जांगलीय धर्मावलम्बियों से भी अधिक यहाँ पर कबीरपंथी और सतनामी हैं। कबीरपंथियों की संख्या प्राय: सवा लाख और सतनामियों की डेढ़ लाख से ऊपर है।

कबीरपंथी

छत्तीसगढ़ में 3 लाख से अधिक कबीर को मानते हैं। इन में सवा लाख रायपुर जिले में पाये जाते हैं। इस पंथ का प्रचारक काशी का जुलाहा कबीर था, जिसने सन् 1488 और 1512 ई. के समय इसे विशेष रूप से फैलाया। इस पंथ का मुख्य उद्देश्य अहिंसा-मूर्तिपूजा निषेध और सार्वजनिक साम्य है। इनमें से दो बात ब्राह्मणी धर्म के प्रतिकूल होती हैं अर्थात् मूर्तिपूजा निषेध और ब्राह्मण-अब्राह्मण की समानता। कबीरपंथी ब्राह्मणें को महीसुर नहीं मानते और न उन्हें पुरोहित बनाते। कबीर ने स्वयं कहा है—गुप्त प्रकट है एकै मुद्रा। काको कहिये ब्राह्मन शुद्रा। कबीर का नामी चेला धरमदास कसौंधा बनिया था। उसी के वंशज कबीर पंथियों के मुख्य गुरु होते हैं। इनकी गद्दी कवर्धा में थी। बारहवीं पीढ़ी में झगड़ा होने से दो शाखाएँ हो गई। अब मुख्य गद्दी इसी जिले के दामाखेड़े में है।

सतनामी

कबीर पंथों से भी अधिक कट्टर सतनामी पंथ है। इसको चर्मकार घासीदास ने चलाया। घासीदास बलौदा बाजार तहसील के गिरौद नामक गाँव में पैदा हुआ था और हरवाही का काम करता था। जान पड़ता है कि उसको कोई जगजीवनदास का चेला मिल गया, जिसने उसे सत्य नाम का उपदेश किया। घासीदास तब से सत्य नाम, सत्य नाम ही रटने लगा और जब उस की स्त्री ने उसकी अवहेलना की तो वह निकटस्थ सोनाखान के जंगल में चला गया और एक तेंदू के पेड़ के नीचे सत्य नाम का भजन करने लगा। अंत में लोगों ने उसको खोज की और घर लिवा लाये। एक बार किसी को साँप ने काट खाया तो वह घासीदास के पास गया और अपनी भक्ति की शक्ति से चंगा करने की विनती की। घासीदास ने सत्य नाम से प्रार्थना की, भाग्यवान् वह आदमी अच्छा हो गया। बस उसी समय से घासीदास की महिमा बढ़ गई और उसके जातिवाले जरा पहुँचा हुआ साधु मानने लगे। तब तो उसका आशीर्वाद लेने के लिए दूर-दूर से लोग आने लगे।

घासीदास सब को यही शिक्षा देता था कि सत्य नाम को भजो, देवी-देवताओं के पूजने से कुछ लाभ नहीं, मनुष्य सब बराबर हैं, ऊँच-नीच कोई जाति नहीं, मूर्ति पूजने से कुछ नहीं मिलता, अहिंसा परम धर्म है, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। घासीदास के उपदेशों को चर्मकार ने स्वीकार कर लिया और अपने सैकड़ों वर्ष के देव-देवियों का त्याग कर दिया। मांसाहारी जाति होने पर मांस ही नहीं वरन् उस वर्ण की अन्य वस्तओं, जैसे लाल भाजी आदि तक का खाना छोड़ दिया। चर्मकार ने उसे अपना गुरु मान लिया। तब से उसके वंशज गुरु की गद्दी पर बैठते हुए बराबर चले आते हैं। वे भंडार नामक ग्राम में रहते हैं। कबीर पंथियों की नाई वे रात को निकलते हैं और चढ़ोतरी में बहुत रुपया पाते हैं। सतनामी पंथ का प्रचार विशेष कर छत्तीसगढ़ ही में है। उसके अनुयायी चर्मकार ही होते हैं, परंतु उनकी संख्या साढ़े तीन लाख से अधिक है। प्राय: आधे लोग रायपुर जिले के भीतर रहते हैं।

इतर धर्म

अन्य धर्मावलम्बियों में मुसलमानों की संख्या 18,000, क्रिस्तानों की 5 हजार और जैनों की डेढ़ हजार है। कई चमार मिशनों द्वारा क्रिस्तान हो गए

हैं, इसलिए क्रिस्तानों की संख्या कुछ अधिक हो गई है।

रायपुर की मुख्य जातियाँ गोंड़, तेली और रावत हैं। चमार गोंड़ और तेलियाँ की संख्या दो-दो मुख्य जातियाँ लाख से अधिक और रावत की प्राय: डेढ़ लाख है। सब से अधिक हैं, जो सैकड़ा पीछे 17 पड़ते हैं। ये बहुधा सतनामी पंथ मानते हैं और हिंदुओं की ऊँची जातियों से अपने को किसी तरह से कम नहीं समझते। वे लोग चमड़े का काम नहीं करते, मांसादि नहीं खाते, अन्य किसान जातियों के समान खेती या मजदूरी से निर्वाह करते हैं। कहीं-कहीं पर वे माल गुजार हैं। इस जिले में कई एक जातिये गाँव हैं, जहाँ सिवाय अन्य किसी जाति का पुरुष नहीं मिलता। गोंड़ सैकड़ा पाछे 15 पड़ते हैं। ये दक्षिणी भाग के जंगलों में बहुत मिलते हैं। बहुतेरे अपने को रावणवंशी कहते हैं। यदि ये रावण की सैन्य थे तो उस समय से लेकर अब तक उनकी दशा में बहुत कुछ हेर-फेर नहीं हुआ। रावत अर्थात् अहीर यहाँ पर उत्तरीय प्रांतों के ढीमर का काम करते हैं। वे पानी भरते और चौका- बर्तन करते हैं। यहाँ ढीमर भी हैं, परंतु वे लोग मछली मारते या मजदूरी करते हैं, उनसे कोई चौका-बर्तन नहीं कराता, न उनके हाथ का पानी पीता है।

तेलियों की भी संख्या प्राय: गोड़ों के बराबर है। ये लोग खेती का काम बहुत अच्छा करते हैं। इस काम में कदाचित् कुरमी तक उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इनके हाथ में डेढ़ सौ से अधिक गाँव की मालगुजारी है। कुरमी इनके एक तिहाई निकलेंगे, परंतु उनके हाथ में प्राय: दो सौ गाँवों की मालगुजारी हैं। सब से अधिक गाँव बनियों के हाथ में हैं, जिनकी संख्या सात हजार से अधिक नहीं है, परंतु धन इकट्ठा करने में इनसे बढ़कर कोई जाति नहीं। कौड़ी-कौड़ी जोड़ के निधन होत धनवान को सार्थक करनेवाली यही जाति है। बनिये पाचेक सौ गाँव के मालगुजार हैं। इनके पीछे ब्राह्मण आते हैं, जिनके हाथ में कोई 400 गाँव हैं। जनसंख्या में से वे बनियों से तिगने हैं। तीन सौ गाँव मरहठों के अधिकार में हैं, यद्यपि इनकी जनसंख्या अढाई हजार ही है। इनको अधिक गाँव मिलने का कारण भोंसला साही राज था। बहुतेरे मरहठों का उस जमाने में राजवंश से किसी न किसी प्रकार का संबंध था। अनेक मरहठे चिमनाजी के साथ कटक की चढ़ाई में गए थे, उनमें से बहुतेरे लौटने पर इसी जिले में बस गए।

इतर जातियाँ

इतर जातियाँ जिनकी इस जिले में बहुलता पाई जाती है, वे ये हैं— केवट, पनका, गांडा, सवरा, हलवा, कवर, कलार, लुहार, कुम्हार, धोबी, कोष्टी, नाई, राजपूत, महरा, घसिया, ग्वली, बंजारा, बिंझवार, भुञ्जिया इत्यादि। इन जातियों की अलग-अलग संख्या 50 हजार और 5 हजार तक के बीच पड़ती है। प्रत्येक की ठीक-ठीक संख्या बतलाई नहीं जा सकती, क्योंकि सन् 1921 की गणना के अंक विश्वास के योग्य नहीं है। इस जिले में कई जातियों में विचित्र व्यवहार पाये जाते हैं, जो अन्यत्र देखने में नहीं आते, जैसे भुजिया की झोंपड़ी को यदि ब्राह्मण भी छू दे तो वह अपवित्र हो जाती है। वे उसे आग लगाकर जला डालते हैं। भोजन के विषय में ये कान्यकुब्जों के कान काटते हैं। अपने लड़की, दामाद को भी घर के भीतर नहीं आने देते, न उनके हाथ का पकाया हुआ अन्न खाते। मैं भुंजिया तैं हंडिया' का वही अर्थ होता है, जो आठ कनौजिया नौ चूल्हे का लगाया जाता है। वास्तव में भुंजिया एक जंगली जाति है, परंतु अपने नियम पर दृढ़ हैं।

चाल-ढाल

छत्तीसगढ़ में प्राथमिक अवस्था के दृश्य बहुत देखने में आते हैं। नग्न अवस्था से एक सिड्ढी ऊपर पत्तों की कोपीन मिलती है। जो जुअंग लोग अभी तक उपयोग में लाते हैं, परंतु वे रायपुर जिले के भीतर नहीं रहते, संलग्न उड़िया प्रांत में पाये जाते हैं। ऋषियों ने पत्तों के बदले वल्कल या मृग चर्म का उपयोग किया, कुम्भी पटिया अब भी वल्कल धारण करते हैं। अब मृग चर्म सहलता से मिल नहीं सकता, न अन्य ही चर्म इतनी कम कीमत में मिलता है, जितना कि खादी का टुकड़ा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने खादी ही पसंद कर ली है, उसी की लँगोटी लगाते चहुँ ओर दीख पड़ते हैं। इसी कारण उत्तरीय जिलों के लोग उन्हें लँगोटिहा कहते हैं। भोजन बड़ा सादा है। बासी का विशेष प्रचार है। भात को पसा कर मांड को रात भर रख छोड़ते है और दूसरे दिन नमक-मिरची डाल कर उसे पी लेते हैं। हुक्का-चिलम की आवश्यता नहीं, पत्ते की चुंगी बना कर तमाखू पी लेते हैं। जूतों की बड़ी आवश्यकता नहीं होती। कम्बल भी न हो तो कुछ परवाह नहीं, नीचे गुरसी, ऊपर पट का ठाट

उसकी पूर्ति कर देता है। स्त्रियों को चोली की आवश्यकता नहीं होती। परदे का रिवाज नहीं। मकान बहुत सादे रहते हैं। सामान बहुत कम लगता है। धान की खेती व्यासी करके की जाती है। अर्थात् पौधे ऊगने पर फिर हल चला दिया जाता है जिससे वे विरल हो जाते हैं। जादू–टोने पर विश्वास बना चला आता है। ये सब प्राथमिक अवस्था के लक्षण हैं। कई सामाजिक रीतियाँ भी विचित्र पायी जाती हैं, जैसे कांस के बर्तन दूसरी जाति को देने में रोक–टोक नहीं होती, पीतल में होती है। उत्तरीया जिलों में इसके विपरीत व्यवहार होता है। विवाह मृत्यु आदि में बहुत सी विचित्रताएँ देखने में आती हैं, जिनका वर्णन स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता।

मुख्य घराने

इस जिले में उस जमींदार हैं, जिनकी जायदाद का बँटवारा नहीं होता। गद्दी ज्येष्ठ पुत्र को मिलती है। सब से बड़ी जमींदारी में 606 और सब से छोटी में 16 गाँव हैं। 6 जमींदार गोंड, 1 क्षत्रिय, 1 बिंझवार, 1 कवर और 1 बिंझिया हैं। खरियार के जमींदार चौहानवंशी पटना महाराज के कुलोत्पन्न हैं। इन्हीं के 606 गाँव हैं। वर्तमान जमींदार लाल अर्त्तत्राण्देव हैं। बिन्द्रानवा गढ़ जमींदारी में 446 गाँव हैं। वर्तमान जमींदार लालनमेलसाय हैं। ये राज गोंड हैं। फुलझर जमींदारी में 527 गाँव है, यहाँ के जमींदार भी राजगोंड़ हैं। इनका संबंध चांदा के राजघराने से था। वर्तमान जमींदार लालबहादुरसिंह हैं। इनके बीसवें पुरखा हरराजसाय ने अन्य जमींदारों से जीत कर इलाका ले लिया था। सुअरमार, कौड़िया, बिलाईगढ़, कटगी और फिंगेश्वर के जमींदार भी राजगोंड़ हैं। सुअरमार के जमींदार लाल गिरिराजसिंह हैं उनके 102 गाँव हैं। कौड़िया की जमींदारिन विष्णुप्रियादेई हैं। उनके 155 गाँव हैं। बिलाईगढ़ कटगी के जमींदार दीवान रामप्रतापसिंह के पास 74 गाँव हैं और फिंगेश्वर के विश्वनाथसिंह के 86 गाँव हैं। भटगाँव के जमींदार बुधेश्वरसिंह बिंझिया जाति के हैं, उनके 60 गाँव हैं। देवरी के लालराजेंद्र साय बिंझवार हैं, उनके उनके 37 गाँव हैं। सबसे छोटी जमींदारी नर्रा की है, जिसमें केवल 16 गाँव हैं, जमींदार पीतांबर सिंह कंवर जाति के हैं।

अन्य प्रमुख वंशों में बड़गाँव के उदयसिंह हैहय राजाओं के वंशज

हैं। यह गाँव महासमुन्द तहसील में हैं। बलौदा बाजार के सेंदुरस गाँव के माल गुजार अपनी उत्पत्ति उसी वंश से बतलाते हैं। मरहठों में राजिम का महाड़िक वंश जाहिर है। नागपुर के हनुमन्तराव नामक सरदार अपने बहनोई बिम्बाजी भोंसले के साथ छत्तीसगढ़ की चढ़ाई में आये थे। यहाँ पर उनको एक चौरासी (84 गाँव) दी गई और उन्होंने राजिम को सदर मुकाम बनाया। वर्तमान अधिकारी नारायण राव और गुलाब राव है। रायपुर का दानी वंश भी तभी का आया हुआ है। इनके पुरखा रामचंद्रराव रायपुर में बसे और वहीं भोंसलों की ओर से कमाईशदार नियुक्त हुए। इनके 44 गाँव के मूल......जनों में में बँट गए हैं। रायसाहब बाबूराव दानी को आधे मिले...इनके उत्तराधिकारी गपनत राव दानी है। धमतरी के .... बाजीराव के अधिकार में 32 गाँव हैं। उनके पुरखों को सन् 1823 ई. में छह गाँव माफी में मिले थे। उनमें से चार अब मालगुजारी हो गए हैं। इसी वंश की दूसरी शाखा के नायक अखोरराव हैं, जिनके 18 गाँव हैं। तीसरी शाखा के प्रतिनिधि कप्तान राव हैं, इनके 14 गाँव हैं। धमतरी का जगपत वंश भी ..... है। उसके वर्तमान प्रतिनिधि नत्थूजी और गुजिया है। इनके आजा के भाई को नागपुर के भोंसला राजा ने कांकेर के राजा के यहाँ किसी भारी पद पर भेजा था, इनके 17 गाँव थे, जिनको दोनों भाइयों ने आधा-आधा बाँट लिया है।

ब्राह्मणों में अग्रगण्य कसडोल के मिश्र हैं। उनके 32 गाँव हैं। इनके पुरखा को दहेज में 5 गाँव मिले थे। क्रमशः जायदाद बढ़ती गई। वर्तमान प्रतिनिधि शिवदत्त और हेमराय हैं। इन्होंने अब बँटवारा कर लिया है।

वैश्यों में तरेंगा के ताहुतदार प्रख्यात हैं। इनके डेढ़क सौ गाँव हैं। इनके पुरखा जगदेव साव आगरा से आए थे और पहले मंडला में बसे थे, फिर वे रायपुर आये और लेन-देन करने लगे। प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पूर्व उस जमाने के मरहठा हाकिम ने उन्हें 145 गाँव बख्श दिए, उनमें तब केवल 13 आबाद थे। वर्तमान ताहुतदार कल्यानसिंह हैं। आरंग के गंगाराम साव के 14 गाँव और अर्जुन साव के 20 गाँव हैं। रायपुर के रामरतन अगरवाल के 50 गाँव हैं। वे सिरपुर के ताहुतदार कहलाते हैं। रामसरन लाल के 13 गाँव हैं। इनके पूर्वजों ने रायपुर के दूधधारी मंदिर को बनवाया था। रायपुर के दीनानाथ साव के भी आठ-दस दस गाँव हैं।

धमतरी में धरमपुरी गोंसाई और रायपुर में महन्त बजरंग दस वैरागी अग्रण्य समझे जाते हैं। गोसाईं के प्रथम गुरु 500 नागा लेकर आये थे और जो जमींदार टकौली समय पर नहीं देते थे उसकी वसूली ये बलपूर्वक करा देते थे। देन-लेन से इनके पास धन बहुत बढ़ गया। अब इनके 42 गाँव हो गए हैं। बजरंग दास के तीकेक गाँव हैं, जो दूधाधारी मंदिर में लगे हैं। कहते हैं कभी-कभी इनके भंडार में एक लाख खण्डी अनाज रहता था।

भाषाएँ

जिले की प्रचलित भाषा छत्तीसगढ़ी हिंदी है। कोई 12 लाख आदमी हिंदी बोलते हैं, इनमें से कम से कम 11 लाख छत्तीसगढ़ी हिंदी अवश्य बोलते होंगे, यद्यपि सन् 1921 की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में इनकी संख्या केवल पौने पाँच लाख बतलायी गई है, जो कि स्पष्टतः गलत है। डेढ़ हजार उर्दू, दो हजार मारवाड़ी और 5 हजार बंजारी बोलते हैं, जो हिंदी ही के विकृत रूप हैं। 9 हजार मराठी बोलते हैं, इनमें ढाई जार हल्बी बोलनेवाले शामिल हैं। यद्यपि उड़िया मध्यप्रदेश से अब उड़ गई है तथापि उसकी पूंछ फुलझर और खरियार में उलझ कर रह गई है। इस जिले में इस भाषा के उपयोग करने वाले प्रायः दो लाख जन बतलाये गए हैं। सन् 1921 की जनसंख्या की रिपोर्ट में गोंड़ी बोलनेवाले केवल 2700 बतलाये गए हैं, यह बहुत ही अशुद्ध है। जिसको स्थानीय अनुभव है कि वह चट बता सकेगा कि इससे दस गुने से अधिक गोंड़ गोंड़ी बोलते हैं। गोंड बहुधा द्विभाषिये होते हैं। आपस में वे अपनी भाषा बोलते हैं और हिंदुओं से हिंदी और उड़ियों से उड़िया। उड़ियाने की ओर गोंड़ विशेष जंगली दशा में पाए जाते हैं। जान पड़ता है कि वहाँ के गोंड़ों की भाषा उड़िया लिख दी गई है, जिससे उड़िया बोलनेवालों की भाषा प्रायः द्विगुणित हो गई है। वस्तुतः उड़िया बोलनेवाले एक लाख निकलेंगे और यथोचित शोध करने से इतने ही गोंड़ी बोलनेवाले निकल आएँगे। स्मरण रहे कि गोंड़ों की संख्या इस समय दो लाख से ऊपर हैं।

छत्तीसगढ़ी बोली

छत्तीसगढ़ी बोली गंवारू समझी जाती है, परंतु वह अवधी के वर्ग की है, जिसमें हिंदी की सबसे उत्तम पुस्तक तुलसीकृत रामायण लिखी गई

है। जब छत्तीसगढ़ में कोई तुलसी पैदा होगा, तब उसकी कल्पित ग्रामीणता बिलकुल निकल जाएगी। कुछ दिन पूर्व लोग शिष्ट समाज में उसका उपयोग करने से डरते थे। अब कई लोग इस बोली में पुस्तकें लिखने लगे हैं। धमतरी से काव्योपाध्याय हीरालाल ने पैंतीसक वर्ष पूर्व उसका एक व्याकरण लिख डाला था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सर जार्ज ग्रियर्सन ने उसी जमाने में कर दिया था। पुन: उन्हीं के अनुरोध से हाल ही में प्रान्तिक सरकार ने उसका संशोधन करवा के छपवा दिया है। इस भाषा में कविता करने का लग्गा राजिम के पंडित सुंदरलाल ने बीसक वर्ष पूर्व से लगाया था। तबसे अन्य छत्तीसगढ़ियों का साहस बढ़ा। अब छोटी-मोटी कई पुस्तकें बन गई हैं। उनमें से एक भूल भुलैया नामक शेक्यपियर के एक नाटक का अनुवाद है। छत्तीसगढ़ी के वर्तमान लेखक ये हैं—पंडित सुंदरलाल, पं. लोचनप्रसाद, पं. रामदयालु तिवारी, पं. वनमाली प्रसाद शुक्ल, पं. शुकलाल प्रसाद पाण्डेय, रामदास वैष्णव, बिसाहूराम इत्यादि। हाल ही में रायगढ़ रियासत का एक मासिक पत्र निकलने लगा है, उसमें कभी-कभी छत्तीसगढ़ के लेख रहते हैं। उदाहरणार्थ पंडित लोचनप्रसाद छंद यहाँ पर उद्धृत किया जाता है।

निचट सुनहा कहनी कथनी मारू ढोला करमा
नैकायन के गीत चदैनी
आज मरम गीता के सुन लो छत्तिसगढ़िया भाई।
गीता मुकुत पदारथ दैथे, भाखैं कृष्ण कन्हाई॥

इस भाषा के प्राय: सौ वर्ष के पूर्व का नमूना अंतिम हैहयवंशी राजा के दिए हुए ताम्र शासन में पाया जाता है। यह ताम्रपट आरंग के अंजोरी लोधी के पास मौजूद है। उसकी नकल नीचे दी जाती है।

॥ श्रीराम ॥

सही। 1

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा अमर सिंघदेव एतौ ठाकुर नंदू तथा घासीराय कह कबूल पाट लिषाइ दीन्हें अस जो छोटा बूंदा गयारि मई मुआरि ई सब एकौन देइ॥ एक विद्यमान देवान कोका प्रसाद राई

तथा देवान (मल्ल) साहि लिए बाबू कासीराम कबूल पाट सही रायपुर बैठे लिये कार्तिक सुदी 7 कह सं. 1792 डोकर पटइल तथा मथुराई पटइल तथा तषत सरफ लिखाइ ले गए जव्व नंदू धमतरी उठि गये रहे, तब एही कबूल मह आये।

(दूसरी ओर पीठ पर)

इ कबलू के विद्यमान माहंत श्री मानदास तथा श्री महाराज कुमार ठाकुर श्री उदैसिंघ तथा श्रीमहाराज कुमार लाला श्री कृपालसिंह तथा नायक प्रताप और साक्षी बाबूगुमान सिंघ तथा ठाकुर कोदूराई तथा परिहार प्यारेलाल दुबे परमाइज लेवाई आने सही देबान कोका प्रसाद राइ के सही दवान मल्ल साहिके ❑

चौथी झलक

भूमि

किस्म जमीन

रायपुर जिले में औसत पच्चीस लाख एकड़ में खेती होती है। दो लाख एकड़ पड़ती जमीन है, छः लाख एकड़ दुफसली है। जमीन की किस्म में कन्हार, डोरसा, मटासी, भाटा, पालकछार, पट पर कछार और काप हैं। काली या भूरी जमीन कन्हार कहलाती है। कटासी कुछ सफेदी और पिलाहट लिये रहती है, डोरसा आधी कन्हार और आधी मटासी का मिश्रण है। भाट हल्की और पथरीली जमीन होती है। पालकछार नदियों के किनारे की जमीन बड़ी उपजाऊ रहती है, पटपा कछार रेतीली होती है। महानदी के कछार में सफेद रेहवाली अत्यंत उपजाऊ जमीन को कांप कहते हैं। कई कारणों से जमीन में दोष आ जाते हैं, जैसे कहीं-कहीं नमक की रसम रहने से उपज में फरक पड़ जाता है, ऐसे खते को चपरहा कहते हैं।

महानदी के बूड़ों से जो खेत कड़े पड़ जाते हैं, उन्हें लपकहा कहते हैं। ऐसे ही खसरी, दर्री, कुढरी आदि मुरमीली, पथरीली, रेतीली जमीनों के स्थानीय नाम हैं। विविध मौकों के अनुसार घनहाई जमीन के नाम बहरा गमार, ओरकहा, रसनहा आदि रख लिये जाते हैं। बहरा मिलान को कहते हैं, गमार समान, परंतु नीचा रहता है। और नुकीला होता है। आबादी के पास के खेत सनही कहलाते हैं। जिस जमीन में गेहूँ पैदा हो सकता है, उसे भर्री कहते हैं। ऊँची-नीची को टिकरा कहते हैं। जिस खेत में नाले या भरके पड़ जाते हैं, उन्हें भरकेला कहते हैं। कन्हार और डोरसा में गेहूँ पकता है, भाटा

और मटासी में नहीं पकता। काली जमीन वाले धनहा खेत प्रायः दुफसली, रहते हैं जिनमें धान काटने के कुछ दिन पूर्व उड़द, मूँग, तेवर के किस्म का दूसरा अन्न वो देते हैं, जिसे उतेरा कहते हैं।

फसलें

इस जिले में धान की बहुत खेती होती है। दो तिहाई जमीन में यही फसल पैदा की जाती है। धान छींट कर बोते हैं। छत्तीसगढ़ में एक विशेष प्रथा है, जिसे ब्यासी कहते हैं। बोने के पेश्तर जमीन को एक बार जोत डालते हैं। फिर धान छींट कर बो देते हैं। एक एकड़ में सवा मन बीज डालते हैं और जब पौधे उग कर फुट भर ऊँचे हो जाते हैं, तब उस पर हल चला देते हैं, जिससे घने पौधे उखड़ कर विरल हो जाते हैं। इसी को ब्यासी कहते हैं। रोपा बहुत कम लगाते हैं, परंतु कर दिखाव खितौलों द्वारा इसके लाभ लोगों को दिखलाए जा रहे हैं और कोई-कोई उसकी ओर अब झुक रहे हैं। धान तीन वर्ग का गिना जाता है, हरुना, अरधना और माई। हरुना जल्दी आती है और अक्टूबर के अंत में कट जाती है। अरधना नवंबर के आदि में कटती है। धान अनगिनत प्रकार का होती है, परंतु इस जिले में गुरमटिया बहुत बोई जाती हैं। धान के पश्चात् कोदों को खेती बहुत होती है। इसमें भी हरुना और माई होते हैं। माई बहुधा अरहर या राह के साथ बोते हैं। तिल बहुधा जमींदारियों में अधिक होती है। उन्हारी में सब से अधिक अलसी बोने का प्रचार है। उर्द, मूँग, तेवरा आदि उतरा बोये जाते हैं। गेहूं की खेती बहुत कम होती है। नहरों के बनने से बढ़ती की आशा है। खाद देने का रिवाज बहुत कम है, गोबर के कण्डे बना डाले जाते हैं।

आबपाशी

रायपुर जिला क्या, तमाम छत्तीसगढ़ में तालाबों का बड़ा रिवाज है। इन्हीं से सब निस्तार होता है, परंतु इनसे यथोचित आवपाशी नहीं हो सकती, इसलिए जब अनावृष्टि हो जाती है, तब अकाल भयंकर रूप धारण करता है। इस त्रुटि को मिटाने के लिए सरकार ने आबपाशी का प्रबंध अपने हाथ में लिया है। इस शताब्दी के आरंभ में बड़े-बड़े तालाबों के निर्माण का प्रबंध किया गया और धमतरी के निकट महानदी में एक नहर निकालने की तजवीज

की गई। यह नजर एक करोड़ रुपए से अधिक लागत से तैयार की गई। इससे तीन लाख एकड़ घनहाई जमीन की आबपाशी हो सकती है। सूखे दिनों में पानी का घाटा न पड़े, इसलिए धमतरी से 15 मील माड़मसिल्ली के निकट सिलौरिया नदी पर एक बड़ा भारी बाँध बनाया गया है। नहर की लंबाई 187 मील है, तिस पर भी किसानों की शिकायत है कि उन्हें उससे यथोचित पानी नहीं मिलता और महसूल, जो 2 रुपये या 3 रुपये एकड़ लगता है, बहुत अखरता है। इसका मूल कारण यह है कि गाँव-गाँव नालियाँ नहीं बनीं, इसलिए बहुत सा पानी खेतों तक पहुँचाने के पहले बीच की जमीन सोख लेती हैं। खेतों को पूरा पानी नहीं पहुँचता। इसी कारण से महसूल, जो महँगा जान पड़ता है, यदि प्रत्येक गाँव में संगठन करके पंचायत द्वारा नालियों के बनाने का प्रबंध कर दिया जाए तो सरकार के लेखे के अनुसार किसानों को महसूल 15 एकड़ तक भी महँगा न पड़ेगा।

ढोर-बछेरू

रायपुर जिले में पौने चार लाख बैल और साढ़े तीन लाख गाये हैं। पेड़ों की संख्या डेढ़ लाख और भैंसियों की 33 हजार हैं। बच्छों और पड़ेरुओं की संख्या कुछ ऊपर 3 लाख है। इनमें से खेती के काम में सवा चार लाख जानवर उपयोग में लाये जाते हैं। हलों की संख्या कुछ ऊपर डेढ़ लाख है। गाड़ी-गाड़ा 50 हजार हैं। घोड़ी-घोड़े साढ़े चार हजार हैं। जितने जानवर इस जिले में हैं, उतने मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिले में नहीं पाये जाते, परंतु यहाँ के बैल छोटे और कमजोर होते हैं, यद्यपि रंग इनका बहुधा लाल होता है, जो उत्तर के जिलों में ताकत का सूचक समझा जाता है। कहावत है—

बैल बिसाहन जाओ रहुआ।
तुम ले अइयो रंग का महुआ॥
महुआ लाल है एक समान।
ताकत करते भर कम्मान॥
नारी नागर लइयो जोत।
उनके हार कबहुँ नहिं होत॥

बहुत से सफेद भी होते हैं। ये भी अन्यत्र बलवान समझे जाते हैं यथा—

बैल बिसाहन जइयो देवरा।
तम ले अइयो रंग का धौरा॥
धौरा रंग होता अति सूर।
काम काज देता भरपूर॥
ले आओ तुम उसको आज।
अड़ी-भिड़ी पर रखे लाज॥

नीला बैल सब से अच्छा समझा जाता है—

लीला रंग होता अलबेला।
अरु है जोतर नंबर पहला॥
वो नहिं होता कूचर कोर।
वह निकलेगा पत्थर फोर॥

हंसा और बरा बहुधा अलाल और गर्रा निकलता है। काला कभी अच्छा, कभी खराब निकलता है—

काला रंग तो है मजबूत।
अरु जोतर होवै अवधूत॥
फिर भी अवगुन उसमें एक।
मनियाँ फूटै ताहि बिसेख॥
दूजे जब वो पैठे ढिलै।
ढूंढ़ा करिया फिर ना मिलै॥

परंतु काले रंग के बोदों की बड़ी चाह रहती है। उनका उपयोग खेती में बहुत किया जाता है। ये बहुधा उत्तर जिलों से आते हैं।

जंगल

सरकारी जंगल 1321 वर्गमील, मालगुजारी 853 वर्गमीटर और जमींदारी 2169 वर्गमील में हैं। इस प्रकार 4342 वर्गमील में जंगल है। किसी हिसाब से जंगल की स्थिति ठीक नहीं है, कहीं मीलों तक सघन वन लगा है, कहीं कोसों तक झाड़ का नाम नहीं है। रायपुर शहर के आसपास 35 मील तक जंगल का दर्शन दुर्लभ है। यहाँ के सघन जंगलों में सरई साल बहुत होता है।

यह इमारती और टिकाऊ लकड़ी है। कहावत है सरई सगमन दहमन राना। असी बरस ना होय पुराना। साज, बीजा, धौरा, कुसुम, कर्रा, खैर, महुआ भी अच्छी लकड़ी में शामिल हैं और बहुत पाये जाते हैं, सागौन भी थोड़ा-बहुत मिलता है। सिहावा की ओर हर्रा बहुत होता है। कुसुम और पलास से लाख बहुत पैदा होती है। तेंदू और महुवा जंगली लोगों को बना-बनाया भोजन देते हैं। साज और धौरा में कोसा लगता है। शहद, बैंचादी, तीखुर, चिरौंजी आदि भी जंगल ही की उपज है। घास से अच्छी आमदनी हो जाती है। सतकठा जलाने के काम में आता है। बाँस भी होता है, जो घरों में लगता है। इतना होकर भी सरकारी जंगल की आमदनी खर्च से कम पड़ती है, आय पचास-साठ हजार से कम नहीं होती, परंतु प्रबंध का खर्चा 60 हजार से कहीं अधिक बैठता है।

जंगली जानवर

इस जिले के जंगलों में बहुत से बाघ मिलते हैं, परंतु अब कम होते जाते हैं। तेंदुआ या चितवों की बहुलता है। ये बहुत से ढोरों का नाश कर डालते हैं। अन्य हानिकारक जानवर ये हैं—हुंडरा (भेड़िया), कोगवा (जंगली कुत्ता), मलवा (रीछ), रेड़वा (लकड़बघा), कोल्हिया (स्यार), बरहा (सुअर), बनबिलवा (बनबिलाव) आदि। इस जिले में गौर और बन भैंसा भी मिलते हैं। बन भैंसा बड़ा अड़ियल होता है। घायल होने पर वह किसी को समझता ही नहीं। एक बार उसने एक हाथी का सामना किया था और उसके पाँव में अपना सींग घुसेड़ दिया था। आदमी उसके चक्कर में आ जाए तो वह सींग से उसे छेद कर ऊपर उठा लेता है। छोटे-मोटे जानवर हिरन, चीतल, बारहसिंगा, चिंकारा, सांभर, रोझीना (नीलगाय), लमहा (खरह) आदि की भी बहुतायत है। पक्षियों में मोर, तीतर, बटेर, हरियाल पंखा आदि बहुत पाये जाते हैं। सिहावा के घने जंगलों में लाल गिलहरी होती है, जो बहुत बड़ी होती है, उसे घनिया कहते हैं। वह बहुत ऊँचे वृक्षों पर रहती है। वहाँ भी वह ठहरने नहीं पाती, गोंड़ लाग उसे तीरों से मार गिराते हैं और खा जाते हैं। उसका गोश्त बड़ा स्वादिष्ट समझा जाता है। इस गिलहरी की संख्या बहुत घटती जाती है।

खान

इस जिले में खानें बहुत कम हैं, कहीं-कहीं पर कच्चा लोहा विशेष कर बिन्द्रानवागढ़ और देवरी जमींदारियों में पाया जाता है। रायपुर के निकट कुम्हारी और खपरी में जलकी पत्थर मिलता है, जिससे चीजें बनाई जाती हैं। राजिम के निकट काला पत्थर और शिवनाथ नदी में स्लेट का पत्थर मिलता है।

❑

पाँचवीं झलक

व्यवसाय

खेती

रायपुर किसानी जिला है, खेती के सिवाय अन्य व्यवसाय बहुत कम किया जाता है। इस जिले के चौदह लाख जनों में से साढ़े आठ लाख जन स्वयम् काम करते हैं। स्त्रियाँ प्राय: पुरुषों ही के बराबर काम में भाग लेती हैं। स्वयम् काम करनेवालों में स्त्रियों की संख्या मर्दों से केवल बीस हजार कम पड़ती है। कोई साढ़े पाँच लाख जन दूसरों की कमाई से पलते हैं। इनमें बच्चे, बूढ़े, बीमार, अपाहिज आदि शामिल हैं, परंतु भिखमँगे नहीं। भारतवर्ष में भीख मांगना एक पेशा ही हो गया है। इसजिले में इनकी संख्या 18 हजार है। इनके भी आश्रित 5 हजार जीव हैं, स्वयं भीख माँगनेवाले केवल 13 हजार हैं। रायपुर जिले में खेती का व्यवसाय सबसे बड़ा है। इसके द्वारा 11 लाख आदमी पलते हैं। इनमें से स्वयं काम करनेवाले साढ़े छह लाख हैं, आधे मजदूर, आधे किसान। छुट्टे किसान मजदूर डेढ़ लाख हैं, इनमें मर्दों की अपेक्षा स्त्रियाँ डेवढ़ी हैं, परंतु गोपाल कवि किसानी काम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ''जीवै जग जानें जग जीव को कनूका मिलै, मिलै भली बात यह काम मरदई को''।

रोजगार व पेशा

रोजगार व धंधा करने वालों लोग प्राय: पौने दो लाख हैं, जिनमें स्वत: काम करनेवाले एक लाख के करीब हैं, शेष उनके आश्रित हैं। इनमें कातने-बुननेवाले प्राय: आधे निकलेंगे, परंतु काम मोटा व बड़ा भद्दा होता है। इसमें

कोष्टापन का मिहरा बहुत लगे हैं, परंतु अपने आप दादाओं से एक डग आगे नहीं रख इसलिए उन्नति कुछ होती ही नहीं। आरंग, नवापारा आदि में कुछ टसर का काम होता है, परंतु वह भी अच्छा नहीं है, उससे बेहतर बिलासपुर जिले में होता है। रायपुर से अच्छे कपड़े बनाना सिखलाने के लिए प्रयत्न तो कई सालों से किया गया है, परंतु उसका परिणाम सन्तोष के योग्य नहीं हुआ। धातुओं का काम भी इसी प्रकार का है। कसेरे यहाँ पर बड़ी वजनदार थालियाँ आदि बनाते हैं। बर्तन टिकाऊ तो होते हैं, परंतु बड़े कुडौल रहते हैं, गहने भी इसी प्रकार के बनते हैं। सुनारी, लुहारी, कसारी आदि से 6 हजार की परवरिश होती है, अन्य दस्तकारी में जूते बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट, खपरा, लकड़ी के हरबखर, बाँस की टोकनियाँ आदि शामिल हैं। यहाँ लाई मुर्रा खाने की विशेष चाल है, इससे साढ़े सात हजार लोग पलते हैं। तेल पेरना, दर्जीगिरी, बाल बनाना, कपड़े धोना व रँगना, मिठाई बनाना आदि ऐसे काम हैं, जिनके बिना जनता का काम यथोचित चल नहीं सकता। इसलिए इन व्यवसायों के करनेवाले जिले भर में फैले हुए हैं।

व्यापार

पुराने जमाने में रायपुर में व्यापार बहुत कम होता था। गल्ला इतना होता था कि कभी-कभी भूसा की जगह उसका उपयोग कर लिया जाता था। लेन-देन कौड़ियों के द्वारा किया जाता था। चांदी के सिक्के का अभाव था। यद्यपि हैहयवंशियों के समय के सोने के सिक्के पाये जाते हैं, परंतु चाँदी और ताँबे के नहीं मिलते। भोंसलों के जमाने में चाँदी का सिक्का तो अवश्य चलता था, तब भी कौड़ी का प्रचार विशेष कर देहातों में बहुत था। एक रुपये में 16 दोगानी, एक दोगानी में 20 बोड़ी, एक बोड़ी में पाँच गण्डा और एक गण्डा में 4 कौड़ियाँ होती थीं। इस प्रकार रुपया की 64 कौड़ियाँ चलती थीं पैसे की सौ। उत्तर के जिलों में 64 कौड़ी का पैसा पचास वर्ष पूर्व तक चलता रहा। छत्तीसगढ़ में किसी के पास दो-चार बोरे कौड़ियाँ हुईं तो वह धनाढ्य समझा जाता था। छत्तीसगढ़ का माल सड़कों के अभाव में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए अन्न बहुत सस्ता था। कहते हैं पहले चपरासी ॥ रुपये थे माहवारी पर काम करते थे और खुश रहते थे। वे घोड़ा रखते थे और जब बाहर जाते

थे तो उस पर चावल भर कर ले आते थे। अन्न की इतनी अधिकता थी कि दो-चार कुड़े मुफ्त में दे डालना किसी को कसकता ही नहीं था। अंग्रेजी अमलदारी के आरंभ होते ही सड़कों का बनना आरंभ हुआ जिससे माल बाहर को जाने लगा, तब भी जिस समय मध्य प्रदेश का प्रांत बना अर्थात् सन् 1961 ई. में चावल रुपये का 48 सेर और गेहूँ 56 सेर बिकता था, अब तो दोनों जिसे सात-आठ सेर पर आ गई हैं। नीचे लिखी तालिका से भाव का परिवर्तन एकदम प्रकट हो जाएगा।

		एक रुपया के कितने सेर	
साल		चावल	गेहूँ
1861-64	(जब अमेरिका की लड़ाई का प्रभाव नहीं पड़ा था)	48	56
1865-67	(लड़ाई का प्रभाव पड़ने पर)	14	26
1868-70	(1868 के अकाल का प्रभाव)	22	25
1871-73	....	34	43
1874-76	....	36	47
1877-79	(मद्रास में अकाल पड़ा)	24	28
1883-86	(राजनांदगाँव में रेल खुली)	26	29
1887-89.....	.....	18	82
1890-92	(आसनसोल को रेल खुली)	22	...
1893-95	....	20	21
1896-1900	(जिले में दो महाकाल पड़े)	13	12
1901-05	....	14	11
1906-10	....	12	14
1911-15	....	9½	10
1916-20	....	9	8
1921-24	....	7	7

सन् 1997 और 1900 के महाकालों में चावल का भाव क्रमशः साढ़े नौ सेर व दस सेर रहा, 1925 में चावल और गेहूँ का भाव प्रायः बराबर है, दोनों रुपये के सात सेर मिलते हैं।

आने जाने वाली जिन्सें

रायपुर जिले से चावल, तिल व अलसी, हर्रा व लाख इमारती व स्लीपर की लकड़ी और चमड़ा व हड्डी बाहर को भेजे जाते हैं, बाहर से आने वाले पदार्थ ये हैं, ऊनी, रेशमी और सूती कपड़ा, सूत, शक्क, नमक, काँच, लोहे और पीतल, ताँबे का सामान। हर्रा धमतरी तहसील में बहुत होता है और बम्बई कलकत्ता और कानपुर को बहुत करके भेजा जाता है। लाख सिहावा इलाका खरियार और बिन्द्रानवागढ़ जमींदारियों से भी कामठी और नागपुर को जाता है। सूत बहुत करके हींगन बाट, बदनेरा, पुलगाँव, राजनांदगाँव, नागपुर और कानपुर की मिलों से आता है। रेशमी कपड़ा बनारस व बुर्हानपुर से आता है। अब लोहे की चीजों का बहुत उपयोग होने लगा है। इसलिए इसका बना हुआ माल बहुत आता है। मिट्टी के तेल का भी उपयोग बहुत बढ़ गया है। तमाखू, गंजाम जिला और मिर्जापुर से बहुत आता है। यह विशेष कर बड़े-बड़े कस्बों में खपता है। देहाती लोग कहीं-कहीं अपनी बाड़ियों से तमाखू बो देते हैं, उसी से अपना काम चला लेते हैं और बाहर से आये हुए तमाखू का शौक नहीं करते।

बाजार व मेल

इस जिले में प्रायः 300 बाजार हैं, जो प्रति सप्ताह में भरते हैं और जिसमें गाँवटी लोग अपने मामूली निस्तार की चीजें खरीदतें हैं। गल्ला बेचने के बाजार, रायपुर, धमतरी, भाटापारा, कुरुद, समोदा, नेवरा, बलौदा बाजार चंबर व गातापार में हैं। सबसे बड़ा ढोरों का बाजार बलौदाबाजार में भरता है। उससे कुछ कम महासमुद तहसील के बरौंदा और फुलझर जमींदारी की सरईपाली में लगता है। इन बाजारों में रुपया पीछे एक पैसा लिखाई लगती है। राजिम में सालाना मेला भरता है। वह माघ सुदी अष्टमी से आरंभ होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक रहता है। शिवरात्रि और पूर्णिमा के दिन बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर महानदी व पैरी के संगम पर कुलेश्वर का मंदिर है और

महानदी के दाहिने किनारे पर राजीवलोचन का प्रख्यात मंदिर है। यथार्थ में लोग यहाँ देव दर्शन और स्नान के लिए आते हैं, परंतु उस समय दूर-दूर के दुकानदार भी पहुँच जाते हैं। करीब 700 दुकानें बिक्री का माल लाती हैं और डेढ़-दो लाख का सौदा होता है। रायपुर जिले में यह सबसे बड़ा मेला है। इसके सिवाय 12 मेले और भरते हैं, परंतु उनमें व्यापार अधिक नहीं होता। रायपुर से 18 मील बंगोली में एक कबीरपंथी साधु की समाधि है, वहाँ फागुन में 15 दिन तक मेला रहता है। कार्तिक की पुन्नी (पूर्णिमा) को रायपुर से 4 मील नदी के महादेव घाट पर मेला भरता है, वहाँ पर विशेष कर रायपुर शहर के लोग जमा होते हैं। अन्य छोटे-मोटे मेले सिरपुर, खलारी, रुद्री, पंहदा, तुरतुरिया आदि में भरते हैं।

सड़कें

पहले बता आये हैं कि रायपुर जिला क्या तमाम छत्तीसगढ़ में सड़कों का अभाव था, इसलिए गाड़ियों द्वारा माल ले जाने का सुभीता नहीं था, केवल बंजारा लोग बैलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को माल ले जाते थे। बहुधा वे नमक भरकर लाते थे और उसे बेच कर अनाज लाद ले जाते थे। आने-जाने के मुख्य मार्ग तीन थे, अर्थात् रायपुर से नागपुर, जबलपुर और जयपुर जमींदारी। जबलपुर का मार्ग मंडला होकर चिल्पीघाटी से था। जयपुर को खरियार पर से जाते थे। राजिम चाम्पाझिर होते हुए सम्बलपुर से पुरी जाने वाले यात्रियों का भी रास्ता बहुत चलता था। अब तो रायपुर से सम्बलपुर तक पक्की सड़क बन गई है। इसकी एक शाखा आरंग से फूट कर खरियार होती हुई कालाहंडी को चली गई। रेल के खुल जाने से नागपुर और जबलपुर की सड़कें अब तक बहुत कम चलती हैं। यही हाल रायपुर से धमतरी जाने- वाली सड़क का है, परंतु धमतरी से आगे का भाग जो कांकेर होता हुआ जगदलपुर चला गया है, वह बहुत चलता है। अन्य सड़कें ये हैं—राजिम से नवागढ़ होती हुई देवभोग, भाटापारा से बलौदा बाजार होती हुई लवन, टिलडा से सिमगा बेमेतरा होती हुई कवर्धा, रायपुर से सिमगा बिसरामपुर होती हुई बिलासपुर, रायपुर से खरोरा, पलारी होती हुई बलौदा बाजार, भाटपारा से नाँदघाट होती हुई मँगेली, भाटापारा से चंदखुरी, शिवरीनारायण से सरसीवा धमतरी से रुद्री

इत्यादि। खरियार, जगदलपुर और सम्बलपुर की सड़कों द्वारा जंगल का माल बहुत आया करता है। लवन और कवर्धा की सड़कों से अनाज बहुत आता है। रेल की सड़क इस जिले में सन् 1888 ई. तक नहीं बनी थी। उस साल बंगाल–नागपुर रेलवे कम्पनी ने नागपुर से रायपुर तक चौड़ी लेन खोल दी। सन् 1929 में वह बिलासपुर तक पहुँच गई और 1900 ई. में कलकत्ता से संबंध हो गया। इस जिले के भीतर यह लेन 63 मील पड़ती है। इस पर आठ स्टेशन हैं अर्थात् कुम्हारी, रायपुर, मांढर, सिलयारी, टिलड़ा, हथबंध, भाटापारा और निपनिया। रायपुर से एक सकरी लैन धमतरी को गई है और 46 मील है, पर रायपुर शहर, भटगाँव, अब्भनपुर, सिर्री कुरुद, सरसों पुरी और धमतरी स्टेशन हैं। अब्भनपुर से एक शाखा राजिम को गई है जो केवल 10 मील है। इस पर मानक चौकी और राजिम स्टेशन में हैं। रायपुर रेल द्वारा नागपुर से 188 मील, कलकत्ता से 515 मील, जबलपुर से 248 मील और कटनी से 266 मील पड़ता है। जब से रेल बन गई है, तब से नाज के सस्तापन ने अपना रास्ता ले लिया। अब प्राय: भाव सर्वत्र समान सा रहता है।

❑

छठवीं झलक

शासन

माल

राज्य शासन के दो मुख्य अंग हैं—माल और प्रबंध। प्राचीनकाल में माल प्रणाली कैसी थी, इसका ब्यौरा तो अवगत नहीं है, परंतु कुछ मोटी-मोटी बातों का पता लगता है, जिनसे जान पड़ता है कि हैहयों के समय में प्रत्येक गाँव की जमा अलग-अलग स्थिर नहीं थी। जब राजा को रुपया-पैसा अनाज आदि की आवश्यकता होती, तब वे अपने सरदारों से माँगते थे और सरदार अपने मातहतों से वसूल करते थे। इसलिए गाँव की जमा का बंदोबस्त तालुका के मालिक के अधीन था और जमीन का लगान का गौंटियों के हाथ में था। लड़ाई के समय में जितने सिपाही माँगे जाते थे, वे भी इन्हीं के द्वारा भेजे जाते थे। इसलिए वैतनिक फौज बहुत कम रखी जाती थी। रतनपुर के वैभवशाली राजा केवल 14,000 सिपाहियों से काम चलाते थे।

मरहठों के जमाने में तालुका के अधिकारी कमाइशदार अपने गाँवों में वार्षिक लगान लगाते थे और उसे तीन किस्तों में वसूल करते थे। पहली दो किस्तों की रकम तो स्थिर कर दी जाती थी, परंतु तीसरी अस्थिर रहती थी, जिसमें ठेका छीन लेने का डर बनाकर जितनी रकम मिल सके, उतनी वे ठेकेदार से लूट लेते थे। इस प्रथा से प्रजा बड़ी दुखारी रहती थी। कई इलाके बैठ गए। किसान घर-द्वार छोड़ कर भाग गए। तब मरहठों ने साहुलदारी को युक्ति निकाली। गैरआबाद जंगली मौजों के चक बनाए, ऐसे चार ताहुत बने अर्थात लवन 336 मौजों का तरेंगा 143 मौंजों का, सिरपुर 42 मौजों का

और चौथा खलारी सिहावा, जिसके मौजों की संख्या ज्ञात नहीं है। पहले तीन लवन के बनियाँ पीलासाव को दिए गए और चौथा उसी जाति के एक अन्य व्यक्ति को।

सरकारी बंदोबस्त

इन बुरी रीतियों का संशोधन सन् 1818 ई. से आरंभ हुआ, जबकि रघुजी भोंसले की नाबालिगी में छत्तीसगढ़ का प्रांत 12 वर्ष के लिये अंग्रेजों को सौंपा गया। उस समय प्रजा को उसास मिली, साथ-ही-साथ नियम पूर्वक लगान लेने से जिले की आमदनी भी बढ़ गई। अंत में सन् 1854 ई. से भोंसली राज उठ गया और अंग्रेजों का अमल हुआ। तब उन्होंने तिसाला बंदोबस्त करना आंरभ किया। यह प्रथा आठ साल तक जारी रही। पश्चात् सन् 1862 ई. में लंबे बंदोबस्त की काररवाई आरंभ की गई। इस बंदोबस्त की म्याद बीस साल रखी गई। रायपुर जिले की ताहुतदारियाँ तोड़कर उनके मालिकों को मालगुजारी अधिकार दिए गए। उस समय तरेंगा ताहुतदारी बिलासपुर जिले में थी। वहाँ के बंदोबस्त के अफसर ने उसे स्थिर रखना उचित समझा। इसीलिए वह अभी तक कायम है और 1806 ई. की अदल-बदल में अब वह रायपुर जिले में आ गई है।

लाखा बाटा

छत्तीसगढ़ में खेती की एक विचित्र प्रथा जारी थी, जिसके आरंभ का पता नहीं लगता। उसको लाख बाँटा कहते हैं। यह गाँव की जमीन का बँटवारा था, जिसके द्वारा हर एक किसान को गाँव की हर प्रकार की जमीन जोतने का अवसर मिलता था। बहुधा किसानों की 5 टोलियाँ बनाई जाती थीं। गाँव के छै विभाग किये जाते थे। फिर गोंटी डाली जाती थी और जिस टोली के मुखिया को जो विभाग पड़ता था, वह उसे सौंपा जाता था। छठवाँ विभाग गौंटिया को दिया जाता था। मुखिया लोग अपने विभाग का बँटवारा गोटी द्वारा ही अपनी टोली के किसानों में कर देते थे। कुछ नियुक्त समय के अनतर बँटवारे की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, जिसमें भली-बुरी जमीन का अलट-पलट हो जाता था। यह प्राथमिक अवस्था का अवशेष सा जान पड़ता है, जब जमीन बहुत पड़ती रहती और खेती कम होती थी। उस समय कोई

कुनबा किसी जमीन पर जाकर बस जाता था और अलग होने पर कमाई हुई जमीन का इस प्रकार बँटवारा कर देता था कि सब को हर प्रकार की जमीन का उपभोग मिल सके। कुनबे के प्रबंधकर्ता अर्थात् जैठे को विशेष भाग मिलने की चाल अभी तक चली आती है। छत्तीसगढ़ में इकजातियाँ गाँव कई हैं। ये कहीं–कहीं एक ही वंश की बेल वृद्धि से बसे हैं। जब बस्तियाँ बहुजातियाँ होने लगीं, तब प्रत्येक जाति के लोगों में समान बँटवारा करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कुछ बड़े–बड़े विभाग करके जातीय मुखियों को सौंपे जाने लगे ताकि वे अपनी जाति के पृथक्–पृथक् किसानों को हिस्से अनुसार बँटवारा कर दें। समानता के लिए सामयिक दुहराव होने लगा। यही लाखाबाटा कहलाने लगा। इस शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, परंतु यदि यह लेखा–बांटा का विकृत रूप हैं तो अर्थ होगा किसानों का लेखा (गिनती) लगाकर बँटवारा करना। बंदोबस्त के समय इस लाखाबाटा के कारण किसानों के हक स्थिर करने में बड़ी अड़चन पड़ी। अंत में यह ठहरा कि जो किसान 12 बरस से जमीन जोतते चले आते हैं, चाहे लाखाबाटा में किसी विशेष खेत को थोड़े ही समय से जोतते रहे हों, उन्हें मौरुसी हक दिया जाए, शेष मामूली किसान करार दिए गए, परंतु जब कोई प्रणाली जड़ जमा लेती है तो उसको एकदम उखाड़ना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नवीन हक स्थिर होने पर भी जब कोई किसान पड़ी जमीन को तोड़ते थे तो उसका लाखाबाटा कर डालते थे। इसके उदाहरण सन् 1903 ई. तक मिलते हैं।

पिछले बंदोबस्त

सन् 1868 के बंदोबस्त में रायपुर खालसा की तीन लाख जमा स्थिर की गई। ह्यूट का बंदोबस्त सन् 1888 में खतम हो गया, तब दूसरा बंदोबस्त किया गया, इस समय जमा सवा पाँच लाख स्थिर की गई। इसका फल यह हुआ कि मालगुजारों ने किसानों का लगान तो बढ़ाया नहीं, परंतु उनसे अंधाधुंध नजराना लेने लगे। इससे प्रजा की दशा बिगड़ चली। सन् 1897 ई. में तीसरे बंदोबस्त का आरंभ हुआ, परंतु दो अकाल पड़ जाने के कारण वह सन् 1903 में बंद कर दिया। इसके बाद दो साल अच्छे आये। इससे सन् 1905 में कारवाई फिर जारी करके बंदोबस्त पूरा कर दिया गया। अब मालकाली

7,75,982 है। इस बंदोबस्त की म्याद खतम होने को आयी। इसलिए चौथे बंदोबस्त की काररवाई आरंभ कर दी गई है।

जमींदारियाँ

इस जिले में 11 जमींदारियाँ हैं, जो टकौली देती हैं। पहले बंदोबस्त में कुल टकौली 6450 रुपये लगती था, दूसरे बंदोबस्त में 32,700 कर दी गई। सन् 1893 ई. में आबकारी और पांढरी के अधिकार जमींदारों से ले लिये गए। सन् 1888 ई. में पुलिस का खर्चा और अधिकार उनसे निकाल लिया गया। तीसरा बंदोबस्त सन् 1988 में आरंभ हुआ। इस समय टकौली की रकम 8 2,700 हो गई है। चौथा बंदोबस्त शुरू है, अभी पूरा नहीं हुआ।

अकाल

रायपुर जिले में धान की खेती बहुत होती है। इसलिए जब कम वर्षा होती है तो वह शीघ्र सूख जाती है, जिससे अकाल पड़ जाता है। जब रेलें नहीं थीं, तब यहाँ का माल यहीं रहता था। इसकी इतनी अधिकता रहती थी कि चावल रुपये का दस मन मिलता था। प्राचीनकाल के अकालों का कहीं उल्लेख पाया नहीं जाता, परंतु सब से पुराने अकाल की स्मृति जो बनी है वह 1828 ई. के जमाने की है। उस साल फसल बिगड़ गई, तब चावल का भाव रुपए का 12 सेर हो गया। सन् 1834-35 में फिर अकाल पड़ा, तब भाव 24 सेर का रहा। सन् 1845 में पानी नहीं बरसा, तब फिर पीड़ा हुई, उस समय चावल 27 सेर का बिका। अंग्रेजों की अमलदारी में सन् 1868-69 में अकाल पड़ा। लवन और कसडोल परगनों में विशेष विपत्ति आयी, कई गाँव उजड़ हो गए। पीड़ितों के बचाने के लिए 50,000 खर्च किये गए। फिर सन् 1877-78 और 1886 में फसल मारी गई। तब कुछ काम लगाकर पीड़ितों की रक्षा की गई। इसके पश्चात् सन् 1897 में भारी अकाल पड़ा। तब सड़कों का काम खोला, जिनमें कभी-कभी 70 हजार लोग काम करने आते थे। 21 तालाबों की खुदाई भी लगाई गई, 49 किचन (खाना घर) खोले गए और खेड़ों में रुपया बाँटा गया। इस प्रकार एक लाख से अधिक लोगों की परवरिश की गई। ऐसा भयंकर अकाल इसके पूर्व कभी नहीं पड़ा था, इसलिए रक्षा के प्रबंध का पिछला अनुभव कुछ नहीं था, तिस पर भी उस समय डिपुटी

कमिश्नर एच.एम.लारी साहब ने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया, जिससे हजारों के प्राण बच गए। तीन ही साल के पश्चात् उससे भी भयंकर समय आया। सन् 1892 में फसल बिल्कुल मारी गई, तब हाहाकार मच गया। चारों ओर कंगाल ही कंगाल दिखाई देने लगे। वे सड़कों और तालाबों के कामों में लगाये गए। तीनेक हजार किचिन खोले गए, जिनमें साढ़े छह लाख लोगों को पका खाना दिया जाने लगा। 3397 तालाब खुदाये गए और एक हजार की मरम्मत कराई गई। गाँव-गांव रुपया बाँटा गया। कुल खर्चा सरकार का 1 करोड़ 26 लाख बैठा। इसके सिवाय कई लाख चंदे से व उदार चरित्र लोगों के दान से खर्चा हुआ, यथा खरियार के जमींदार ने चालीस-पचास हजार रुपया लगा दिया। कंगालों की कुल संख्या सात लाख से ऊपर रही। प्राय: आधा जिला मजदूरी करके पला। इस समय चावल का भाव 9½ सेर रहा। वह बंगाल व बर्मा से बहुत लाया गया, नहीं तो भाव इससे भी कम हो जाता। इसके पश्चात् सन् 1602-03 में भी फसल ठीक नहीं आई। पीड़ा तो कुछ हुई, परंतु बहुत नहीं। अधिक से अधिक 60,000 लोगों ने तालाबों के काम का आश्रय लिया। इसके पीछे भी थोड़ी-बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई, उसका यथोचित निवारण किया गया। दुर्भिक्ष के इस दु:खमय चरित्र को देखकर सरकार ने आवपाशी का प्रबंध किया है, जिसका वर्णन चौथी झलक में हो चुका है। गरीब किसानों की सहायता के लिए सहकारी सभाएँ स्थापित की गई हैं, जिनसे रुपया उधार लिया जाता है, परंतु यथोचित प्रबंध न होने से इनसे यथेष्ट लाभ की आशा नहीं दिखती।

सदर मुकाम

रायपुर जिले का सदर मुकाम नहीं है वरन रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग इन तीन जिलों से बनी हुई छत्तीसगढ़ कमिश्नरी और इन्हीं तीनों जिलों से बने हुए सैशन्स डिवीजन का सदर मुकाम है। कमिश्नरी का मुख्य अधिकारी कमिश्नर होता है। दीवानी मामले और फौजदारी के संगीन मुकदमें डिस्ट्रिक्ट और सैशन्स-जज के अधीन रहते हैं। मध्यप्रदेश में 15 रियासतें हैं, उनमें से 14 छत्तीसगढ़ के भीतर हैं। इनकी देख-रेख के लिए एक पोलिटिकल एजेंट नियुक्त है। उसका भी सदर मुकाम रायपुर है। इनके सिवाय छत्तीसगढ़

डिवीजन के पोस्ट ऑफिसों का सुपरिंटेंडेंट रायपुर और बिलासपुर जिलों का इनकम टैक्स अफसर, छत्तीसगढ़ रियासतों की पाठशालाओं का इंस्पेक्टर, पूर्वी विभाग का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और कृषि विभाग का डिपुटी डाइरेक्टर, महानदी आवपाशी सर्किल का सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, रेलवे पुलिस का सुपरिंटेंडेंट और ढोर चिकित्सा का डिपुटी सुपरिंटेंडेंट भी रायपुर में रहता है।

जिले के अफसर

जिले के मुख्य अधिकारी डिपुटी कमिश्नर है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहता है। उसकी सहायता के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर और 5 एकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं, जो माल और फौजदारों का काम देखते हैं। जिले में चार तहसीले हैं, अर्थात् रायपुर, धमतरी, महासमुन्द और बलौदाबाजार। हर एक तहसील में एक-2 तहसीलदार और एक नायाब तहसीलदार नियुक्त हैं। महासमुन्द बहुत बड़ी तहसील होने के कारण उसमें एक एडीशनल तहसीलदार है। रायपुर और बलौदाबाजर तहसील में एक के बदले दो-दो नायाब तहसीलदार हैं। ये लोग माल की वसूली और फौजदारी के मुकदमे करते हैं। प्रत्येक तहसील की जिम्मेदारी सब डिवीजनल अफसर पर रखी गई है। असिस्टेंट या एकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर लोग सब डिवीजनल अफसर मुकर्रर किये जाते हैं। रायपुर सरईपाली, आरंग, धमतरी, कोमाखान, खरियारा बिलाईगढ़, पिटारा, छुरी और कुम्हारी में आनरेरी मजिस्ट्रेट की अदालत है। इसको दूसरे या तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट का अधिकार है। दीवानी के लिए डिस्ट्रिक्ट और सैशन्न जज के सिवाय रायपुर में एक एडीशनल सैशन्स जज और दो सब जज रहते हैं। धमतरी और बलौदाबाजार में भी एक-एक सब जज नियुक्त हैं।

पुलिस व जेल

पुलिस विभाग का काम डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस देखता है। उसकी सहायता के लिए दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रहते हैं, शेष पुलिस में कई इन्स्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, सारजंट, हेडकांस्टेबल, कांस्टेबल और सवार हैं, जिनकी कुल संख्या साढ़े सात सौ के लगभग बैठती है। रायपुर जिले में 29 थाने हैं, जिनका मुखिया इन्स्पेक्टर रहता है। रायपुर तहसल में पाँच थाने, रायपुर,

अब्भनपुर, घरसींवा, आरंग और खरोरा में हैं। सहासमुन्द तहसील में 14 थाने, महासमुन्द, राजिम, ठुमगाँव, पिठौरा, सुबरमार, तानोट, नवागढ़, कोमना, खरियार, देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद, छुरा, सरईपाली और वसना में है। धमतरा तहसील में 4, धमतरी, सिहावा, कुरुद, मगललोड में है। बलौदाबाजर तहसील में 6 बलौदाबाजार, सिमगा माटापारा, बिलाईगाढ़, एलारी और कसडोल में हैं। थानों की देख-रेख सर्किल इन्स्पेक्टर करते हैं, जो इन्सपेक्टरों में से नियुक्त किये जाते हैं। रायपुर में एक सेन्ट्रल जेल है, उसमें 130 मर्द कैदियों व 57 औरतें के रहने की जगह है। कैदरी, रस्सी, कपड़ा, चटाइयाँ बनाने और तेल पेरने के काम में लगाये जाते हैं। इनकी देख-रेख को एक सुपरिंटेंडेंट अलग नियुक्त है।

अन्य महकमें

आरोग्यता का काम सिविल सर्जन देखता है। चौदह-पंद्रह अस्पताल हैं। वे रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुन्द, आरंग, खरियार, सिमगा, सुवरमार, गरियाबंद, सरईपाली और पिठौरा में हैं। रायपुर में 3 अस्पताल हैं। विश्रामपुर और धमतरी के मिशन के अलग अस्पताल हैं। जंगल का काम डिवीजनल फारेस्ट अफसर देखते हैं। बारीकमास्टरी के लिए एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और आवपाशी के लिए दूसरा रहता है। खेती के सुधार की सलाह देने और कर दिखावा खितौलों की देखरेख के लिए कृषि का डिप्टी डाइरेक्टर रहता है। इनकमटैक्स लगाने के लिए एक इनकमटैक्स ऑफीसर है। जमीन के कागजात तैयार करने के लिए इस जिले में 579 पटवारी हैं। उनकी जाँच के लिए 31 रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं, ये लोग अपने-अपने हलके में रहते हैं। इस महकमे की देख रेख के लिए एक सुपरिंटेंडेंट और 3 असिस्टेंट रहते हैं। आवकारी की देखरेख के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एक्साइज अफसर और उसकी मदद के लिए कई सब-इन्सपेक्टर रहते हैं। आबकारी की दुकानें 175 हैं, उनसे 75000 रुपये आमदनी होती है। गांजा की 87 दुकानें हैं, जिनसे 25000 रुपये आमदनी आती है, 85 दुकानें अफीम की हैं, उनसे 98,000 की सालाना प्राप्ति है, इस प्रकार इस महकमे से कुल आमदनी दो लाख के करीब होती है।

डिस्ट्रिक्ट कौंसिल व म्युनिसिपालटी

मदरसा, अस्पताल, कांजी हाउस और छोटी-मोटी सड़कों और नदियों के घाटों का प्रबंध डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के जिम्मे हैं। हर एक तहसील में एक कौंसिल व एक-एक लोकलबोर्ड और जमींदारियों के लिए एक अलग लोक बोर्ड है। जिले में केवल दो म्युनिसिपालिटी हैं, एक रायपुर में, दूसरी धमतरी में है। पहली की आमदनी 2,41,000 और खर्च 2,54,000 है, दूसरी की आमदनी 38,000 और खर्च 30,000 है। भाटापारा में नोटीफाइड एरिया अर्थात् कच्ची म्युनिसिापलिटी कायम की गई है।

पाठशालाएँ

इस जिले में एक राजकुमार कालेज, तीन हाई स्कूल, 6 अंग्रेजी मिडिल स्कूल और 16 हिंदी मिडिल व 358 प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। सिवाय इनके पुरुषों के लिए एक नार्मल स्कूल है। कुल विद्यार्थियों की संख्या तीस हजार है। हिंदी शालाओं की देखरेख के लिए पाँच डिप्टी इन्सपेक्टर हैं। जिले में शिक्षितों की संख्या 35 हजार है, इनमें तीन हजार स्त्रियाँ शामिल हैं। इस जिले में लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ने का बड़ा रिवाज है। मिश्रित शालाएँ पहले यहीं से शुरू हुईं। अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या केवल अढ़ाई हजार है, इनमें डेढ़ सौ स्त्रियाँ शामिल हैं।

❑

सातवीं झलक

दर्पणी

अभनपुर—(जनसंख्या 1082) रायपुर से अठारह मील रायपुर-धमतरी रेलवे लाइन का स्टेशन है। यहाँ से रेल की एक शाखा नौ मील राजिम को गई है। यहाँ पर एक सरकारी आवपाशी का तालाब है। यहाँ प्राइमरीशाला, पुलिसथाना, डाकखाना और विश्राम बँगला भी है। गाँव मुआफी है और रायपुरी के दूधाधारी मंदिर को लगा है। यहाँ मंगल और बृहस्पतिवार को बाजार भरता है।

आमदी—(ज. 2079) धमतरी से सात मील बड़ा गाँव है। यहाँ तेलियों की अधिकता है। यहाँ की जमीन जिले भर में सबसे अच्छी है। यहाँ पर एक पाठशाला भी है।

आरंग—(ज. 6052) सम्बलपुर की सड़क पर रायपुर से 22 मील है। यहां से महानदी चार मील आगे पड़ती है। आरंग नाम की व्युत्पत्ति लोग आरे से बतलाते हैं और कहते हैं यहाँ पर म्यूरध्वज का सिर आरे से काटा गया था। श्रीकृष्ण ने इनकी भक्ति परीक्षा करनी चाही, इसलिए बूढ़े ब्राह्मण का वेष धर राजा से जाकर कहा कि मेरे को बाघ ने पकड़ा था और इस शर्त पर छोड़ दिया कि आपका आधा दाहिना अंग मैं उसके भक्षण को ला दूँ, सो अब मैं आप से क्या प्रार्थना करूँ। राजा ने कहा—कुछ परवाह नहीं, मेरा आधा शरीर काटकर बाघ को ले जाकर दे दो, मैं राजी हूँ। जब उनका शरीर आरे से चीरा जाने लगा और आरा नाक तक पहुँचा, तब राजा की बाईं आँख से एक आँसू टपक पड़ा। बूढ़े ने कहा—बस करो, राजा दान देते रोता है, मुझे उसका दान

नहीं चाहिए। इस पर रानी ने तुरंत उत्तर दिया—महाराज नाराज मत होइए, दाहिना अंग खुशी मनाता है कि मैं किसी काम में पड़ जाऊँगा, परंतु बायाँ इसलिए रोता है कि मैं किसी काम का न हुआ, वृथा फेंक दिया जाऊँगा। इस पर श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और राजा को अच्छा करके वरदान दिया। कहते हैं उस समय से तमाम छत्तीसगढ़ में आरे का उपयोग ही बंद कर दिया गया। बहुतेरों का मत है कि यह घटना रतनपुर में हुई थी न कि आरंग में। यथार्थ में कस्बे का नाम आरंगनामी वृक्ष पर से रखाया जान पड़ता है। यह एक छोटे प्रकार का झाड़ है जिससे लोग बहुधा कुल्हाड़ी के बेंट बनाते हैं। जान पड़ता है कि पहले आरंग बड़ा नगर था, यहाँ पर जैन और हिंदू मंदिरों के बहुत से खंडहर विद्यमान हैं। अभी तक एक सुंदर जैन मंदिर खड़ा है, जिसे लोग नग्न मूर्तियों के कारण भांड देवल करते हैं। इसकी कारीगरी दर्शनीय है। महामाया के मंदिर में कई भव्य मूर्तियों के टूटे-फूटे भाग पड़े हैं। यहाँ एक शिलालेख भी मिला था। नारायण ताल पर बड़ी-बड़ी विष्णु की मूर्तियाँ पड़ी हैं। खोदने से जमीन में गड़े हुए खंभे आदि मिलते हैं। यहाँ पर दो ताम्र शासन भी मिले थे। इनमें से एक राजर्षि तुल्य कुल का है। उसकी तिथि 601 ई. लिखी है। जान पड़ता है इनकी राजधानी आरंग ही में थी। दूसरा शासन गुप्त वंशीय राजाओं का है, जो सिरपुर में राज्य करते थे। यहां पर पंद्रह-सोलह वर्ष पूर्व एक जैन मूर्ति स्फटिक की मिली थी, जो कांच समझकर दो-तीन रुपये में नीलाम कर दी गई। पीछे से वह महंगी बिकी। इनके प्रेम का गीत तमाम छत्तीसगढ़ में से गाया जाता है। आरंग में बहुत से साहूकार रहते और लेन-देन करते हैं। यहाँ पर आनरेरी मजिस्ट्रेटों की अदालत, लड़के और लड़कियों की पाठशालाएँ, डाकखाना, डाक-बँगला, अस्पताल और सराय है।

कटगी जमींदारी—महानदी के दक्षिण में 57 वर्ग मील की छोटी सी जमींदारी है। बीच से जोग नदी बहती है। धान बहुत होता है। जंगल नहीं है। जमींदार पहले जोग नदी के तट पर कटगी गाँव में रहते थे, उनके निरपत्य हो जाने से जमींदारी अब बिलाईगढ़ के अधीन हो गई है, कटगी की बसीगत सघन है। गाँव 42 हैं। अन्य वार्त्ता के लिए बिलाईगढ़ के नीचे देखो।

कसडोल—(जनसंख्या 1073) बलौदाबाजार तहसील में महानदी के

उस पार बलौदाबाजार कस्बे में 18 मील है। यह कसडोल परगने का सदर मुकाम है। इसमें पहले उनतीस गाँव थे। अब बँटवारा हो गया है। मालगुजार ब्राह्मण हैं। एक भाई ने अस्मिद में बड़ा तालाब बनवाया है, जिससे कुल परगने की आवपाशी हो सकती है। यहाँ पुलिस थाना, डाकखाना और मदरसा हैं।

कांदाडोंगर—बिंद्रानवागढ़ जमींदारी में गोंडहारी गाँव की हद में गरियाबंद से बीस मील मध्य जंगल में है। यह किला आदि का खंडहर है। पहले यहाँ एक राजा रहता था, जिसका जिक्र सन् 1145 ई. के शिलालेख में है, जो राजिग मंदिर में लगा हुआ है।

कुरुद—(ज. 2535) धमतरी से 14 मील रेलवे स्टेशन है। यहाँ बहुत से तालाब हैं। मंगल को बाजार भरता है। यहाँ पर पाठशाला, डाकखाना और पुलिस थाना है। यहाँ के एक बुचुवा तेली की कहानी बन गई है, उसने अकाल के समय गरीबों की गुजर के लिए 400, तालाब का काम लगाने को सरकार को दिए थे। जब काम लगा, तब आप मय घर के लोगों के तालाब का काम करने लगे, परंतु मजूरी नहीं ली।

कुंवरा—रायपुर से चौदह मील बड़ा गाँव है। कहते हैं कुंवर नामक राजा ने इसे बसाया था। यहाँ पर कई तालाब हैं, उनमें से एक रानी तालाब कहलाता है। बहुत से पुराने मंदिरों के खंडहर भी हैं। कई तुड़वाकर रपटे और घाटों में लगवा दिए गए। यहाँ कई पुराने सतीचौरे भी हैं। इस गाँव में पाठशाला और डाकखाना है।

कौड़िया जमींदारी—महासमुद्र तहसील में 285 वर्गमील की जमींदारी हैं, इसमें 155 गाँव हैं। हैहयों के समय में यह खालसा तालुक था, परंतु बहुत समय तक एक ही तालुकेदार के कब्जे में रहने से उसको जमींदारी के अधिकार दे दिए गए। यहाँ का जमींदार गोड़ था। अब कोई पुरुष नहीं रहा। आखिरी जमींदार की विधवा विष्णुप्रियादेई मालकिन हैं। दो तिहाई रकबे में धान बोया जाता है, शेष में तिल, कोदों-कुटकी बहुत होती है। 60 वर्गमील में जंगल है। उसमें साल या साई बहुत होती है। सरकार को सालाना 12,500 टकौली लगती है। इस जमींदारी में दो मदरसे और सदर मुकाम पटौरा में एक पुलिसथाना और डाकखाना है। यहाँ एक आनरेरी मजिस्ट्रेट की अदालत भी है।

खरियार जमींदारी—महा-समुंद्र तहसील क्षेत्र का रकबा 1489 वर्ग मील है। इसमें जोग सुंद्र और उदेत नदियाँ बहती हैं। जमीन उंचास पर है। कहीं जल की सतह से ऊँचाई 3000 फुट तक पहुँच गई है। इसमें 606 गाँव हैं जिसमें साठेक वीरान हैं। गोंड़, कमार और भुंजिया अधिक बसते हैं। बहुत से भाग में उड़िया भाषा अधिक बोली जाती है। प्राय: 700 वर्ग मील में जंगल है। उसमें सरई बहुत होती है। धान की खेती का प्राधान्य है। व्यासी का प्रचार तो है ही, परंतु जमींदारी के दक्षिणी भाग में रोपा भी लगाने की चाल है। सरकार को टकौली 7500 रुपये सालाना लगती है। यह जमींदारी पटना के महाराजा प्रताप देव के छोटे लड़के गोपालराव देव को पंद्रह-सोलह पीढ़ी पहले दी गई थी। कुछ भाग जयपुर के राजा से दहेज में मिला था। उसकी लड़की गोपालराव को ब्याही गई थी। इसमें खरियार खास के साथ खोलागढ़, गौरागढ़ और कुमरागढ़, जो पटना के अधीन थे, मिला दिए गए थे। यह वंश चौहान क्षत्रिय है और बड़ा उदार चरित्र है। राजा ब्रजराजसिंह देव ने सन् 1899-1900 के अकाल में 4500 रुपये दीन पालनार्थ खर्च किया था। ये 1907 ई. में मरे। उनके पश्चात् उनका लड़का वीरविक्रम देव उत्तराधिकारी हुआ, परंतु वे छोटी ही उमर में चल बसे। अब उनके पुत्र लाल आर्त्तत्राणदेव जमींदार हैं। उनकी आयु 24 वर्ष की है। खरियार पहले अठारागढ़ जातों में लेखा जाता था। कहते हैं कि जिस समय छत्तीसगढ़ के जमींदारों को राजा के अधिकार बख्शे थे, उस समय खरियार के जमींदार उपस्थित नहीं हुए, इसलिए ये उन अधिकारों से वंचित रह गए। इस जमींदारी का सदर मुकाम खरियार है, जो रायपुर से 116 मील कालाहडी की पक्की सड़क पर है। खरियार कोमना और नानवट नवापारा में पुलिस थाने हैं। मदरसे आठ हैं। खरियार खास में एक अंग्रेजी मदरसा, अस्पताल, डाकखाना और पुत्रीशाला है। यहाँ दो आनरेरी मजिस्ट्रेटों की अदालतें भी हैं। शुक्रवार को बाजार भरता है।

खरोरा—(ज. 1284) रायपुर से 33 मील और टिलदा स्टेशन से 15 मील है। यहाँ अन्न का व्यापार बहुत होता है। हर बृहस्पतिवार को बाजार भरता है। ढोर भी बिकने को आते हैं। यहाँ मदरसा और डाकखाना

है। खरोरा से 6 मील पर कुसरंगा में सरकार ने आवपाशी के लिए 90,000 की लागत का तालाब बनवा दिया है।

खलारी—महासमुन्द तहसील में राजिम से 29 मील और रायपुर से 45 मील है। इसका प्राचीन नाम खलवाटिका था और हैहयवंशी राजा यहाँ रहते थे। राजा हरिब्रह्म देव के समय में एक मोची ने सन् 1415 ई. में एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख एक शिलालेख में पाया जाता है। यहाँ पर किला आदि के खंडहर भी हैं। चैत में यहाँ खलारी माई का मेला भरता है। हर सोमवार को बाजार भी भरता है। यहाँ पाठशाला और डाकखाना है।

खारून नदी—यह दुर्ग जिले की संजारी तहसील में एक तालाब से निकली है और उत्तर को बहकर दुर्ग और रायपुर किलों की कुछ दूर सीमा बनाती रायपुर तहसील में घुस गई है। पश्चात् कुछ दूर बहकर दोनों जिलों की बीच की सीमा पुनः बनाती शिवनाथ में मिल गई है। कुम्हारी के स्टेशन के पास इस पर रेल का पुल बना है। इसकी मुख्य सहायक नदी कुल्हान है।

चाम्पाझर—राजिम से 6 मील महासमुन्द तहसील में छोटा-सा गाँव है। यहाँ एक छोटा सा जंगल है, इसी को ब्रह्माचार्य सम्प्रदाय के लोग चम्पारण्य मानते हैं और कहते हैं कि सम्प्रदाय के अधिष्ठाता यहीं पर पैदा हुए थे। यह महत्त्व इस स्थान को केवल 30 या 40 वर्ष से मिला है। अब यहाँ मंदिर और धर्मशालाएँ बन गई हैं और माघ में मेला लगने लगा है। राजिम माहात्म्य में यहाँ के चम्पकेश्वर महादेव का जिक्र है। ये लिंगस्वरूप जंगल ही में स्थिर हैं और उनकी विचित्र रूप से पूजा होती है। एक ओर अहिंसात्मक नैवेद्य चढ़ाया जाता है, दूसरी ओर बकरे काटे जाते हैं। इस गाँव में और आस-पास के खेड़ों में होली नहीं जलाई जाती।

जोग नदी—इसको जोंक या जुंगिया भी कहते हैं। यह खरियार जमींदारी से निकली है और कुछ दूर तक उसकी सीमा पर बहकर कौड़िया और फूलझर जमींदारियों की हद बनाती हुई देवरी जमींदारी में प्रवेश कर सोनाखान और कटणी से होती हुई शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल गई है। लंबाई 100 मील है।

तरेंगा—(ज. 2277) बलौदाबाजार तहसील में भाटापा स्टेशन से 4 मील है। यहाँ एक प्रख्यात ताहुतदार का सदरमुकाम है, जिसके 145 गाँव हैं। यहाँ पाठशाला और डाकघर है। हर सोमवार-शुक्रवार को बाजार भरता है।

तुमगाँव—महासमुन्द तहसील में रायपुर से 34 मील सजलपुर की सड़क पर है। इसके निकट शिकार अच्छा मिलता है, यहाँ विश्राम बँगला, पुलिस थाना, पाठशाला, डाकखाना और अन्य पड़ाव है। हर शनिवार को बाजार भरता है।

तुरतुरिया—बलौदाबाजार में बहिरिया गांव के निकट एक तीर्थ है। वह शिरपुर से 15 मील और रायपुर से 50 मील है। यहाँ पर पहले बौद्ध भिक्खुनियों का बिहार था। यहाँ पर अब भी बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जिस पर बौद्ध धर्म का बीज मंत्र खुदा हुआ है। विचित्र बात यह है कि यहाँ की पूजा केवल स्त्रियों द्वारा होती है। यहाँ पर हिंदू देवताओं की भी खंडित मूर्तियाँ हैं। यहाँ एक झरना है, जिसमें पानी सुरसुर या तुरतुर करता बहता है, इसलिए इस स्थान का नाम तुरतुरिया पड़ गया है। कोई उसे सुरसुरी गंगा कहता हैं। बाजे-बाजे इसे वाल्मीकि का स्थान कहते हैं और कहते हैं कि कुश और लव यहीं पैदा हुए थे और कुश ही के नाम पर इस देश का नाम कौशल पड़ा था।

देवकूट—धमतरी तहसील के सिहावा इलाके में सिहावा से आठ मील महानदी के तट पर है। यहाँ पर छह प्राचीन मंदिर बने हैं। दो में अच्छी कारीगरी का काम है। एक में कांकेर के राजा बाघराज का बारहवीं शताब्दी का शिलालेख है।

देवभोग—रायपुर जिले के बिलकुल दक्षिण कोने में बिंदानवागढ़ जमींदारी में है। रायपुर से वह 139 मील दूर है। सोमवंशी राजाओं के समय में वह एक जिले का सदर मुकाम था। उसका जिक्र महाराजा महाभवगुप्त के ताम्र शासन में आता है। यहाँ एक पाठशाला, पुलिस थाना और डाकखाना है। चावल, तिल और लाख का यहाँ कुछ व्यापार होता है।

दवरी जमींदारी—यह एक 82 मील की छोटी सी जमींदारी

बलौदाबाजर तहसील में सोनाखान और कंगेड़चा के बीचोबीच है। इसमें 37 गाँव है और टकौली 275 रुपये लगती है। धान, कोदों, कुटकी और तिल की खेती..........वर्गमील जंगल है, जिसमें साल या सरई बहुत है.............. विंझवार जाति के लाल राजेंद्र शाह हैं। कर्ज के कारण जमींदारी कोर्ट ऑफ वाड्र्स के प्रबंध में है। सोनाखान का जमींदारी जो सन् 1857 में बागी हो गया था, उसको यहीं के जमींदार महाराज साय ने पकड़वा दिया था। सोनाखान का जमींदार महाराज साय का भतीजा था। वह जब फाँसी पर चढ़ा दिया गया, तब सोनाखान थोड़े दिन के लिए महाराज साय के ताबे कर दिया गया था। परंतु गोविंदसिंह ने महाराज साय को मारकर अपने बाप का बैर भंजा लिया। सोनाखान की जमींदारी मिट गई और वह खालसा कर लिया गया।

धमतरी तहसील—क्षेत्रफल 1628 वर्गमील है, गाँव 580 हैं, जनसंख्या 2,31,240 है। सन् 1906 में दुर्ग जिला बनने से अब तहसील कुछ छोटी हो गई है। इस तहसील में बहुत से गोंड़ रहते हैं। उनकी दशा खराब है। तेली और कुर्मी विशेष कर किसानी और मालगुजारी करते हैं। धान, उड़द, मूँग और अलसी की विशेष खेती होती है, गेहूँ बहुत थोड़ा बोया जाता है। सरकारी जमा 1,77,148 है। तहसील में 4 पुलिस थाने हैं। वे धमतरी, सिहावा, कुरुद्ध और मगरलोड में है। गाँव छोटे हैं, बड़ों में केवल धमतरी और आमदी है।

धमतरी कस्बा—(ज. 12121) धमतरी तहसील का सदर मुकाम है और रायपुर से 48 मील है। रायपुर से यहाँ तक एक छोटी लाइन रेल की बनी है। महानदी यहाँ मील पड़ती है। धमतरी प्राचीन स्थान है। कहते हैं कि पहले यहाँ घुरवा नामक गोड़ राजा था। उसने अपनी लड़की सिहावा के राजा को ब्याह दी और लड़का न होने के कारण अपना राज दामाद को दे दिया। सो गोंड राजा के समय यहाँ किले और खाई बनी थी, जिसके चिह्न मौजूद हैं। सिहावा वालों के वंश में संतान न होने से राज कांकेर के राजा को चला गया। इसमें संदेह नहीं कि धमतरी पहले कांकेर राज्यान्तर्गत थी। फिर पीछे से सरकार के हाथ चली गई। इसी कारण कांकेर

के राजा धमतरी का पानी नहीं पीते। धमतरी में कई प्राचीन मंदिर हैं। उनमें रामचंद्र का मुख्य है। इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बिलाई माता का बड़ा माहात्म्य है। उसकी मढ़िया गाँव के बाहर है। पहले उसे नरबलि दी जाती थी, अब बकरे चढ़ते हैं। एक बार कांकेर के राजा ने 108 बकरे चढ़ाए थे। माघ में मेला भरता है। किले के एक कोने में महादेव की स्थापना है, उनसे भी लोग बहुत डरते हैं। कहते हैं जब सन् 1907 ई. में प्लेग आया, तब महादेव ने उससे बड़ी लड़ाई ली और बहुत नुकसान करने नहीं दिया।

धमतरी में जंगल की उपज का व्यापार अधिक होता है, जैसे लाख, हर्रा, साई आदि। अनाज का भी व्यापार कम नहीं है। बाजार इतवार को भरता है। धमतरी में मेनोनाइट मिशन है, इसने एक अंग्रेजी हाई स्कूल और लड़के और लड़कियों के मदरसे अस्पताल और कोढ़ी आश्रम खोल रखे हैं। निकटस्थ रुद्री और बालोदगहन गांवों में भी अड्डा जमा लिया है और बातचीत करने के लिए टेलीफोन लगा दिया है। धमतरी में सन् 1881 ई. में म्युनिसिपालिटी स्थापित हुई, आमदनी 38000 रुपये है, इसके द्वारा एक अस्पताल और एक मिडिल स्कूल और उर्दू स्कूल भी चलता है। सरकारी पुत्रीशाला भी है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अदालतों के सिवाय यहाँ पर आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच है। मामूली पुलिस थाना, डाकघर, तारघर आदि हैं। इनके अलावा दो विश्राम घर और एक सराय भी है। धमतरी में बहुत से मालगुजार निवास करते हैं, यद्यपि उनके गाँव दूर-दूर है।

नर्रा जमींदारी—महासमुन्द तहसुल में 21 वर्गमील की बहुत छोटी सी जमींदारी है। यह सुबरमार और खरियार के बीचोबीच है। यथार्थ में 200 वर्ष पूर्व यह खरियार के अंतर्गत थी। उसे खरियार के जमींदार ने दहेज में अपनी लड़की को दिया था, तब वहाँ पर विश्वनाथ एक अदना जमींदार था। अंत में वह पूरा जमींदार बन बैठा। वर्तमान जमींदार विश्वनाथ सिंह के वंशज हैं, ये कंवर जाति के हैं। नर्रा में केवल 16 गाँव हैं। टकौली 900 रुपये है। नर्रा खास में एक स्कूल है। वह रायपुर से 66 मील है।

नवापारा—(ज. 3311) यह राजिम के सामने महानदी के इसी पार बसा है और रायपुर से 28 मील है। अभनपुर से धमतरी लाइन की शाखा यहीं तक गई है। पहले यह राजिम का छोटा सा पारा था, जिसको राजा बिम्बाजी ने राजिम के मंदिर को गोबरी अर्थात् कण्डों के लिए दिया था। इसी से यह गोबरा कहलाता था, अब बढ़कर स्वतंत्र गाँव हो गया है। यहाँ पर उड़िया कसार बहुत हैं, जो काँसे के बर्तन बनाते हैं। यह गाँव राजिम मंदिर को मुआफी में लगा है, यहाँ एक पाठशाला है। हर सोमवार को बाजार भरता है।

नेवरा—(ज. 1635) बलौदाबाजार तहसील में टिल्दा रेलवे स्टेशन से दो मील है। यहाँ बहुत से मारवाड़ी आप से हैं, ये बम्बई से नमक मँगाते और यहाँ से गल्ला भेजते हैं। काँच की चूड़ियाँ यहाँ बहुत बनती हैं। हर बुधवार को बाजार भरता है, यहाँ पाठशाला और डाकखाना है।

पैरी नदी—महानदी की सहायक नदी है। बिन्द्रानवागढ़ में मैनपुर के पास से निकलकर राजिम के पास महानदी में मिली है, यहाँ उसका पाट 600 गज हो गया है।

फिंगेश्वर जमींदारी—महासमुंद्र तहसील में है। रकबा 179 वर्गमील है। गाँव 26 हैं, टकौली 12000 रुपये हैं, जमींदारी बहुत पुरानी है। जमींदार गोंड़ हैं। वर्तमान जमींदार का नाम विश्वनाथसिंह है। गौड़, तेली, चमार यहाँ अधिक बसते हैं। धान की खेती अधिक होती है। कोदों कुटकी भी बोये जाते हैं। 42 वर्गमील में जंगल लगा है। सब से बड़ा गाँव फिंगेश्वर है, यहाँ एक पाठशाला और डाकखाना है, फिंगेश्वर राजिम से दस मील है।

फुलझर जमींदारी—यह एक बड़ी जमींदारी है, परंतु जंगली और पहाड़ी है, रकबा 852 वर्ग मील है। गाँव 527 हैं। प्राचीनकाल में खरियार और बिंद्रानवागढ़ की नाईं इसकी गिनती पटना महाराजा के अधीन अठारहगढ़ जातों में होती थी। जमींदार गोंड़ हैं और अपना संबंध चान्दा के गोंड़ राजाओं से बतलाते हैं और कहते हैं कि इनके प्रथम पुरखा हरराजसाय ने 300 वर्ष पूर्व विजय करके पुराने मालिक से यह इलाका हस्तगत किया

था। उसी के वंशज सारंगगढ़, रायगढ़ और सक्ती के राजा और सुवरमार के जमींदार हैं। ये लोग फुलझर को अभी तक जेठा घर मानते हैं। जब सम्बलपुर के राजा सुरेन्द्रनाथ ने बलवा मचा दिया था, उस समय यहाँ के जमींदार जगसाय ने बड़ी सहायता की थी, जिसके उपलक्ष में सरकार ने उसे राजा की पदवी, खिल्लत और सनद दी थी, वह निस्संतान मर गया। तब उसकी रानी ने राजपाल साय को गोद लिया, उसने भी वर्तमान जमींदार लाल बहादुर सिंह को गोद लिया। सरकार को टकौली .... जमींदारी में 8 मदरसे हैं और दो पुलिस थाने, एक सब पाली और दूसरा बसना में है। जमीदार पहले गढ़ फूलकर नाम गाँव में रहते थे, वहाँ पर राजा अनंतसाय ने 200 वर्ष पूर्व किला बनाया था। अब 14 मील हट कर सरईपाली सदर मुकाम बनाया गया है। यहाँ आनरेरी मैजिस्ट्रटों की अदालत है। जमींदार और उनके दीवान, दोनों आनरेरी मजिस्ट्रेट है। इसके अलावा स्कूल, डाकखाना और अस्पताल भी हैं, ढोरों के लिए अलग अस्पताल है। सरईपाली में ढोरों का बाजार भरता है।

बलौदा बाजार तहसील—यह तहसील सन् 1906 में बनाई गई। यह जिले के उत्तरीय भाग में है। रकबा 1951 वर्गमील है। इसमें चार जमींदारियों अर्थात् कटगी, विलाईगढ़, भटगाँव और देवरी शामिल हैं, जिनका कुल रकबा 315 वर्गमील है। तहसील की जनसंख्या 3,67,732 है। इसमें से 61,655 जन जमींदारियों में रहते हैं। रायपुर तहसील को छोड़ अन्य तहसीलों से यह बहुत घनी बसी है। कुल गाँव 1011 हैं।

इस तहसील के सब से बड़े गाँव सिमगा, तरेंगा और भाटापारा हैं। यहाँ भाटा और मटासी जमीन की अधिकता है। जंगल 635 वर्ग मील में है। धान की खेती आधे से अधिक रकबे में होती है। कोदों-कुटकी भी धान की चौथाई बोई जाती है। गेहूँ बहुत कम बोया जाता है। सरकारी जमा 21,985 है। इस तहसील में 6 थाने हैं, वे बलौदा बाजार, सिगमा, भाटापारा, बिलाईगढ़ पलारी और कसडोर में हैं—

बलौदा बाजार गाँव—(ज. 3288) बलौदाबाजार तहसील का सदर मुकाम है, भाटापारा स्टेशन से 16 है। यहाँ अनाज और ढोरों की बिक्री बहुत

होती है। प्रत्येक सप्ताह में हजारेक जानवर बिक जाते हैं। बाजार मंगलवार को लगता है। यहाँ एक हिंदी पाठशाला है। मिशन ने एक अंग्रेजी-हिंदी पाठशाला भी खोल रखी है। तार और डाकघर, अस्पताल और ढोरों का चिकित्सालय, पुलिसथाना और तहसीलदार व नायब की कचहरियाँ मामूली हैं।

बिंद्रानवागढ़ जमींदारी—इसका क्षेत्रफल 1559 वर्ग मील है, रकबे में इससे बड़ी जमींदारी दूसरी नहीं है। यह महासमुंद्र तहसील में है, इसकी पहाड़ियाँ समुद्र जल सतह से 2000 से लेकर 3000 फुट तक ऊँची हैं। उत्तरीय भाग बहुत जंगली है, परंतु दक्षिणी भाग में खासा मैदान है, जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। कुल गाँवों की संख्या 446 है। गोंड़, कमार और भुञ्जिया लोग यहां अधिक पाये जाते हैं। कहते हैं यहां पहले भुञ्जिया राजा था, उसकी जमींदारी का नाम मरदा था। पच्चीसक पीढ़ी के पूर्व सिंहलसाय नामक गोंड़ लांजी से आया और छुरा में आ बसा। भुञ्जिया राजा का शंका हुई कि यह मेरा राज ले लेगा, इसलिए उसने सिंहलसाय को विष दे दिया। उसकी स्त्री गर्भवती थी। वह भाग कर पटना चली गई और एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करने लगी। जब वह कचरा फेंकने को जा रही थी, उसी समय उसके लड़का पैदा हुआ। इस परसे उसका नाम कचरा धुरवा धराया गया। जब कचरा या कचना बड़ा हुआ तो वह महाराजा पटना की फौज में सिपाहीगिरी करने लगा। धीरे-धीरे वह सेनापति के पद पर पहुँच गया। महाराजा उससे खुश थे, उन्होंने एक बार उससे कहा—तुम जो माँगना चाहो, माँगों। उसने मरदा की जमींदारी माँगी। महाराजा ने स्वीकार कर लिया। वह मरदा को गया था और वहाँ के जमीदार बाप का बैर भंजा लिया। फिर उसने आस-पास का क्षेत्र को जीत कर वर्तमान जमींदारी की नींव जमाई और नवागढ़ को अपना निवास बनाया। यहाँ बहुत बंदर थे, इसलिए इसका नाम बिंद्रानवागढ़ अर्थात् बंदरवाला नवागढ़ पड़ गया। तभी से इसकी गणना पटना महाराजा के 18 गढ़जातों में होने लगी। सन् 1880 ई. में जमीनदार के नाबालिग होने के कारण जमींदारी कोरट कर ली गई। जमीनदार केवल साय छोटी ही अवस्था में मर गया। तब उसकी विधवा

अधिकारिणी हुई। सन् 1902 में वह भी मर गई। तब इसी वंश की लहुरी शाखा के छत्रसाल नामक प्रतिनिधि को यह जायदाद मिली। कंवल साय का यह भतीजा लगता था। इस जमींदारी में धान बहुत अच्छी होता है। तिल, कोदों, कुटकी भी बहुत होती है। 970 वर्ग मील में जंगल लगा है, यहाँ साल या सरई के झाड़ बहुत होते हैं। सागौन भी उदन्ती नदी के किनारे होता है। टकौली 16000 रुपये दी जाती है। राजिम से देवभोग तक सड़क बनी है। जब कोरट था तब गरियाबंद में सदर मुकाम रखा गया था, और जमींदार के लिए एक महल बनवा दिया गया था। अब छुरा सदर मुकाम है। वह गरियाबंद से 14 मील है। कोरट ने महल और सड़क तीन लाख की लागत से बनवाई थी। जमींदार ने छुरा में भी एक महल बनवा लिया है। यहाँ पर पुलिसथाना, डाकखाना और एक हिंदी पाठशाला है। छुरी रायपुर से 56 मील और राजिम से 28 मील है। इस जमींदारी में 6 मदरसे, 7 डाकखाने और 4 पुलिस थाने हैं। थाने देवभोग, नवागढ़, गरियाबंद और छुरा में हैं। कांदाडोंगर और देवभोग इस जमींदारी के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं।

बिलाईगढ़ जमींदारी बलोदाबाजार में 112 वर्ग मील मील की जमींदारी है, इसमें 74 गाँव हैं। फुलझर के गौड़ वंश का एक व्यक्ति पहले धनसिर में रहता था। उसको बारह गाँव दिए गए थे। इसलिए वह बरहिया कहलाता था। उस तरफ के गोंड़ लोग उस जमाने में जगन्नाथ जाने वाले यात्रियों को लूट लिया करते थे, इसलिए रतनपुर के राजा ने इसका प्रबंध करना चाहा और धनसिह के बरहिया को बिलाईगढ़ और कटगी की चौरासी देकर यात्रियों की रक्षा का भार उसके सिर पर रखा। उस समय मांझी मेवार बरहिया था। उसके लड़के मुखीराय और गुमानसिंह हुए, ये लड़ पड़े और अपना बँटवारा करवा लिया। जेठे मुखीराय को बिलाईगढ़ और लहुरे को कटगी मिली, तब से ये अलग-अलग जमींदार हो गये। पचासेक वर्ष पूर्व कटगी में कोई वारिस न रहा, तब कटगी बिलाईगढ़ में फिर मिला दी गई। गदर के समय सोनाखान के जमींदार को पकड़ने में कटगी और बिलाईगढ़ दोनों ने सहायता दी थी। वर्तमान जमींदार दीवान रामप्रतापसिंह है। इस जमींदारी

में मूँग, उड़द, तिल और अलसी की उपज अधिक है। बिलाईगढ़ और कटगी दोनों की मिलाकर 7000 रुपये टकौली देनी पड़ती है। बिलाईगढ़ रायपुर से 80 मील है। वहाँ पर किला और मंदिरों के खंडहर हैं। और पुलिस थाना, डाकखाना और पाठशाला भी है।

बिसरामपुर—(ज. 536) बलौदाबाजार तहसील में हथबंध स्टेशन से 8 मील है। यह जर्मन मिशन का गाँव है। देशी क्रिस्तान ही यहाँ रहते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए पाठशालाएँ हैं, डाकखाना और छापाखाना भी है। प्रार्थना के लिए गिरजाघर बना है। सोमवार को बाजार भरता है।

भटगाँव जमींदारी—बलौदाबाजार तहसील में 64 धन माल की जमींदारी है। यह प्राचीन अद्ध चौरासी अथवा बयालीस थी। अब इसमें साठ गाँव हैं। तेली, चमार और चंदनाहु कुरमी यहाँ बहुत बसते हैं, खेती धान की विशेष होती है। उड़द, मूँग, तिल और कोदों भी बोया जाता है। जमींदार बिंझिया जाति के हैं। वर्तमान जमींदार बुधेश्वरसिंह हैं। इनके पुरखा जोगीराय रतनपुर के राजा कल्यान साय की सेवा में रहते थे और उनके साथ अकबर के समय दिल्ली दरबार को गए थे। 50 वर्ष पश्चात् रतनपुर के राजा जोगीराय के नाती बिजानीराय से नाखुश हो गए। इसलिए वह भाग निकला और महानदी के उस पार जंगलों में जा छिपा। तब वहाँ सम्बलपुर के राजा का राज था। राजा ने उसे ऊसर जमीन को आबाद करने की आज्ञा दे दी। तब उसने भटगाँव बसाया। पहले उसे कुछ लगान नहीं देना पड़ता था, पश्चात् मरहठों ने 400 रुपये टकौली लगाई, अब 2800 रुपये लगती है। भटगाँव के जमींदार ने सोनाखान के नारायणसिंह बागी को पकड़ने में सहायता दी थी। यह घराना सदैव राजभक्त रहा है।

भण्डार—रायपुर तहसील में रायपुर से 32 मील है। यहाँ सतनामी पंथ के गुरु रहते हैं। उनके चरणामृत लेने को दूर-दूर से उनके अनुयायी आते हैं। ये लोग रामत को निकलने हैं और बहुत सा रुपया चढ़ोतरी में पाते हैं। वर्तमान गुरु अजबलदार व मुखतावनदास हैं।

भाटापारा—(ज. 4714) बंगाल नागपुर रेलवे पर एक स्टेशन

है, रेलवे के आने के पूर्व वह बहुत छोटी सी चर्मकारों की बस्ती थी। सन् .....में इसकी जनसंख्या थी। अब दस गुने से अधिक हो गई है और प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अब इसका गिनती कस्बों में की जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यहाँ व्यापार का एक मुख्य केंद्र हो गया है। अनाज, चमड़ा, हड्डी का यहाँ पर विशेष व्यापार होता है। मुंगेली और लवन की ओर से माल बहुत आता है, इतवार, बुधवार को बड़ा बाजार भरता है। यहाँ पानी की बहुत कमी है। यहाँ पर पाठशाला, पुलिस थाना, तारघर, डाकखाना और विश्राम घर बने हुए हैं। भाटापारा नोटीफाइड एरिया भी कर दिया गया है।

महानदी—यथा नाम यह केवल रायपुर जिले में ही नहीं वरन मध्य भारत या यों कहिये भारत को एक बड़ी नदी है। इस की लंबाई 550 मील है। प्राय: अर्ध भाग मध्यप्रदेश में पड़ता है। रायपुर में वह प्राय: पौने दो सौ मील वही है। सिहावा के निकट एक छोटे से कुण्ड से निकल वह धमतरी में बहती हुई और फिर रायपुर और महासमुन्द्र तहसीलों के बीच की सीमा बनाती हुई बलौदा बाजार तहसील में प्रवेश करती है और शिवनाथ के संगम के पश्चात् वह बिलासपुर जिला और बलौदाबाजार की सीमा सरसींवां इलाके तक बना कर सारंगगढ़ रियासत में घुस गई है, उससे निकलकर फिर वह बिलासपुर जिले की सीमा बनाती हुई रायगढ़ रियासत से होकर सम्बलपुर जिले में प्रवेश करती है। फिर उड़ीसा की रियासतों में बहकर, कटक जिले में प्रवेश करती है और कटक नगर के पास अनेक धाराओं में बँट कर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी बड़ी-बड़ी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हस्दी, ईच, तेल, जोग और ओंग हैं। छोटी-मोटी तो बहुत सी उसमें जा मिली हैं।

महानदी का भाग, जो मध्यप्रदेश में पड़ता है, उसे चित्रोत्पला भी कहते हैं, ''उत्पलेश समासाद्य यावच्चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्व पाप प्रणाशिनी। महानदी के किनारे कई पुण्यक्षेत्र हैं, उनमें से मध्यप्रदेश में बहुत प्रख्यात दो हैं। अर्थात् रायपुर जिले का राजिम और बिलासपुर जिले का शिवरी नारायण। महानदी का पाट बहुत चौड़ा है, कहीं-कहीं पर मील

भर का हो गया है। 8 मास तक नदी की धारा बहुत साँकरी और उथली हो जाती है, परंतु चौमासे में वह विकराल रूप धारण कर लेती है। जब महानदी पूर में आती है, तब वह गंगा के समान समुद्र में बीस लाख घन फुट प्रति सेकंड फेंकती है। जब पूर आता है, तब राम ही से काम पड़ता है। दो भारी पूरों के दृश्य का दिग्दर्शन प्रथम झलक में करा दिया गया है। सम्बलपुर से कटक तक खूब नावें चलती हैं और उनके द्वारा माल भी ढोया जाता है, परंतु उसके ऊपर नाव बराबर नहीं चल सकतीं, जिससे नदी द्वारा इस प्रदेश का माल ढोया जा सके। रायपुर जिले में इस नदी का उपयोग आवपाशी के लिए किया जा रहा है। इससे एक बड़ी भारी नहर निकाली गई है, जिसकी लंबाई 187 मील है।

महासमुन्द—यह तहसील सन् 1906 में निर्मित हुई। उसका रकबा 5194 वर्ग मील है। इतने बड़े विस्तार की मध्यप्रदेश में कोई भी तहसील नहीं है। यथार्थ में 22 जिलों में से 19 जिले रकबे में उससे छोटे हैं। इस तहसील में जमींदारियाँ बहुत हैं, जिनका रकबा 4594 वर्गमील बैठता है। इस प्रकार खालसे का रकाबा केवल 610 वर्गमील रह जाता है। जनसंख्या 5,44,089 है, जो पृथक्-पृथक् 11 जिलों की जनसंख्या अधिक बैठती है। साढ़े चार लाख जन इनकी जमींदारियों में रहते हैं। तहसील बड़ी जंगली है। जमींदारियों के आधे भाग में जंगल ही जंगल हैं। जमीन ऊंचाई पर है। वहाँ पहाड़ियाँ 3000 फुट तक ऊँची हैं। गोंड़, बिंझाल और कर लोग विशेष पाये जाते हैं। बहुतेरे जमींनदार गोंड़ हैं, केवल खुरियार का क्षत्रिय और नर्रा का कंवर है। खेती विशेषकर धान की होती है। तिल, उड़द, मूँग और कोदों कुटकी भी थोड़ी-बहुत हो जाती है। जमा 1,51,469 है। इस तहसील में पुलिस थाने 14 हैं। ये महासमुन्द, राजिम, तुमगाँव, पिठौरा, सुबरमार, नवापारा, कोमना, खरियार, देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद, छुरा सरईपाली और बसना में हैं।

महासमुन्द गाँव—(ज. 2256) इसी नाम की तहसील का सदर मुकाम है। यह राजिम से 18 मील और रायपुर से 34 मील है। यहाँ मामूली कचहरियाँ के सिवाय डाकखाना, पुलिस था, अस्पताल और पाठशाला हैं।

खरियार के जमींदार राजा ब्रजराजसिंहदेव की मृत्यु यहीं हो गई थीं, इसलिए पाठशाला की इमारत स्मारक रूप खरियार के जमींदार ने बनवा दी है। यहाँ एक सराय और विश्राम बँगला भी है। यहाँ जर्मन मिशन भी है।

राजिम—(ज. 1734) महासमुन्द तहसील में महानदी के दाहिने तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। वह रायपुर से 26 मील है। यहाँ पहुँचने के लिए महानदी के बायें तट पर नवापारा तक रेल बनी है। खुले दिनों में नवापारा से राजिम जाने को अस्थायी पुल बना दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में राजिम का बड़ा माहात्म्य है। यहां जीवलोचन का मंदिर है। दर्शन करने को दूर-दूर के सहस्त्रों यात्री प्रति वर्ष आते हैं। माघ सुदी अष्टमी से यहाँ बड़ा मेला भरता है, जो एक मास तक रहता है, माघ की शिवरात्रि को जमघट पचास हजार से कम नहीं रहता। यहाँ पर अनेक प्राचीन मूर्तियाँ हैं, शिला और ताम्रलेख हैं, जिनसे वह स्थान की प्राचीनता प्रकट होती है। राजीवलोचन का मंदिर बड़ा भव्य है। इसके चारों कोनों में चार मंदिर वराह, नरसिहं, बद्रीनाथ और वामन के बने हैं। इनके सिवाय तीन और—जगन्नाथ, राजेश्वर और दानेश्वर के बीच-बीच में हैं। पिछले दो शैव हैं, शेष सब वैष्णव हैं। सब के मध्य में राजीवलोचन का मंदिर है। वह 59 फुट ऊँचा है। इस मंदिर में दो शिलालेख हैं, एक की तिथि 1145 ई. है। दूसरा उससे सौ वर्ष पूर्व का है। यह बहुत टूट-फूट गया है। उसमें लिखा है कि विष्णु के लिए यह मंदिर बनवाया गया था, इससे जान पड़ता है कि मंदिर की रचना आठवीं शताब्दि के लगभग हुई होगी। दूसरे लेख को हैहयों के अधिकारी जगपाल ने खुदवाया था। उसमें जगपाल के जीते हुए रजवाड़ों का जिक्र है, जैसे मचका सिन्दवा (धमतरी तहसील का वर्तमान मेचका व सिहावा), कांदाडोंगर, जो बिंद्रानवागढ़ जमींदारी में विद्यमान हैं), काकरय (कांकेर, कान्तार, कुसुमभोग इत्यादि। कहते हैं कि जगपाल दुर्ग में रहता था और नित्य राजीवलोचन की पूजा करने को राजिम जाता था।

राजिम राजीव का अपभ्रंश हैं, परंतु स्थानीय लोग उसकी व्युत्पत्ति एक तेलिन के नाम से बताते हैं। कहते हैं कि राजिव नाम की तेलिन ने

अपनी टोकनी एक दिन एक पत्थर पर रख दी। तब से उसके तेल पात्र से चाहे जितना तेल निकालते जाओ, कभी घटता ही नहीं था। उस पत्थर को वह घर उठा ले गई और उसे पूजने लगी। जब राजा ने यह हाल सुना तो उस पत्थर को मँगवा भेजा, तेलिन उसे देती नहीं थी। बाद में उसके बराबर सोने की तौल के बदले में देने को राजी हुई, जब पत्थर नखरिये पर रखा गया तो तुल के बराबर हो गया। वह देखकर तेलिन ने कहा कि मैं इसे इस शर्त पर दूँगी कि मेरा नाम इसके आगे चले। इसलिए देव का नाम उसके नाम पर से राजीवलोचन रखा गया। राजीव लोचन के मंदिर के सामने एक छोटा सा मंदिर बना है। उसमें एक सती चीरा सा है, जिस पर सूर्य, चंद्र और कुंभ सा खुदा है, उसके नीचे स्त्री-पुरुष आसीन हैं और बगल में दो दासियाँ खड़ी हैं। इनके नीचे व्यवसाय दर्शक-घानी और एक बैल का चित्र खुदा हैं। यदि तेलिन की दंत कथा में कुछ सार है तो जानना चाहिए कि वह अपने इष्टदेव राजीवलोचन के सामने सती हुई। इस मंदिर में यह एक विचित्रता है कि पुजारी क्षत्रिय होते हैं न कि ब्राह्मण। इनके पास एक ताम्र शासन है, जिसमें पांडववंशी राजा तीवर देव के पिंपरोपद्रक नामक गाँव किसी ब्राह्मण को दान करने का लेख है, इस लेख की मंदिर में पूजा की जाती है। राजा जगपाल के शिलालेख में मंदिर की शाल्मलि गाँव नैवेद्य के लिए देने का उल्लेख है। यह अवश्य सेमरडीह है, जो अभी तक मंदिर को लगा है।

जान पड़ता है जगपाल ही ने जो राजमाल जाति का था, क्षत्रियों को पुजारी बनाया। कदाचित् वह ब्राह्मणों में धोखा खा गया था, इसलिए उनको नियुक्त करना उचित नहीं समझा। ब्राह्मणों ने इस प्रकरण को बिना समाधान किये जाने नहीं दिया, उन्होंने राजिम माहात्म्य रचकर शौनक से प्रश्न करवाया। सर्व क्षेत्रेश्रतं पूर्वं पूजका: ब्राह्मणश्शुभा: । याक्षेत्रे कर्य तावत् क्षत्रिया: पूजकाऽभवन्। सूतजी उत्तर में कहते हैं, चंद्रवश में रत्नाकर नाम प्रतापी राजा हुआ, उसने विष्णु यज्ञ करना प्रारंभ किया ,तब राक्षसों ने बाधा डाली। उसने विष्णु की स्तुति की। भगवान ने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर दर्शन दिए और कहा वर माँग। राजा ने कहा था, आप तो इस पृथ्वी

पर इसी रूप से निवास करें और के हाथ से पूजा ग्रहण करें। तब विष्णु ने कहा—

एवमसतु ग्रहीष्यामि स्वल्पकालेन भूपते।
दिव्याँ ते वंश्य हस्तार्ची सादृतो लोक पावनीम्॥
अन्यत्र विप्र हस्तार्ची ग्रहीष्याभि नृरोत्तम।
अत्र ते वंश वंश्यैश्च कृतां पूजां प्रसन्नतः॥

अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे वंशजों के हाथ से पूजा लगे। इस पकार स्वयं विष्णु ही से निबटारा करवा दिया गया। कहते हैं कि कांकेर में पहले कंडरा राजा था, वह राजिम को नष्ट कर मूर्ति को नाव में धर कर कांकेर लिये जाता था। धमतरी पहुँचने पर उसे स्वप्न हुआ कि उसका नाश हो जाएगा। इसलिए उसने मूर्ति को राजिम वापिस कर दिया। तिस पर भी उसका राज चला ही गया।

राजिम ने महानदी और पैरी का संगम हुआ है, इस संगम के बीच में कुलेश्वर का मंदिर बना है। दंत कथा के अनुसार इसको ताम्रध्वज राजा ने बनवाया था। इसमें एक रानी का चित्र खुदा है। इसे झनकावती बतलाते हैं, वह मंदिर में लाख दीपक रोज जलाया करती थी। राजिम में खोदने से बहुत दीये मिलते हैं, ये उसी समय के दीये बतलाये जाते हैं। कुलेश्वर मंदिर के चबूतरे पर एक बड़ा झाड़ लगा है। 90 वर्ष पूर्व जब महानदी का बड़ा पूर आया था, तब एक साधु ने जो उस मंदिर में रहता था, झाड़ पर चढ़ तीन दिन काटे थे, इसके स्मारक में उसने मंदिर में सोरठा बनाकर खुदवा दिया है, वह यों हैं—

जादिन व्यापे अंब, छूटत शिव गिरि गहि रह्यो।
जगतराव तहं खम्ब, शम्भ सुखासन रह्यो तहँ॥

राजिम के आसपास पंचकोशों में चंपेश्वर, बाबनेश्वर, फंगेश्वर, कोपेश्वर और पाटेश्वर महादेव हैं। कहते हैं आदि में आकाश से कमल का पत्ता गिरा था, जिससे इन महादेवोंपर्यंत भूमि ढँक गई थी। यही कमल या पद्म क्षेत्र कहलाया। पश्चात् राजीवलोचन का मंदिर बनने पर क्षेत्र का वर्तमान पड़ गया।

राजिम ने पाठशाला, डाकखाना, पुलिस थाना और विश्राम बँगला है। बाजार रोज लगता है, परंतु शनिवार को बड़ा बाजार भरता है। लाख और हर्रे का व्यापार अधिक होता है। मेले के समय हर प्रकार की वस्तुएँ आती हैं। ढोर तक बिकने को आते हैं। सन् 1896 ई. के मेले में साढ़े चार लाख रुपये का माल बिक्री के लिए आया था। उसमें से दो लाख का बिक गया था। कोई 900 दुकानें आई थीं, अब कुछ कम आती हैं।

इस कस्बे का प्रमुख वंश महाडोक का है, इसके प्रसिद्ध नायक राय बहादुर राघोबा महाडीक अब इस लोक में नहीं है। इनके कोई 20 गाँव थे। इस वंश का संबंध नागपुर के राज घराने से था। राजिम में कई विद्वान् पुरुष रहते हैं। उनमें से कुछ कविता भी करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ एक कवि समाज की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला पद्यात्मक ग्रंथ यहाँ के पं. सुंदर लाल द्वारा रचा गया था।

रायपुर तहसील—रकबा 1014 वर्ग मील है। सन. 1906 के पूर्व इसका रकबा 5802 वर्गमील था, जबकि मध्य प्रदेश में उनसे बड़ी तहसील कोई थी ही नहीं। जब दुर्ग जिला बना और महासमुंद्र में नई तहसील स्थापित हुई। तब से महानदी के उस पार की जमींदारियाँ महासमुन्द में मिला दी गईं। इसी से रायपुर तहसील का रकबा विशेषकर घट गया। अब यह जिले में रकबे के हिसाब से सब से छोटी तहसील है। जन संख्या 2,53,615 है। सब तहसीलों में यह अधिक घनी बसी है। कृषकों में सतनामी चमार और तेलियों की अधिकता है। जंगल बहुत कम हैं। दो तिहाई भूमि में धान बोया जाता है, शेष में कोदों कुटकी और थोड़ी बहुत उड़द, मूँग, गेहूँ, तेबरा, अलसी,चना और मसूर हो जाती है। तहसील की जमा 2,27,500 रुपये है। इसमें 5 पुलिसथाने—रायपुर अब्भनपुर, धरसीवां, आरंग और खरोरा में हैं।

रायुपर शहर—(ज. 38,341) जनसंख्या के प्रमाण से मध्यप्रदेश के शहरों में इसका पाँचवाँ नम्बर बैठता है, यथार्थ में इससे बड़े दो ही नगर नागपुर और जबलपुर हैं। शेष दो अमरावती और सागर बराबरी के हैं, केवल हजार-दो हजार जनसंख्या का फरक पड़ता है। यह नगर रायपुर

तहसील, रायपुर जिला और छत्तीसगढ़ कमिश्नरी का सदर मुकाम है और बंगाल- नागपुर रेलवे लाइन पर कलकत्ता से 513 मील और नागपुर से 188 मील पड़ता है। यहाँ से एक छोटी लाइन धमतरी और राजिम को गई है। जान पड़ता है कि रायपुर चौदहवीं शताब्दी में बसाया गया, जब रतनपुरी हैहयों की एक शाख का नायक सिंहण खलारी से राजधानी यहाँ उठा लाया। लगभग उसी जमाने का बना हुआ यहाँ एक किला है, जिसके भीतर कई मंदिर हैं। किले के दो ओर तालाब हैं। यहाँ एक शिलालेख राजा ब्रह्मदेव के समय का मिला था, जो सिंहण का नाती था। उसकी तिथि 140 ई. में पड़ती है। यह शिलालेख नागपुर के अजायबघर में रखा है। रायपुर में भी नादगाँव के राजा घासीदास का बनवाया एक छोटा सा अजायबघर है, जिसमें सात आठ शिलालेख हैं। इनमें से तीन सिरपुर में मिले, एक खलारी में, शेष अन्य जिलों के हैं। रायपुर में दो बड़े-बड़े तालाब हैं। एक का नाम बूढ़ा तालाब और दूसरे का महाराजबंध है। बूढ़ा तालाब बहुत मनोहर लगता है। उसके बीच में एक द्वीप है, जिस पर झाड़ लगे हैं। एक ओर कम्पनी बगीचा लगा है। निकट ही दूधाधारी का मंदिर है, जिसकी बनावट बहुत अच्छी है। नवीन मंदिरों में ऐसी कारीगरी के मंदिर इस प्रदेश में विरले ही स्थानों में मिलेंगे। इसको राम सरन लाल बानी के पूर्वजों ने बनवाया था। अब यह मंदिर वैरागी महंत के प्रबंध में हैं। इसमें कोई तीसेक गाँव लगे हैं, यह बड़ा धनाढ्य मंदिर है। इसे अन्न का भंडार समझना चाहिए, किसी समय यहाँ एक लाख खंडी तक अनाज कोष में रहता था। इस मंदिर में सिरपुर से लाई हुई कई बौद्ध और जनमूर्तियों का संग्रह भी है।

रायपुर में सन् 1867 ई. में म्युनिसिपालिटी बनाई गई थी। आमदनी प्राय: 2,41,000 वार्षिक है। शहर में पानी के नल लगे हैं, जिनके बनाने के लिए नांदगाँव के राजा बहादुर बलराम दास ने दो लाख रुपये दिए थे। कुल खर्च प्राय: साढ़े तीन लाख पड़ा था। बलराम दास की उदारता के उपलक्ष्य में इस नलबल जल पूर्ति का नाम बलराम दास वाटर वर्क्स रख दिया गया। पानी खारून नदी से लाया गया है।

यों तो अंग्रेजी अमल में सन् 1818 ई. से रायपुर छत्तीसगढ़ का सदर

मुकाम रहा है, परंतु जब से यह रेलवे का स्टेशन बन गया है, तब से व्यापार में विशेष वृद्धि हुई है। गल्ले का रोजगार बहुत चलता है। यहाँ पर कुछ कारखाने भी हैं, जैसे तेल निकालने के, ईंट खपरे बनाने के। काँसे पीतल के बर्तन व गहने बनाना, कपड़ा बुनना, चाँदी–सोने के गहने बनाना, लकड़ी के खिलौने तैयार करना इत्यादि भी वहाँ की विशेषता है। रायपुर में छापाखाना भी है। उनमें अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, मराठी, उड़िया आदि में छपाई होती है। यहाँ एक सेन्ट्रल जेल है। इसमें दरियाँ बहुत अच्छ बनती हैं। प्रेक्षणीय स्थानों में यहाँ पर राजकुमार कालेज है, जो राजाओं और रईसों के लड़कों को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश में यह एक ही है। अजायबघर का जिक्र हो चुका है। दो बाजार अच्छे बने हैं। एक को गोल बाजार कहते हैं, दूसरे को फिलिप्स मारकेट। शिक्षा के लिये यहाँ पर एक सरकारी हाई स्कूल, एक मिशन हाईस्कूल, एक लारी अंग्रेजी मिडिल स्कूल, एक खालसा अंग्रेजी स्कूल और 10 प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। मेहतरों के लिए एक अलग पाठशाला है, लड़कियों के लिए पाँच पाठशालाएँ हैं। अध्यापकी सिखाने के लिए पुरुषों के लिए एक नार्मल स्कूल है। यहाँ पर दो मिशन हैं। 3 पाठशालाएँ उन्हीं की हैं। अनाथों के लिए भी एक हिंदी पाठशाला खोल रखी है। रोगियों के लिए 3 अस्पताल हैं। उनमें एक पुलिस के लिए है। स्त्रियों के लिए डफरिन फंड से अलग अस्पताल हैं, एक आयुर्वेदिक शाला भी है, ढोरों के लिए भी म्युनिसिपालिटी ने चिकित्सालय खोल रखा है। सन् 1887 में यहाँ एक टाउन हाल 24,000 रुपये की लागत से बनाया गया था। कमिश्नरी जिला और तहसील संबंधी अदालतें और दफ्तर हैं। इसके सिवाय यहाँ मध्यप्रदेश के पोलिटिकल एजेंट का भी दफ्तर है। बारीक मास्टरी और आवपाशी के इंजीनियर, डाकखानों के सुपरिटेंडेंट और रजवाड़ों की शालाओं के इन्सपेक्टर भी यहाँ रहते हैं। डाक खाना, तारघर, सरकिट हाउस, डाक बँगला, सराय, धर्मशाला, पुस्तकालय, देशी व विलायती क्लब आदि भी विद्यमान हैं। रायपुर में बाजार रोज लगता हैं। पहले रायपुर में सन् 1902 तक कुछ फौज भी रहती थी। रायपुर शहर बाढ़ पर है। सन् 1873 में जनसंख्या 19 हजार थी। आज उसकी दूनी है।

रुद्री—धमतरी से दो मील महानदी के तट पर छोटा सा गाँव है। वहाँ पर माघ पूर्णिमा को रुदेश्वर-महादेव का मेला भरता है, जिसमें प्रायः दस हजार लोग जुड़ जाते हें। इस गाँव का नाम रुद्री रुदेश्वर के मंदिर होने के कारण ही पड़ा है, परंतु कोई-कोई कहते हैं कि कांकेर के राजा रुद्रदेव ने बसाया था। इसलिए वह रुद्री कहलाया। यहाँ पर कबीरपंथियों का चबूतरा भी है। इसलिए दूर-दूर के कबीरपंथी भी यात्रा करने को जाते हैं। धमतरी के मिशन वालों ने यहाँ एक बड़ा अनाथालय खोल रखा है और लड़के और लड़कियों के लिए शालाएँ स्थापित कर दी हैं, इनमें कुछ धंधे भी सिखलाए जाते हैं, जैसे बढ़ई, लुहार, दरजी का काम, निवास व रस्सियाँ बनाना, तेल पेरना इत्यादि। यहाँ अंधे-बहरे, मूकों के लिए भी एक अलग शाला है। धमतरी से रुद्री तक मिशनरियों ने टेलीफोन लगा दिया है, जिससे वे धमतरी में बैठे यहाँ के लोगों से बातचीत कर सकते हैं।

लभानडीह—रायपुर से पाँच मील आरंभ की सड़क पर है। यहाँ पर करदिखाव खेती का सरकारी खितौला है, जो मध्यप्रदेश में श्रेष्ठ समझा जाता है। यहाँ पर खेती उत्तम प्रकार से कैसे होती है और उपज कैसे बढ़ सकती है, यह बात परीक्षा करके दिखलाई जाती है। यह खितौला सन् 1903 ई. में स्थापित किया गया था। लभानडीह से पाँच मील चलकर कुरुद है, वहाँ 1,19,000 की लागत से सरकार ने एक आवपाशी का तालाब बनवा दिया, जिससे 1600 एकड़ की सिंचाई हो सकती है।

लवन—लवन का अर्थ होता है नीची भूमि और यह इलाका ऐसे ही स्थल पर है। लवन बलौदाबाबाजार से कुछ दूर है, सड़क लगी है। रायपुर से वह 53 मील पड़ता है। यहाँ पर एक पुराने महल के खँडहर हैं। आसपास के इलाके को लोग लवन राज कहते हैं, इसमें 150 गाँव थे, जो दुर्ग जिले की नंदकठी के एक बनिया ताहुतदार के ताँबे में थे। यहाँ पाठशाला, डाकखाना और विश्राम बँगला है, शनिवार को बाजार भरता है, जिसमें ढोर बिकने को आते हैं। लवन से छह मील खैरा में आवपाशी का तालाब 70,000 रुपये की लागत से बनाया गया है। उससे 1000 एकड़ की सिंचाई हो सकती है।

शिवनाथ नदी—दुर्ग जिले से निकलकर सिमगा से 4 मील इस तरफ से उत्तरीय सीमा बनाती हुई शिवरीनारायण के पास महानदी में जा मिली है। महानदी को छोड़ छत्तीसगढ़ में यह सब से बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 160 मील है। बलौदाबाजार में बजारभाटा एक गाँव शिवनाथ के तट पर है, वहाँ इस नदी में स्लेट का पत्थर मिलता है।

सांकरा—(ज. 2615) धमतरी से 35 मील सिहावा इलाके में है। इसको और आसपास के पाँच और गाँव अर्थात् नगरी, विरगुरी, सेमरा,आमगाँव और चुरियाना को कांकेर के राजा ने अपनी लड़की को चूड़ी के खर्च के लिए दिया था। यह लड़की बस्तर के राजा को ब्याही गई थी। इसलिए वे गाँव बस्तर राजा के अधीन मुआफी में अभी तक चले जाते हैं। कहते हैं कांकेर के राजा उड़ीसा से उसे पहले आये थे, तब नगरी में बसे थे, वहाँ पर किला-खंडहर अभी तक है। सांकरा 5 वर्ग मील का बड़ा गाँव है, यहाँ एक पाठशाला है। सोमवार को बाजार भरता है। ढोर और जंगल की उपज बिकने को बहुत आती हैं। सांकरा के लगभग नगरी के आबादी है, वहाँ 2308 जन रहते हैं।

सिमगा—(ज. 2048) सन् 1906 ई. तक यह सिमगा नामक तहसील का सदर मुकाम था, अब बलौदाबाजार तहसील में है। वह शिवनाथ के तट पर टिल्दा स्टेशन से 9 मील पड़ता है। रायपुर से वह 28 मील बिलासपुर की सड़क पर है। यहाँ पर कुछ सतीचोरे मिले थे, जो अब रायपुर के अजायबघर में रखे हैं। यहाँ अस्पताल, पाठशाला, डाकखाना, विश्राम बँगला और सराय हैं। शनिवार और मंगल को बाजार लगता है। सिमगा में पान की बाड़ियाँ हैं।

सिरपुर—महानदी के तट पर रायपुर से 37 मील महासमुंद्र तहसील में है। प्राचीनकाल में यह महाकौशल अर्थात् छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। इसका शुद्ध नाम श्रीपुर था। सातवीं-आठवीं शताब्दी में यहाँ सोमवंशी राजा, जिन्हें पिछले गुप्त भी कहते हैं, राज करते थे। यहाँ पर महलों और मंदिरों के विस्तीर्ण खंडहर हैं। एक विष्णु का मंदिर, जिसको लोग लक्ष्मण का मंदिर कहते हैं, अब भी खड़ा हैं, इसमें ईंटों की जुड़ाई और कटाई ऐसी

बारीकी से की गई है कि उसे देख कर आश्चर्य होता है। जुड़ाई के गारे की मोटाईइंच के बीसवें अंश के बराबर हैं। वह कैसा गारा रहा होगा, इसका अनुमान ही नहीं बँधता। पत्थर की बहुत सी विशाल मूर्तियाँ इस मंदिर के निकट इकट्ठी करके रख दी गई हैं। उनकी कारीगरी अनुपम है। बहुत से खंभे और अन्य कारीगरी के काम लोग ढो-ढो कर राजिम, रायपुर, धमतरी आदि को ले गए और उनसे नए मंदिर बनवा डाले। स्वयं भोंसलों ने सिरपुर में खंडहरों से सामग्री लेकर वर्तमान गंधेश्वर (गंधर्वेश्वर) का मंदिर खड़ा कर दिया है।

इस मंदिर में कई पुराने शिलालेख भी लगवा दिए गए हैं। लक्ष्मण मंदिर में एक शिलालेख मिला था, जिसको राय बहादुर हीरालाल साहब ने पढ़कर यह सिद्ध किया है कि सिरपुर के राजा वहाँ थे, जो पीछे से कटक के सोमवंशी कहलाये। लक्ष्मण का मंदिर महाराजा शिवगुप्त की माता वासटा ने बनवाया था। वह मगध के राजा सूर्यवर्मा की लड़की थी। यहाँ पर गौतमबुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसमें बौद्ध धर्म का बीज मंत्र—ये धर्म्म हेतु प्रभवा हेतु तेषां तथा गतो ह्यवदत्। तेषां च यो निरोध एवं वादि महा श्रमण: खुदा है अर्थात् धर्म होत जो हेतुसों, कह्यो तासु को हेत। पुन: दमन विधि को महाश्रमण करायो चेत। इसके अक्षर आठवीं-नवमी शताब्दी के जान पड़ते हैं, इससे प्रकट होता है कि यहाँ बहुत पीछे तक बौद्ध धर्म का प्रचार स्थिर रहा आया। दो किलों के खंडहर भी निकट ही हैं। सर्वत्र जंगल ऊग आया है। महलों की जगह चंद झोंपड़ियाँ बनी हैं। यहाँ केवल 94 जन रहते हैं, हुआ समय का फेर हाय पलटी परिपाटी, जो थे कभी सुमेरू आज हैं केवल माटी।

सिहावा—धमतरी से 44 मील आग्नेय को है। यह जंगल के बीच ऊपजाऊ मैदान में हो यहाँ लोग शिकार को बहुत आते हैं, यहाँ पर छह पुराने मंदिर हैं। कर्णेश्वर नामक मंदिर में एक शिलालेख है, जिसकी तिथि 1192 ई. में पड़ती है। उसमें लिखा है कि चंद्रवंशी राजा कर्ण ने 5 मंदिर बनवाए थे, उसके वंश का मूल पुरुष सिंहराज था, इसी नाम से कदाचित् सिहावा नाम पड़ा, सिंह अव: का अर्थ होता है सिंह का विश्राम स्थान।

कर्ण की वंशावली कांकेर के शिलालेख से मिलती है। कांकेर के राजा कहते हैं कि उनके आदि पुरखा जगन्नाथ पुरी के थे, कोढ़ से पीड़ित होकर वे चल निकले और सिहावा के घने जंगलों में पहुँचे। वहां पर एक कुण्ड के पानी में नहाने से उनका कोढ़ जाता रहा। यही कदाचित् सिंहराज रहे हों। शिलालेख में कुण्ड का नाम देवह्रद तीर्थ लिखा है। सिंहावा ही से महानदी निकली है। यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम बतलाया जाता है,वहाँ से 5 मील रतावा में अंगिरस और 20 मील मेचका में मुचकुन्द का आश्रम बतलाते हैं। जगपाल के 1145 ई. के शिलालेख से जान पड़ता है कि यहाँ पर कोई राजा रहता था, उसको जगपाल ने हरा कर मांडलिक बना लिया था। सिहावा से आठ मील देवकूट अर्थात देवताओं का पर्वत है। इन सब नामों से इस स्थान की प्राचीनता व पवित्रता झलकती है। माघ पूर्णिमा को कर्णेश्वर महादेव का मेला भरता है। सिहावा में लाख, महुवा और चिरौंजी का व्यापार होता है, प्रति इतवार- बुधवार को बाजार भरता है। इस ओर जादू का बड़ा जोर है और नरबलि देने का प्रमाण 1908 ई. तक मिलता है। सिहावा में पुलिसथाना, पाठशाला, डाकघर और अस्पताल है।

सुबरमार जमींदारी—महासमुन्द तहसील में 199 वर्ग मील की जमींदारी है। हैहय वंशियों के राज में यह खालसा तालुक था। 200 वर्ष पूर्व तालुकेदार बागी हो गया, वर्तमान जमींदार के मूल पुरुष ने उसके दमन करने में सहायता दी, इसलिए यह तालुका उसे इनाम में दिया गया। वर्तमान जमीनदार लालगिरिराजसिंह गौड़ जाति के हैं और कहते हैं कि हमारे वंश में यह जमींदारी 13 पीढ़ी से चली आती है। जमींदारी के किस्सा के अनुसार उनके आदि पुरखा पूरनराय ने एक बड़ा भारी सुअर, जो खेती का नाश करता था, मार डाला था। इससे जमींदारी का नाम सुबरमार रखा गया, परंतु पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि यहाँ पहले सबर जाति के लोग बसते थे, इसलिए इलाके का नाम सबरमाल पड़ गया, उसका अपभ्रंश पीछे से सुबरमार हो गया। इस जमींदारी में 102 गाँव हैं।

खेती, विशेषकर धान, कोदों, कुटकी और तिल की होती है। 67 वर्ग मील में जंगल है, टकौली 6250 रुपये लगती है। रायपुर कालाहंडी सड़क

इस जमींदारी से होकर गई है। जमींदार कोमाखान में रहते हैं, जो सड़क से दो मील बाजू पर है। रायपुर से कोमाखान 62 मील और महासमुन्द से 29 मील है। कोमाखान में पाठशाला, पुलिसथाना और डाकखाना है। जमींदार आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। उनकी अदालत कोमाखान ही में है।

❑

सूचना

यह पुस्तक रायपुर-रश्मि उस पुस्तकावली की एक जिल्द है, जो मध्यप्रदेश के 22 जिले और 14 रियासतों के लिए तैयार हो रही है, इसके सिवाय निम्नलिखित जिल्दें छप चुकी हैं। मरहठी जिलों की जिल्दें मरहठी भाषा में रहेंगी, शेष हिंदी में। ये पुस्तकें ग्रंथकर्ताओं से मिल सकती हैं। पहली छह बाबू कीर्तिभानु राय मारफत बाबू गोकुलप्रसाद असिस्टेंट कमिश्नर इन्कमटेक्स जबलपुर या सरस्वती विलास प्रेस नरसिंहपुर से भी मिल सकती है। दस से अधिक पुस्तकों के खरीदार को 25 सैकड़ा कमीशन दिया जाता है।

1. दमोह-दीपक—लेखक, रायबहादुर हीरालाल, की. 11/-
2. जबलपुर-ज्योति—लेखक, रायबहादुर हीरालाल की. 12/-
3. सागर-सरोज—लेखक, रायबहादुर हीरालाल की. 12/-
4. दुर्ग-दर्पण—लेखक, गोकुलप्रसाद, जबलपुर, 111/-
5. नरसिंह-नयन—लेखक, चन्द्रभानु राय, बम्बई की. 111/-
6. निमाड़-निशाकर—लेखक, कीर्तिभानुराय, जबलपुर की. 111/-
7. बिलासपुर-वैभव—लेखक, प्यारेलाल गुप्त, बिलासपुर की. 111/-
8. चांदां-चंद्रिका—लेखक, सीताराम श्रीधर पारखी रायपुर की. 111-
9. अष्टराज-अम्भोज—लेखक, धानूलाल छुईखदान

❑

कतिपय सम्मतियाँ

फरवरी सन् 1922 की संख्या में मध्यप्रदेश की........ पत्रिका 'श्री शारदा' ने जो दुर्ग-दर्पण की समालोचना की है, वह नीचे उद्धृत की जाती है—

"रायबहादुर हीरालाल सा. (डिपुटी कमिश्नर, वर्धा) मध्यप्रदेश के उन थोड़े से विद्वानों में से हैं, जो अंगरेजी की उच्च शिक्षा पाकर भी मातृभाषा हिंदी की आराधना में निःस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। पुरातत्त्व आपका अत्यंत प्रिय विषय है और आप ने जो कुछ लिखा है, वह सब मध्यप्रांतीय इतिहास के उद्धार और गौरव-बुद्धि की दृष्टि से ही लिखा है। आपका लिखा हुआ 'दि ट्राइब्ज एंड कास्ट्स इन दि सैन्ट्रल प्रोविन्सेज नामक वृहत् अंग्रेजी ग्रंथ, जो चार जिल्दों में प्रकाशित हो चुका है, अपूर्व और अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है। आप कुछ वर्षों से हिंदी में भी लिखने लगे हैं और जहाँ तक हम जानते हैं, मध्य प्रदेशी भौगोलिक नामार्थ-परिचय नामक ग्रंथ ही आपका पहला हिंदी ग्रंथ है। उसे लिखने के पश्चात् या कदाचित् इसके पूर्व ही आपका ध्यान इस ओर गया कि मध्यप्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों और रियासतों के गजेटियर हिंदी में लिखे जाएँ जिससे हिंदी भाषा-भाषी जनता अपने प्रांत का इतिहास जानने में समर्थ हो सके।

कहने की आवश्यकता नहीं, हिंदी में इस प्रकार के ग्रंथों की कितनी आवश्यकता है। इसके लिए आप आगे बढ़े और इस प्रांत के अनेक हिंदी-लेखकों, सरकारी कर्मचारियों आदि से कहा कि आप इस कार्य में सहायता कीजिए। आपके कहने की देर थी कि समझिए काम आधा हो गया पर आप

इतने से ही तृप्त नहीं हुए। आपने 'दमोह-दीपक और जबलपुर ज्योति' नाम के ग्रंथ स्वयं लिखे और अपने खर्च से प्रकाशित कराये। जो पाठक पुरातत्त्व की नीरसता से डरते हों, वे इन ग्रंथों को एक बार पढ़कर देखें कि इस प्रकार के ग्रंथों में भी साहित्य-छटा छिटकाई जा सकती है। पुस्तकों के नामकरण तक में अनुप्रास का इतना ध्यान रखना लेखक की जिंदादिली का अच्छा प्रमाण है। इन सबका संग्रह मध्यप्रदेशीय इतिहास में स्थायी महत्त्व रखेगा और इसका श्रेय, हमारी समझ में, राय-बहादुर हीरालाल सा. को ही है।

''दुर्ग-दर्पण नामक ग्रंथ आपके सुयोग्य भ्राता बाबू गोकुल प्रसाद जी का लिखा है। इसमें दुर्ग जिले का इतिहास, भूमि, व्यवसाय, शासन आदि का संक्षिप्त और सरल विवेचन है। इतिहास के परिच्छेद में जो बातें लिखी गई हैं, उनमें अनेक का पता अंगरेजी गजेटियर तक में नहीं है। अन्य बातें अंग्रेजी गजेटियर तथा सरकारी रिपोर्टों आदि के आधार पर उत्तमता से लिखी गई हैं। हम समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़े गजेटियरों से जो लाभ उठा सकते हैं, उससे बढ़कर लाभ हिंदी पढ़े-लिखे इस प्रकार की पुस्तकों से उठा सकते हैं। आशा है अन्यान्य जिलों के हिंदी गजेटियर भी शीघ्र ही प्रकाशित होंगे।''

दमोह-दीपक के विषय में जोधपुर के इतिहासवेत्ता स्वर्गवासी मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा था—

सूरज का उजाला दीपक से ज्यादा होता है, पर घर का अँधेरा उससे पूरा-पूरा नहीं जाता, वहाँ दीपक ही काम देता है। दीपक से जैसे घर की सब चीजें दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही दमोह-दीपक से भी मध्यप्रदेश के एक जिले की, जिसका नाम दमोह है, सब बातें जानने में आ जाती हैं और इस बात में यह दमोह-दीपक मामूली दीपक से बहुत बढ़ा हुआ है। मामूली दीपक तो उसी घर के रहनेवालों के काम आता है और यह जादू का दीपक जो अलाउद्दीन के चिराग से कम नहीं है। काली कोसों पर दूर बैठे हुए हम जैसे लोगों को भी फायदा पहुँचाता है।

जबलपुर-ज्योति के विषय में लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर स्वर्गवासी पंडित प्यारेलाल मिश्र, बैरिस्टर-एट-ला ने लिखा था—

''ज्योति के प्रकाशन करने में आपके चमत्कारिक उद्योग व परिश्रम

की स्तुति करने की मुझे आज्ञा दीजिए। उसके रुचिर चित्र, मनोरंजक लेख, उपयुक्त कहावतें व छंद जिले के विविध अंगों को पूर्ण ज्योतिमय कर देते हैं। यह ग्रंथ अमूल्य हैं।

'सागर-सरोज' के विषय में पटना के धुरंधर विद्वान श्रीयुत् काशीप्रसाद जायसवाल, एम.ए., बैरिस्टर-एट-ला, बिहार और उड़ीसा पुरान्वेषण सभा के पत्र के सम्पादक लिखते हैं, "आप जिलावार ऐतिहासिक विवरण लिखकर आसाधारण ज्ञान वितरण कर रहे हैं। मैंने बहुत भाग बड़े प्रेम से पढ़ा, मुझे भी बहुत ज्ञान लाभ हुआ। पद्माकर का हाल बड़ा मनोरंजक है। आशा है कि ऐसी किताबें सर्व साधारण बड़े चाव से पढ़ेंगे, नहीं तो उसको स्कूलों द्वारा जबरदस्ती पढ़ाना चाहिए।

हिंदी के आचार्य श्रीयुत् श्यामसुंदर दास बी.ए. लिखते हैं, "आपका ढंग मुझे बड़ा ही पसंद आया। ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है।"

दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, विविध साहित्यिक पदवी विभूषित सुविख्यात डॉक्टर सर हरिसिंह गौड़ लिखते हैं, "जिस समय मुझे अवकाश मिलता है या अनमन रहता हूँ, उस समय मेरा चित्त आपकी पुस्तक देखने को दौड़ता है।"

लखनऊ की सुप्रसिद्ध माधुरी अपनी तुलसी संख्या में समालोचना करते हुए लिखती हैं, 'सागर-सरोज" अच्छा-खासा गजेटियर है। लेखक का उद्योग सराहनीय है और वह अपने उद्योग में सफल हुए हैं। पुस्तक बड़ी मनोरंजक और लाभदायक है। ऐतिहासिक भाग बड़ी खोज और परिश्रम से लिखा गया है। बीच-बीच में प्रसंगानुसार कविताओं के अंश उद्‌धृत कर देने से रोचकता और भी बढ़ गई है। लेखन शैली उत्तम है। प्रत्येक पुस्तकालय में यह पुस्तक होनी चाहिए।

❑

The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in its Journal of July, 1924, reviews SAGAR SAROJ as follows-

"Rai Bahadur Hira Lal's Gazetteer of Sagar District will be very useful to those interested in a corner of India which has seen a great deal of history. Mauryas, Sakas, Gupatas, Huns, Harsavardhana, Kalachuris, Chandellas, Gonds, Bundelas, Marathas, British and many others ruled it in succession and the inscriptions of Eran still stand as monument of the great days when hun invasion here threatened the life of India. This book is not a vernacular translation of the English gazettereers, but an original work written with inside knowledge and illustrated by numerous extracts from the writings of local poets. Its chapters deal successsively with the configuration, history, population, land, industries, misfortunes and administraion of the district, concluding with an alphabetically arranged gazetteer of places. Full of reliable and clearly presented information, it will be a real boon, and it is satisfactory to learn that the series to which it belongs is to included 25 volumes, of which almost all are in progress or already completed.

❑❑❑

अकादमी में उपलब्ध

ब्रिटिशकालीन

छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर

भाग-1

बस्तर भूषण, सन् 1908 - पं. केदारनाथ ठाकुर

अष्टराज्य अम्भोज, सन् 1925 - धानूलाल श्रीवास्तव

झारखंड झनकार, सन् 1930 - रघुबीरप्रसाद

ISBN : 978-93-82313-31-1

छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, सामुदायिक भवन के सामने,

रायपुर-492010, छत्तीसगढ़, दूरभाष : 0771-2262015

ई-मेल : cgrhga@gmail.com